राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

श्रंक 5] षष्टम् विधान सभा के पंचम सत्र का 29 वां दिवस [संख्या 21

सोमवार

दिनांक 26 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या 556

श्री बत्तीलाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रदेश में खारा पानी वाले गांवों में जलदाय योजनाएं

557. श्री हजारीमल सारण (सरदारशहर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में ऐसे कितने गांव हैं जिनका पानी खारा, विराया अथवा कम है और उन गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ? जिला व तहसीलवार गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जनता सरकार बनने के बाद प्रदेश में अब तक जलदाय योजनाओं के जरिये कितने गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया गया व उस पर कुल कितना खर्चा हुआ ? गांवों की तहसील व जिलावार सूची मय उन पर किये गये व्यय के विवरण के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) पेयजल संकट वाले शेष गांवों को पानी देने की राज्य सरकार की क्या योजना है तथा ऐसे सभी गांवों को कब तक पानी उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

राज्य मंत्री, जन-स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) राजस्थान में कुल 24037 समस्याग्रस्त गांव हैं जिनकी जिला एवं तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जनता सरकार बनने के बाद (जनवरी, 79 तक) 688 गांवों को पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है। 688 गांवों पर अलग-अलग कितना खर्च आया है इसको निकालने का कार्य चल रहा है। पूर्ण होने पर उपलब्ध करा दिया जायगा।

(3) पेयजल संकट वाले शेष गांवों को पेयजल सुलभ कराने के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है और धन की उपलब्धि

(श्री महबूब अली)

के अनुसार इन गांवों को यथाशीघ्र जल उपलब्ध कराया जायेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री हजारी मल सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सन् 77-78 में जिला चूरू में कितने गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया गया?

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): साथ ही मन्त्री महोदय यह भी बतायें कि इस साल बजट में इसके लिए फण्ड कितना था और कितना लैप्स हो रहा है? एक तरफ तो बजट लैप्स हो रहा है और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि धन नहीं मिलता है और धन की उपलब्धि होने से पानी सप्लाई करेंगे।

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि झालावाड़ जिले में जो नल की योजना स्वीकृत की गई थी वह क्या आरम्भ हो चुकी है? अगर उसकी शुरुआत नहीं की गई है तो उसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेंन्ट्री सब कर रहे हैं तो मैं भी करता हूं। माननीय मन्त्री महोदय, क्या सरकार को यह मालूम नहीं है कि कितनी जगहों पर पेयजल की समस्या है और वहां पर अभी तक क्या हुआ है?

श्री महबूब अली : जनता सरकार के आने के बाद 688 गांवों को पानी दे दिया गया है दो साल में जब कि कांग्रेस सरकार के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सालों में 96 गांव में प्रति वर्ष पेयजल की उपलब्धि कराई गई थी। जनता सरकार ने 435 गांव प्रति वर्ष के हिसाब से गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया है। जहां तक बजट के प्रोवीजन का सवाल है 1977-78 में 1505 लाख और 78-79 में 1366 लाख रुपया लगाया है जब कि 75-76 में 625 लाख और 76-77 में 776 लाख लगाया। यह उनके फिगर्स हैं और यह हमारी जनता सरकार के हैं।

श्री हरजीराम बुरडक : लैप्स कितना हुआ है, यह बतायें?

श्री महबूब अली : एक भी पैसा लैप्स नहीं हुआ है।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जनता सरकार के आने के बाद प्रति वर्ष 400 गांव लिये तो 24037 गांवों को कितने वर्षों में लिया जायगा?

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : जो समस्याग्रस्त गांव हैं उनको कब तक पानी दे दिया जायेगा?

श्री महबूब अली : यथाशीघ्र।

श्री बहादुर सिंह : यथाशीघ्र कितने समय में?

श्री रघुनन्दन व्यास : 400 गांवों के एवरेज के हिसाब से 24037 गांव कितने वर्षों में पूरे हो सकते हैं, यह बतायें?

श्री बहादुर सिंह : आप समय बतायें कि कितने सालों के अन्दर समस्याग्रस्त गांवों को पेयजल उपलब्ध करा दिया जायगा ?

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : राजस्थान में खारे पानी वाले गांवों को राजस्थान सरकार कब तक मीठा पानी उपलब्ध करा देगी ? इसका उत्तर दे दें।

श्री महबूब अली : 400 गांव प्रति वर्ष के हिसाब से ले रहे हैं उससे जितना जल्दी नम्बर आ सकेगा, लेंगे।

श्री रघुनन्दन व्यास : उसके हिसाब से 27 वर्ष लगते हैं। इस एवरेज से तो....

(व्यवधान)

श्री बंसीलाल सारस्वत (नागौर) : पेयजल की समस्या के मामले में....

श्री अध्यक्ष : पहले बालचन्द आर्य का सवाल है।

श्री बालचन्द आर्य (डग): झालावाड़ जिले में जो पेयजल की योजना स्वीकृत की गई थी वह अब तक क्यों नहीं ली गई है और उस पर अब तक कार्य क्यों नहीं प्रारम्भ किया गया ?

श्री महबूब अली : माननीय सदस्य, इस बारे में स्कीम की जानकारी करके आपको इत्तिला दूंगा।

श्री बन्सीलाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय, विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान सरकार कितने गांवों के पानी की समस्या का समाधान कर सकेगी ?

श्री महबूब अली : मैं निवेदन करूंगा कि अप्रेल तक हमने स्कीम बना कर दे दी।

श्री सुखलाल सैणचा (रायपुर) : मंत्री महोदय, जिला आयोजना समिति द्वारा जो प्रस्ताव भेजे जाते हैं उनकी स्वीकृति जो आप दे रहे हैं वह आवश्यकता के आधार पर दे रहे हैं या राजनैतिक आधार पर स्वीकृति दे रहे हैं ?

श्री महबूब अली : पानी के सम्बन्ध में कोई राजनैतिक आधार नहीं लगाया जा रहा है। धन की उपलब्धि और प्रायोरिटी के आधार पर स्वीकृति दी जाती है। उसका कोई राजनैतिक आधार नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : जो जिला आयोजना समितियां है....

श्री सुखलाल सैणचा : मेरे अपने जिले की जिला आयोजना समिति ने जो प्रस्ताव पारित करके भेजे हैं उनमें नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कैसे कर दिया ?

श्री महबूब अली : जिला आयोजना समितियां जो प्रस्ताव भेजती हैं और जिस आर्डर आफ प्रायोरिटी में वे समितियां भेजती हैं स्कीमें बना कर तो उनको यहां राज्य स्तर पर स्क्रूटिनाइज किया जाता है उनकी टेक्निकल फीजेबिलिटी देखी जाती है जितने धन की उपलब्धि होती है उस हिसाब से उनको देखा जाता है और उसी प्रायोरिटी में रखा जाता है। आपने किसी स्कीम को प्रायोरिटी दी लेकिन वह टेक्निकली फीजेबल है या टेक्निकली फीजेबल भी है लेकिन धन नहीं है तो उसको उस हिसाब से रखा जाता है।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : जिला आयोजना कमेटी....

श्री सुखलाल सैंणचा : आपने राजनैतिक स्तर पर किया है····

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : जनता सरकार में राजनैतिक आधार पर नहीं होता है क्राइटेरिया के आधार पर होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल वर्मा।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में ग्राम जोतायारूं, शेरगढ़, फतेहगढ़, चांपानेरी के आपने 6 करोड़ रुपये गये साल लैप्स करा दिये। कब तक ये योजनाएं कंपलीट करा कर चालू करायेंगे? वहां बिल्कुल खारा पानी है।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): अध्यक्ष महोदय, 24 हजार गांवों को जहां पानी के हिसाब से संकटग्रस्त बताया गया है उनमें पानी उपलब्ध कराने के बारे में आपके सामने जो कठिनाई हैं वह केवल धन की है अथवा इसके अतिरिक्त और कोई कठिनाई है? दूसरे, इन 24 हजार गांवों के लिये आपने कोई सर्वे करा कर कोई मास्टर प्लान तैयार किया है कि इनको कहां से पानी दिया जायेगा?

(व्यवधान)

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या के पहले प्रश्न के उत्तर में निवेदन करना चाहता हूं, मास्टर प्लान बनाया गया है जिसके अन्तर्गत समस्याग्रस्त गांवों की सूची बनाई गई है। उनका सारे राजस्थान में सर्वे करा कर, पानी के सैंपल लेकर, एनेलेसिस करके मास्टर प्लान बना कर कि सरकार को इस इस तरह की समस्याओं से ···

श्रीमती मदन कौर : मेरा सवाल यह नहीं है। मैं यह जानना चाहती हूं कि 24 हजार गांवों को किस जगह से पानी उपलब्ध कराया जायेगा? पानी उपलब्ध कराने के सोर्सेज क्या हैं?

श्री महबूब अली : इसकी स्कीम बना दी है। समस्याग्रस्त गांवों को आइडेंटीफाई करके योजना बनादी है,इसमें सोर्सेज भी आइडेंटीफाई कर दिये हैं। जैसे कि जहां नजदीक में नहर है वहां नहर से देंगे, जहां जहां अंडर ग्राउण्ड वाटर के सोर्सेज हैं वहां उसके अनुसार स्कीम बनाई जाती है।

श्री सुखलाल सैंणचा : सात करोड़ रुपये लैप्स हो रहे हैं उसके लिए जवाब दें···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर हरजीलाल बुरडक का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आ चुका है। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा उसका उत्तर माननीय मंत्री महोदय दे चुके हैं।

श्री सुखलाल सैंणचा : अध्यक्ष महोदय, राजनैतिक आधार पर····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, राजनैतिक आधार पर नहीं है।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, जो सर्वे कराया है....

(व्यवधान)

क्या जयपुर शहर के पेयजल के लिए कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे पानी मिल सके।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री हजारीमल सारण : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय, ने जो आंकड़े बताये हैं वे सही नहीं हैं, वे झूठे हैं। नहीं तो प्रश्न के खण्ड दो में जो सूची मांगी गई है वह क्यों नहीं दी गई। एक उत्तर दे दें कि चूरू जिले के कितने गांवों को पानी दिया गया 77-78 और 78-79 में? इसका उत्तर दिलवाया जाय। ये जो गांव बताये हैं ये झूठे हैं। नहीं तो क्या कारण है कि सूची उपलब्ध नहीं कराई गई? यह बताने का कष्ट करें।

श्री बहादुरसिंह : माननीय मन्त्री जी ने जवाब दिया है, अध्यक्ष महोदय, यथाशीघ्र गांवों को पानी दे दिया जायेगा। कितने साल बाद दिया जाएगा यह बताने का कष्ट करें?

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, 79-80 में जिन-जिन गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा क्या उनकी योजना बना दी गई है?

श्री महबूब अली : उनके आइडेंटीफिकेशन का कार्य चल रहा है, स्क्रूटिनाइज करने की कार्यवाही चालू है।

श्री उदाराम हठीला (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि बीकानेर जिले के गांवों में खारा पानी है वहां व्यवस्था नहीं की गई है। पिछले साल योजना मन्जूर की गई थी लेकिन आज तक उस पर खर्चा हुआ नहीं है। मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं, बीकानेर जिले के गांवों में खारे पानी की समस्या को कब तक दूर कर दिया जायेगा और आपकी योजना में किस-किस गांव को लिया गया है?

श्री मन्जूर अली (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, अगले वर्ष के लिए जो योजनायें हाथ में ली जानी हैं उनका आपके पास स्पेसिफिक व्यू नहीं है। आपने जो उत्तर दिया उससे यही स्पष्ट होता है।

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, विचार हो रहा है। आयोजना समिति में मन्त्री महोदय के स्तर पर स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है।

श्री सुखलाल सेंणचा : जिला आयोजना समितियों से जो प्रस्ताव आये हैं आपको उनमें मनमानी करने के लिए टाइम मिलेगा·······

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

(व्यवधान)

माननीय प्रश्नकर्त्ता, आप पूछें जो लिस्ट दी गई है वह ठीक है या नहीं।

श्री हजारीमल सारण : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खण्ड (2) में मैंने जो सूची मांगी है....

6

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, जो जानकारी हो, उत्तर दें।

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना चाही है खण्ड दो में, मैं आपको पढ़ कर बता देता हूं इस पर माननीय सदस्य विचार करें। खण्ड 2–'जनता सरकार बनने के बाद प्रदेश मे अब तक जलदाय योजनाओं के जरिये कितने गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया गया व उस पर कुल कितना खर्चा हुआ गांवों की तहसील व जिलेवार सूची मय उन पर किये गये व्यय के विवरण के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।" अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन गांवों को कमीशन कर दिया गया है, जितने गांवों में पानी दे दिया गया है, वे गांव किसी न किसी योजना की एक पार्ट थे। जैसे एक योजना में दस गांव हैं तो उनमें तीन में पानी पहुंचा दिया गया है, बाकी सात में पानी पहुंचाना है। इन्होंने स्पेसिफिक समय दिया कि इस समय तक कितना होगा ? तो वह दे दिया गया है और कितना खर्च हुआ है यह सारी योजना के आंकड़े हैं। एक गांव की योजना पर कितना खर्चा हुआ यह इतनी देर में नहीं निकाला जा सकता, अध्यक्ष महोदय।

श्री हजारीमल सारण : आप गांवों की सूची तो उपलब्ध करा दीजिये। कितने गांवों को पानी दिलाया गया, यह बताइये ?

श्री महबूब अली : 688 गांवों में पानी दे दिया गया।

श्री हजारीमल सारण : 688 गांवों की सूची उपलब्ध कराइये। सूची नहीं दी गई है इसलिए सन्देह है कि इतने गांवों में पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, 600 और कुछ गांवों में सरकार द्वारा पेयजल की समस्या हल हुई तो कितने-कितने गांवों में, ऐसे कौन से 688 या 87 गांव हैं जहां पर ऐसी व्यवस्था की गई है, इसकी जानकारी प्रश्नकर्त्ता चाहते हैं। सरकार का कार्य है कि यह सूचना दे। न हो तो कृपया सूचना दे देवें।

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, मैंने जिला और तहसील वाइज गांवों की सूचना भेजी है। अगर ये स्पेसिफिक गांवों के नाम चाहते हैं तो वह मैं बता दूंगा। संख्या मैंने दे दी है।

श्री हजारीमल सारण : अध्यक्ष महोदय, यह गलत कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : यह सदन से बात छुपा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल वर्मा : आपने निर्णय कर दिया फिर भी।

श्री अध्यक्ष : सरकार नहीं छुपायेगी।

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको स्थगित कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : इन्होंने बजट में बताया है। 11 हजार गांव रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

श्री रावतराम (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने अभी बताया है, खारे पानी के जो गांव हैं उनमें अभी तक पानी उपलब्ध नहीं हुआ है। यथाशीघ्र की जो बात कही जा रही है तो यथाशीघ्र का कोई अनुमान नहीं होता है। एक साल में भी पहुंचा सकते हैं और ज्यादा समय भी लग सकता है बीकानेर जिले में खारे पानी के गांव हैं।

श्री मूलचन्द डागा : पाली में भी हैं।

श्री रावतराम : पाली में भी हैं।

श्री अध्यक्ष : कहने दीजिये। बहुत अच्छा प्रश्न है।

श्री रावतराम : आपके डिपार्टमेण्ट ने उन गांवों में पानी उपलब्ध नहीं कराया है। उनके आस-पास भी पानी उपलब्ध नहीं कराया है क्योंकि जमीन में पानी नहीं है। उन गांवों में कहां से पानी लायेंगे ? आपने राजस्थान कैनाल लिफ्ट के जरिये से पीने का पानी देने की जितनी योजना बनाई वह इतनी पाइप लाइन से हल हो सकती है। इसलिए मेरी अर्ज यह है कि गवर्नमेण्ट इस बारे में तय कर दे। चूरू और झुन्झुनूं जिलों का 400 गांवों का पानी खारा है। वहां के लिए लिफ्ट के जरिये से योजना बनाई जा सकती है।

श्री हजारीमल सारण : अध्यक्ष महोदय, मेरे सप्लीमेण्ट्री का उत्तर नहीं आया है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : फूड मिनिस्टर खड़े हुये हैं। उत्तर देने दें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, इनके पास बजट नहीं हो तो बात समझ में आ सकती है। मेरे क्षेत्र में समस्याग्रस्त गांवों की पंचायतों ने रुपये जमा करा दिए परन्तु अभी तक वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि राज्य मन्त्री महोदय ने ···

श्री ईश्वर चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मुझे पूछने दें।

श्रीमती मदन कौर : राज्य मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें समस्याग्रस्त गांवों में किस गांव में कहां से पानी दिया जायेगा क्या उन्होंने यह निर्धारित कर दिया है ? मेरा निवेदन यह है कि सारे राजस्थान का स्टेट ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से सर्वे ही नहीं कराया गया है फिर आपने यह कहां से निकाला है ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पेयजल पर इस सदन में बहस नहीं हुई है इसलिए मेरा निवेदन है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर ऐसा समय निकाला जाये जिससे कि गांवों की पेयजल समस्या पर इस सदन में बहस हो सके।

श्री हजारीमल सारण : अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। इसलिए इस प्रश्न को स्थगित करने की कृपा करें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सवाल का जवाब ही नहीं आया है।

श्री ईश्वरचन्द्र (चिड़ावा) : 24,200 गांवों में वाटर प्राब्लम है। 22.50 करोड़ रुपये चाहिये। जो मौजूदा प्रावधान आप कर रहे हैं, इस प्रकार से राजस्थान में पानी की समस्या हल करने के लिए 50 साल लगेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : आप तो 5 साल की बात कीजिए। 50 साल की बात छोड़ दें।

(व्यवधान)

दो साल आपके निकल गये हैं। तीन सालों में कितने गांवों को पानी दे सकेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : ये सभी गांवों के रहने वाले हैं। श्रीमान् जी से मेरा प्रश्न है, पहले जनता पार्टी ने यह कहा था पानी के मामले में कि हम समस्या का समाधान करेंगे।

श्री हजारीमल सारण : अध्यक्ष महोदय, कोई उत्तर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुनिये। माननीय मन्त्री महोदय ने स्पष्ट संकेत किया है। गांवों के नाम आपको दे दिये जायेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मन्त्री महोदय ने यह भी कह दिया है। चूरू में पानी नहीं है। तो वहां पर पानी ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं है तो नहीं करेंगे।

श्री हजारीमल सारण : माननीय मन्त्री महोदय ने जानकारी नहीं दी है।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान् जी, यह हाउस का प्रश्न बन गया है। यह व्यक्तिगत सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप माननीय मन्त्री महोदय से मिल लें।

श्री हजारीमल सारण : अध्यक्ष महोदय, चूरू जिले के कितने गांवों को पानी दे दिया गया है ?

श्री महबूब अली : 688 गांवों के नाम पेश कर दिये जायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : सदन की मेज पर पेश कर दें। हम भी देखेंगे।

श्री हजारीमल सारण : आपने 688 बताये हैं। चूरू जिले में कितने गांवों को पानी दिया है ?

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : मन्त्री जी, उत्तर दें।

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री हरिसिंह) : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल उठाया गया है कि सूची में गांवों के नाम नहीं दिये हैं। गांवों के नाम, ढाणियों के नाम की समस्त सूची उनको मैं दे दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : यह सदन का प्रश्न है।

श्री हरिसिंह : मैं सदन की मेज पर रख दूंगा।

एक माननीय सदस्य : सूची सदन की मेज पर रख दें।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर सुनने की व्यवस्था कीजिए। नहीं तो उत्तर नहीं दिया जा सकेगा।

श्री मनीराम (तारानगर) : सरकार ने पानी देने के लिए क्या योजना बनाई है? सरकार कब तक पानी दे देगी? यह बताने का कष्ट करें।

श्री हजारीमल सारण : अध्यक्ष महोदय, चूरू जिले के गांवों की संख्या ही बता दें।

श्री हरिसिंह : 48 है।

श्री हजारीमल सारण : यह गलत है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह हमारे विशेषाधिकारों का हनन है।

श्री हजारीमल सारण : माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण में 600 गांव बतलाये गए हैं, यह गलत है, कुल गांव 688 हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित करवा दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित करवाने की कृपा करें।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, या तो इसका उत्तर दिलवावें या इसको स्थगित किया जावे।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अकाल के और पानी के लिए प्रति दिन आधा घंटा चर्चा हो जाती है, इसलिए क्या यह संभव नहीं होगा कि इसको आधे घंटे की चर्चा के लिए रख लिया जावे। क्योंकि....

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सबसे अच्छा यही होगा कि इसको आधे घंटे की चर्चा के लिए रख दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : अच्छा हो कि इस पर पूर्णतः चर्चा हो जाय।

(व्यवधान)

एक दिन जो भर कर इस पर बात हो जाय।

श्री रतनलाल वर्मा : दोनों मंत्री महोदय गोलमाल उत्तर दे रहे हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी पर चर्चा नहीं हुई है—

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) : एक दिन इसको चर्चा के लिए रख लिया जावे।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों की भावना पर विचार करूंगा, लेकिन मैं आज इस स्थिति में नहीं हूँ —

(व्यवधान)

श्री बजरंग लाल शर्मा : कम से कम मन्त्री महोदय का यह दृष्टिकोण सामने आ जाय कि उनमें उत्तर देने की क्षमता भी है या केवल लीपापोती में ही दिलचस्पी रखते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों की इच्छा है कि आधे घंटे की चर्चा के रूप में इसे सदन में लिया जाय तो मैं इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् व्यवस्था देने की चेष्टा करूंगा आपकी इच्छा के अनुकूल।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : लेकिन हमारे अधिकारों के हनन का क्या होगा ? This is breach of privilege.

श्री अध्यक्ष : It is not a breach of privilege. The Minister has done his best to give the answer.

श्री बहादुरसिंह (नौहर) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अहम मसला है अतः इसको चर्चा के लिए रखा जाय—

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन— माननीय श्री मेघराज पंवार।

नगरपालिकाओं एवं नगर परिषदों में अभियन्ताओं के पद

558. **श्री मेघराज पंवार** (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में किन किन नगर-परिषदों तथा कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद पूरे समय के लिए सृजित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) नियमों के अनुसार कनिष्ठ अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता के पद के लिए परिषद व पालिकाओं में कितने मूल्य के काम भार का होना आवश्यक है ?

(3) पिछले चार वर्षों में चूरू नगर परिषद के बजट पर इन पदों के वहन का कितना आर्थिक भार रहा है और राज्य सरकार इसका क्या औचित्य समझती है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नगर परिषद व पालिकाओं में उनके कार्यभार को देखते हुए पद स्वीकृत किये जाते हैं। कार्य के मूल्य के आधार पर पद सृजित नहीं किये जाते हैं।

(3) पिछले चार वर्षों में चूरु नगर परिषद के बजट पर केवल 38140.38 पैसे का व्यय भार पड़ा है जो उनके इन चार वर्षों के कार्य को देखते हुए औचित्य-पूर्ण है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री मेघराज पंवार : चूरू नगर परिषद में इन्जीनियर और जूनियर इन्जीनियर दोनों की क्या जरूरत है? उन्होंने दो साल में क्या काम किया है जो उनकी दो पोस्टें हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : नगरपालिकाओं को मांग पर नियुक्तियां की जाती है या आप भेजते हैं ?

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : चुरू नगरपालिका के इन्जीनियर के पास केवल चुरू का ही काम नहीं है, जिले की अन्य नगरपालिकाओं में भी उसको काम के लिए जाना पड़ता है।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने पूछा था कि नगरपालिका की मांग पर आप नियुक्तियां करते हैं या स्वायत्त शासन विभाग भेजता है। जब कि जिला मुख्यालय पर ऐसे अभियन्ता उपलब्ध होते हैं, उनकी सेवाएं ले सकते है। इससे नगरपालिकाओं पर आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। आपको उनकी मांग पर भेजना चाहिए न कि सुओमोटो।

श्री रावतराम : चूरू के अलावा और भी कहीं जिले हैं क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : रतनगढ़ और सुजानगढ़ के अलावा नहीं है।

श्री रावतराम : क्या यह इन्जीनियर राजगढ़, सरदार शहर और रतनगढ़ में भी काम करते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : इन नगरपालिकाओं की मांग आती है तो वे काम करते हैं और टी.ए., डी.ए. लेते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप स्वयं देते हैं या नगरपालिकाओं की मांग पर अभियन्ता मुकर्रर करते हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : जिन-जिन नगरपालिकाओं में जूनियर इन्जीनियर नहीं हैं और जिन नगरपालिकाओं की मांग आ रही है क्या वहां पर राज्य सरकार की ओर से नियुक्तियां होने वाली हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : सूरतगढ़, अनुपगढ़ और श्री विजयनगर नगरपालिका का कार्य सुचारु रूप में चलाने के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री रघुनन्दन व्यास : जिन जिन नगरपालिकाओं में जूनियर इन्जीनियर नहीं है उनमें राज्य सरकार कब तक भेजने की व्यवस्था कर रही है ?

(व्यवधान)

श्री मेघराज पंवार : चूरू में पिछले दो वर्षों से कितनी नालियों और सड़कों का काम अधूरा पड़ा है धनाभाव के कारण ?

श्री अब्दुल अजीज : कितने लाख की योजना पर सहायक अभियन्ता की नियुक्ति की जाती है ?

श्री हजारीमल सारण : जूनियर इन्जीनियर की क्या हैसियत होती है ?

श्री दूलाराम (रायसिंह नगर) : गंगानगर परिषद में—

(व्यवधान)

श्री पद्मसिंह राठौड़ (निम्बाहेड़ा) : आज का प्रश्नोत्तर काल चूरू जिले के लिए कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्वयं विचार कर सकते हैं इतने सारे प्रश्नों का उत्तर कोई मन्त्री दे सकता है। एक पाइन्टेट क्वेश्चन पूछिये, अमुक-अमुक स्थानों पर क्या व्यवस्था की जायेगी।

श्री रावतराम : प्रश्नकर्ता का प्रश्न यह है, आपने फर्माया कि चूरू नगर परिषद में फिलहाल एक सहायक अभियन्ता और एक कनिष्ठ अभियन्ता काम करते हैं और प्रश्नकर्ता का निवेदन है कि चूरू में इतना काम नहीं है। पिछले दो साल में वहां काम नहीं हुआ है, सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं धनाभाव के कारण। इसलिए दोनों इन्जीनियरों को रखने का क्या औचित्य है ? क्या यह सही है कि अन्य नगरपालिकाओं में भी काम करते हैं और करते हैं तो किसके आदेश से ?

श्री भंवरलाल शर्मा : नगर परिषद चूरू में गत चार वर्षों में कुल 37 कार्य विकास से सम्बन्धित कराये गये हैं जिन पर कुल व्यय 3,96,337-70 पैसा किया गया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उन दोनों का वेतन कितना है ? कौन से काम अधूरे पड़े हैं और किस कारण से पड़े हैं? इसकी जानकारी करके उत्तर दें ? बाकी ये जो इन्जीनियर हैं, केवल चूरू में ही काम नहीं करते, उस जिले की अन्य नगरपालिकाओं में भी काम करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : क्या नगरपालिकाओं में अभियन्ता उनकी मांग पर रखते हैं या आप स्वयं करते हैं ?

श्री रघुनन्दन व्यास : जूनियर इन्जीनियर के पद जिन नगरपालिकाओं में खाली पड़े हैं, वहां नियुक्ति करने का राज्य सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : ये जो नियुक्तियां होती हैं नगरपालिकाओं की मांग पर होती हैं। माननीय सदस्य ने पूछा कि जहां पद खाली पड़े हैं वहां कब तक भरे जायेंगे ? यदि वहां की मांग होगी और वह उपयुक्त होगी तो विचार किया जाएगा।

श्री रघुनन्दन व्यास : मांग है और उपयुक्त है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : चूरू में कितने लाख का वर्कलोड है ?

श्री कौशल किशोर जैन : इन दोनों अधिकारियों का वेतन कौन कौन सी नगरपालिकायें देती हैं ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : जूनियर इन्जीनियर और सहायक इन्जीनियर जो नगरपालिकाओं में रखते हैं वे किस आधार पर ? वर्कलोड के आधार पर या अपनी मन्शा के आधार पर ?

श्री भंवरलाल शर्मा : नगरपालिकाओं की मांग आने पर । वहां के काम को देख कर उसके आधार पर रखते हैं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : चूरू में सहायक अभियन्ता की मांग नहीं थी ।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : ये जो इन्जीनियर वहां हैं, लगातार 4 साल से हैं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : चूरू नगरपालिका ने कहा कि हमें सहायक इन्जीनियर चाहिए । वह वहां पर बोझ है, दूसरी नगरपालिका में रखिए । जितना वेतन उनको देते हैं उतना काम हुआ है ?

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : उनका वेतन का भार चूरू नगरपरिषद उठाता है या 4-5 नगरपालिकायें उठाती हैं ? जब 4 नगरपालिकाओं में वे काम करते हैं....

श्री गोपाल सिंह (खंडेला) : चूरू में असिस्टेंट इन्जीनियर काम करता है । क्या राज्य सरकार ने कह रखा है कि वह चूरू नगरपालिका में ही काम करे ? यदि ऐसा नहीं होता है तो किसी जिम्मेदार अधिकारी से इन्क्वायरी करवायेंगे ?

श्रीमती मदन कौर : चूरू में सहायक अभियन्ता बेकार बैठा है । वहां भी नगर पालिका पर वह बोझ है । बालोतरा नगरपालिका मांग कर रही है कि एक असिस्टेंट इन्जीनियर, असिस्टेंट इन्जीनियर न मिले तो कुछ समय के लिए जूनियर इन्जीनियर की नियुक्ति करें, दो साल में आपने उसके लिए क्या किया है ?

श्री श्रवण लाल (हिंडौन) : आपने बताया कि और नगरपालिकाओं के कार्य को भी देखते हैं । जो जूनियर इन्जीनियर जिस नगरपालिका में नियुक्त होता है उसके अलावा किसी दूसरी जगह का वह कार्य देखता है तो उसमें वह दिलचस्पी नहीं रखता और पूरे महीने में एक दो दिन जाता है इससे वहां की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता । इसलिए इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री भंवर लाल शर्मा : जो छोटी छोटी नगरपालिकायें हैं वास्तव में इतने बड़े अधिकारी का वेतन भार नहीं सहन कर सकतीं । इसलिए व्यवस्था यह है कि मुख्य स्थान पर असिस्टेन्ट इन्जीनियर रहे और छोटी छोटी नगरपालिकाओं के काम को भी देखे और जिस दिन काम करे उसी दिन का यात्रा व्यय व भत्ता उस नगरपालिका पर पड़े । यदि छोटी छोटी नगरपालिकाओं पर भार डालें तो उनको कठिनाई होगी ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पी० डब्ल्यू० डी० के व दूसरे इन्जीनियर है उन लोगों की सेवायें प्राप्त कर सकते हैं ?

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : नगरपालिकाओं व नगर परिषदों में जूनियर इन्जीनियर्स व सहायक इन्जीनियर्स होते हैं, उनके पास वर्कलोड नहीं होता है क्योंकि बहुत सी नगरपालिकाओं में धनाभाव होता

(श्री माधोसिंह कछवाह)

है उस कारण से अधिकारी काम नहीं कर सकते हैं, पैसा लोगों का फालतू जाता है। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती। प्रत्येक नगरपालिका राज्य सरकार को जिम्मेदार समझती है और राज्य सरकार राज्य के प्रति उत्तरदायी है। अगर किसी नगरपालिका की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वर्कलोड इतना रखे और पैसा दें ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके, क्या सरकार इस पर चिंतन करेगी ?

श्री भंवरलाल शर्मा : श्री श्योपतसिंह जी ने जो प्रश्न किया है उस बारे में जानकारी देना चाहूंगा। जो भी विकास कार्य नगरपालिकाओं द्वारा कराये जाते हैं उनकी माप पुस्तिका में अधिदर्शक द्वारा माप किए जाने के पश्चात् जब तक कनिष्ठ अभियन्ता अथवा उससे ऊंचे दर्जे के अभियन्ता द्वारा जांच नहीं कर ली जाती तब तक भुगतान आडिट को मान्य नहीं होता। कुछ समय पूर्व तक यह प्रणाली थी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं से माप पुस्तिका में चेकिंग कराई जाती थी। परंतु इसके लिए भी सम्बन्धित परिषद, पालिकाओं द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को 7 से 10 प्रतिशत कार्य की लागत का सुपरवीजन चार्ज के रूप मे भुगतान करना पड़ता था, जो राशि भी काफी हो जाती थी। फिर भी उनकी आवश्यकता के हिसाब से जितना जल्दी काम होना चाहिए उतना जल्दी नहीं होता था।

श्री श्योपतसिंह मकासर : 50 लाख के काम जिन म्युनिसिपैलिटियों के पास है वहां सहायक अभियंता है। 10 लाख के काम हैं तो कनिष्ठ अभियन्ता की जरूरत है। ये वर्कलोड के हिसाब से रखें।

श्री अध्यक्ष : श्री सुभाष चन्द।

ग्राम भालोट (झुंझुनूं) की जल प्रदाय योजना

559. **श्री सुभाष चन्द** (सूरजगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या झुंझुनूं जिले की खेतड़ी तहसील के अन्तर्गत भुवाना पंचायत समिति के ग्राम भालोट में जल प्रदाय योजना प्रारम्भ किए जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक प्रारम्भ की जा सकेगी ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : ग्राम भालोट जिला आयोजना समिति द्वारा वर्ष 77-78 एवं 78-79 में प्रस्तावित नहीं किया गया है। आयोजना समिति के इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर व धन की उपलब्धि के अनुसार योजना के लिए विचार किया जा सकेगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : क्या यह सही है कि जिला आयोजना समिति जो प्रस्ताव भेजती है उसको मंजूर नहीं कर दूसरे क्षेत्रों के प्रस्ताव स्वीकृत किए जाते हैं?

श्री सुभाष चन्द : 37 पंचायत समितियों में 156 गांव हैं। डाक्टर हरिसिंह देख कर आए हैं उन गांवों की हालत। 1977-78 में उन गांवों का सर्वे कराया गया या नहीं। अगर नहीं, तो कब तक करा कर ऐसी व्यवस्था की जाएगी ?

श्री महबूब अली : माननीय सदस्य आयोजना समिति के सदस्य है। प्रोसीजर यह है जिन योजनाओं को लेना होता है, वह आयोजना समिति के अन्दर प्रोसेस करके राज्य सरकार को भेजी जाती हैं। आप जो काम शामिल कराना चाहते हैं वे आयोजना समिति द्वारा प्रस्ताव करा कर राज्य सरकार के पास भेजें ताकि उन पर तकनीकी दृष्टि से, धन की दृष्टि से विचार किया जा सके।

श्री सुभाषचन्द : आयोजना समिति की बैठक आज तक नहीं हुई है। सरकार की तरफ से पानी की व्यवस्था किसी तरह से की जायेगी या नहीं की जायेगी ?

श्री हजारीमल सारण : क्या यह सही है कि बिना आयोजना समिति की सिफारिश के भी स्कीम स्वीकृत की जाती है ?

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : मेरे यहां के गांव गोठड़ा के लिए आयोजना समिति ने प्रस्ताव किया था लेकिन मन्त्री महोदय ने बदल कर दूसरी जगह रखा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जिला आयोजन समिति को बिल्कुल ठुकराया जाता है, आप जिला कमेटियों की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं।

(व्यवधान)

श्री रावतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय इसका भी जवाब दे दें, हाउस में बराबर यह चीज आती है कि जिला आयोजना समिति जो प्रस्ताव पास करती है उनको ही आप ले सकते हैं। क्या गवर्नमेन्ट को अधिकार नहीं है कि उसके अलावा भी कोई जरूरी गांव छूट गये हों तो गवर्नमेन्ट अपने लेवल पर उनको ले ? इसका भी जवाब और दे दें।

श्री महबूब अली : अधिकार तो गवर्नमेन्ट को है ही। वह उसको उपयोग में ले सकती है। इस अधिकार को चुनौती नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : फिर जिला प्लानिंग कमेटी का ढोंग खतम कीजिए। यह आपका ढोंग है।

(व्यवधान)

श्री महबूब अली : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था के अनुसार आयोजना समिति द्वारा प्रस्ताव किये जाते हैं और उनके ऊपर विस्तार से विचार किया जाता है।

श्री सुभाषचन्द : अध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब गये उन गांवों की व्यवस्था की जायेगी या नहीं की जायेगी ? वहां पहले खारा पानी था, उसके लिए डाक्टर साहब को दरख्वास्त दी थी। वहां पानी की व्यवस्था की या नहीं, इसकी जानकारी दें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो व्यवस्थायें हैं। यह जरूरी नहीं है और मन्त्री महोदय करते यही हैं कि आयोजना समिति की सिफारिश को दरकिनार करते हैं और मनमर्जी करते हैं। वह कहते हैं सरकार को अधिकार है। खुल कर इसका

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

उपयोग और दुरुपयोग करते हैं। माननीय सदस्य चाहते हैं कि 150 गांवों में से एक में भी पानी की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं इसको देखते हुए क्या भालोट के लिए कोई व्यवस्था आप करेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : यह कौन सा भालोट आ गया नया ? जनसंघ को प्राथमिकता देंगे क्या ?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : मालोद को तो पानी पिलाया ही है।

श्री हनवन्तसिंह (बाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला आयोजना समिति यह सिफारिशें भेजती हैं उनका क्या आधार है ? यह देखा जाता है कि वह भी बिना किसी आधार के जो नाम पहले बोल दिया जाता है समिति में उसकी तो सिफारिश कर देती है····

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि उनके लिए भी कोई मैरिट कम नीड का फार्मूला बनाकर भेजेंगे ?

श्री सुखलाल सैणचा (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो प्रस्ताव भेजे जाते हैं राज्य सरकार को वह टैक्निकली और फिजेबिलिटी के आधार पर डिस्कस करके एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, असिस्टेन्ट इन्जीनियर बैठ कर देखते हैं और फिर कहां पानी मिले उसके आधार पर जिला आयोजना समिति को भेजते हैं। मैं आयोजना मन्त्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आयोजना समिति द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर आप विचार करके निर्णय करते हैं ?

श्री ईश्वर चन्द्र : जिला आयोजना समितियों में जन प्रतिनिधियों को चैयरमैन कब बना देंगे ? यह कब करेंगे ?

श्री बजरंग लाल शर्मा : भालोद को तो पानी हरिसिंह जी को सबसे पहले देना चाहिये।

श्री ईश्वर चन्द्र : जिला आयोजना समिति में कलेक्टर चैयरमैन बने हुए हैं। उनको हटा कर जन प्रतिनिधियों को चैयरमैन कब बनाया जायेगा ?

श्री माणकचन्द सुराणा (आयोजना मन्त्री): जहां तक जिला आयोजना समितियों के अध्यक्ष का प्रश्न है उसके लिए राज्य सरकार निर्णय ले चुकी है कि जिला आयोजना समिति की अध्यक्षता वहां के जन प्रतिनिधि करेंगे....

श्री सुखलाल सैणचा : यह निर्णय राजनैतिक आधार पर लिया है।

श्री माणक चन्द सुराणा : मान लीजिए आप, राजनैतिक आधार पर निर्णय लिया है तो भी कोई नुकसान नहीं है। जिले में, यदि उस जिला से केबिनेट स्तर का मन्त्री है तो वह अध्यक्षता करेगा और दूसरी जगह उपाध्यक्ष या लोकसभा का सदस्य है उसको अध्यक्ष बनाया जायेगा और

(श्री माणकचन्द सुराणा)

दूसरी जहां जहां यह नहीं हैं वहां एम. एल. ए. को बनाया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आपके 26 जिले हैं और मन्त्री कितने हैं ?

(व्यवधान)

श्री माणक चन्द सुराणा : मन्त्रिमण्डल स्तर पर निर्णय करके निर्णय लिया जायेगा कि आयोजना समिति का अध्यक्ष कौनसा मन्त्री हो ।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : आप मन्त्री की प्रतिष्ठा को नीचे नही गिरायें । मन्त्री को नया जागीरदार नहीं बनायें । मुख्य मन्त्री के जाल में नहीं आयें । उनकी इच्छा है कि मन्त्री लोग अपने-अपने गांव में बिजी रहें ······

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि इस निर्णय के पहले भी जिला आयोजना समिति या डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई भी कमेटी हुआ करती है थी उसका चेयरमैन वहां के जो आपके केबिनेट स्तर के मन्त्री हैं या स्टेट मिनिस्टर हैं जब उस मीटिंग में मौजूद होते थे तो वही प्रिसाइड करते थे । इसलिए मैं एक तो यह प्रश्न पूछता हूं, यह आपने कौनसी नयी बात की है कि केबिनेट स्तर का मिनिस्टर होगा वह उसका चेयरमैन बनेगा । एक तो इसका जवाब दें·······

श्री ईश्वरचन्द्र : उसकी एबसेन्स में उपाध्यक्ष काम करेगा जो कि एम. एल. ए. या एम. पी. होगा·······

श्री मूलचन्द डागा : जिला प्रमुख क्या करेगा ?

(व्यवधान)

श्री रावतराम : मेरा प्रश्न यह है कि अब तक भी मिनिस्टर उन कमेटियों को प्रसाइड करते थे । इसलिए कोई नई बात नहीं है·······

श्री मूलचन्द सामरिया : जिन जिलों में मिनिस्टर नहीं होंगे वहां अध्यक्षता कौन करेगा ? मन्त्रियों और राज्य मन्त्रियों को समय नहीं रहेगा । सर्वसम्मति से जिसको चुना जाये उसको क्यों नहीं बना दिया जाये······

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : चुनाव प्रणाली का आधार तो बता दें ।

श्री माणकचन्द सुराणा : बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है प्रश्न के संदर्भ में निर्णय मन्त्रिमण्डल ने किया उसकी सूचना मैंने दे दी । आपने जो सुझाव दिया है इस सदन की मार्फत, मन्त्रिमण्डल उस पर भी विचार करेगा । निर्णय में कोई परिवर्तन हुआ तो मैं आपको सूचना दे दूंगा ।

(18)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

नादौती में डिस्पेन्सरी

556. **श्री बत्ती लाल** (टोड़ाभीम) : चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील नादौती हैडक्वार्टर्स, जिला सवाई माधोपुर में सन् 1977 में ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरी खोलने के आदेश राज्य सरकार से प्रसारित हुये थे? क्या यह भी सही है कि नादौती डिस्पेन्सरी के नाम पर एक साल तक स्टाफ जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्र करौली पर रहा था?

(2) क्या इस साल उस डिस्पेन्सरी का स्थानान्तरण गांव वरनाला, तहसील बामनवास में कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार इस तहसील के निवासियों के साथ हुए इस प्रकार के पक्षपात को दूर करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, वरनाला के क्षेत्रीय विधायक महोदय एवं सांसद महोदय के अनुरोध पर एवं वहां की जन-भावना को देख कर वरनाला में डिस्पेन्सरी खोलने के आदेश दिये गये थे।

(3) पक्षपात करने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। आगामी वर्ष में डिस्पेन्सरीं खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मोती डूंगरी रोड, जयपुर स्थित आनन्द बाल मन्दिर

631. **श्रीमाधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि आनन्द बाल मन्दिर (उच्च प्राथमिक) मोती डूंगरी रोड, जयपुर के साथ निम्न अन्याय किये गये—

(i) उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता समाप्त की थी,

(ii) प्राथमिक स्तर की राजकीय सहायता में 5 अध्यापकों में से 2 अध्यापकों की सहायता बन्द की,

(iii) फिर 1-8-75 से पूर्ण अनुदान बन्द किया,

(iv) तत्पश्चात प्राथमिक स्तर की स्थाई मान्यता पिछली तारीख से समाप्त की थी?

(2) यदि हां, तो क्या कथित शिक्षण संस्था को नियमानुसार नोटिस दिये गये थे? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि कथित संस्था का दलीय निरीक्षण पुनः अनुदान देने के

(19)

(श्री माधोसिंह कछवाह)

लिये बार बार हुआ है ? यदि हां,तो कब कब हुआ, उनकी रिपोर्ट कहां है और समय पर आवश्यक कार्यवाही हेतु क्यों नहीं पहुंची? पुनः अनुदान देने हेतु क्या यह रिपोर्ट विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया ? अनुदान कब चालू किया जायेगा ?

उत्तर

(1) (i) नहीं।

(ii) जी हां। संस्था की छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए 1-5-75 से दो पद कम किये गये थे।

(iii) राज्य सरकार द्वारा सभी संस्थाओं का पुनवर्गीकरण कराया गया था। समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार के आदेशों से 1-8-75 से अनुदान बन्द किया गया था।

(iv) जी नहीं। संस्था की मान्यता समाप्त करने के आदेश दिनांक 25-4-77 को जारी किये गये थे जिसमें संस्था की मान्यता 15-5-77 से समाप्त की गई थी।

(2) जी नहीं, संस्था के आवेदन पत्र पर पुनः विचार कर मान्यता दे दी गई है।

(3) सभी संस्थाएं, जिनका अनुदान 1-8-75 से बन्द किया गया था, के मामले पर अनुदान समिति की सिफारिश के अनुसार विचार किया जा रहा है, निर्णय शीघ्र ले लिया जायेगा।

टोंक जिले के शिक्षकों का स्थानान्तरण

632. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) टोंक जिले में शिक्षा विभाग के स्कूलों में गत दो सालों में कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण जिला शिक्षा अधिकारी ने किये और कितने राज्य सरकार व डाइरेक्टर ने किये ? अलग-अलग वर्षों के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन ट्रान्सफरों में कितना टी. ए. डी. ए. देना पड़ा जो गत पांच सालों के धन से कितना ज्यादा या कम था ? आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) टोंक जिले में तीन साल से ज्यादा एक ही स्थान पर कितने अध्यापक है और कब कब से ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) अध्यापकों के ट्रान्सफरों के लिए सरकार ने कोई नियम या सर्कुलर जारी कर रखा है ? यदि हां, तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(`) किन किन अध्यापकों के स्थानान्तरण एक साल में एक बार से अधिक किये गये व कितनों के ट्रान्सफर केन्सिल किये गये और किन कारणों से ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) स्थानान्तरण के वर्षवार आंकड़े संलग्न हैं।

(शिक्षा मन्त्री)

(2) स्थानान्तरण पर यात्रा व्यय सत्र 77-78 में 15,300/5=रु० व 77-78 में 16,650/- रुपये अनुमानित व्यय हुआ हैं। आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं।

(3) ऐसे अध्यापकों की संख्या 712 है। सूची संलग्न है।

(4) जी, प्रतिलिपि संलग्न है।

(5) किसी भी अध्यापक का स्थानान्तरण एक वर्ष में एक बार से अधिक नहीं किया गया। 78-79 में 50 अध्यापकों के स्थानान्तरण निरस्त किये गये। ये स्थानांतरण अध्यापकों के स्वयं की बीमारी, पत्नी की बीमारी (लम्बी) सेवा निवृत्ति की तिथि नजदीक आदि होने के कारण किए गए। सूची संलग्न है।

(आंकड़े व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय मे रखी गई)

ग्राम डूडसण, पं. सं. सांचौर में प्राथमिक पाठशाला

633. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम डूडसण पंचायत समिति सांचोर क्षेत्र में गांव की आबादी से दूर ढाणियों से ग्रामीण लोगों द्वारा प्राथमिक पाठशाला भवन एवं शिक्षक के रहने के लिए मकान जन सहयोग से बनाने पर, एक प्राथमिक पाठशाला कई वर्षों से चल रही थी? अगर हां, तो उक्त स्थान पर स्कूल कब खोला गया था एवं उक्त स्थान पर कुल कितने सालों तक किस वर्ष तक चलाया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि बाद में पार्टी बाजी के आधार पर गांव वालों की मांग पर उक्त पाठशाला बन्द करके उक्त शिक्षक को डूडसण गांव में भेज दिया गया? अगर हां, तो कब एवं क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला विकास अधिकारी, जालौर में गांव वालों की दरख्वास्त पर वापस उक्त पाठशाला उसी पुराने स्थान पर खोलने का आदेश जिला विकास अधिकारी जालोर ने बाद जांच दिया था एवं गांव में दूसरा नया शिक्षक भेजने का आदेश दिया था? अगर हां, तो अब तक बन्द की गई उक्त पाठशाला पुनः चालू क्यों नहीं की गई है? अब पुनः चालू कब तक करवा दी जावेगी?

उत्तर

(1) ग्राम डूडसण पंचायत समिति सांचोर की ढाणी में वर्ष 1957 से प्राथमिक पाठशाला सन् 1976 तक चली थी।

(2) जी नहीं। भवन की मरम्मत किये जाने के कारण शाला सन् 1976 के बाद अन्यत्र स्थानान्तरित की गई।

(3) यह मामला पंचायत समिति से सम्बन्ध रखता है। विस्तृत सूचना विकास विभाग के माध्यम से प्राप्त की जा रही है।

सूरसागर क्षेत्र में नये खोले गये एवं क्रमोन्नत किये गये विद्यालय

634. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदार

(श्री माधोसिंह कच्छवाह)

पुरा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सूरसागर निर्वाचन क्षेत्र (सुरक्षित अनुसूचित जाति) में गत वर्ष कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले या क्रमोन्नत किये? कृपया सूची निम्नानुसार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें :—

श्रेणी विद्यालय संख्या स्थान जहां खोले

1. प्राथमिक
2. उच्च प्राथमिक (क्रमो. द्वारा)
3. माध्यमिक (क्रमो. द्वारा)
4. उच्च माध्यमिक (क्रमो. द्वारा)

(2) क्या यह सही है कि सूरसागर क्षेत्र में श्री बाल विद्यापीठ पुत्री पाठशाला जो 48 वर्ष पुराना है ? 1960 से अनुदान प्राप्त कर रहा है परन्तु 1-8-75 से अनुदान बन्द है, निजी भवन में स्थित है और अनुसूचित क्षेत्र की तीन किलोमीटर पश्चिमी परिधि में एक मात्र विद्यालय है, तो भी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गत वर्ष स्वीकृत नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या अनुसूचित जाति के क्षेत्र में ऐसा करना सरकार की भूल नहीं होगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1977-78 में कोई शाला नहीं खोली गई। वर्ष 1978-79 की सूची निम्नानुसार है :—

श्रेणीवार विद्यालय	संख्या	स्थान जहां खोली गई
प्राथमिक	शून्य	शून्य
उ० प्रा०	1	रा.उ.प्रा.वि. दर्शनपुर (क्षेत्र)
माध्यमिक	2	रा.मा.वि विसलपुर (क्षेत्र)
		रा.मा वि.सालवां कलां (क्षेत्र)
उ०म.ध्य०	शून्य	शून्य

(2) जी हां। इस क्षेत्र में पहले से 17 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं तथा वर्ष 78-79 में एक उच्च प्राथमिक और खोल दिया गया।

जयपुर शहर की भूमि पर विशेष गिरोह द्वारा अतिक्रमण

635. **श्री गुल मोहम्मद** (जौहरी बाजार) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष में जयपुर सिटी की सरकारी भूमि का कुछ गिरोह विशेष के द्वारा अतिक्रमण किया गया ? अगर हां, तो ऐसे गिरोह कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि नगर विकास न्यास की भूमि के अतिरिक्त इस गिरोह ने निजी जमीनों को व अन्य विभागों की जमीन को हथियाया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने ऐसे गिरोह के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या राज्य सरकार इसके लिये अलग से कानून बनाने का विचार रखती है

(श्री गुल मोहम्मद)

जिससे कि भूमि पर अतिक्रमण न हो तथा जिसमें अतिक्रमण कराने वालों को सजा का प्रावधान हो ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1978 में जयपुर नगर विकास न्यास के क्षेत्र में सरकारी भूमि पर सामूहिक रूप से अतिक्रमण हुए। इनमें से अजमेर रोड़ एवं हसनपुरा क्षेत्र में कच्ची बस्ती फैडरेशन, नाहरी का नाका क्षेत्र में कच्ची बस्ती फैडरेशन व कच्ची बस्ती विकास परिषद के नेताओं के संरक्षण, जवाहर नगर के निकट नेशनल हाईवे बाई पास की भूमि पर व उसके निकटवर्ती क्षेत्र में कच्ची बस्ती फैडरेशन के संरक्षण में सामूहिक रूप से अतिक्रमण हुए।

(2) जी हां। समय समय पर अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही नगर विकास न्यास व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की गई। लेकिन सामूहिक रूप से पत्थरबाजी करके व प्रतिरोध किया गया तथा हटाये गये लोगों द्वारा बार बार अतिक्रमण किया गया।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

धौलपुर क्षेत्र के विद्यालय एवं उनकी छात्र संख्या

636. **श्री जगदीश सिंह (धौलपुर)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) धौलपुर नगर में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शालाएं कितनी हैं तथा उनकी छात्र संख्या कितनी है ? प्रत्येक शाला की सूची छात्रों की संख्या सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इन शालाओं के भवनों की स्थिति दयनीय है और उनको छात्रों की संख्या अनुसार निर्मित कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या छात्रों की संख्या के अनुकूल, छात्रों की सफलता की बढोतरी के अनुसार एक उच्च माध्यमिक शाला उपयुक्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दूसरी उच्च माध्यमिक शाला इस वर्ष 79-80 में प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान कर रही है और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या धौलपुर कालेज में उच्च माध्यमिक शाला इस वर्ष और दूसरे-दूसरे विषय खोले जा रहे हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या इस वर्ष धौलपुर कालेज में विधि और एम. ए. की कक्षायें प्रारम्भ की जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) कुछ भवनों की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। यह समस्या राज्यव्यापी है। राज्य सरकार काम के बदले अनाज योजना के माध्यम से भवनों का सुधार कर रही है।

(3) फिलहाल राज्य सरकार कहीं भी उच्च माध्यमिक शाला नहीं खोल रही है।

(शिक्षा मन्त्री)

(4) कालेज में उच्च माध्यमिक शाला खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी नहीं। विधि कक्षाएं खोलने के लिए बार कौंसिल का यह प्रतिबन्ध है कि विधि संकाय के लिए अलग से महाविद्यालय खोला जाय जो वर्तमान में सम्भव नहीं है। उच्च शिक्षा के विस्तार के बारे में भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केवल गुणात्मक विकास करने की सिफारिश की है, संख्यात्मक नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

जोधपुर नगर परिषद द्वारा किये गये कार्य

637. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर नगर परिषद के प्रशासक ने वित्तीय वर्ष 1978-79 में 20 फरवरी, 79 तक कितने निर्माण व मरम्मत कार्यों की स्वीकृति प्रदान की, टेण्डर आमन्त्रित किये और कार्य शुरू करने के आदेश जारी किए थे ? कृपया विवरण निम्न तालिका के अनुसार सदन की मेज पर प्रस्तुत करें—

(क) कार्य का नाम (2) वर्तमान वार्ड संख्या (3) प्रशासनिक स्वीकृति दि. (4) टेण्डर आमन्त्रित—(1) दिनांक (2) अनुमानित राशि रुपये (5) निर्माण कार्य स्वीकृत कर ठेकेदार को आदेश देने का दिनांक

(ख) अनुमानित राशि रुपया (6) प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात टेण्डर आमन्त्रित नहीं करने का कारण (7) टेण्डर आमन्त्रित करने के पश्चात कार्य आदेश जारी नहीं करने का कारण ?

(2) प्रशासक नगर परिषद जोधपुर ने नयापुरा, मगरा में सड़कों के लिए क्या कार्यवाही की जिसके लिए निदेशक श्री तंवर ने मौका स्वयं देखा था और लिखित में भी निदश दिये थे ? मौका देखने का दिनांक क्या था ? निदेशक के पत्र कौन सी दिनांक के हैं ? कथित सड़कों का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। दिनांक 3-7-79 को मौका देखा था। निदेशक द्वारा पत्र दिनांक 26-9-78 को भेजा गया था। सड़कों का निर्माण बजट प्रावधान एव प्राथमिकता के आधार पर कराया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

नगर परिषद अलवर में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नतियों में रोस्टर प्रणाली

638. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है नगर परिषद अलवर में, श्री श्यामलाल पुत्र श्री पहलाद

(श्री गोपाल पचेरवाल)

राम हरिजन चपरासी के पद पर सेवारत है ? यदि हां, तो कब से तथा इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि नगर परिषद अलवर में कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मार्च, 78 में परिषद में सेवारत नाकेदार, सब नाकेदार एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मेरिट लिस्ट बनाई गई थी ? यदि हां, तो मेरिट लिस्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि मेरिट लिस्ट बनने के बाद पदोन्नतियां की गई हैं ? यदि हां, तो किन पदों के लिए तथा क्या पदोन्नति के समय रोस्टर प्रणाली का पालन किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 1-12-69 से कार्यरत हैं। श्री श्यामलाल सैकण्डरी स्कूल परीक्षा पास है।

(2) मार्च, 78 में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनाई गई।

(3) जी नहीं। कोई पदोन्नति नहीं की गई है।

सहायक अध्यापकों (तृतीय श्रेणी) के गृह जिले में स्थानान्तरण

639. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या तृतीय श्रेणी सहायक अध्यापक को अपने गृह जिलों में ही नियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाता है ?

(2) क्या राज्य सरकार तृतीय श्रेणी के अध्यापकों को अपने गृह जिले में स्थानान्तरण करना सिद्धान्त रूप में स्वीकार करती है ?

(3) क्या राज्य सरकार दस वर्ष या इससे भी अधिक समय से जो सहायक अध्यापक तृतीय श्रेणी दूसरे जिलों में कार्यरत हैं उन्हें अपने गृह जिले में स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) राजस्थान में ऐसे कौन-कौन सहायक अध्यापक तृतीय श्रेणी के कार्यरत हैं जो पांच वर्ष से भी अधिक समय से दूसरे जिलों में हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सहायक अध्यापक (तृतीय श्रेणी) रा. उ. मा. वि. पादरली, जिला जालौर में पिछले 10 वर्ष से भी अधिक समय से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उक्त अध्यापक को अपने गृह जिला जयपुर में कब तक स्थानान्तरित कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) तृतीय श्रेणी अध्यापकों को यथासम्भव गृह जिलों में नियुक्तियां दी जाती हैं तथा उन्हें गृह जिलों में स्थानान्तरण किये जाने का प्रावधान स्थानान्तरण नीति में रखा गया है।

(2) जी हां।

(शिक्षा मन्त्री)

(3) स्थानान्तरण नीति के बिन्दू 11 में ऐसी सुविधा है अधिक ठहराव के आधार पर अन्तर जिला/मण्डल हेतु रिक्त पदों के 10% स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं और इसके अनुसार तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों का अपने जिलों में स्थानान्तरण किया जाता है।

(4) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(5) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय पादरली जिला जालोर में दिनांक 25-9-67 से तृतीय वेतन श्रृंखला में कार्यरत हैं। इन्होंने जयपुर जिले में स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र सत्र 1978-79 में दिया जो अन्तर जिला स्थानान्तरण चाहने वालों की सूची में क्रम सं० 36 पर अंकित हैं। वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण आदेश, क्रम संख्या 16 तक कर दिये गये हैं। वरिष्ठता में नम्बर आने पर स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

विश्वविद्यालयों को सरकार के अधीन लेने का मामला

640. **श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज):** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय है? क्या राज्य सरकार यूनिवर्सिटी आटोनोमस बाड़ी को अपने अधिकार में लेने का विचार रखती है? क्या यूनिवर्सिटी को कालेजों में परिवर्तित का राज्य सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर, जयपुर और उदयपुर विश्वविद्यालय के अध्यापकों के चयन आर. पी. एस. सी. द्वारा होते हैं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) जी हां। विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय है। विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार के अधिकार में लेने का या कालेजों में परिवर्तित करने का अभी कोई विचार नहीं है।

(2) जी नहीं। विश्वविद्यालयों के अध्यापक का चयन यूनिवर्सिटीज टीचर्स एण्ड आफिसर्स (स्पेशल कण्डीशन आफ सर्विस) एक्ट, 19.4 व संशोधित 1976 में निर्धारित चयन समितियों के द्वारा किया जाता है।

नगर की सफाई व्यवस्था के लिए डिपो

641. **श्री गुलमोहम्मद (जोहरी बाजार जयपुर):** क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद जयपुर के पास नगर का कचरा व मलवा डालने के लिए शहर में 10 मील की परिधि में कोई स्थान नहीं है?

(2) क्या जयपुर के मास्टर प्लान में कूड़ा करकट डालने के लिए कोई स्थान निर्धारित किया गया है?

(3) यदि हां, तो कौन से स्थान पर? यदि नहीं, तो इस दुर्व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है?

(श्री गुल मोहम्मद)

(4) शहर के कचरे को इकट्ठा करने के लिए मोहल्लों में कितने कचरा डिपो परिषद द्वारा निर्मित किये गये ?

(5) नगर की सफाई व्यवस्था के लिए कुल कितने डिपो की आवश्यकता है और यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) उत्तर खण्ड 2 में आ चुका है।

(4) नगर में 6 कचरा डिपो निर्मित किये गये हैं।

(5) डिपो की आवश्यकताओं के लिए सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे के बाद ही समुचित स्थान उपलब्ध होने पर कार्य करवाया जा सकेगा।

राज्य में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

642. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में भारत सरकार के सहयोग से प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो यह मूलतः क्या योजना है ?

(2) राज्य के किस किस क्षेत्र में कितनी कितनी प्रौढ़ पाठशालायें किस किस संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही हैं तथा उनको क्या क्या सहायता दी जा रही है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) विभाग द्वारा कहां कहां पर कितनी कितनी प्रौढ़ पाठशालायें चलाई जा रही हैं ? तहसीलवार सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) भविष्य में पाठशालायें किस प्रकार से किस माध्यम से चलाई जावेंगी ?

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का नीति-पत्र संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) राज्य सरकार के बजट से शिक्षा विभाग द्वारा चलाये जाने वाले कार्यक्रम का जिलेवार तथा पंचायत समितिवार विवरण संलग्न है।

(4) राष्ट्रीय नीति के अनुसार स्वेच्छिक संस्थाओं, नेहरू युवक केन्द्रों, विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा चलाये जायेंगे।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

लाडनूं निर्वाचन क्षेत्र की जल प्रदाय योजनाएं

643. **श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं)**: क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र लाडनूं, जिला नागौर में इस समय कौन कौन सी जलदाय योजनाओं पर कार्य कब कब से चल रहा है तथा उन पर कितना कितना खर्चा हो चुका

(श्री हरजीराम बुरड़क)

तथा कितना कितना व्यय होगा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं कहां कहां पूरी हो चुकी तथा उन पर कितना कितना खर्चा कब कब हुआ ?

(3) अब निकट भविष्य में कौन कौन सी योजना स्वीकृत होने वाली हैं तथा उन पर कितना कितना रुपया खर्च होगा ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) योजनाओं का चयन जिला आयोजना समिति के प्रस्ताव, धन की उपलब्धि एवं तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर किया जा सकेगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

देहाती इलाकों की पेय जल व्यवस्था हेतु प्रावंटित धनराशि

644. **श्री बजरंग लाल शर्मा** (बनीपार्क, जयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पेय जल के बजट का कितना प्रतिशत देहाती इलाकों पर खर्च किया जा रहा है ?

(2) पेयजल संबंधी क्षेत्रीय योजनाएं देहाती क्षेत्रों में कितनी चल रही हैं और क्या उनके अन्तिम छोर पर भी पेय जल दिया जा रहा है ?

उत्तर

(1) पेय जल पर वित्तीय वर्ष 1978-79 में 1914-18 लाख रु० का प्रावधान है, जिसमें से देहाती इलाकों में 1395.68 लाख रु० खर्च किया जायेगा जो कि प्रावधान का 72.91 प्रतिशत है ।

(2) देहाती इलाकों में 261 क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनायें चल रही हैं, तथा अन्तिम छोर तक के ग्रामों को पानी दिया जा रहा है ।

उप खण्ड भवानी मण्डी के सहायक अभियन्ता के साथ मारपीट का मामला

645. **श्री ईश्वर चन्द्र** (पिड़ावा) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पी. एच. ई. डी. उप खण्ड भवानी मण्डी के सहायक अभियन्ता श्री नरेशचन्द्र जैन को दिनांक 8-1-79 को दिन के लगभग 11.30 बजे कार्यालय स्थिति कक्ष में उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा पीटा गया ? यदि हां, तो कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई विभागीय कार्यवाही का विवरण दें ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त झगड़े के समय श्री प्रेमनारायण मिश्रा व श्री भंवर

(28)

(श्री ईश्वर चन्द्र)

लाल वर्मा कनिष्ठ अभियन्ता कक्ष में उपस्थित थे एवं उन्होने भी झगड़े में भाग लिया ?

(3) क्या राज्य सरकार यह महसूस करती है कि ऐसे अफसरों के रहते भवानी मण्डी व आसपास की जल प्रदाय योजनाओं में भली प्रकार कार्य हो सकेगा ? राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही अब तक की है ?

उत्तर

(1) जी हां । विवरण संलग्न है ।

(2) झगड़े के समय श्री प्रेमनारायण मिश्रा व श्री भंवरलाल वर्मा कनिष्ठ अभियन्ता कक्ष में उपस्थित थे और उन्होंने झगड़े में सक्रिय भाग नहीं लिया ।

(3) योजना को सुचारू रूप से चलाने को ध्यान में रखते हुए कनिष्ट अभियन्ताओं का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें ।)

भू-जल मण्डल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सर्वे

646. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): क्या भू-जल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रत्येक क्षेत्र में भू-जल मण्डल द्वारा किन किन आधारों पर सर्वे किया जाता है ? सविस्तार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) सिकराय क्षेत्र में भू-जल मण्डल द्वारा कब सर्वे किया गया था, कौन कौन से ग्राम पर्याप्त मात्रा में जल रहित पाये गए ? ग्राम वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या विभाग बार बार ग्रामवासियों व नेतागणों के विनय अथवा दबाव द्वारा ही सर्वे करता है अथवा नियमित रूप से हर क्षेत्र का सर्वे किया जाता रहता है ?

(4) क्या सिकराय क्षेत्र के सर्वे बाबत विभाग को इस क्षेत्र की ओर से कोई निवेदन किया गया ? यदि हां, तो कब कब तथा विभाग ने इस बाबत क्या कार्यवाही की ?

(5) क्या विभाग इस क्षेत्र में जल्दी ही कोई सर्वे करने का इरादा रखता है ? यदि हां, तो कब तक निश्चित रूप से कर लिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) भू-जल विभाग द्वारा निश्चित पद्धति के अनुसार क्रमशः तीन चरणों में 1) प्राथमिक भू-जल सर्वेक्षण 2) अर्द्ध-विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण तथा 3) विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है । उपरोक्त वर्णित विभिन्न सर्वेक्षण पद्धति के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तृत टिप्पणी परिशिष्ट–एक पर संलग्न है ।

(2) भू-जल विभाग द्वारा सिकराय पंचायत समिति का प्राथमिक सर्वेक्षण जयपुर, सवाई माधोपुर सेक्टर के अन्तर्गत वर्ष 1968 में किया गया । उसके उपरांत इस क्षेत्र का अर्द्ध-विस्तृत सर्वेक्षण वर्ष

(भू-जल मंत्री)

1971–72 में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सर्वेक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया। सर्वेक्षण के आधार पर सिकराय पंचायत समिति क्षेत्र को चार जोन (खण्ड) ए., बी., सी., डी. में बांटा गया है। उस वर्ष में जोन ए० को छोड़कर शेष 3 जोन बी०,सी०,डी० में सामान्यतया: भू-जल मात्रा में कोई वृद्धि नहीं पाई गई है। इन तीनों जोन में स्थित ग्रामों की सूची परिशिष्ट–2 में संलग्न है।

(3) जी नहीं। विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम एवं निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर ही किया जाता है।

(4) जी हां। प्रश्नकर्ता विधायक महोदय ने माननीय मुख्य मन्त्री को प्रेषित अपने पत्र दिनांक 16–12–78 (प्रति संलग्न परिशिष्ट–3) के द्वारा पंचायत समिति सिकराय का पुन: सर्वेक्षण किये जाने का निवेदन किया है। इसके अनुसरण में उप शासन सचिव, कृषि (ग्रुप–5) विभाग ने अपने पत्र संख्या एफ. 12/1/कृषि/ग्रुप-5/77 दिनांक 1-1-79 (प्रतिलिपि संलग्न-परिशिष्ठ-चार) के द्वारा मुख्य अभि०, भू-जल विभाग को पंचायत समिति, सिकराय का पुन: सर्वेक्षण, वर्ष 1979–80 के सर्वेक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित करने का निर्देश दिया है।

(5) राज्य सरकार ने आदेश प्रसारित कर दिये हैं।

(टिप्पणी व सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)

बाघोड़ा से रंगाला जल प्रदाय योजना

647. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)। क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बाघोड़ा से रंगाला की जल प्रदाय योजना स्वीकृत हुए दो वर्ष हो चुके हैं? अगर हां, तो इस योजना में कौन कौन से गांव हैं और इन गांवों में से कितने गांव की पाइप लाइनें डाली जा चुकी हैं तथा कितने गांवों की लाइनें डालनी अभी शेष हैं? कार्य मंद गति से चलने का क्या कारण रहा? इस योजना को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

उत्तर

जी हां। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बाघोड़ा रंगाला का प्रथम भाग स्वीकृत किया जा चुका है। इस योजना के अन्तर्गत 7 ग्राम दादाल, बागोरा, कुड़ा, मादिया, जैसावास, कुडी व सोघरावास प्रस्तावित हैं। 5 ग्रामों के लिये पाइप लाइन डाली जा चुकी है, शेष 2 गांवों कुडी व सोघरावास के लिये पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है। अब की उपलब्धि के अनुसार योजना का कार्य पूर्ण हो सकेगा।

वर्तमान अधीक्षण अभियन्ता जोधपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री माधोसिंह कछवाह)

(1) क्या यह सही है कि श्री आर. सी. गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर में अधिशासी अभियन्ता डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में रह चुके थे ? यदि हां, तो भ्रष्टाचार के कितने मामले उनके विरुद्ध विभाग में विचाराधीन हैं ?

(2) क्या श्री आर. सी. गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता के पद पर जोधपुर में थे तब उनकी देख रेख में किये गये निर्माण कार्य घटिया किस्म के थे और सीमेन्ट श्री गुप्ता की सांठ गांठ से बाजार में बेचा गया था ? यदि हां, तो किन किन मामलों में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार श्री गुप्ता के विरुद्ध किये गये कार्यों की जांच के लिये "जांच-समिति" नियुक्त करना चाहेगी।

(3) श्री आर. सी. गुप्ता, जब अधिशासी अभियन्ता थे तो उनके कार्यालय में निर्माण कार्य हुए उसका विवरण निम्न तालिका में सदन की मेज पर रखने की कृपा करें :—

कार्य का नाम और स्थान	अनुमानित राशि रु०	टेन्डर की दिनांक
1	2	3

वर्क आर्डर संख्या दिनांक	ठेकेदार या सप्लायर का नाम	कार्य शुरू करने की दिनांक
4	5	6

कार्य समाप्ति दिनांक	फाइनल बिल का भुगतान	सीमेन्ट कार्य (यदि कोई) हो) कितना लगाना चाहिये था
7	8	9

सिक्योरिटी वापसी दिनांक	काम अच्छा न होने से बिलों में कटौती राशि रु०	कटौती के कारण
10	11	12

फाइनल बिल की एम. बी. संख्या	अगर फाइनल बिल बकाया हो तो आखिरी रनिंग बिल की एम.बी. संख्या
13	14

उत्तर

(1) जी हां। श्री आर. सी. गुप्ता जब जोधपुर में अधिशासी अभियन्ता थे जिला खण्ड में थे तब का कोई भ्रष्टाचार का मामला विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। सभी कार्य स्पेसिफिकेशन के अनुसार किये गये थे। सीमेन्ट के बाजार में बेचने के सम्बन्ध में इस विभाग के पास कोई जानकारी नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

सपोटरा क्षेत्र में आवागमन के साधनों की व्यवस्था

649. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा)

श्री छमराव सिंह गूजर (महुआ) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री उमरावसिंह गूजर)

(1) क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र सपोटरा एक अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है तथा इसमें आवागमन के साधन बिल्कुल उपलब्ध नहीं हैं और आये दिन चोरी, डकैती, राहजनी और अन्य प्रकार के अपराध इस डांग के एरिया में होते रहते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि सपोटरा से करणपुर 51 कि. मी. है व करणपुर से कैलादेवी 32 कि. मी. और सपोटरा से हाडोती 25 कि. मी. है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में आवागमन के लिये बसों की व्यवस्था करेगी और यह व्यवस्था कब तक संभव हो सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, यह पिछड़ा क्षेत्र है। किंतु यह सही नहीं है कि इस क्षेत्र में आवागमन के साधन बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। यह भी सही नहीं कि इस क्षेत्र मे आये दिन अपराध होते हैं।

(2) जी हां।

(3) इस क्षेत्र में यदि कोई भी व्यक्ति किसी मार्ग पर भी वाहन संचालन हेतु अनुज्ञा-पत्र के लिए नियमानुसार प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे वाहन संचालन हेतु अनुज्ञा-पत्र दिया जा सकता है।

जल योजनाओं हेतु बनाये जाने वाले नलकूपों की खुदाई

650. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जल योजनाओं के लिए बनाये जाने वाले नलकूपों की खुदाई का कार्य राजस्थान भू-जल मण्डल के अलावा प्राइवेट पार्टी को भी दिया है ? यदि हां, तो चालू वर्ष में कुल कितने नलकूप बनाने थे तथा कितने का कार्य प्राइवेट पार्टी को दिये तथा कितने का भू-जल मण्डल को और भू-जल मण्डल की कितने नलकूप प्रति वर्ष बनाने की क्षमता है ?

(2) प्राइवेट पार्टी को किस आधार पर कहां-कहां पर कितने-कितने नलकूप बनाने का कार्य कब-कब सौंपा गया तथा उन्होंने कब-कब उक्त नलकूप बना दिये ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) भविष्य में नलकूप प्राइवेट पार्टी से बनाने के सम्बन्ध में क्या नीति निर्धारित की है और साथ ही भू-जल मण्डल की क्षमता का उपयोग किस सीमा तक किस प्रकार होगा ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1978-79 में 450 नलकूप बनाया जाना है. इसमें से 17 नलकूपों का कार्य प्राइवेट पार्टीज को दिया गया। भू-जल विभाग को 312 नलकूप एवं शेष

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)

यान्त्रिक खंड जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग को बनाने थे। भू-जल विभाग को कुल मिलाकर 83·184 मीटर खुदाई कराने की क्षमता है। औसतन प्रति नलकूप की गहराई 60 मीटर आंकने पर क्षमता 1664 नलकूप आती है।

(2) भू-जल विभाग की क्षमता एवं विभागीय आवश्यकता को देखते हुए नलकूपों का कार्य निविदायें आमन्त्रित कर न्यूनतम दरों पर प्राइवेट पार्टीज को दिया गया है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) नलकूपों की आवश्यकता को देखते हुए एवं भू-जल मण्डल की क्षमता को मध्य नजर रखते हुए नलकूपों का कार्य करवाया जायेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

यातायात आयुक्त के विरुद्ध शिकायत

651. **श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर)** : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यातायात आयुक्त श्री के. वी. शंकरन के विरुद्ध कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो वह शिकायत क्या है और राज्य सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

जी। एक गुमनाम शिकायत प्राप्त हुई थी। जो निराधार पाये जाने पर समाप्त कर दी गई है।

जैसलमेर जिले में नलकूप खोदने के लिए क्लस्टर योजना

652. **श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर)** : क्या भू-जल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जैसलमेर जिले में नलकूप खोदने की क्लस्टर योजना क्यों नहीं लागू की जा रही है?

(2) क्या शेरगढ़ तहसील में क्लस्टर योजना लागू की गई? यदि हां, तो कितने वर्ष पूर्व? क्या उस पर क्रियान्वयन हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) ग्राम गिलो-कोर (तहसील शेरगढ़) में उक्त योजना के अन्तर्गत 18 नलकूप कब लिये गये? उन पर अभी तक कार्य चालू क्यों नहीं हुआ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में क्लस्टर योजना लागू न करने के निम्न कारण हैं:—

(अ) क्लस्टर योजना बनाते समय जैसलमेर जिले की केवल लाठी सीरिज का ही सर्वेक्षण पूर्ण हुआ था जिसमें अतिरिक्त भू-जल की ऐसी मात्रा नहीं पाई गई जिसका वार्षिक पुनर्भरण होता हो वहां पर भू-जल विदोहन भू-जल खनन के आधार पर ही हो सकता था। इस प्रकार के क्षेत्र क्लस्टर स्कीम में नहीं लिये गये।

(ब) नलकूप की अधिक लागत होने व क्षेत्र का विद्युतीकरण न होना।

(भू-जल मंत्री)

(स) जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में खेती के लिए जलवायु का प्रतिकूल होना व साइल डेफ्स का कम होना।

(2) जी हां। शेरगढ़ तहसील में क्लस्टर नलकूप खोदने की योजना लागू की गई। यह योजना सन् 1972-73 में लागू की गई थी इस योजना के अन्तर्गत शेरगढ़ तहसील में 13 नलकूप सफल बने हैं।

(3) ग्राम गिलां-कोर तहसील शेरगढ़ में उक्त योजना के अन्तर्गत 18 नलकूप स्वीकृत नहीं हुए। यद्यपि यह ग्राम डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत स्वीकृत है। जहां तक नलकूपों के संख्या की स्वीकृति का सवाल है वह इस ग्राम के इच्छुक काश्तकारों की संख्या, ऋण योग्य काश्तकारों की संख्या, विद्युत की उपलब्धता इत्यादि पर निर्भर रहती है। इस ग्राम में नलकूप निर्माण का कार्य वर्ष 1979-80 में लेने की सम्भावना है।

ग्राम माद्रानून से मोकलसर सड़क

653. **श्री गोपाल सिंह (आहोर)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या ग्राम माद्रानून से ग्राम मोकलसर सड़क को राज्य सरकार भागों में अथवा एक साथ पक्की बनवाने का विचार रखती है? अगर हां, तो यह कार्य कब तक शुरू करवा दिया जावेगा तथा कब तक संपूर्ण हो जावेगा? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

माद्रानून – मोकलसर छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है तथा कार्य शुरू करने का विषय धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

गंगानगर जिले की तहसीलों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना

654. **श्री डूंगर राम पंवार (टी बी)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में हर तहसील को पक्की सड़क से जोड़ने में केवल एक टी. बी. तहसील ही अभी तक वंचित है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि टी. बी. से हनुमानगढ़ सड़क स्वीकृत हो चुकी है? यदि हां, तो उसका काम चालू नहीं होने का क्या कारण है?

(3) क्या टी. बी. से संगरिया सड़क अधूरी पड़ी है? यदि हां, तो क्यों? इसका टेन्डर कब और किस ठेकेदार के नाम स्वीकृत है?

उत्तर

(1) जी नहीं। टी बी. तहसील मुख्यालय हनुमानगढ़ से इस समय हनुमानगढ़-शेरगढ़, मुण्डामसीतावाली होकर सड़क से जुड़ा है तथा हनुमानगढ़ से टी. बी. को सीधा जोड़ने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है।

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(2) टी. बी. से हनुमानगढ़ को जोड़ने के लिए सड़क की स्वीकृति राज्य सरकार के पत्र सं० एफ. 2/37/पी.डब्ल्यू.डी. ए. एस. 77/अनु० 2 दिनांक 15-3-79 द्वारा प्रसारित कर दी गई है। टी. बी. और शेरका के बीच मिट्टी का कार्य शुरू कर दिया है। सड़क को पूर्ण करने के लिए विस्तृत अनुमान तैयार कर लिया गया है और उनके शीघ्र ही स्वीकृत करने के लिए प्रेषित कर रहे हैं। इस कार्य की निविदायें दिनांक 28-3-79 को प्राप्त करने के लिए आमन्त्रित की है।

(3) जी हां। सड़क निर्माण का कार्य अधूरा है। ठेकेदार द्वारा कार्य न किये जाने के कारण अधूरा पड़ा है। ठेकेदार मैसर्स सहीराम चन्द्र के विरुद्ध धारा 2 एवं 3 के अन्तर्गत जुर्माना लगाकर कार्य ठेकेदार के रिस्क व कास्ट पर करने की कार्यवाही कर ली गई है।

कुशलगढ़ क्षेत्र की सड़कें

655. श्री गिंपिंग (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कुशलगढ़ क्षेत्र में कितनी सड़कें पक्की तथा कितनी कच्ची हैं, कितनी सड़कों का कार्य निर्माणाधीन है ?

(2) हिरन नदी पर मोर गांव के पास पुल, नागनाथ के पास पुल तथा रामगढ़ नदी के पुल के अभाव में इस वर्ष कितने समय तक यातायात अवरुद्ध रहा ?

(3) क्या राज्य सरकार ऊपर वर्णित स्थानों पर पुलों के निर्माण का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या राज्य सरकार पाली नदी, कुशलगढ़, कलिजरा वाया ताम्बेसरा मार्ग पर बने अधूरे पुल को ढकने का कोई इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) कुशलगढ़, कलिंजरा वाया अन्देश्वर ताम्बेसरा मार्ग पर बना यह अधूरा पुल कब बना तथा इस पर कितनी राशि व्यय हुई ?

उत्तर

(1) कुशलगढ़ क्षेत्र में 118 कि. मी. डामर व मेटल की पक्की व 69 कि. मी. कच्ची सड़कें हैं।

(2) हिरन नदी पर वर्षा में अधिक पानी आने से 12 बार, 1 दिन से 3 दिन तक यातायात बन्द हो गया था। इसी प्रकार नागनाथ व रामगढ़ नदी पर 8 से 10 घंटे करीब 8 बार यातायात अवरुद्ध हुआ।

(3) जी हां। इन नदियों पर पुलों को बनाने हेतु छठी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावित होकर विचाराधीन हैं।

(4) पाली नदी के अधूरे पुल के छत बनाने हेतु वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

(5) कुशलगढ़ कालिजरा वाया अन्देश्वर ताम्बेसरा मार्ग पर इस पुल का कार्य डी. पी. ए. पी. कार्यों के अन्तर्गत हुआ था और 1.5 लाख रुपये व्यय हुआ।

सोजत तहसील के अकाल व अभाव ग्रस्त घोषित गांव

656. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सोजत तहसील के कौन कौन से गांव अकाल ग्रस्त हैं तथा अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस अकाल की स्थिति से निपटने के लिए ज़िला अकाल सहायता समिति ने कौन कौन सी सड़कों को पक्का बनाने की सिफारिश की है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके।

(3) क्या जरूरत को देखते हुए सरकार सोजत-राजोला रोड को मंजूर करने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) अभी सोजत तहसील के नवीन नीति के अनुसार किसी भी गांव को अभाव-ग्रस्त घोषित करने के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(2) खरीफ की फसल में खराबे की रिपोर्ट के साथ जिला अकाल राहत सलाह-कार समिति ने संलग्न सूची के अनुसार सड़कों के परीक्षण राहत कार्य खोलने की सिफारिश की है।

(3) अभाव की घोषणा करने से पूर्व इस बाबत बताया जाना सम्भव नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

राज्य में प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने की योजना

657. **श्री बजरंग लाल शर्मा** (बनीपार्क, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने के लिए कुल कितने किलो मीटर सड़क का निर्माण और करना है और उसमें अनुमानित कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

(2) राजस्थान में प्रत्येक गांव को सड़क से कब तक जोड़ दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान में प्रत्येक गांव को जिस की आबादी 1500 से अधिक है, को जोड़ने के लिए लगभग 10,000 कि. मी. सड़कें बनानी पड़ेंगी। इसमें 100 करोड़ रु० खर्च होंगे।

(2) धनराशि उपलब्धि पर इन सबको जोड़ना निर्भर करेगा।

अकाल राहत के अन्तर्गत तहसील बेगूं में किये गये कार्य

658. **श्री एच. एन. शर्मा** (बेगूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील बेगूं में अकाल राहत कार्यों के तहत किस किस सड़क का निर्माण कार्य गत पांच वर्षों में किस वर्ष में कितना

(श्री एच. एन. शर्मा)

कितना किलोमीटर का किस किस पंचायत समिति में किया गया है ?

(2) क्या राज्य सरकार पूर्व में बनाई गई सड़कों को पूरा कराने अथवा मेंटीनेन्स कराने का विचार रखती है ? अगर हां, तो आगामी बजट वर्ष में कितनी धनराशि स्वीकृत करने का विचार है ?

उत्तर

(1) बेगूं तहसील में पिछले पांच वर्षों में अकाल राहत कार्यों के तहत केवल दो सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई थी--- जिनमें से एक सड़क बेगूं से नदबई का निर्माण वर्ष 75-76 में स्वीकृत हुआ व इस पर केवल मिट्टी का कार्य करवाया गया तथा 4574.00 रु० खर्च हुए।

दूसरी सड़क राजगढ़-दुगाड़ वर्ष 77-78 में स्वीकृत हुई जिस पर 3.74 कि० मी० की लम्बाई में ग्रेवल का कार्य किया गया। उपरोक्त दोनों ही सड़कें पंचायत समिति बेगूं में आती हैं तथा दोनों सड़कें छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित हैं।

(2) राहत कार्य में बनाई गई सारी सड़कों को पूरा करने की कोई योजना नहीं है। सीमित धनराशि उपलब्धि के कारण मरम्मत कराया जाना वर्तमान में सम्भव नहीं है।

सांचोर क्षेत्र की सड़कें

659. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे---

(1) क्या यह सही है कि गरडाली गोलासण-सिलू (गुजरात सरहद तक) सड़क डेडवा-डावल, प्राम्बली हाडेचा सड़क, सांचोर मवातड़ा रिड़गा सड़क, सांचोर-चीतलवाना सड़क, सिवाड़ा-चीतलवाना सड़क, सिवाड़ा-भाव सड़क, साकड़ दुगावा (गुजरात सरहद तक) सड़क, साकड़ खारा सड़क, सांकड़ व बासन देवड़ा गांधी शताब्दी ग्राम सड़क, केरिय गाधव सड़क, बाकलियापुर-बाणता-अरणा सड़क अभी तक अधूरी हैं ? अगर हां, तो उक्त सड़कों को पूरा करवाने में कुल कितना खर्चा लगेगा ? सूची मय खर्चे के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। उक्त सड़कों को सरकार कब तक पूरा करवा देगी ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम डेडवा, जारवड़, हरीयाली पक्की सड़क निर्माण का मैटीरियल गुजरात सरकार द्वारा म्रो. एन. जी. सी. के लिए डलवाया गया था ? अगर हां, तो क्या गुजरात सरकार ने मैटीरियल काम में लेकर सड़क पूरी करवाने के बारे में आग्रह किया है ? अगर हां, तो सरकार को उक्त मैटीरियल काम में लेकर पक्की डामर सड़क बनवाने में कितना खर्चा करना पड़ेगा। उक्त रकम सरकार द्वारा मंजूर की जाकर उक्त सड़क पक्की डामर कब तक बनवा दी जावेगी ?

(3) सांचोर-खारा सड़क का इम्प्रूवमेंट कब तक करवा दिया जावेगा ? चीतलवाड़ा होती गांव सड़क की मरम्मत कब तक करवा दी जावेगी ?

(4) मल्कुपुरा-पीरकी जाल-बीरोल सड़क की मरम्मत कब तक करवा दी जावेगी ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(5) सांचोर में 1500 तक की आबादी वाले गांवों को कब तक पक्की सड़क से जोड़ दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। इन सड़कों को पूरा पक्का बनाने हेतु अनुमानित लागत सूची 'अ' में दर्शाई गई है–सूची संलग्न है।

(2) जी हां। ओ. एन. जी. सी. द्वारा डाले हुए माल को काम में लेते हुए इस सड़क को बनवाने हेतु 4.50 लाख अनुमानित लागत आती है। इस कार्यालय से संबन्धित नहीं है। सांचोर बाकासर सड़क की मरम्मत फ्लड रिलीफ के अन्तर्गत वर्ष 1977-78 में एवं 1978-79 में की गई थी जिसमें कुल खर्च 53874/– व 115596/–आया है। यह सड़क छठीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

(3) छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

(4) इस सड़क पर कि० मी०,0/0 से 4/0 तक सड़क की मरम्मत इस साल 1978–79 में हो चुकी है। और वर्ष 79–80 के मरम्मत का कार्य में विचार किया जायेगा।

(5) यह योजना मद में धनराशि पर निर्भर करता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

चारभुजा दीपपुरा घाटा रोड के कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि

660. **श्री एच. एन. शर्मा (बेगू)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या इस वर्ष तहसील बेगूं, पंचायत समिति, भैंसरोड़गढ़ के अन्तर्गत चारभुजा दीपपुरा-घाटा रोड के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है ? अगर हां, तो कितनी ?

(2) उक्त घाटे पर निरन्तर कार्य कब तक शुरू किया जायेगा तथा कितनें किलो का निर्माण कार्य किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) छठी पंचवर्षीय योजना में 5 कि.मी. सड़क जिसकी अनुमानित लागत 6.50 लाख रु० है प्रस्तावित है।

दौसा-सवाईमाधोपुर सड़क पर पुलिया का निर्माण कार्य

661. **श्री कुंजी लाल (बामनवास)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दौसा—सवाई माधोपुर रोड पर मोरेल नदी से मोटरों को बाईपास करने में (अर्थात् बरसात के बाद मोरेल नदी से बस का रास्ता सुधरवाने में) सन् 1952 से आज तक राज्य सरकार ने कितनी राशि व्यय की है ? पूर्ण राशि का विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री कुंजीलाल)

(2) क्या यह सही है कि दौसा-सवाई माधोपुर रोड़ पर आने वाली मोरेल नदी पर राज्य सरकार पुलिया निर्माण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो पुलिया निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सर्विस रोड़ बनाये जाने में पिछले 10 वर्षों का खर्चा उपलब्ध हो पाया है, जो इस प्रकार हैं—

1969–70	6646–79
1970–71	5220–00
1971–72	5541–34
1972–73	6028–00
1973–74	7893–50
1974–75	8700–00
1975–76	25304–00
1976–77	11702–50
1977–78	15498–00
1978–79	19633–50

(2) यह सही नहीं है।

सवाई माधोपुर लालसोट-दौसा सड़क पर मोरेल नदी पर पुल बनाने की स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। हां, छठी पंचवर्षीय योजना में मोरेल नदी पर सबमर्सिबल पुल बनाने के लिए 14.70 लाख अनुमानित लागत आती है और यह कार्य छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

डाक बंगला चौमूं में टेलीफोन एवं पेयजल की व्यवस्था

662. श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या चौमूं नगर में स्थित सरकारी डाक बंगले में टेलीफोन की व्यवस्था है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या राज्य सरकार की ओर से चौमूं नगर में स्थित डाक बंगले में पेयजल की व्यवस्था है ? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के क्षेत्र में कितनी सड़कें बन चुकी हैं ? कितना निर्माण बाकी है ? नई सड़कें कहां कहां बनाई जा रही हैं ? सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) चौमूं डाक बंगले में टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है। अभी तक चौमूं स्थित डाक बंगले में टेलीफोन की व्यवस्था की स्वीकृति नहीं है। इसकी व्यवस्था व देख रेख नेशनल हाई वे मद के केन्द्र सरकार से प्राप्त होती है।

(2) डाक बंगलों में पेयजल की व्यवस्था करीब 6 साल से है।

(3) पंचायत समिति क्षेत्र गोविन्दगढ़ में जो सड़कें बन चुकी हैं उसकी सूची 'क'

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

यहां संलग्न है। जिन सड़कों का निर्माण प्रगति पर है उसकी सूची 'ख' संलग्न है। नई सड़क कालाडेरा से अस्तेडा कि. मी. 6.25 से 11 तक बनाई जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

सिरोही नगरपालिका में अतिक्रमण के विचाराधीन मामले

663. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिरोही नगरपालिका सीमा में कितने अतिक्रमण के मामले पेंडिंग हैं और धारा 91 भू-राजस्व कानून के अन्तर्गत कुल कितना बकाया है ?

(2) भू-राजस्व कुल कितना सिरोही व मांडवा पटवारी सर्किल में बकाया है ?

(3) क्या यह बकाया पिछले बीस वर्षों से वसूल नहीं हुई है और अब भी सरकार वसूल करने का इरादा नहीं रखती ?

(4) क्या जेठा भील की राजस्व भूमि पर किसी मुफ्तलाल ने कब्जा कर रखा है और सरकार वसूली जेठा से ही करती है ?

उत्तर

(1) सिरोही नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत अतिक्रमियों के 15 मामले विचाराधीन हैं। धारा 91 भू-राजस्व कानून के अन्तर्गत जुर्माना की राशि रुपये 24.451 बकाया है।

(2) भू-राजस्व पटवार सर्किल सिरोही मांडवा में निम्न प्रकार बकाया है—

सिरोही	67,708–00
माण्डवा	29,152–00

(3) यह बकाया पिछले वर्षों से वसूल नहीं हुई है और अब वसूली के प्रयास जारी हैं।

(4) जेठा भील की खातेदारी की राजस्व भूमि पर श्री मुफ्तलाल द्वारा कब्जा कर रखना पाया नहीं गया है।

जिला नागौर में पटवार गृहों की मरम्मत का मामला

664. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में पटवार गृहों की मरम्मत हेतु पिछले चार वर्षों में कितनी धनराशि मिली ? धनराशि का ब्यौरा तहसीलदार व ग्रामों के नाम व धनराशि जहां पटवार घर हैं तथा उसके मरम्मत हेतु दी गई का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जो धनराशि तहसीलदारों को आवंटित की गई थी उनमें से ऐसे कौन कौन से पटवार घर हैं जिनका कार्य नहीं हो सका एवं राशि वापस विभाग को या जिलाधीश को लौटा दी गई ?

(3) इनमें से ऐसे कितने व कौन कौन तहसीलदार हैं जिनके खिलाफ मरम्मत के

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

कामों में घोटालों या भ्रष्टाचार की शिकायत विभाग अथवा जिलाधीश को मिली कि तहसीलदारों ने कार्य न कराकर धन राशि हजम कर गए ?

(4) जिन तहसीलदारों के खिलाफ शिकायत भ्रष्टाचार की मिली उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(5) डेगाना तहसील में क्या मोडी-कलां, सुखवाड़, पालियास, लगोड़ व डेगाना पटवारघरों की मरम्मत की स्वीकृति भी दी गई थी ? अगर हाँ, तो किस किस तारीख को कितनी कितनी राशि की स्वीकृति दी गई ?

(6) क्या यह भी सही है कि इन कार्यों के लिए तहसीलदार डेगाना के खिलाफ जिलाधीश नागौर को एवं राज्य सरकार को शिकायतें की गई थीं ? अगर हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

(7) क्या यह सही है कि तहसीलदार डेगाना ने अपने मिलने वाले किसी जोधपुर के ठेकेदार से यह कार्य करवाया जिसका कार्य से पूर्व कोई एस्टीमेट भी नहीं बनवाया था ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में पटवारघरों की मरम्मत हेतु राजस्व मण्डल से पिछले चार वर्षों में जो धन राशि आवंटित हुई तथा तहसीलों को जो राशि मरम्मत हेतु दी गई, का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	वर्ष	राशि जो राजस्व मण्डल द्वारा आवंटित की गई	नाम तहसील	राशि जो तहसीलों को दी गई	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	75–76	3000)	नागौर	900)	
			जायल	420)	
			मेड़ता	360)	
			डेगाना	390)	
			परबतसर	360)	
			नावां	130)	
			डीडवाना	240)	
			लाडनूं	200)	
				3000) रुपये	

(राजस्व मंत्री)

1	2	3	4	5	6
2	75–76	2000)	नागौर (1) खजवाना	500)	
		अतिरिक्त	(2) झुझण्डा	500)	
		आवंटन	डेगाना (1) निम्बड़ी चांदावता	500)	
			नावां (1) मंडावरा	500)	
				2000) रुपये	
3.	75–76	2000)	नागौर (1) संखवास	500)	
		अतिरिक्त	मेड़ता (1) जसनगर	1500)	
		आवंटन			
				2000) रुपये	
4.	76–77	2200)	नागौर	400)	
			जायल	300)	
			मेड़ता	300)	
			डेगाना	300)	
			परबतसर	300)	
			नावां	300)	
			डीडवाना	300)	
				2200) रुपये	
5.	76–77	20000)	नागौर	1000)	
		अतिरिक्त	जायल	500)	
		आवंटन	मेड़ता	3000)	
			डेगाना	6000)	
			परबतसर	2000)	

42

(राजस्व मंत्री)

1	2	3	4	5	6
			नावां	3500)	
			डीडवाना	3000)	
			लाडनूं	1000)	
				20000) रुपये	
6.	77–78	3500)	नागौर	300)	
			जायल	300)	
			मेड़ता	300)	
			डेगाना	1000)	सरेण्डर की गई।
			परबतसर	300)	
			नावां	600)	
			डीडवाना	400)	
			लाडनूं	300)	
				3500) रुपये	
7.	78–79	20000)	नागौर	3600)	
			जायल	900)	
			मेड़ता	1100)	
			डेगाना	5200)	
			परबतसर	2100)	
			नावां	3000)	
			डीडवाना	3500)	
			लाडनूं	600)	
				20000) रुपये	

(राजस्व मंत्री)

(2) जो धनराशि पटवारघरों की मरम्मत हेतु तहसीलदारों को जिला कार्यालय से आवंटित की गई थी उसका उपभोग पटवारघरों की मरम्मत हेतु गत चार वर्षों में तहसीलदारों द्वारा कर लिया गया। ऐसी आवंटित धनराशि सिवाय तहसीलदार डेगाना के वर्ष 77–78 के किसी भी तहसीलदार ने वापिस नहीं लौटाई।

(3) इस सम्बन्ध में तहसीलदार डेगाना के अलावा अन्य तहसीलदारों की शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(4) सिर्फ तहसीलदार डेगाना के विरुद्ध जांच कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी नागौर के यहां जेरकार है।

(5) वित्तीय वर्ष 1976-77 में तहसील डेगाना के निम्न पटवारघरों की मरम्मत हेतु जिलाधीश, नागौर के पत्र क्रमांक 2215 दिनांक 23/3/77 के द्वारा निम्न प्रकार दी गई थी:—

क्र. सं.	नाम पटवार मण्डल	नाम तहसील	स्वीकृत राशि
1.	मोडीकलां	डेगाना	2200/-
2.	सूरवाड	डेगाना	1430/-
3.	लगोड	डेगाना	1227/-
4.	डेगाना	डेगाना	1343/-
5.	पालियास	डेगाना	1793/-

(6) हां यह सही है कि इस सम्बन्ध में तहसीलदार डेगाना के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत की जांच कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी नागौर के यहां चालू है।

(7) तहसीलदार डेगाना द्वारा पटवारघरों की मरम्मत करने का ठेका मैसर्स नागौरी गेट लेबर कन्ट्रे. कोआपरेटिव सोसायटी, जोधपुर को दिया गया था। पूर्व का कोई एस्टीमेट बनवाने हेतु कोई प्रावधान नियमों में नहीं है। मरम्मत कार्य हेतु निविदा आमन्त्रित की जाती है तथा प्रक्रिया के अनुसार सबसे कम दर (रेट) वाले टेण्डर को स्वीकृत कर कार्य करने का ठेका दिया जाता है।

गांव गोनरड़ा, जिला नागौर की जमीन पर अतिक्रमण का मामला

665. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांव गोनरड़ा, तहसील डेगाना, जिला नागौर का खसरा नं. 87 रकबा सोलह बीघे, तेरह बिस्वा आबादी की भूमि वर्ज है ?

(2) क्या यह सही है इस भूमि पर जो ग्रामवासियों के बसने के लिए है श्री प्रभूसिंह ने नाजायज कब्जा कर इस पर काश्त करना शुरू कर दिया है ?

(3) क्या यह सही है कि इस भूमि के अतिक्रमण को श्री प्रभूसिंह के नाम से नियमन कर दिया है ? यदि हां, तो किन नियमों के आधार पर किस अधिकारी द्वारा और किस तारीख को इस नियमन की कार्यवाही पूरी की गई ? अगर नहीं, तो श्री प्रभूसिंह को उक्त भूमि से बेदखल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि के लिए सम्बन्धित सरपंच व क्षेत्रीय विधायक ने कई बार जिलाधीश को इस सम्बन्ध में निवेदन किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) यह सही है कि गांव गोनरड़ा तहसील डेगाना जिला नागौर के सं. नं 87 रकबा 16।।)3 बीघा राजस्व रेकार्ड में आबादी भूमि दर्ज है।

(2) यह सही है कि इस भूमि पर श्री प्रभूसिंह पुत्र कानसिंह राजपूत नि. गोनरड़ा तहसील डेगाना ने नाजायज़ कब्जा कर लिया एवं काश्त की।

(3) यह भी सही है कि यह भूमि श्री प्रभूसिंह पुत्र कानसिंह राजपूत नि. गोनरड़ा के नाम का तहसील भूमि आवंटन सलाहकार समिति डेगाना ने दिनांक 14/7/75 को नियमन कर दिया।

(4) उक्त भूमि प्रभूसिंह के नाम नियमन कर दिये जाने के बाद सरपंच ग्राम पंचायत पुन्दलोता ने रिपोर्ट पेश की जिस पर जिलाधीश की पत्रावली सं. एफ. 12 (49) राजस्व/76 कायम की गई एवं नियमानुसार कार्यवाही कर नियमन को निरस्त करने हेतु अतिरिक्त जिलाधीश के न्यायालय में मामला दर्ज करवाया गया जो मामला विचाराधीन है। सम्बन्धित नियमन की पत्रावली राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा तलब करने पर अतिरिक्त जिलाधीश नागौर के पत्र क्रमांक 1594 दिनांक 2-11-77 के द्वारा उन्हें प्रेषित की गई जिसका अभी तक निर्णय होकर पत्रावली अतिरिक्त जिलाधीश को पुनः प्राप्त नहीं हुई है। पत्रावली राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर से प्राप्त होने पर अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

जिला बून्दी में देवस्थान की सम्पत्ति

666. **श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी)** : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) क्या बून्दी जिले में देवस्थान विभाग की कोई सम्पति है ? यदि हां, तो क्या-क्या और कितनी कितनी कीमत की है ?

(2) क्या यह सही है कि बून्दी जिले में देवस्थान विभाग की इमारतों पर लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(3) क्या यह सही है कि बून्दी जिले में जो देवस्थान विभाग की इमारत है उनकी कोई देख रेख नहीं होती ? यदि हां, तो इनकी रक्षा के लिए राज्य सरकार क्या करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार एवं राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी के 14 मन्दिर एवं उनकी सम्पदा बून्दी जिले में स्थित है। जिनके मूल्यांकन की मन्दिर वाइज़ सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

ग्राम भाडली तहसील डेगाना में हरे पेड़ों को काटने का मामला

669. श्रीरामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1 जनवरी, 77 से 31 मार्च, 77 के बीच ग्राम भाडली, तहसील डेगाना में कुछ हरे पेड़ों को काटा गया ? क्या इन पेड़ों के सम्बन्ध में अविलम्ब ग्राम वालों ने तहसीलदार डेगाना एवं जिलाधीश नागौर को शिकायतें व सूचना दी ? अगर हां, तो उस शिकायत की प्रतिलिपि सदन में प्रस्तुत करते हुए बतायें कि किस तारीख को सूचना दी गई एवं फिर कब क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या इसमें सम्बन्धित पटवारी एवं तत्कालीन तहसीलदार डेगाना श्री जगदीश प्रसाद का हाथ भी था ? इसलिये इस मामले को रफा दफा किए जाने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

(3) क्या जिलाधीश या उप-खण्ड अधिकारी मेड़ता, जिला नागौर को कई बार लिखने एवं तार देने पर भी कोई उत्तर नहीं दिया एवं कार्यवाही नहीं की थी ? अगर की, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम माली, तहसील डेगाना में हरे वृक्ष अवश्य काटे गए। जनवरी, 1977 से मार्च, 77 के बीच कटे या बाद में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। हरे वृक्ष काटने के सम्बन्ध में दिनांक 11-6-77 को श्री भागूराम वार्ड पंच माली द्वारा नायब तहसीलदार डेगाना के पास रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक तार जिलाधीश कार्यालय में दिनांक 11-6-77 को 8-45 बजे रात्रि को प्राप्त हुआ है। प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं। श्री माधवसिंह, नायब तहसीलदार, डेगाना, दिनांक 12-6-77 को मौके पर गए एवं जांच की, मौका नक्शा बनाया एवं बयान लिए व दिनांक 27-6-77 को अपनी जांच रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत की। तहसीलदार डेगाना ने वे सभी कागजात उनके पत्र सं० 437 दिनांक 6-7-77 को उप-खण्ड अधिकारी, मेड़ता को प्रेषित किये। उप-खण्ड अधिकारी मेड़ता ने श्री भंवरसिंह के विरुद्ध धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिनांक 25-7-77 को दिये। उसके पश्चात् दिनांक 29-8-77 को भंवरसिंह के विरुद्ध विस्तृत आदेश निकाले हुए मामला दर्ज संख्या 36/77 दर्ज करके तलबी के आदेश दिये। अब इस मामले की पेशी दिनांक 2-4-79 को है तथा अभी तक अप्रार्थी की तामील नहीं हो सकी है।

(2) यह सही नहीं है कि इस मामले में सम्बन्धित पटवारी एवं तत्कालीन तहसीलदार डेगाना श्री जगदीश प्रसाद का हाथ था एवं न मामले को रफा दफा किए जाने का प्रयत्न किया जाना पाया जाता है। अतः रफा-दफा करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) उपरोक्त रिपोर्ट व तार प्राप्त

(46)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

होने पर कार्यवाही की गई थी जैसा कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है।

(शिकायत प्रति के लिये कृपया परि-शिष्ट 13 देखें)

रावतभाटा में पशु चिकित्सालय की इकाई

670. श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रावत भाटा में पशु चिकित्सालय की इकाई कितने समय से है ?

(2) क्या राज्य सरकार इस वर्ष इस इकाई को क्रमोन्नत कर पूर्ण चिकित्सालय बनाने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो किन कारणों से ?

उत्तर

(1) रावतभाटा में पशु धन उत्पादन केन्द्र की स्थापना वर्ष 1977–78 में की गई थी।

(2) एक इकाई को क्रमोन्नत करने का कोई विचार नहीं है। परन्तु रावतभाटा में एक नया पशु औषधालय छठी योजना में स्थापित करना प्रस्तावित है।

पिड़ावा रायपुर व सुनेल में कृषि उपज मण्डी

671. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिड़ावा, रायपुर व सुनेल में कृषि उपज समिति, भवानी मण्डी के अन्तर्गत गौण मण्डियाँ बनाने व विकसित करने की क्या योजना है ?

(2) पिड़ावा, रायपुर व सुनेल से कितना टैक्स व फीस कृषि उपज मण्डी समिति, भवानी मण्डी ने सन् 77–78 व 78–79 में एकत्रित की है ?

उत्तर

(1) पिड़ावा, रायपुर तथा सुनेल में गौण मण्डियां बनाने व विकसित करने हेतु अभी निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उपयुक्त परिस्थिति नहीं है।

(2) इन स्थानों से प्राप्त मण्डी शुल्क विवरण इस प्रकार है—

क्र. सं.	स्थान	वर्ष 77-78	वर्ष 78-79
1–	रायपुर	1662.67	2945.77
2–	पिड़ावा	1384.73	निल
3–	सुनेल	25,054.57	15,990

टिप्पणि—78–79 की आय निल रही क्योंकि माल पिड़ावा में न बिक्री कर मुख्य मण्डी भवानी मण्डी में ले जाया गया।

गौण मण्डी से कृषि उपज मण्डी दौसा को हुई आय

672. श्री हरसहाय मीणा (लालसोठ):

(श्री हरसहाय मीणा)

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) लालसोट जिला जयपुर क्षेत्र गौण मण्डी से कृषि उपज मंडी दौसा में विगत 3 वर्षों में कितनी 2 आमदनी हुई है ?

(2) क्या राज्य सरकार लालसोट क्षेत्र की अलग से कृषि उपज मण्डी बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या लालसोट कृषि उपज मण्डी के लिए स्थान का चयन हो चुका है ? यदि हां, तो कहां ?

उत्तर

(1) विगत तीन वर्षों में लालसोट गौण मण्डी से निम्न प्रकार से आय हुई है:—

(1)	1975–76	1,47,401·29 रुपये
(2)	1976–77	3,29,094·94 रुपये
(3)	1977–78	2.45,286·19 रुपये
(4)	1978–79	2,92,924·57 रुपये

फरवरी, 1979 तक

(2) जी हां। राज्य सरकार ने विकसित संख्या 10(38) कृषि/ग्रुप-2-बी/77 दिनांक 28–2–79 द्वारा लालसोट के क्षेत्र को कृषि उपज मण्डी समिति दौसा के क्षेत्र से पृथक करने तथा लालसोट के लिए अलग से कृषि उपज मण्डी समिति करने हेतु अपने आशय की घोषणा कर दी है और 40 दिन की अवधि में आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित किये हैं। इस अवधि के बाद राज्य सरकार प्राप्त सुझाव तथा आपत्तियों पर निर्णय लेकर मण्डी समिति के गठन की घोषणा करेगी।

(3) लालसोट गांव मण्डी प्रांगण के लिए भूमि का चयन कर लिया गया था, जो केथून मार्ग के पूर्व में स्थित है। किन्तु यह भूमि दादू पन्थी समुदाय की है, जिन्होंने इस पर आपत्ति उठाई है, ऐसी स्थिति में इसके समीप की अन्य भूमि प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

पीपल्दा क्षेत्र में कृषि मण्डी यार्ड

673. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या पीपल्दा क्षेत्र के खातौली तथा अयाना कस्बे में कृषि उपज मण्डी के सब यार्ड खोले जाने हेतु किसानों ने निवेदन किया है तथा क्या इसकी अत्यन्त आवश्यकता है।

(2) क्या राज्य सरकार उक्त दोनों स्थानों पर शीघ्र उप यार्ड खोलने के आदेश प्रदान करेगी ताकि किसानों को अपना माल बेचने में सुविधा हो सके ?

उत्तर

(1) केवल खातौली कस्बे में गौण मण्डी स्थापित करने हेतु वहां की ग्राम पंचायत के सरपंच का अनुरोध प्राप्त हुआ था। अयाना के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ। दोनों ही स्थानों पर वहां की परि-

(48)

(श्री हीरालाल आर्य)

स्थितियों को देखते हुए गौण मण्डी स्थापित करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि राज्य सरकार की नीति के अनुसार वहां की अनुमानित आय प्रस्तावित मापदण्ड से कम है।

(2) अभी इन दोनों ही स्थानों पर गौण मण्डी खोलने के आदेश प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

जनसंख्या के आधार पर कृषि उपज मण्डी

675. श्री अयूब खां (तिजारा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी जनसंख्या के आधार पर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराती है ? यदि हां, तो कितनी जनसंख्या पर ?

(2) जिला अलवर में कृषि उपज मण्डी के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़क निर्माणाधीन हैं तथा कौन-कौन सी तैयार हो गई है ? इस वर्ष कौन-कौन सी नई सड़कें बनाई जायेंगी ?

(3) क्या सरकार टपूकड़ा से करोली, टपूकड़ा से नीमड़ेही बगाबीरपुर से असलीपुर तथा ग्राम जोड़िया इसरौदा के लिए कृषि उपज मंडी द्वारा सड़कें बनवाना उचित है ? यदि हां, तो इन सड़कों पर काम कब आरम्भ करा दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार की नीति के अनुसार मास्टर प्लान के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डियों को सड़कें स्वीकृत ग्रामों की जनसंख्या के आधार पर हुई हैं। जनसंख्या का आधार निम्न प्रकार है :—

1—पहली वरियता पर 2500 या उससे अधिक के काम जोड़े जावेंगे।

2—द्वितीय वरियता पर 1500 से 2500 के ग्राम जोड़े जावेंगे :

3—तृतीय वरियता में 1500 से कम जनसंख्या के गांव जोड़े जावेंगे।

(2) जिला अलवर में तीन मण्डी समितियां अलवर, खैरथल तथा खेड़ली कार्य रत हैं। इनके लिए मास्टर प्लान में स्वीकृत की गई सड़कों जिनकी बोर्ड द्वारा चालू वर्ष में वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है निम्न प्रकार से है इनके लिये धनराशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को भी दी जा चुकी है। इनके अतिरिक्त अन्य सड़कों की सूचना संलग्न है।

अलवर—रामगढ़ से अलावड़ा।

खेड़ली—

1—खेड़ली कठूमर सड़क से गांव तक
2—अलवर भरतपुर सड़क से बूटाली
3—नागौर मदबई सड़क से सौख
4—बड़ोदा से मन्डोर तक।

खैरथल—

1—किशनगढ़ अलवर से करौली
2—खानपुर तिजारा से खानपुर ग्राम तक

(कृषि मन्त्री)

3—धमोश तक सम्पर्क सड़क

4—किशनगढ़ से मोटूका

5—सैरथल इस्माईलपुर सड़क से जीलोता तक

6—हरसोली रेल्वे फाटक से सन्तदास जी का मन्दिर तक

7—किशनगढ़ सैरथल सड़क की मरम्मत।

(3) जैसा कि खण्ड एक में बतलाया गया है मण्डी क्षेत्रों की सड़कें आबादी की प्राथमिकता के आधार पर बनाई जा रही हैं। यह सभी सड़कें अभी तक बने मास्टर प्लान में सम्मिलित नहीं की गई हैं। आगामी वर्षों में अपने वित्तीय साधनों को देखते हुए मण्डी समितियां 25 प्रतिशत अन्य सड़कों के प्रस्तावों में यदि इन्हें सम्मिलित करना उचित समझेंगी तो तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

श्री दलपतसिंह भाटी का पुलिस विभाग में एबजोर्ब का मामला

676. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि श्री दलपतसिंह भाटी सिविल सप्लाई विभाग से पुलिस विभाग में एबजोर्ब किए गए थे? अगर हां, तो कब एवं किस वेतन पर?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री दलपत सिंह भाटी का पुलिस विभाग में अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं, तो कब एवं किस वेतन पर?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री दलपत सिंह भाटी जो अभी ओफिस सुपरिन्टेंडेन्ट, एस. पी. ओफिस, जालोर में तैनात हैं, का फिक्सेशन के बारे में ऐतराज उनका सही फिक्सेशन करने बाबत उजरदारी सरकार के समक्ष कई सालों से चल रहा है? अगर हां, तो कब से एवं उनका सही वेतन फिक्सेशन पुलिस में कब तक किया जाकर उनके एरियर्स का भुगतान करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) श्री दलपत सिंह भाटी पुलिस विभाग में दिनांक 21-2-48 को रु. 50/- माहवार पर स्थानान्तरित होकर आये थे।

(2) श्री दलपतसिंह ने उनका वेतन 1-4-47 से 56/-माहवार पर स्थिर करने का प्रार्थना पत्र दिया है। स्थिरीकरण का मामला विचाराधीन है।

(3) इनके वेतन स्थिरीकरण के बारे में अभी निर्णय नहीं हुआ है व मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

नागौर जिले में पुलिस विभाग में प्रमोशन हेतु टेस्ट

677. **श्री जेठमल बरबड़ (नागौर)** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में पिछले पांच वर्षों में कितनी बार सिपाहियों के प्रमोशन के लिये टेस्ट लिये गये ?

(2) क्या जितनी बार टैस्ट लिया गया जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के सिपाहियों ने भी भाग लिया था ? जिन सिपाहियों ने भाग लिया उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या जितनी बार टैस्ट हुआ तथा विभाग में स्पेशल परमोशन दिया गया उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के सिपाहियों को प्रमोशन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(4) क्या जब भी टैस्ट हुआ तथा स्पेशल प्रमोशन किया गया उसमें रोस्टर प्रणाली का ध्यान नहीं देकर प्रमोशन किया गया ?

(5) नागौर जिले में पिछले 5 सालों में पुलिस विभाग में कितने सिपाहियों की भर्ती की गई और उसमें कितने अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों की भर्ती की गई ? सूची मय जाति, वर्षवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पिछले पांच वर्षों में केवल दो बार कानिस्टेबलों के प्रमोशन हेतु टेस्ट लिये गये।

(2) जी हां। वांछित सूचना संलग्न है।

(3) कोई अनुसूचित जाति या जन जाति का कानि० उत्तीर्ण नहीं हुआ। इन पांच वर्षों में तदर्थ रूप से दी गई पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति व जनजाति के कानि० को भी पदोन्नति दी गई है।

(4) जी नहीं।

(5) गत 5 वर्षों में नागौर जिले में कुल 143 कानि० को भर्ती किया गया जिसमें से 19 अनुसूचित जाति व 6 अनुसूचित जन जाति के लोगों को भर्ती किया गया। वांछित सूचना संलग्न है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)।

थाना गेन्डोली जिला बूंदी में दर्ज रपट

679. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन):— क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) थाना गेन्डोली, निर्वाचन क्षेत्र केशोरायपाटन, जिला बून्दी में जनवरी, 1979 में कितनी रपट दर्ज हुईं, किस किस जुर्म की किनके विरुद्ध किसके द्वारा करायी

(श्री गोपाल पचेरवाल)

गयी ? रपटों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा पुलिस को मुल्जिमान का बाल काटकर प्रदर्शन हेतु ग्राम में घुमाने के अधिकार दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(2) जी नहीं।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मानपुर थाने में दर्ज मामले

681. श्री मूलचंद सामरिया श्री हरसहाय मीणा (लालसोट) :—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले के मानपुर थानान्तर्गत गत वर्ष व इस वर्ष कुल कितने केस रजिस्टर हुए ?

(2) अब तक कितने केसों का निस्तारण किया गया है ?

(3) क्या मानपुर थाने में घाट महन्दीपुर महन्त श्री किशोरपुरी के विरुद्ध फौजदारी केस रजिस्टर है ? यदि हां, तो कितने ?

(4) अब तक श्री किशोरीपुरी के विरुद्ध रजिस्टर फौजदारी मामलों में से कितने का निस्तारण अंतिम तौर से हो चुका है तथा बाकी मामले कब तक निपटा दिए जायेंगे ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले के मानपुर थाना अन्तर्गत वर्ष 78 व माह फरवरी, 1979 तक 154 केस दर्ज हुए हैं।

(2) उपरोक्त अभियोगों में से 99 केसेज का चालान व 42 केसेज में अन्तिम रिपोर्ट दी जा चुकी है तथा 15 केस अनुसंधानान्तर्गत हैं।

(3) जी हां। दो केस रजिस्टर्ड हुए हैं।

(4) इन दो मामलों में से 1 का अन्तिम तौर से निस्तारण किया जा चुका है। एक मामला अनवेशणाधीन है।

आयुर्वेद विभाग का बजट

682. श्री राम करणसिंह (कोटपूतली): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आयुर्वेद विभाग का 1976-77 व 1977-78 का कितना बजट था तथा उसमें से स्टाफ और दवाइयों आदि पर कितना कितना खर्चा किया गया और कितना लैप्स हुआ ?

(2) इस विभाग में आज तक भिन्न श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त पदों की पूर्ति करने में क्या कठिनाई आ रही है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1976-77 का विभागीय बजट 404-89 लाख रुपये तथा 1977-78 का 493 28 लाख रुपये था। इसमें से स्टाफ के लिए 302-93 लाख रुपये व 389-43 लाख रुपये तथा औषधियों के लिए 42-22 लाख रुपये व 54-15 लाख रुपये का प्रावधान था।

वर्ष 1976-77 में 6-64 लाख रुपये तथा वर्ष 1977-78 में 6-25 लाख रुपये लैप्स हुआ है।

(2) आयुर्वेद विभाग के निम्न पद रिक्त हैं:—

1—निदेशक	एक पद
2—उप निदेशक	दो पद
3—प्रभारी अधिकारी-रसायनशाला	एक पद
4—जिला आयुर्वेद अधिकारी	नो पद
5—उप व्यवस्थापक रसायनशाला	एक पद
6—चिकित्सा अधिकारी, रसायनशाला	एक पद
7—ड्रग इन्सपेक्टर	एक पद
8—सहायक निदेशक (यूनानी)	एक पद
9—वैद्य द्वितीय श्रेणी	37 पद
10—हकीम द्वितीय श्रेणी	25 पद
11—कनिष्ठ लेखाकार	5 पद
12—कल्पद/धात्री	300 पद
13—चालक	1 पद
14—उच्च लिपिक	2 पद

राजपत्रित अधिकारियों के पदों की पूर्ति सचिवालय स्तर पर विचाराधीन है।

वैद्यों के पदों के लिए विज्ञापन निकाला जा चुका है, मेरिट लिस्ट बनाने की कार्यवाही जारी है।

हकीम एवं कल्पद धात्रियों के पदों के लिए निर्धारित योग्यता के आशार्थी उपलब्ध न होने के कारण पदों की पूर्ति नहीं हो सकी है। नियमों में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है।

कनिष्ठ लेखाकार पदों की पूर्ति मुख्य लेखाधिकारी द्वारा की जाती है।

भरतपुर शहर में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय

683. श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर):- क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भरतपुर शहर में पुराने बयाना बस स्टेण्ड के निकट एक राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय खोला है ? यदि हां, तो कब ?

(2) इस होम्योपैथिक चिकित्सालय का कुल मासिक व्यय वेतन भत्तों के रूप में कितना है और अब तक कुल कितनी धन-राशि इस मद में व्यय हो चुकी है ?

(3) इस चिकित्सालय को अब तक कितने रुपयों की औषधियां दी जा चुकी हैं ? यदि नहीं तो फिर इस चिकित्सालय के खोलने तथा स्टाफ के वेतन भत्तों पर हुए व्यय का क्या औचित्य है ?

(श्री काशीनाथ गुप्त)

(4) क्या राजस्थान में इस प्रकार के ऐसे अन्य चिकित्सालय भी हैं जहां जनता की चिकित्सा हेतु मुफ्त औषधियां नहीं दी जाती हैं ? यदि हां, तो कहां कहां ?

(5) क्या यह सही है कि ग्यारह महीनों से जब से यह चिकित्सालय खुला है, वहां कोई औषधि नहीं दी गई ? यदि हां तो ऐसा क्यों हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय दिनांक 30–12–1977 से प्रारम्भ हुआ है।

(2) स्टाफ के वेतन व भत्ते के रूप में प्रतिमाह रुपये 1275/– तथा माह फरवरी, 1979 तक कुल रुपये 17,935/– व्यय किए जा चुके हैं।

(3) औषधालय प्रारम्भ से अब तक रुपये 3939 6 की औषधियां औषधालय को भेजी जा चुकी हैं।

(4) जी नहीं। राज्य के सभी राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक/प्राकृतिक औषधालयों व चिकित्सालयों द्वारा औषधियां मुफ्त वितरित की जाती है।

(5) जी नहीं। औषधालय प्रारम्भ होने के पूर्व ही सर्वप्रथम औषधियां दिनांक 23–11–77 व 29–11–77 को भेज दी गई, इसके बाद पुनः दिनांक 16–3–78 को औषधियां भेजी गई। अभी-अभी दिनांक 16–3–79 को भी उक्त औषधालय को 1768·60 पैसे की औषधियां वितरित की गई हैं।

जिला चित्तौड़ में नारू रोग से ग्रसित गांव

684. **श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) :** क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ के कितने गांव ऐसे हैं जिनमें ग्रमीण नारू रोग से ग्रस्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन गांवों में से कितने गांवों को इस वर्ष हैण्ड पम्प अथवा दूसरी प्रकार से पानी की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का राज्य सरकार का विचार है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) त० बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ में मास्टर प्लान के अनुसार 25 ग्रामों में नारू रोग पाया जाता है। सूची संलग्न है।

(2) इन 25 ग्रामों में से ग्राम बेषी में पेय जल सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है एवं ग्राम बोराई की योजना वर्ष 78–79 में उक्त कथित नलकूप योजना के अन्तर्गत स्वीकृत करदी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

(54)

जिला बूंदी के फर्स्ट ग्रेड कम्पाउण्डरों के तबादले

685. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बूंदी में नवम्बर, 1978 से अब तक कम्पाउण्डर्स फर्स्ट ग्रेड के कितने ट्रान्सफर कब कब और कहां कहां किनके आदेशों से किये गये ? आदेशों की प्रति सूची सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बून्दी जिले में उक्त अवधि में किये गये स्थानान्तरण निरस्त किये गये हैं ? यदि हां, तो किन के आदेशों से कब कब ? आदेशों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्थानान्तरण में एक ही स्थान पर पांच वर्षों से अधिक समय कार्यरत कम्पाउन्डर के स्थानान्तरण किये गये थे ? यदि हां,तो वह निरस्त क्यों किये गये, किनके आदेशों से किये गये और ऐसे कितने केस हैं ?आदेशों की प्रतियां सूची सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जिला बूंदी में नवम्बर, 78 से आज तक कम्पाउण्डर्स, प्रथम के किए गए स्थानान्तरण आदेशों की प्रतियां तथा सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न के भाग 1 की सूची में अंकित है।

(3) जी हां निम्न कम्पाउण्डरों के स्थानान्तरण आदेश व जनता की मांग पर निरस्त किये गये थे।

स्थानान्तरण निरस्ती आदेश की प्रतियां संलग्न हैं।

नाम	कार्य करने की तिथि
1—श्री रामचन्द्र	10–7–71
2—श्री ओम नारायण माथुर	28–3–70

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बालकों के लिये पौष्टिक आहार की व्यवस्था

686. श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में कितने बालक 10 वर्ष तक की आयु के ऐसे हैं जिनको पौष्टिक भोजन नहीं मिलता ? राज्य सरकार ऐसे बालकों के लिये क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है और कब तक ?

उत्तर

राजस्थान में ऐसे 10 वर्ष तक की आयु के बालकों को जिनको पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, कोई अलग से गणना नहीं हुई व राज्य में चल रहे पोषाहार स्कीम की जानकारी इस प्रकार है :—

(चिकित्सा मंत्री)

जनकल्याण विभाग द्वारा संचालित पोषाहार कार्यक्रम

विशेष पोषाहार कार्यक्रम : यह शहरों में गन्दी बस्तियों व आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाता है।

1—शहरी क्षेत्र के लाभान्वित बालक-बालिकाओं की संख्या 1,51,000 है।

2—ग्रामीण प्रदिबासी क्षेत्र के लाभान्वित बालक बालिकाओं की संख्या 140;000।

(2) विश्व पोषाहार कार्यक्रम : यह भरतपुर एवं पाली जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रही है। जिससे 70,000 बालक बालिकाएं ग्राम बस्ती एवं स्लापाई महिलायें लाभ प्राप्त कर रही हैं।

(3) सम्भावित बाल विकास सेवा परियोजनाएं जिनकी संख्या 4 से जिनमें 6 वर्ष तक के 41,000 बालक बालिकाएं लाभान्वित हो रहे थे।

उपरोक्त जानकारी सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर प्रेषित की गई है।

सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा संचालित पोषहार कार्यक्रम

वर्तमान में चल रहे पोषाहार कार्यक्रम के द्वारा 5,70,000 अभी तिथी व स्तन महिलायें लाभान्वित हो रही है। भारत सरकार द्वारा एवं स्थान पर परियोजना का पुनरावलोकन कर प्राप्त किश्तों की संख्या बढ़ाई जाती रहती हैं। वर्ष 1978–79 में 63,000 मय लाभान्वितों को सम्मिलित किया गया है। सम्बंधित विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रत्येक लाभान्वित को 80 ग्राम। दोसा व गोरटीशाक बलन्द कोट दलिया एवं सात ग्राम तेल। सलाद आइल पौष्टिक आहार के रूप में दिया जाता है।

उपरोक्त पोषाहार कार्यक्रमों से हो रहे लाभान्वित चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी के द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान किया जाता है। विभाग द्वारा 85,000 लाभ संस्थाओं को संरक्षण प्रदान किया है।

महरौली गांव की डिस्पेन्सरी

687. **श्री हरलाल सिंह खर्रा** (श्री माधोपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरकार द्वारा सन् 1976 में महरौली ग्राम में डिस्पेन्सरी खोलने के आदेश दिये थे? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उपरोक्त आदेश होने बाद विभाग के निर्देशानुसार डिस्पेंसरी का भवन व डाक्टर व कम्पाउण्डर का क्वार्टर जनता द्वारा बना दिया गया था?

(3) क्या उसके बाद मौजूदा सरकार ने उक्त आदेश को निरस्त कर दिया था? यदि हां, तो कब और क्यों?

(4) क्या उपरोक्त डिस्पेंसरी खोलने

56

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

का राज्य सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 18 (15) एम0 पी0 एच0/77/ग्रु.प-2 दिनांक 21–4–77 द्वारा ग्राम महरोली में डिस्पेन्सरी स्वीकृत की थी।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार की नई नीति के अनुसार जो डिस्पेन्सरी नहीं खुली थीं उनको निरस्त करने के आदेश दिनांक 4 मार्च, 1978 को प्रसारित किए गए। भवन निर्माण की सूचना विभाग को नहीं थी।

(3) जी हां। राज्य सरकार की नवीन नीति के फलस्वरूप प्रत्येक पंचायत समिति में दो डिस्पेन्सरी एवं एक एडपोस्ट से अधिक होने के कारण एवं उक्त डिस्पेन्सरी के चालू न होने से राज्य सरकार के पत्र सं एफ 8 (15) एम0 पी0 एच0/77 दिनांक 4–3–78 द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

(4) जी हां।

योजनामद में समुचित प्रावधान होने पर।

चूरू जिले में डिस्पेन्सरीज व होस्पिटल्स

688 **श्री मेघराज पंवार (चूरू)** : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनता पार्टी का राज्य बनने के बाद राज्य सरकार ने चूरू जिले के गांवों में मंजूर शुदा किन किन स्थानों के हॉस्पिटल्स, डिस्पेन्सरीज तथा एड पोस्टों को रद्द करने के आदेश दिये हैं ? तहसीलवार गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) गत दो वर्षों में चूरू जिले के किन किन गांवों में नये एडपोस्ट, डिस्पेन्सरी एवं अस्पताल राज्य सरकार ने खोले हैं ? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार ने नये अस्पताल, डिस्पेन्सरी, तथा एडपोस्ट खोलने के लिये कोई नई नीति बनाई है ? यदि हाँ, तो प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) वर्ष 78–83 के योजना काल में प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में मौजूदा डिस्पेन्सरी सहित कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 4 डिस्पेन्सरी या एडपोस्ट, जिन्हें अब सहायक स्वास्थ्य केन्द्र कहा जाएगा, स्थापित करने का प्रस्ताव है। इनमें से जिस पंचायत समिति में इससे कम संस्थाएं कार्यरत हैं। पहले वहां नई संस्थाएं स्थापित की जायेंगी। इनके स्थानों का चयन जिला विकास समितियों द्वारा किया जाएगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

पंचायत समिति भिनाय हैड क्वार्टर पर डिस्पेन्सरी

689. **श्री रतन लाल वर्मा** (भिनाय): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति भिनाय की गोपला ग्राम गिरदावर हैड क्वार्टर व पंचायत मुख्यालय है यहां डिस्पेन्सरी कब तक खोल देंगे जब कि मकान भी तैयार है ?

(2) ग्राम पंचायत बांरोड़ा एवं फतेहगढ़ पंचायत समिति अराई में डिस्पेन्सरी कब तक खोल देंगे जबकि वहां डिस्पेन्सरी हेतु मकान बिलकुल तैयार है ?

उत्तर

(1) योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान होने पर ही डिस्पेंसरी खोलने के लिए विचार किया जाएगा ।

(2) योजना मद में समुचित प्रावधान होने पर ।

जयपुर जिले में लगाये जा रहे उद्योग

690. **श्री रामेश्वर दयाल यादव** (चौमू): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में कहां-कहां क्या क्या उद्योग लगाये जा रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जयपुर जिलान्तर्गत चौमू में कौन कौन से उद्योग लगाने के प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं ? अगर हां, तो कब तक लगाये जावेंगे ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या चौमू में गोंद मिल की स्थापना की संभावना है ? अगर हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में लगाये जा रहे उद्योगों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम चौमू में 400 तकुओं की एक वूलन यार्न मिल संयुक्त क्षेत्र में लगा रहा है। आशा है जनवरी/फरवरी, 1980 तक उत्पादन शुरू हो सकेगा। एवं चौमू क्षेत्र में लघु उद्योगों के सात प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। इसके अलावा जो उद्यमी किसी भी क्षेत्र में उद्योग लगाना चाहें तो उन्हें राज्य सरकार पूर्ण रूप से सहायता व अवसर देगी।

(3) जयपुर जिले के औद्योगिक सर्वेक्षण के आधार पर गोंद मिल की स्थापना की संभावना नहीं दर्शाई गई है। यदि कोई उपक्रमी गोंद मिल लगाना चाहे तो उसे विभाग द्वारा सभी सहायता एवं सुविधायें उपलब्ध कराई जावेंगी

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बोरा बैंकिंग में कोयला तथा स्टीम का आयात

691. **श्री गुरुशरण छाबड़ा** (सूरतगढ़) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री गंगानगर जिले में वर्ष 1978 में बोरा बैंकिंग में कितने टन कोयला स्लैक तथा स्टीम कहां से तथा किसकी अनुमति से आयात हुआ ? फिर किस किस रेल्वे स्टेशन पर यह कितना कितना आया ?

(2) यदि यह कोयला बिना अनुमति के लाया गया तो राज्य सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) इस आशय की जानकारी विभाग को नहीं है क्योंकि बोरा बैंकिंग से कोयला लाने के लिए इस विभाग द्वारा कोई स्वीकृति जारी नहीं की जाती तथा न ही स्पोन्सर किया जाता है।

(2) बोरों में भरकर कोयला लाने पर कोई पाबन्दी नहीं है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

बूंदी जिले का औद्योगिक क्षेत्र

692. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बूंदी जिले में कुछ स्थान औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर रखे हैं ? यदि हां, तो कितने और कौन कौन से ?

(2) क्या बून्दी जिले में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने रकम खर्च की है ? यदि हां, तो कितनी, और अब तक घोषित किये औद्योगिक क्षेत्र में क्या प्रगति हुई ?

(3) क्या अब तक औद्योगिक क्षेत्र जो राज्य सरकार ने घोषित किये हैं उन पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और राज्य सरकार का पैसा एवं समय बर्बाद किया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) बून्दी जिले में राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम के माध्यम से तीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये हैं वे निम्न प्रकार हैं:—

(1) बून्दी बाईपास रोड
(2) बून्दी चित्तौड़ रोड
(3) बून्दी नैनवा रोड

बून्दी जिले में औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने के लिये कुल 9-04 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। क्षेत्रवार किये गये व्यय एवं प्रगति निम्नानुसार है:—

(1) बून्दी बाईपास रोड 3-25 लाख
(2) बून्दी चित्तौड़गढ़ रोड 2-15लाख
(3) बून्दी नैनवा रोड 3-66 लाख

(उद्योग मंत्री)

(2) इन तीनों क्षेत्रों में राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा सभी आधारभूत सुविधाऐं प्रदान कर दी गई हैं एवं क्षेत्र का पूर्ण रूपेण विकास कर दिया गया है। बून्दी बाई पास रोड में सभी भूखण्ड आंवटित कर दिये गये हैं। जिनमें से 10 भूखण्डों पर उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो गया है एवं 49 भूखण्डों पर निर्माण चल रहा है। बून्दी चित्तौड़ रोड पर सभी 18 भूखण्ड आवंटित कर दिये गये हैं जिनमें 2 भूखण्डों पर उत्पादन कार्य चल रहा है। बून्दी नैनवा रोड औद्योगिक क्षेत्र में 24 भूखण्ड आयोजित किये गये हैं जिनमें से 14 भूखण्ड आंवटित हैं एवं 10 भूखण्ड आंवटन हेतु उपलब्ध हैं। दो भूखण्डों पर उत्पादन कार्य चल रहा है।

(3) बून्दी जिले के तीनों औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण रूप से विकसित है और इन क्षेत्रों के उद्यमियों को निगम द्वारा सभी आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य सरकार या विभाग के पास ऐसी कोई दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त नहीं है। अगर होगी तो आवश्यक जांच व कार्यवाही की जावेगी।

वन विभाग बूंदी द्वारा किराये पर लिये ट्रक

693. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सन् 1977 में वन विभाग बूंदी द्वारा ट्रक नं. आर. जे. आर. 6892 एवं ट्रेक्टर नं. आर.जे. जी. 1832 किराये पर लिये गये थे? यदि हां, तो किस कार्य के लिये और किस तारीख से कितनी अवधि के लिए ?

(2) उक्त किराये पर लिये गये वाहनों का किराया प्रतिदिन किस दर पर लिया गया था तथा कुल कितनी राशि का भुगतान किसको और कब किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। इन वाहनों द्वारा जबदा प्लान्टेशन पर दिनांक 22-7-77 से 20-8-77 के मध्य पौधे ढुलवाये गये।

(2) उक्त किराये पर लिये गये वाहनों का किराया प्रतिदिन की दर पर तय नहीं किया गया था और अभी तक इसका कोई भुगतान नहीं किया गया है।

नहर पर कार्य करने वाले मजदूरों की झौंपड़ियों का मामला

694. **श्री गुरुशरण छाबड़ा** (सूरतगढ़) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नहर पर कार्य करने वाले मजदूरों की झौंपड़ियों के लिए पीली ईंट प्रयोग करने हेतु दी जाती है ?

(2) यदि हां, तो वर्ष 1978 में कितनी-कितनी ईंट किस किस भट्टे से किस-किस बुर्जी पर व शाखाओं की बुर्जी पर दी गई ?

(3) इन पीली ईंटों की ढुलाई पर भट्टे से लेकर बुर्जियों तक कितना कितना खर्च आया ?

(60)

उत्तर

(1) राजस्थान नहर परियोजना संगठन में विभाग द्वारा मजदूरों को झोंपड़ी बनाने के लिये ईंट देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) प्रश्न के भाग—1 के उत्तर के अनुसार यह सूचना "शून्य" समझी जावे।

(3) उपरोक्त दिये उत्तर के अनुसार यह सूचना भी "शून्य" समझी जावे।

जे. एम. डी. एस. द्वारा चलाई जा रही स्टोन फैक्ट्री

605. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा), श्री हरसहाय मीणा (लालसोट), श्री शिवराज सिंह (बस्सी), श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दौसा में जे. एम. डी. एस. द्वारा सोप स्टोन फैक्ट्री स्थापित कर चलाई जा रही है ?

(2) क्या इस फैक्ट्री में मजदूरों का शोषण कर मालिक द्वारा इन्हें परेशान किया जा रहा है ?

(3) क्या दौसा की सोप स्टोन फैक्ट्री इसलिये बन्द की गई है कि यहां के मजदूरों ने अपनी बकाया तनख्वाह व महंगाई भत्ते की मांग की थी ? यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये ?

(4) क्या धारा 25 एफ. एफ. ए. औद्योगिक विभाग अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग बन्द करने से पहले इनके मालिकों द्वारा विस्तृत कारण राज्य सरकार को बताने आवश्यक हैं ? क्या इस मामले में मालिक ने विस्तृत कारण नहीं बताये और न हिसाब किताब बताया ? यदि हां, तो इस कानून के उल्लंघन पर राज्य सरकार ने मालिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(5) क्या राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रुचि दिखाने पर भी श्रम आयुक्त श्री ब्रिजेन्द्र सिंह द्वारा श्रमिकों से वाजिब अधिकार व मांग के प्रति उदासीनता बरती गई ? यदि नहीं, तो कैसे ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने श्रम आयुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

(6) क्या जे. एम. डी. एस. की सोप स्टोन फैक्ट्री के मालिकों द्वारा दी गई औद्योगिक तालाबन्दी की कार्यवाही के बाबत सहायक श्रम आयुक्त द्वारा श्रम आयुक्त को फेलियर रिपोर्ट पेश की गई ! यदि हां, तो कब और इस पर श्रम आयुक्त ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

(7) क्या यह सही है कि राज्य सरकार राज्य में औद्योगीकरण के लिये कटिबद्ध है?

उत्तर

(1) जी हां। पहले चलती थी। अब यह दिनांक 9 सितम्बर, 78 से बन्द कर दी गई है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी नहीं। व्यवस्थापक ने फैक्ट्री

(श्रम मन्त्री)

को बन्द करने का कारण लगातार आर्थिक कठिनाइयों के कारण फैक्ट्री को भविष्य में चलाना सम्भव नहीं होना बताया है। श्रमिकों ने बकाया तनख्वाह व मंहगाई भत्ते की मांग 1.7.78 को अवश्य प्रस्तुत की थी जिसका समझौता न करने के कारण 105 श्रमिकों ने वेतन भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत दावे प्रस्तुत कर दिये हैं। नियोजक द्वारा अदालत में सूचित किया गया है कि वे बकाया वेतन आदि का भुगतान करने को तैयार हैं। उपरोक्त 105 श्रमिकों में से 24 श्रमिकों द्वारा भुगतान ले लिया गया है।

(4) जी हां। व्यवस्थापक ने उद्योग बन्द करने का कारण बताया है। जिसके अनुसार निरन्तर आर्थिक कठिनाइयों के कारण इसे चलाने में असमर्थता व्यक्त की गई। हिसाब बताने का इस नियम में कोई प्रावधान नहीं है। अतः कानून का उल्लंघन न होने के कारण कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(5) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(6) जी नहीं। कारखाना के बन्द करने के नोटिस पर समझौता वार्ता असफल प्रतिवेदन राज्य सरकार को कार्यालय पत्र संख्या 8519 दिनांक 29.8.78 को प्रेषित कर दिया गया था तथा राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना क्रमांक प. 1(1)(317) स.नि./78 दिनांक 23 सितम्बर, 1978 को विवाद को न्यायालय को प्रस्तुत भी कर दिया है।

(7) जी हां।

राजस्थान नहर की कच्ची खुदाई में पानी देने की योजना

696. श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर): क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व गंगनहर की तरह राजस्थान नहर की कच्ची खुदाई में पानी देने की योजना रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त स्थान की नहरों की तरह कच्ची नहर की खुदाई में पानी छोड़ने से नहर निर्माण शीघ्र होगा या वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पक्की नालियों व नहर की ईंटों की बंधाई से?

(3) क्या राजस्थान नहर जैसलमेर क्षेत्र के कमाण्ड एरिया में ए.सी. का आफिस इस वर्ष कायम किया जाएगा? यदि हां, तो उक्त अधिकारियों का मुख्यालय जैसलमेर क्षेत्र में रहेगा अथवा दूसरे जिलों में स्थापित किया जायेगा?

(4) क्या नाचना क्षेत्र में उपनिवेशन कार्यालय इस वर्ष स्थापित किया जायेगा? जिसकी कुछ वर्ष पूर्व योजना थी? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) नाचना, मोहनगढ़, रामगढ़ क्षेत्रों में फीडर नहर किन किन वर्षों में पूरी कर दी जायेगी?

(6) इस वर्ष जैसलमेर क्षेत्र में मुख्य

(62)

(श्री किशनसिंह भाटी)

नहर की खुदाई का कार्य कितने मील तक किया गया व उसमें कितनी राशि व्यय की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान नहर को पक्का बनाना स्वीकृत किया गया है जिससे रिसाव द्वारा कम से कम पानी नष्ट हो।

(2) चूंकि नहर पक्की बननी है अतः कच्ची नहर में पानी चलाना और फिर उसे पक्का करना तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं है। अतः कच्ची नहर बनाकर पानी छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) इस प्रकार का प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

(4) जी हाँ। अगले वर्ष तक स्थापित किया जायेगा।

(5) नाचना मोहनगढ़, रामगढ़, क्षेत्रों में राजस्थान नहर क्रमशः वर्ष 1982-83, 1983-84 व 1985-86 में पूरी करने का प्रस्ताव है।

(6) इस वर्ष जैसलमेर क्षेत्र में नहर की खुदाई का कोई कार्य नहीं किया गया अतः व्यय का प्रश्न नहीं उठता।

समिति का गठन
वित्तीय समितियों से नाम वापसी का समय

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि जांच के पश्चात् जन लेखा समिति 1979--80, प्राक्कलन समिति 1979-80 तथा राजकीय उपक्रम समिति 1979-80 के लिये वैध पाये गये नामज़दगी के पत्रों की सूची विधान सभा सचिवालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई है।

माननीय सदस्य इसका अवलोकन कर सकते हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, मनोनयन वापस लेने की तिथि 27 मार्च, 1979 के पूर्वाह्न 11.00 बजे से मध्याह्नोत्तर 4-00 बजे तक नियत की गई है।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम लालपुर जिला झुंझुनू के दो निवासियों को विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर दिल्ली के कुछ व्यक्तियों द्वारा नकली वीसा देने के कारण उनको वापस लाने पर कुछ खर्च की वसूली भारत सरकार द्वारा की जाने के विषय में।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(2) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जालौर में बिजली की सप्लाई बन्द हो जाने के कारण रबी की की फसलों को हुए नुकसान के विषय में।

(3) श्री रामकरणसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से अन्त्योदय परिवारों के नवयुवकों को नौकरी व ऋण नहीं प्रदान किए जाने के विषय में।

(4) सर्व श्री शंकरलाल, शिवचरण सिंह व रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के अन्य पिछड़े

(श्री अध्यक्ष)

वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण न देने के कारण हो रहे प्रदर्शन के विषय में।

(5) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य, विधान सभा की ओर से महाराजा श्री उम्मेद मिल्स, पाली के हड़ताली मजदूरों पर 9 महीनों बाद अदालतों में चालान किये जाने के विषय में।

इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास सूचनार्थ भेजा जा रहा है और मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री ईश्वरचन्द्र : इनको दो मिनट भी बोलने की मन्जूरी न दी जाये।

श्री अध्यक्ष। (6) श्री रामकृष्ण दास, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा 1978 में लिए गये प्री-मेडिकल टेस्ट में सफल घोषित होने पर भी कुछ छात्रों को प्रवेश न देने के विषय में। सदन में कल इसी विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जावेगा, जिसकी चर्चा में माननीय सदस्य भी भाग ले सकते हैं। अत: मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष जी, आपकी मार्फत जालौर जिले में बिजली की सप्लाई बन्द हो जाने की ओर माननीय बिजली मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिला जालौर में, सिरोही में, भीनमाल में 132 और 33 के. वी. की लाइन हैं परन्तु पिछले कई दिनों से बिजली सप्लाई घण्टों तक बन्द रहती है। दिन में तो बिजली की सप्लाई आती ही नहीं है और रात के समय कभी-कभी आती है। उससे काश्तकार, जिनके पावर कनेक्शन लगे हुए हैं, को रबी की फसल को पानी पिलाई में बड़ी भारी कठिनाई हो रही है। यह कार्यक्रम पिछले डेढ़ महीने से चल रहा है। अब फसल पकने को आ रही है। कई काश्तकारों के तार प्राप्त हुए हैं। अगर 10,15 दिन में सप्लाई नहीं हुई तो जिनके बेरों पर कनेक्शन हैं उनकी फसलें जल जायेंगी। पहले ही खरीफ फसल काफी नष्ट हो चुकी है। अकाल स्थिति घोषित की जा चुकी है। रबी की फसल जल रही है। माननीय विद्युत मन्त्री जी, जालौर, भीनमाल, जहां-जहां भी पावर कनेक्शन हैं, वहां से आप कृपया रिपोर्ट प्राप्त करें। अनियमित रूप से बिजली की सप्लाई क्यों की जा रही है और बिजली बन्द क्यों हो रही है? दिन भर और कभी रात भर बिजली की सप्लाई बन्द रहती है। लोगों में बेचैनी फैली हुई है। जिनके पम्पिंग सेट लगे हुए हैं उनको तेल नहीं मिलता। वे पानी की सप्लाई किस तरह से करें। विद्युत मन्त्री जी, आप इस ओर ध्यान दें, लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करें और बिजली की सप्लाई को 15, 20 दिन तक नियमित कर दें। ताकि रबी की फसलें पक सकें। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा आपके पास सूचना है या प्राप्त करेंगे।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी बिजली के सिलसिले में मैंने परसों कहा था। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसी सम्बन्ध में जोधसिंह और और लखुराम 21 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मैं आज ही वहां से आया

(श्री नवरंगसिंह)

हूं। बिजली मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि बिजली की स्थिति सुधर जायेगी लेकिन मैं निवेदन करूं कि बिजली की स्थिति सुधरी नहीं है। करीब 5 हजार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बिजली मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं उनकी हालत को देखें। आपने जो आश्वासन दिया है कि वहां बिजली ठीक तरह से आयेगी, विद्युत मन्त्री जी इस बात पर विशेष ध्यान देकर उसकी व्यवस्था करें और सदन को इस बारे में आश्वस्त करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो पहले गलत बिजली के बिल जारी कर दिए थे, उन लोगों को भी बिजली विभाग जान बूझकर सप्लाई नहीं दे रहा है। इस बारे में भी रिपोर्ट प्राप्त करें।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पिछड़े वर्ग के लिए शासन की तरफ से ....

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप आश्वासन तो दे दीजिए कि इसका इन्तजाम कर देंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सिंचाई मंत्री) : मैं जानकारी कर लेता हूं।

श्री नवरंग सिंह : नवलगढ़ के बारे में माननीय मन्त्री महोदय बताएं। आश्वासन दिया था, जो व्यक्ति आमरण अनशन पर हैं........

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जालोर के विषय में पूरी जानकारी कर लूंगा। किसान को पिलाई के समय प्रायोरिटी दे रहे हैं। ऐसे आदेश प्रसारित कर दिये हैं। नवलगढ़ के बारे में मैंने बात की थी। शायद बहुत पहले से निर्णय कर रखा था, वहां भी व्यवस्था कर दी गई है। और देख लेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पावर बन्द होने से कटौती तो नहीं की है!

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पावर आ गई है।

(व्यवधान)

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी निवेदन किया था फसल के लिये हाई टाइम चल रहा है। मैं पुनः निवेदन करूंगा इस मैटर को सीरियसली लें। चाहे और जगह पावर कट करनी पड़े लेकिन किसानों के लिये इस समय माकूल व्यवस्था करें बिजली की। This is not a political matter.

श्री अयूब खां (तिजारा) : क्या मन्त्री महोदय अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करेंगे?

श्री शंकर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी मंत्री जी से कहते कहते दो वर्ष हो गये अभी तक कार्यवाही नहीं की गई।

एक माननीय सदस्य : तीन वर्ष और लग जायेंगे।

श्री शंकर लाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पिछड़ी जातियों के तत्वावधान में आज एक प्रदर्शन होने जा रहा है। सरकारी नौकरियों में उचित आरक्षण नहीं देने के कारण आज प्रदर्शन हो रहा है। उसका एक स्थगन प्रस्ताव मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। आज सदन के नेता महोदय यहां नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि सदन के उप नेता और अन्य माननीय मंत्री महोदय इस मसले की तरफ गौर करेंगे और जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में 15(4) और 16(4) है उनमें पिछड़ी हुई जातियों के लिये प्रावधान है। जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर से पिछड़ी हुई जातियां हैं उन्हें नौकरियों में आरक्षण देने के लिये है, जो कि राज्य का अधिकार क्षेत्र है। बहुत सी जगह, हिन्दुस्तान में दक्षिणी प्रान्तों में, केरल में, कर्नाटक में, आन्ध्र प्रदेश में, तमिलनाडू में और भी कई जगह आरक्षण पहले से ही दिया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार बनने पर यह घोषणा की थी और घोषणा पत्र में भी यह एलान किया था कि पिछड़े हुए वर्गों को 33 प्रतिशत सरकारी नौकरियों में आरक्षण देंगे उसी वायदे के अनुसार जनता पार्टी की सरकार पदासीन हो गई। अब उस जनता पार्टी की सरकार ने उस वायदे को भुला दिया है। राजस्थान के अतिरिक्त दूसरी सरकारों ने बिहार में 26 प्रतिशत आरक्षण दिया, 20 प्रतिशत तो इनको और तीन प्रतिशत महिलाओं को और तीन प्रतिशत उच्च वर्ग को जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। 15 प्रतिशत आरक्षण यू० पी० की सरकार ने दिया है लेकिन राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद अपने वायदे को पूरा नहीं किया। जब राजस्थान सरकार के समक्ष यह मसला आया तो जोधपुर में श्रम मंत्री प्रोफेसर केदार जी ने आश्वासन दिया था कि मन्त्रिमण्डल की बैठक होगी, उसमें इस पर विचार होगा। 17 जुलाई को पिछड़ी जातियों के महा संघ के अध्यक्ष और डेपूटेशन में हम लोग भी माननीय मुख्य मन्त्री जी से सेक्रेटेरियेट में उनके कक्ष में मिले तो उस समय बड़ी उदारतापूर्वक कहा था कि मैं आरक्षण देने के मसले पर विचार करूंगा। उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य में जो सूची बनी हुई है, उसमें भी संशोधन किया जायगा। लेकिन हमें खेद है जुलाई से अब तक 8 महीने बीत जाने के बाद भी राजस्थान सरकार के द्वारा न तो आरक्षण के बारे में कोई विचार ही हुआ है और न कोई घोषणा ही हुई है।

अध्यक्ष महोदय, 23 मार्च को दिल्ली में पिछड़े हुए वर्गों की एक रैली हुई थी। रामदेव सिंह, एम.पी. और जगजीवन राम जी ने उनको सम्बोधित किया था। आज मैं आपकी और सदन की जानकारी के लिए निवेदन करूं, आज प्रदर्शन हो रहा है, राजस्थान के पिछड़े वर्गों के द्वारा, रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं और विधान सभा के सामने प्रदर्शन के लिए आने वाले हैं,

(श्री शंकरलाल)

इसमें श्री रामदेवसिंह जी भी शामिल हैं और बाहर के नेता भी आये हैं। यह समानाधिकार का प्रश्न है इसके लिए सरकार चुप क्यों है। मैं समझता हूं उपनेता महोदय जवाब देंगे। इसके बारे में कई दफा चर्चा हुई है और केवल आश्वासन दे दिया गया है।

सरकारी नौकरियों में आरक्षण के अलावा शिक्षा के क्षेत्र के बारे में जब मैंने प्रश्न किया था तब भी आधे घण्टे की चर्चा हुई थी, मैं आज समाज कल्याण मन्त्री महोदया श्रीमती विद्या पाठक से,निवेदन करूंगा, उन्होंने यह कहा था कि इन पिछड़े वर्गों से ट्यूशन फीस नहीं ली जायेगी। इस प्रकार की घोषणा के बावजूद केवल नीचे के स्तर पर प्राइमरी, मिडिल और सैकण्डरी स्कूल तक तो इसकी पालना हो रही है लेकिन उच्च शिक्षाओं में इसकी अनुपालना नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत जो सदन के उपनेता महोदय हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस मसले को गम्भीर रूप से देखें। जो आपने वायदे किये थे, जिनके अनुसार आपने वोट प्राप्त किये थे उन वायदों को पूरा करें। इन पिछड़ी हुई जातियों की संख्या 40 से 50 प्रतिशत है जिसमें लुहार, खाती, नाई, भाट, राजपूत, ठठेरे, तेली आदि हैं और छोटे-छोटे लोग हैं, माली भी हैं, कई प्रकार की जिनकी लिस्ट है जिसको मैं कल पेश कर चुका हूं। वह आपकी सरकार के द्वारा प्रकाशित की हुई है। इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए आपने अभी तक राजस्थान में विचार नहीं किया। जब बिहार के अन्दर आरक्षण का विरोध हुआ था तो वहां के मुख्य मन्त्री कर्पूरी ठाकुर ने केन्द्रीय सरकार के सामने इस तर्क को रखा कि बिहार के अन्दर पचास प्रतिशत से ज्यादा शिड्यूल्ड कास्ट्स और अन्य पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स के24 प्रतिशत हैं और अन्य पिछड़े हुए वर्ग को मिलाकर पचास प्रतिशत से ज्यादा हो जाते हैं। मैंने 26 और 24 प्रतिशत को मिलाकर पचास प्रतिशत आरक्षण के लिए रखा है तो पीछे की जनसंख्या चालीस प्रतिशत से भी कम रह जाती है, उनके लिए पचास प्रतिशत रखा है तो मैंने इसमें कौनसा बुरा काम किया है। उनका तर्क जनता पार्टी की केन्द्र सरकार ने माना है और बिहार के अन्दर आरक्षण का इतना विरोध होने के बावजूद लागू किया गया है। यहां राजस्थान के अन्दर इसका कोई विरोध नहीं है। सब लोग कहते हैं कि नौकरियों

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

में आरक्षण होना चाहिए, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण होना चाहिये। आप उनको अपने घोषणा-पत्र के अनुसार भी अन्य सुविधायें दें। आज हजारों आदमी ही नहीं बल्कि लाखों आदमी आपके सामने आकर यहां पर प्रदर्शन करेंगे, आपका घेराव करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपने घोषणा पत्र में यह वायदा नहीं किया कि अन्य पिछड़े हुए वर्ग के लोगों को 33 प्रतिशत नौकरियों में आरक्षण देंगे? अगर आपने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया है तो क्यों नहीं पूरा किया जाता है? दो साल का समय व्यतीत हो गया है फिर भी क्यों नहीं अपने वायदे को पूरा करते

(श्री शंकरलाल)

हैं ? इसके बारे में आज आपको जवाब देना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इसके बारे में कि आज राजस्थान का शोषित वर्ग, प्रदेश का पिछड़ा हुआ वर्ग सहन नहीं करेगा। हमारे काका कालेलकर की रिपोर्ट में प्रत्येक प्रान्त के अनुसार सूची है उसका अन्य प्रान्तों में कई जगह पालन किया गया है। इसलिए केन्द्रीय सरकार ने बी. पी. मण्डल की अध्यक्षता में जो आयोग बिठाया है, उसके अनुसार तो जो हेरा-फेरी होनी होगी तब होगी लेकिन जब तक यह नहीं होता है, आपके पास जो सूची है, राजस्थान सरकार के पास जो सूची है अन्य पिछड़ी हुई जातियों की, उसके अनुसार आप अमल क्यों नहीं करते हैं, आरक्षण क्यों नहीं देते हैं ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके संविधान के अन्दर इसको स्वीकार नहीं किया गया है, क्या संविधान में प्रावधान नहीं है, क्या आप यह स्वीकार नहीं करते हैं कि आपके घोषणा पत्र में यह बात लिखी हुई थी, क्या आप यह स्वीकार नहीं करेंगे कि आपकी जनता पार्टी ने इस बात को स्वीकार किया था। आज आप पर यह आरोप लगाते हैं कि राजस्थान की यह सरकार है, यह सामन्तों और पूंजीपतियों की सरकार है जो अन्य पिछड़े हुए वर्गों की उन्नति नहीं चाहती। आप देखिए कि इन जातियों के लोग आपकी नौकरियों में कितने हैं ? अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक बात कही जा सकती है कि हम जातिवाद के नाम पर आरक्षण की बात को नहीं करना चाहते। यह बात भी कह सकते हैं कि तुम जातिवाद की बात करते हैं लेकिन आपकी पार्टी के घोषणा पत्र में यह है, संविधान में यह है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को ऊपर उठाने की बात है। आज राजस्थान में हालत ऐसी है, पहले कांग्रेस के राज में जिस प्रकार से होता था आज भी वही स्थिति बरकरार है। पहले यह स्थिति दूसरों के बल पर थी और आज दूसरों के बल पर है। इन छोटी-छोटी जातियों के लोगों को कौन पूछता है ? इसलिए अगर आपने अपने घोषणा पत्र के अन्दर वायदा किया था उसको पूरा नहीं किया तो आपको लोग बख्शने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो सवाल उठाया है और जिसका समर्थन शिवचरणसिंह जी और माननीय रामनारायण जी करने वाले हैं, उसके बारे में आप जवाब दें।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय दो मिनट मुझे दे दें।

(व्यवधान)

मैं आपका समर्थन ही कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी के घोषणा पत्र में........

श्री रामनारायण चौधरी : सरकार अपना जवाब अपने आप दे देगी। आप बाद में कह लेना।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों का पालन करें। कृपया यह स्थगन प्रस्ताव है, इस पर आप चर्चा कैसे करेंगे। आपका नाम नहीं है इसमें।

(68)

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले यह सवाल आया था उसका मुख्य मन्त्री जी ने सही उत्तर नहीं दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकारी नीति पर........

श्री अध्यक्ष : पहले रामनारायण जी को सुन लीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : Don't try to take time.

अध्यक्ष महोदय, हमने आपकी सेवा में राजस्थान सरकार द्वारा पिछड़ी हुई जातियों को आज सरकारी नौकरियों में और दूसरे संस्थानों में और औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का संरक्षण और सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है, इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आज, मान्यवर, पिछड़ी हुई जातियों की स्थिति तो अनुसूचित जाति और जनजाति से किसी भी सूरत में अच्छी नहीं है। बल्कि मैं आपको निवेदन कर सकता हूं कि कुछ पिछड़ी हुई जातियां तो ऐसी हैं, मान्यवर, कि जिनका सामाजिक जीवन, सामाजिक स्तर हमारे समाज के अन्दर उनकी प्रतिष्ठा, अनुसूचित जन जाति और अनुसूचित जाति के लोगों से भी उनकी स्थिति बहुत मायनों में कम है। उदाहरण के तौर पर दरोगा जाति है। मान्यवर, दरोगा जाति पुराने जमाने की एक व्यवस्था के साथ लगी हुई जाति है लेकिन जिस प्रकार का सामाजिक जीवन इनको व्यतीत करना पड़ता था उसकी वजह से आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ गए थे। उनको कभी भी सरकार की तरफ से संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ और आगे भी जब तक सरकार की तरफ से संरक्षण प्राप्त नहीं होगा इस प्रकार की जाति ऊपर उठ नहीं सकती। एक मायने में, मान्यवर, यह पिछड़ी हुई जातियां भी अछूतों की परिभाषा में आती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ जातियां ऐसी हैं जिनसे, सवर्ण जाति के, उच्च वर्ग के लोग न तो उनके हाथ का पानी पीते हैं और उनके हाथ का बनाया हुआ खाना खाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इस प्रकार की सामाजिक विसंगतियां, इस प्रकार का भेदभाव इनके साथ है। सामाजिक तौर पर इस मुल्क में और प्रदेश के अन्दर, मान्यवर, जब तक हम इन जातियों को ऊंचा नहीं उठायेंगे राजकीय संरक्षण के द्वारा, सरकार की मदद से तब तक ये जातियां सामाजिक तौर पर ठीक प्रकार से प्रतिष्ठा के साथ और स्वाभिमान के साथ जिन्दा नहीं रह सकती हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि जैसे माली जाति है। माली जाति को पिछड़ी जाति में शामिल नहीं किया गया है। राजस्थान के अन्दर गूजर बहुत बड़ी जाति है। लेकिन, मान्यवर, गूजरों के लिए कुछ इलाकों में उनकी हालत को ठीक कह सकते हैं और कह सकते हैं कि इनको पिछड़ी हुई जाति मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं, मान्यवर, वहां पर आज अजमेर में मैंने देखा है, भीलवाड़ा में मैंने देखा है। भीलवाड़ा के अन्दर मैं गया था बनेड़ा के चुनाव के मौके पर। गूजर जाति यद्यपि आज पिछड़ी हुई जाति में शामिल नहीं है लेकिन उनका रहन सहन वही पुराने तरीके का है। छः छः महीने के बच्चे, दो दो महीने के बच्चे, 15-15 दिन के बच्चे-बच्चियों की शादियां इस जाति में होती हैं

(श्री रामनारायण चौधरी)

और इतने भयंकर रूप से आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इसी प्रकार से पुराने जमाने के अन्दर अजमेर मेरवाड़ा में ब्रिटिश शासन काल के अन्दर जाट जाति भी पिछड़ी हुई जाति थी गूजर और दूसरे क्षेत्रों में अहीर भी हैं। मैं मानता हूं कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो आगे बढ़े हुए हैं, एडवांस हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बहुत पिछड़े हुए हैं। जैसे पाली जिला है वहां पर वालिये हैं। इनके हाथ का पानी सवर्ण जाति के लोग नहीं पी सकते। इसी तरह से एक जाति डाकोत है। डाकोत वह जाति है, मान्यवर, जो सामाजिक दृष्टि से हमारे में अनादिकाल से वैसे भी उनका काम काफी कुछ वही रहा है लेकिन आज उनकी सामाजिक स्थिति यह है कि यदि इस जाति का व्यक्ति सामने आता हुआ मिल जाय तो उच्च जाति के लोग माथे के ऊपर मुक्का मारते हैं कि सुबह सुबह यह कहां मिल गया। इस प्रकार की जातियों को जब तक सरकार संरक्षण नहीं देगी, उनको ऊंचा नहीं उठायेगी तब तक ये ऊंचा नहीं उठ सकती हैं। आज इस प्रकार की जातियों का प्रतिशत राजस्थान में पचास प्रतिशत है तो पचास प्रतिशत लोग पिछड़े हुए हैं। आज सम्पूर्ण राजस्थान के अन्दर, मान्यवर, पांच प्रतिशत लोग शासन करते हैं। आज क्या कारण है कि एक आई. ए. एस. का लड़का आई. ए. एस. बनता है, आज एक आई. पी. एस. का लड़का आई. पी. एस. बनता है या आई. ए. एस. में जाता है और वह अगर आई. ए. एस. नहीं बनता तो डाक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है लेकिन इनके बच्चों को पढ़ाने की न कोई व्यवस्था है, न नौकरियों के लिए कोई व्यवस्था है, न इनको जमीनें प्रिफरेंस से मिलती हैं, न इन छोटे लोगों को उद्योगों में कोई प्रिफरेंस मिलता है। तो जब तक सरकार की तरफ से संरक्षण जिस प्रकार से होना चाहिए वह नहीं होता है तो ये कैसे ऊपर उठ सकेंगी यह विचारणीय विषय है। इस पर विचार करके योजना बनाई जानी चाहिए और योजना बना करके इन लोगों को संरक्षण देना चाहिए ताकि समाज के अन्दर, प्रदेश और देश के अन्दर स्वाभिमान के साथ, इज्जत के साथ ये अपना जीवन व्यतीत कर सकें, मुख्य धारा में शामिल हो सकें। देश और प्रदेश की प्रगति में हिस्सा बंटा सकें। आज, मान्यवर, इन जातियों के लड़कों को मिनिमम प्रतिशत शिक्षा का नहीं मिलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो पिछड़ी हुई जातियां हैं जिनमें कुम्हार हैं, माली हैं, रेबारी हैं, रावत हैं, डाकोत हैं, दर्जी हैं, ये छोटी छोटी कोमें हैं, बढ़ई हैं, खाती हैं, कुम्हार हैं, इन जातियों के अन्दर सबसे कम शिक्षा गांवों में है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जनता पार्टी का मेनीफेस्टो या कि व्यापारियों के लिए सैल टैक्स माफ कर देंगे, तमाम पिछड़ी जातियों को आरक्षण देंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। आज दो वर्ष के शासन में जनता पार्टी ने अपना मेनीफेस्टो जो जनता के सामने रखा उसके अनुसार क्या किया है, कौन से काम किये हैं? इतनी महत्वपूर्ण बात पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछड़ी जातियों के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मान्यवर, शिक्षा में, नौकरियों में, लघु उद्योगों में, कुटीर उद्योगों में, जमीन तो बहुत कम है,

(श्री रामनारायण चौधरी)

अधिकांश बांटी जा चुकी है, तो इसमें जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक ये आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से आगे नहीं बढ़ सकते । इसलिए यह जरूरी है कि सरकार ने जो वादा किया था जो हमारे प्रदेश में यह भेदभाव है उसको दूर करें । आज अगर किसी भी गांव, किसी भी वार्ड, मोहल्ले में कोई अत्याचार हो तो सबसे पहले सवर्ण जाति, बहुमत जाति द्वारा सबसे पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग आयेंगे । अभी नवज्योति में मैंने पढ़ा शिवगंज क्षेत्र में किस प्रकार लोग परेशान कर रहे हैं इनको, और महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है और उनको आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से जीवन यापन की कठिनाइयां हो रही हैं । इनकी आज सीना बान्ध कर, गांव में खड़े होकर यह कहने की भी हिम्मत नहीं है कि लोग कैसे इन पर अत्याचार कर रहे हैं । इसलिये सबसे पहले इनको स्टेट की तरफ से आरक्षण मिलना चाहिए जिससे ये भी दूसरे नागरिकों के समान बराबर होकर, देश की मुख्य धारा में शामिल होकर देश की प्रगति के साथ शामिल हो सकें । माध्यवर, जिनको न तो सवर्ण लोगों के साथ जीने का अधिकार है, न सवर्ण लोगों के साथ सिर उठाकर गांवों में निकल सकते हैं । अगर इस तरह की विडम्बना समाज में रहेगी तो कमजोर व्यक्ति समाज में सिर उठा कर खड़े नहीं हो सकते जिसके कारण देश के विकास में वे साथ नहीं दे सकते ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए मैं चाहूंगा कि ये घोषणा करें अपनी नीति के सम्बन्ध में कि क्या नीति है इनकी ? तमिलनाडु, केरल, यू. पी. और बिहार में आप चले जाइये लेकिन मान्यवर, सरकार ने एक ही रट लगा रखी है कि 30 साल में हमने क्या किया । हमने तो इनकी उन्नति में किसी बात की कमी नहीं रखी लेकिन तीस साल में जो काम नहीं किया उसके लिए आप यह कह कर बच नहीं सकेंगे कि हमने तीस साल में कुछ नहीं किया । एक आध बार तो यह उत्तर चल सकता है लेकिन हमेशा के लिए यह उचित प्रतीत नहीं होता । अगर आप इससे पीछे हट रहे हैं तो आपने ऐसी घोषणा क्यों की ? कह दीजिये गलत की, ज्ञान नहीं था । जब तक आप पिछड़े लोगों को आरक्षण, संरक्षण सरकार की तरफ से नहीं देंगे तब तक समाज में वे लोग जो आज समाज पर छाये हुए हैं उनके मुकाबले में ये लोग नहीं टिक सकेंगे । इसलिए मैं अनुरोध करूंगा, मान्यवर, इस संबंध में राज्य सरकार को सोचना चाहिए और उनको संरक्षण देना चाहिए ।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछड़ी जातियों के आरक्षण का सवाल है । मैं इसके लिए शंकरलाल जी और रामनारायण जी चौधरी को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह सवाल उठाया है । अगर आज राजस्थान में पिछड़ी जाति का मुख्य मन्त्री होता तो यह आरक्षण हो गया होता । यदि जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है, यू. पी. और बिहार में आरक्षण कर सकते हैं तो क्या कारण है कि राजस्थान में नहीं है । ये पिछड़ी जाति के लोग ज्यादा इन्तजार नहीं करेंगे । अगर जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र के आधार इन पिछड़ी जाति के लोगों की उपेक्षा करना

(श्री ईश्वरचन्द्र)

बन्द नहीं करेगी तो निश्चित रूप से जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वह मैं कहूंगा उससे हमारी सरकार विमुख होती जा रही है…

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : सिवाय आपके कहने से क्या हो ?

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : हम तो चाहते हैं कि जातियों को तोड़ दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री पदमसिंह राठौड़ : ये जाति शब्द है, पिछड़ी जाति निकाल कर पिछड़ा व्यक्ति कर दिया जाय तो कितना सुन्दर रहे।

श्री ईश्वरचन्द्र : आज वर्ग संघर्ष से भी बड़ा वर्ण संघर्ष है। यह वर्ण संघर्ष की समस्या जब तक धोबी, तेली, जुलाहे, कुम्हार ये जो पिछड़ी जातियों के शोषित वर्ग हैं और ये जो हमारे सवर्ण लोग हल्ला करते हैं जातियों के नाम पर, पिछड़ी जातियों को संरक्षण, आरक्षण दिये बिना समाज में यही स्थिति रहेगी। वर्ण संघर्ष की प्रक्रिया को तेज करना होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पर दबाव डालें कि इस आरक्षण नीति पर वक्तव्य दें और नीति की घोषणा करें। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था जातियों के नाम पर गड़बड़ हो जायेगी। आज बिहार जल रहा है, वहां भी सामाजिक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ है। इन पिछड़े लोगों को धक्का देकर आगे लाना पड़ेगा। इसमें मैं महिलाओं को भी शामिल करते हुए और शूद्रों के जितने वर्ण हैं उनको शामिल करते हुए जैसा कि जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि जनता पार्टी स्वतन्त्र नागरिक आयोग का गठन करेगी और पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जन जाति की भेदभाव के खिलाफ रक्षा करेगी।

श्री रघुनन्दन व्यास : पिछड़े लोग जाति के आधार पर ही नहीं, राजपूत, ब्राह्मण में भी पिछड़े हो सकते हैं गांवों में पिछड़े लोग सभी जातियों के मिलेंगे। पिछड़े शब्द की व्याख्या होनी चाहिए। शंकरलाल जी पिछड़े नहीं हैं, ये लखपति हैं, ये पिछड़े कैसे होंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री ईश्वरचन्द्र : इसी सत्र में इनके आरक्षण की नीति की घोषणा करेंगे।

श्री शंकर लाल : माननीय श्री ईश्वर चन्द्र जी ने बात कही है वह उपयुक्त बात कही है और यह घटवाद के आधार पर जनता पार्टी के लोग उसका विरोध कर पिछड़ी जाति के लोगों का शोषण करते रहना चाहते हैं।

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस नीति के बारे में निवेदन करना चाहूंगा

(श्री नवरंगसिंह)

कि इसके बारे में बिहार में आवाज उठी है, यू. पी. में आवाज उठी है आरक्षण की। और राजस्थान सरकार उनकी आवाज को नहीं सुनेगी तो पिछड़ी जाति के लोग राजस्थान में 6 प्रतिशत से अधिक हैं वह हमारे लिए गड़बड़ की हालत पैदा कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आज राजस्थान सरकार में पिछड़ी जाति के लिए जो मापदण्ड रखा है, पहली से 10वीं क्लास तक की पढ़ाई का, वह ठीक नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पिछड़ी जाति के लोगों के लिए भी आरक्षण दिया जाय। जो कुछ हो रहा है वह वाजिब है और उसका मैं भी समर्थन करूंगा।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एडजोर्नमेंट मोशन है। बड़े खेद की बात है कि जनता सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि वह बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को आरक्षण देगी, लेकिन उसको थूक कर चाट गई है। आज तामिलनाडू में और बिहार में वह लोग आन्दोलन कर रहे हैं उसके विरोध में, यह बड़े शर्म की बात है। सत्ताधारी लोग, सत्ता पक्ष के लोग बिहार के रामनाथ जी कहते हैं कि हमारे लोग बाधा उपस्थित नहीं करेंगे। वोट लेने के समय तो बड़े जोश से घोषणा कर दी और अब आप उसको पूरा नहीं करना चाहते हैं। माननीय केदार जी ने पिछले सत्र में यह फर्माया था कि हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन बड़े खेद की बात है कि 6 महीने के बाद भी इस आरक्षण के बारे में कोई कमीशन नहीं बिठाया। राजस्थान के अन्दर 40 पर्सेन्ट से ज्यादा लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। उत्तर में कांग्रेस सरकार के पदचिन्हों पर जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं तो जो हाल कांग्रेस का हुआ है वही हाल तुम्हारा भी होने वाला है। वह 60 प्रतिशत लोग हैं बैकवर्ड क्लासेज के वह आपको मारेंगे। वह आपको जगाने आपके दरवाजे पर आये हैं। मि० पिण्टू वह तामिलनाडू से आये हैं मैं दोस्त होने के नाते आपको जगा रहा हूं और आरक्षण विरोधियों का ध्यान खींच रहा हूं। यू. पी. और बिहार में जो स्थिति हुई है वही स्थिति कहीं राजस्थान में पैदा न हो जाय। माननीय केदार जी इस स्थिति को समझ लें। यह काम राजस्थान की 60 पर्सेन्ट जनता का है, वर्ना तामिलनाडू की तरह यहां भी स्थिति पैदा होगी। बिहार में वह खुले आम कहते हैं कि ब्राह्मण, कायस्थ और बनियों की सरकार नहीं चलेगी। यह स्थिति आने वाली है। एक विभाग में एक आफिसर राजपूत है तो नीचे से ऊपर तक राजपूत होंगे। कार्पोरेशन की बात को ही आप देख लें कि वहां पर क्या कर रहे हैं, दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, यह परिस्थिति है। माननीय अध्यक्ष, इनको आगाह करें। राजस्थान के प्रतिनिधियों को, विधान सभा के अध्यक्ष के माध्यम से, आप राजस्थान की ढाई करोड़ जनता के कस्टोडियन हैं।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : आप योजना मन्त्री से कहें तो वह योजना बनायेंगे।

श्री शंकरलाल : माननीय सदस्य, आप जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। आप ही इन पर दबाव डालें।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : माइनोरिटी कमीशन बना हुआ है।

श्री शंकर लाल : जनता पार्टी के घोषणा पत्र के खिलाफ ही जनता पार्टी के लोग इस तरह से बोल रहे हैं यह बड़े खेद की बात है।

श्री शिवचरण सिंह : अब टाइम आ गया है, श्रीमन् कि, राजस्थान सरकार इस ओर ध्यान दे। आप किसी में हिम्मत हो तो आओ स्टेज पर भाषण दे दो इसके खिलाफ। है हिम्मत ? मैं भी चलता हूं और आप भी चलें। अगर तुम्हारे में हिम्मत हो तो चलो। यहां आकर माननीय सदस्य ऊट-पटांग बोल देते हैं। आपको सही बात कहनी चाहिए। माननीय सदस्यों को; अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि तुम्हारी पार्टी के लोग इस प्रकार से कहें, जो पार्टी थूंक कर चाटती है तो उसकी दुर्दशा यही होती है। आपकी भारतीय जनता पार्टी का मेनीफेस्टो है, राजस्थान की जनता पार्टी का मेनीफेस्टो है।

श्री ईश्वर चन्द्र: यू.पी. में कौन सी पार्टी राज कर रही है। आप क्या बोल रहे हैं ? आरक्षण की बात कर रहे हैं। हमारे राजस्थान में भी यह आरक्षण होकर रहेगा।

श्री शिवचरण सिंह : आप तो बेफिक्र रहिये। वह आपको मंत्री नहीं बनाने वाले हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : जिस महकमे में एक भटनागर पहुंच जाता है वहां नीचे से ऊपर तक भटनागर ही भटनागर होंगे, और माथुरों का तो राजस्थान में राज्य रहा है। जिस महकमे में भटनागर है वहां टाप टू बाटम भटनागर हो भटनागर मिलेंगे आफिसर से लेकर पिअोन तक। भटनागर साहब जातिवाद में विश्वास करते हैं ?

श्री शंकरलाल : वह जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं। जातियों के आधार पर आरक्षण कर दिया जाय....

श्री शिवचरणसिंह : यह जो बना रखी है इसको बन्द करें....

श्री अध्यक्ष : कृपया विचार समाप्त करें।

श्री शंकरलाल : इसका जवाब दिलायें।

श्री शिवचरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बात का जवाब दिलायें और यह भी उनसे फर्मावें कि बाहर जो लोग आये है उनसे मिल लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विचार समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : मन्त्री महोदय जवाब दे दें।

श्री रतनलाल वर्मा : यह आज नहीं कल, कल नहीं परसों और परसों नहीं तो पल्ले रोज करना ही पड़ेगा। अगर इसको करें तो भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है।

श्री शिवचरण सिंह : यह नहीं चलेगी।

(74)

श्री रतनलाल वर्मा : बरसों तक यह लोग उनको लूटते रहे हैं और कब तक लूटते रहोगे ?

श्री जयनारायण सालोविया (निवाई): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं दो मिनट के लिए निवेदन करना चाहूंगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप बिराजिये।

अध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं कि जब भी इस हाउस में इस तरह के संरक्षण, आरक्षण, नौकरियों में, प्रमोशन्स में, इस तरह की बात आती है तो हाउस में हंगामा मच जाता है और सरकार उसका फायदा उठाकर अपने आप में कुछ नहीं बोलती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बैकवर्ड क्लासेज के आरक्षण का हंगामा का प्रश्न नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है। आप इसको इस तरह से हाउस में हूटिंग के तौर पर तय करेंगे या तय कराने को हूटिंग करके अलग रखना चाहते हैं। सरकार इस बारे में जल्दी ही निर्णय करके अपने निर्णय से सदन को अवगत करायेगी।

मेरी जानकारी में यह भी है, जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो सरकार दूसरे सप्लीमेंट्रीज प्रश्न इसके साथ जोड़कर, चाहे वह मुख्य मन्त्री हो या और केबिनेट के मंत्री हों, दूसरे सप्लीमेंट्री प्रश्नों को जोड़कर इस प्रश्न को टाल जाती है। सरकार को मालूम है कि इस बात को लेकर बिहार और यू०पी० में आंदोलन हो रहा है। मेरी जानकारी में सब है कि यह उन लोगों की करामात है, उन लोगों की साजिश है, उन लोगों का षड़यन्त्र है, जो हरिजनों के प्रति वफादार नहीं हैं या दलित वर्ग के लोगों को सफेद कपड़े पहने हुए नहीं देखना चाहते हैं। जो अच्छी जगह बैठे हुए हैं, देखना नहीं चाहते हैं। यह उनको बर्दाश्त नहीं है। हम से बेगार लेते हैं ये, जूतों पर पालिश करवाते हैं ये। उनकी आंखों में खटक रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का तौर तरीका रहेगा तो सरकार नहीं चलेगी। हरिजनों के प्रति यह व्यवहार रहेगा तो यह सरकार नहीं चलेगी। हम भी कुछ हैसियत रखते हैं। जब आप हमें खड़े होने का आरक्षण देते हैं, एम. पी. के लिए खड़े होने का आरक्षण देते हैं, विधान सभा के लिए खड़े होने का आरक्षण देते हैं, मिनिस्ट्री में देते हैं, पंचायत समितियों में रिजर्वेशन करते हैं तो क्या कारण है कि यहां पर अपने एजेन्टों को भेज देते हैं ? जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो उस पर विचार नहीं होने देते हैं। इस तरह का माहौल बना देते हैं। यह सरकार की मान्यता का प्रश्न है। यह सरकार की विचारधारा का प्रश्न है। यह सरकार की रीति और नीति का प्रश्न है। यह सरकार अपने निर्णय से पीछे हटती जा रही है। दूसरा रास्ता अपना रही है। यह इसके लिए घातक होगा।

(व्यवधान)

यह मैं सरकार को चेतावनी देता हूं। यही मैं निवेदन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपके विधान सभा के बाहर........

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री शंकरलाल : सरकार का इस बारे में कोई जवाब आ जाये ।

(व्यवधान)

श्री बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, लोग बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं । सरकार इसका क्या जवाब देती है । सरकार इस बारे में कदम उठाये, नहीं तो हम भी उनमें सम्मिलित होंगे । अगर सरकार कुछ नहीं सुनती है तो हम भी उनमें सम्मिलित हो जायेंगे । आपकी क्या राय है ।

(व्यवधान)

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग अपनी मांगों को लेकर 21 मार्च से भूख हड़ताल पर बैठे हैं । इस बारे में मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा लेकिन मैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर बोलना चाहता हूं ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कैसे आ गया ?

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय, उनकी मांग वाजिब है । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कमीशन की जो भारत सरकार की रिपोर्ट है, उसके बारे में पिछले साल भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था । गये सत्र में वह पेश हुई लेकिन सदन में कोई चर्चा नहीं हुई । अध्यक्ष महोदय, इन दोनों के बारे में जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की है । उसका जनता पार्टी सरकार पालन नहीं कर रही है।

(व्यवधान)

भारत सरकार के शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट पर दो दो साल से चर्चा नहीं हो रही है । गये साल हमने मांग की थी । तो मुख्य मन्त्री महोदय ने मुझे आश्वासन दिया था कि दो रोज मैं स्वयं बैठूंगा, और इस पर चर्चा होगी । अब अध्यक्ष महोदय, दो अप्रेल तक का कार्यक्रम है । लेकिन उसमें भी कमीशन की रिपोर्ट पर बहस का कोई कार्यक्रम नहीं है । तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि हाउस का समय बढ़ाकर उस रिपोर्ट पर दो रोज की चर्चा होनी चाहिए । भारत सरकार ने जो सुझाव दिये हैं, उन पर माननीय सदस्य चर्चा उठावें । अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं निवेदन करता हूं कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति और पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की जो परिषद् है,जो मांगें उन्होंने पेश की हैं, उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए । सरकार ने जो आश्वासन दिये हैं, उनका सरकार को पालन करना चाहिए । आजाद हुए 32 साल हो गये हैं । हरिजनों के लिये कानून भी बन गया है । जो कानून है, उसका न पिछली सरकार ने पालन किया था और न जनता सरकार पालन कर रही है । आज भी अध्यक्ष महोदय, हरिजनों के साथ में छुआछूत है । इन संगठनों ने जे. पी. के स्वास्थ्य के लिए शुभ कामना की है । गरीबों की प्रार्थना भगवान ने सुन ली है । मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं वह स्वस्थ हो जायेंगे । पिछले

76

(श्री नाथूराम)

वर्ष उन्होंने कहा था कि हरिजनों और पिछड़े वर्ग को संघर्ष करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम : जो मांगें उनकी हैं, उन पर ध्यान देकर सरकार से पालना करायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं और सरकार को पुनः

(व्यवधान)

पुनः सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स रिपोर्ट पर इस सदन में बहस होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मोहन लाल : 30 साल तक कांग्रेस सरकार रही है। अब जनता सरकार है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। चर्चा हो चुकी है।

कई माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, ये पहली बार बोल रहे हैं।

श्री मोहन लाल : 30 साल तक कोई काम नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : उसमें सभी आ गये हैं। शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स, और पिछड़ा वर्ग। ये सभी उसमें आ गये हैं। मैं पुनः पुरजोर शब्दों में कहूंगा कि मेरी पूर्ण सहानुभूति है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री श्योपतसिंह मकासर : स्थगन प्रस्ताव पर बहस हो रही है, पिछड़ी जाति की

श्री मोहनलाल (केकड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले की कांग्रेस सरकार जो थी, जनजाति और आदिवासियों के नाम से कायम रही। आदिवासियों को और जन जातियों को पट्टे तो दिये गये लेकिन उनको कब्जे नहीं मिले, उनकी बेदखली की गई। उन्होंने तीस साल तक हमारे पर शासन किया। ऐसे ही जनता पार्टी की सरकार बनी उसने भी कुछ नहीं किया, पट्टे दिलाये गये लेकिन कब्जा नहीं दिया। इस सरकार का निशान हलधर का निशान है। यह निशान उनको नहीं मिलकर हमको मिल गया इसलिए आपको खामियाजा तो देना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, पिछड़ी जातियों के आरक्षण के सवाल पर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जो पिछड़ी जाति से आये हैं, पहले उनको दो मिनट बोलने दीजिए।

श्री नाथूलाल (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जन जाति और पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं वे लोग पहले भी सबसे पीछे रहे हैं और आज भी पीछे हैं। राज की सेवाओं में भी इनका नाम पीछे है। तीस साल तक कांग्रेस शासन में आदिवासी हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति ऊपर का दिखावटी प्रेम तो बहुत था और उनके नाम की दुहाई देश और परदेश में देते थे। लेकिन उन गरीबों को जो लाभ मिलना चाहिये था वह आज तक उस लाभ से वंचित रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि हमारे जनता पार्टी के शासन में गरीबों के साथ और गरीबों के प्रति हमदर्दी दिखाकर जो कुछ कार्य किया उससे गरीबों में एक आस्था जागी है और यह मालूम हुआ है कि हमारे प्रति कुछ किया जा रहा है और कुछ किया भी गया है और करेंगे भी, करके भी दिखाया है, यह पिछड़ी जातियों के लोगों ने महसूस किया है। इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जितना लाभ आदिवासी लोगों को मिलना चाहिये, उस से अधिक अवसर आदिवासियों को मिलें, इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उनके आरक्षण तथा दूसरे जो काम हैं उनके हितों में, उनकी मांगों को पूरा करना सरकार का फर्ज है। जनता पार्टी की सरकार यह चाहती है कि पिछड़े तबके के लोगों को ऊंचा उठाया जाय। हम यह आशा करेंगे कि हमारी सरकार गरीबों के प्रति अपना कर्त्तव्य पालन करेगी और जो कुछ भी उनको मिलना चाहिए वह उसको दिलवायेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, आरक्षण का भी सवाल है, आदिवासियों में आरक्षण का सवाल है। बहुत सी जगह ऐसे लोग हैं जो बी. ए. और एम. ए. पास हो गये हैं, उन लोगों के प्रति सरकार ध्यान दे। दूसरी बात यह है कि हमारे बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो ऐसे जिले हैं जो आदिवासी जिले हैं। इन जिलों में नौकरी की तरफ से, जमीन की तरफ से, सिंचाई की तरफ से, बिजली की तरफ से और शिक्षा की तरफ से अधिक से अधिक आदिवासियों को बेनिफिट देना चाहिए। मेरा यही निवेदन है और सरकार से अपेक्षा और आशा करूंगा कि हमारे क्षेत्र में जनता पार्टी की सरकार इस ओर विशेष ध्यान देगी।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि बिहार में पहले आरक्षण हुआ और बाद में शराब बन्दी हुई।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : इन्हीं की वजह से आरक्षण रुका हुआ है अन्यथा अब तक हो जाता।

(व्यवधान)

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है, उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं आप मुझे बोलने की इजाजत दें।

(व्यवधान)

श्री नाथूलाल : ट्राइबल में जितने कर्मचारी रहते है उन लोगों के लिए–

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आरक्षण का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य नियमों के विपरीत....

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, हम भी चाहेंगे कि दो मिनट अपनी बात कहें। मार्क्स ने बहुत पहले दुनिया के मेहनतकशों को नारा दिया, हिन्दुस्तान के अन्दर वर्ण व्यवस्था–

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस विषय पर बोल रहे हैं ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : आरक्षण के बारे में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सवाल जातियों का नहीं है, हमारा जो सामाजिक ढांचा है उसकी विरासत वर्ण व्यवस्था से आई है। अगर कोई ब्राह्मण के घर में पैदा होगा तो उसको काम करने की जरूरत नहीं होगी, वह शादी, विवाह, जन्म और मरण या जो ऐसे सामाजिक रीति-रिवाज हैं उनके लिए समाज को चिन्ता करना जरूरी नहीं है, यह ब्राह्मण के घर पैदा होने वालों की ड्यूटी है। इसी तरह से व्यापार करने वालों की अलग ड्यूटी है। जो लोग सत्ता में रहे या जो अब तक सत्ता में हैं उन्होंने यह सिस्टम चलाया, कि भारतीय समाज में कुछ लोग ऐसे थे जो मुफ्त की खाते थे बैठे-बैठे और आज भी इस देश की हुकूमत में वे जातियां उस पेशे से मजबूत हैं। अध्यक्ष महोदय, यह अजीब विडम्बना है, समाजवाद के नाम पर देश के अन्दर गरीबी बढ़ी है, देश के अन्दर अमीर ज्यादा अमीर हो गये हैं। जो लोग सिद्धान्त की बात करते हैं, जो आज यह चाहते हैं कि देश की तरक्की हो, देश और समाज की तरक्की हो तो समाज के उस हिस्से को चाहे वह जाति-विशेष के लोग हों, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको तरक्की का मौका नहीं मिला उन लोगों को भी ऊंचा उठाना है तो हमको हर तरह से करटेल करना पड़ेगा जिन्होंने सबसे ज्यादा लिया है, जिन्होंने शोषण किया है, उन पर चोट करनी पड़ेगी। वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं। यह प्रकृति का नियम है। जैसे स्वस्थ बच्चे को चलाने के लिए सहारे की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो जन्म से कमजोर होगा उसको चलाने के लिए किसी सहारे की जरूरत होगी इसी तरह से जो बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं, चाहे अनुसूचित जाति या अन्य जाति के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, चाहे किसी भी जाति विशेष के हों, हम लोगों को उनको सहारा देना चाहिए। क्यों नहीं दें ? अभी अभी माननीय सदस्य जाति की बात कर रहे थे। दरोगा क्या है ? जिसने कुलक की गुलाम के रूप में उस घर सेवा की है। हम कहते हैं उसको मौका दें। अगर हम डेमोक्रेट्स हैं, हम चाहते हैं कि देश में समाजवाद आए, पिछड़ी जातियों व अल्पसंख्यकों को मौका मिले तो अपने अधिकार छोड़ने होंगे, उन लोगों को बराबर ऊपर लाना होगा। यह तो उसी तरह का समाजवाद है जैसे कोई एक पहलवान के हाथ बांधे और फिर कहे कि मेरे साथ कुश्ती लड़ लो। हमने उनको

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

पढ़ाया नहीं, हमने उनको जमीन नहीं दी, रोजगार के लिए साधन मुहैया नहीं किए, फिर मौका उनको कैसे मिलेगा ? राज्य सरकार को सोचना चाहिए हम को बैन करना चाहिए, नौकरी उसी आदमी को मिलनी चाहिए जिसके घर में पहले कोई नौकर नहीं है। पहले नौकरी में कौन आते हैं ? जिनके घर में पहले कोई नौकरी में है। अधिकारी, सेठ, पंडित, जागीरदार के बेटे को पहले नौकरी मिलेगी उसका अप्रोच होगा। इसलिए तय किया जाए कि उन लोगों को ही नौकरी दी जाएगी जिनके घर में कोई नौकर नहीं है। अपने आप ऊपर आ जाएगा नीचे का तबका। अगर आप सिर्फ गरीबों का नारा लगाते हैं, यह गलत है।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : इन्होंने एक बात डेरोगेटरी कह दी। हमको बोलने दिया जाए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। केवल मात्र शासन पक्ष के दो माननीय सदस्यों को अनुमति दूंगा। अभी तो एग्री-फार-आल हो रहा है। श्री रघुनन्दन व्यास और श्री अयूब खां। फिर सरकारी उत्तर होगा।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बड़े मसले पर आपने मुझे समय दिया। जब आरक्षण की बात आती है तो जिन्होंने पुरानी बात को नकारा उनसे कहना चाहता हूं कि देश में ऐसी व्यवस्था रही है कि वे शादी में, ब्याह में, घर में जब तक सभी जातियों के लोग नहीं पहुँचते तब तक वह शादी ...

श्री शंकर लाल : पाइंट आफ आर्डर। यह मूल स्थगन प्रस्ताव जो मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो पिछड़ी जातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण से सम्बन्धित है, जो उस स्थगन प्रस्ताव में पार्टिसिपेट करते हैं, जिन्होंने अपने नाम दिए हैं या जो समर्थन देना चाहते हैं वही बोलें, जवाब तो केवल मन्त्री महोदय का आना चाहिए, जो खिलाफ में बोलना चाहें तो उनको छूट है लेकिन किसी सदस्य का जवाब नहीं आना चाहिए।

श्री रघुनन्दन व्यास : मैं जवाब नहीं दे रहा हूं।

श्री नूरा : दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री शंकर लाल जी ने जो आपत्ति उठाई है वह बिल्कुल उचित है। शासन की ओर से अगर कुछ ढील या छूट दी गई है तो उसका दुरुपयोग, शासन पक्ष के सदस्यों से निवेदन है, कि न करें। अब सरकारी उत्तर हो जाना उचित होगा। नियमों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। सी० पी० आई० व सी० पी० एम० के माननीय सदस्यों की विचारधारा में कोई फर्क नहीं, आप एक क्यों नहीं हो जाते ?

श्री किशन सिंह भाटी : मार्क्स को डिस्टार्टेड फार्म में माननीय श्योपत सिंह जी

(श्री किशनसिंह भाटी)

ने प्रस्तुत किया है। नूरा जी इसका स्पष्टीकरण दें।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकर लाल जी से इतना ही कहूँगा कि एक अल्पसंख्यक के व्यक्ति श्री अयूब खां को बोलने दिया जाए। फिर नियमों की अवहेलना आसन द्वारा हो रही है। अगर आप अनुमति दें तो उनसे कुछ कहलवा दें नहीं तो मंत्री से उत्तर दिलवायें। श्री अयूब खां।

श्री अयूब खां (तिजारा) : मेरा इतना ही कहना है कि गरीबी का सम्बन्ध किसी जाति से नहीं है, धर्म से नहीं है लेकिन फिर भी जिस समय हरिजन अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए आरक्षण कर रहे थे उस समय भी संविधान में बात आई थी, हिंदू शब्द का इस्तेमाल हुआ और अगर वह नहीं होता तो मैं समझता हूं हरिजनों को शायद कोई कुछ देने वाला नहीं था। जो कुछ मिला है आरक्षण के कारण मिला है। इस आधार पर जो उन्होंने मांग की है, कई माननीय सदस्यों ने जाति के आधार पर, तो मैं समझता हूँ कि जाति के आधार पर भी उचित ही है। मैं इन्फार्मेशन के तौर पर कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य जो मांग कर रहे हैं, अपनी अपनी जाति की पेश कर रहे हैं। मैंने पेम्फलेट्स देखे हैं, इनमें मेवो जाति का नाम नहीं देखा। मैं मेव हूँ। मेरा कहना है कि सारे मुसलमानों की संख्या के आधार पर आरक्षण करें जैसे दूसरे लोगों के लिए करना चाहते हैं। रामनारायण जी ने बहुत सी जातियों के नाम लिए लेकिन उन्होंने मेवों का नाम नहीं लिया। आपको मालूम है भरतपुर व अलवर जिलों में मेव रहते हैं... ....

श्री रामनारायण चौधरी : मैं संशोधन कर रहा हूँ.... ..

(व्यवधान)

श्री शंकर लाल : पिछड़ी जातियों में मेव शामिल हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरासी, खटीक सभी शामिल हैं।

श्री नूरा : मुझे बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी का उत्तर होगा।

श्री कैलाश मेघवाल (सहकारिता मंत्री) अध्यक्ष महोदय, पिछड़ी जातियों .. ....

श्री रघुरंग लाल शर्मा : जिम्मेदार व्यक्ति से उत्तर दिलवायें तो बेहतर होगा।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : मंत्री भी अनुसूचित जाति व जनजाति के हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। कोई भी सरकार का मंत्री है तो वह जिम्मेदार व्यक्ति ही है।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मैं जिम्मेदार हूं या गैर जिम्मेदार ...

श्री शंकरलाल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह अच्छे पार्लियामेंटरीयन हैं और यह कहते हैं, हमारी प्राइवेट बात है यह सदन में नहीं आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था में तो नहीं आता माननीय सदस्य। कभी कभी ऐसा हुआ करता है सदन में।

मन्त्री महोदय।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न उठाया है वह वास्तव में एक गंभीर प्रश्न है और इस गम्भीर प्रश्न पर चिन्तन भी और विचार भी उतना ही गम्भीर होना चाहिए। माननीय रामनारायण जी जब अपने विचार रख रहे थे तो उन्होंने दो बातें कहीं। एक तो यह बात रख रहे थे कि कुछ जातियां जो कि अछूत हैं और अनुसूचित जाति की हैं हिन्दू धर्म में जो छुआछूत का आधार माना गया था उस नाते उन जातियों को अनुसूचित जातियों में घोषित की जानी चाहिए। इस विषय में माननीय रामनारायण जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की प्रक्रिया है और निरन्तर राष्ट्रपति को मेमोरेण्डम भी दिए जाते हैं····

श्री शंकरलाल : आप इधर उधर मत जाइये व आरक्षण की क्या नीति है आप तो यह बतायें ?

श्री कैलाश मेघवाल : जब मैंने सारे सदन के विचारों को ध्यान से सुना है और मैं जब उत्तर दे रहा हूं तो मुझे कम से कम जो प्रश्न माननीय विधायकों ने उठाये हैं उनका जवाब भी देना है। जहां तक पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने का सवाल है और जो प्रदर्शन हो रहा है उसको आधार बनाकर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने अब भी इसी सदन में अनेक पक्षों के सुझाव सुनने को मिले।

पिछड़ापन मिटे, गरीबी मिटे इसके लिए अनेकानेक कार्यक्रम हो सकते हैं और पिछड़ी जातियों को नौकरी में आरक्षण देने की हिमायत—माननीय सदस्य यह मानेंगे कि यह भी एक तौर तरीका है जिससे उनके पिछड़ेपन को मिटाया जा सकता है और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं। इस स्थिति में एक विषय उठा कि पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाये और एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न भी उठाया कि अल्पसंख्यकों को नौकरी में आरक्षण दिया जाये, एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न भी उठाया कि जो आर्थिक दृष्टि से गरीब हैं जिनका किसी जाति से सम्बन्ध नहीं है। माननीय शंकरलाल जी ने एक उदाहरण दिया था कि 3 प्रतिशत ऐसे लोगों को बिहार में आरक्षण दिया गया है जो कि किसी भी जाति के हों लेकिन उनको भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जायेगा। तीसरा प्रश्न यह भी उठा कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले और शहरी क्षेत्र में आने वालों में भी एक आरक्षण की प्रक्रिया की आवाज उठी है। माननीय शंकर लाल जी को और सदन के दूसरे माननीय सदस्यों को याद होगा कि सरकारी नौकरियों में शहरी व्यक्ति ज्यादा स्थान पा जाते हैं जो कि बड़े अफिसरों के या पूंजीपतियों के या पैसे वालों के लड़के हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र से आने वालों का भी आरक्षण होना

(श्री कैलाश मेघवाल)

चाहिए। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अलग अलग तरह से इतनी बातें सदन के सामने आईं और फिर महिलाओं का आरक्षण भी मांगा है। और माननीय ईश्वरचन्द्र जी ने कहा कि बिहार में इस तरह से महिलाओं को 3 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। ईश्वरचन्द्र जी का कहना है कि महिलायें भी पिछड़ी जातियों में हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह जो महिलाओं का, पिछड़ी जातियों का, अल्पसंख्यकों का, गरीबों का, ग्रामीणों का - यह जो आरक्षण की मांग उठ रही है इस मांग के रेशनल में औचित्य में कि सरकारी नौकरियां भी गरीबी मिटाने का माध्यम हैं और उनको तनख्वाह मिलती है, पगार मिलती है, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है— तो उस रेशनल से निवेदन करना चाहता हूं कि आरक्षण नहीं किया जा सकता। लेकिन माननीय अध्यक्ष, महोदय मैं कहना चाहूंगा कि आखिर कोई निर्णय लेते समय इस सारे परिपेक्ष में तथा इस विषय में चर्चा करनी पड़ेगी। माननीय रामनारायण जी की आत्मा कचोट रही थी क्योंकि उन्होंने यह कहा था कि सरकारी पक्ष जवाब दे देगा कि तीस सालों तक क्या किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, रामनारायण जी से मैं कहूंगा कि तुलना तो करनी पड़ेगी और इसलिए करनी पड़ेगी कि सभी माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि संविधान के अनुसार 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है और 16 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिए है। जो अछूत और वनवासी हैं तथा समाज का सबसे निर्धन और गरीब तबका है। यह आरक्षण तीस साल से चला आ रहा है और उसकी पूर्ति तीस साल में 5 से 6 प्रतिशत तक हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री शिवचरण जी ने, नाथूराम जी ने, मोहन जी ने और दूसरे अनुसूचित जाति के विधायकों ने मांग उठाई है। माननीय रामनारायण जी यदि यह प्रतिशत पूरा कर जाते और 28 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग यदि सरकारी नौकरियों में दिखते तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक तादाद में समस्या सुलझ गयी होती। लेकिन यह समस्या हल नहीं हुई और समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है।

अभी यह विचार व्यक्त किया गया कि नीचे नौजवान बैठे हैं। मैं इनसे कल मिला था और मेरी बातें हुई हैं और मैं कल उनके कैम्प पर भी गया हूं और मेरे यहां वह 10 बजे आये थे और 10 बजे से 1 बजे तक हमने बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से बातें की हैं और कुल मिलाकर वह सन्तुष्ट हैं। और एक दो मांगों के बारे में मुख्य मन्त्री जी के साथ बैठकर, क्योंकि मुख्य मन्त्री जी अभी यहां नहीं हैं, तो उनके साथ बात होगी क्योंकि वह अखिल भारतीय परिप्रेक्ष की बातें हैं। इस पृष्ठभूमि में जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं और यह विचार उठाये हैं, मैं यही निवेदन कर सकता हूं कि जो मैंने विचार रखे कि पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाये। जनता पार्टी की घोषणा है और जनता पार्टी के घोषणापत्र में भी है। इस पर राज्य सरकार इस सारी पृष्ठभूमि में गम्भीरता से विचार करके निर्णय लेगी। राज्य सरकार यह मानती है

(श्री कैलाश मेघवाल)

कि पिछड़ी जातियों का आरक्षण होना चाहिए। राज्य सरकार यह भी मानती है कि पिछड़ी जातियों को सामान्य स्तर पर आने का मौका मिलना चाहिए। राज्य सरकार ने इतने दिनों जो कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, आर्थिक दृष्टि से कुछ कार्यक्रम लिये हैं और जहां दूसरे कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, अन्त्योदय का कार्यक्रम हाथ में लिया है वहां सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कार्यक्रम भी है और यह सब करने के लिए राज्य सरकार सारे परिप्रेक्ष में गम्भीरता से विचार करेगी।

श्री शिवचरण सिंह : यह कब करेंगे? कोई उत्तर नहीं मिला माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : सरकार की अवधि है उसमें वह पूरा करेगी।

(व्यवधान)

चर्चा समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

कृपया चर्चा समाप्त करिये।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : माननीय श्रम मन्त्री जी जोधपुर आये थे तो कहा था कि अगस्त में केबिनेट में विचार होगा और आज मार्च, 79 चल रहा है। 8 महीने हो गए यह विचार कब होगा? श्रम मन्त्री जी यहां बैठे हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार विचार करेगी। तो कब करेगी? आप बताइये ना?

श्री शिवचरण सिंह : टाइम फिक्स कराइये माननीय अध्यक्ष जी। पिछली बार माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि केन्द्रीय सरकार ने एक आयोग बनाया है उसकी रिपोर्ट आने पर कर देंगे। आज फिर टालमटोल कर रहे हैं। मुख्य मन्त्री जी कुछ कहते हैं और माननीय श्रम मन्त्री जी कुछ कहते हैं और सहकारिता मन्त्री कुछ कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य शासन पक्ष ने तीन वर्षों में किया अच्छा किया, कुछ कम अच्छा किया कुछ ठीक भी नहीं किया। जो किया वह सबके सामने है फिर इसको तीन चार साल और चलने दीजिए और चर्चा समाप्त कीजिए।

श्री शिवचरण सिंह : कांग्रेस की सरकार ने वादा नहीं किया था कि वोट दो, हम आरक्षण देंगे। इन्होंने वादा किया था इसलिए ही सरकार में बैठे हैं....

(व्यवधान)

यह दोनों वायदे किये थे.......

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : वायदे के अनुसार रिजर्वेशन न करना क्या पिछड़े वर्ग की जनता का शोषण करना नहीं है? राजस्थान सरकार के अन्दर जो कर्मचारी हैं उनकी गणना करवाई जाये, किस किस जाति के हैं, क्या प्रतिशत है, सामने आ जायेगा ऐसी जातियां हैं जो दूसरे

(84)

(श्री माधोसिंह कछवाह)

वर्गों की हैं सरकार पर छाई हुई हैं, उनकी गणना होनी चाहिये। उस पर हाउस में बहस होनी चाहिये·······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शिड्यूल्ड कास्ट्स की रिपोर्ट पर मैं सबको मौका दूंगा, आप भी बोलिये। इस प्रकार अप्रसांगिक बातों को लेकर सदन का समय नष्ट न करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण।

श्री ईश्वरचन्द्र : संविधान की धारा 16 में यह लिखा है कि, "Nothing in this Article shall p event the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in fevour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in theservices under the State." आपकी पालिसी है। इसके बाद भी स्पष्ट उत्तर सरकार क्यों नहीं देना चाहती। आरक्षण के बारे में क्या नीति है?

श्री शंकरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय,·······

श्री अध्यक्ष : आरक्षण की नीति संविधान के अनुसार हरएक सरकार की होनी चाहिये। माननीय सदस्य, स्वयं समझते हैं कि इसके सम्बन्ध में ओवर नाइट रिजल्ट्स नहीं आ सकते It is not a revolution rather an evolution.

श्री ईश्वरचन्द्र : दो साल हो गये।

श्री अध्यक्ष : सरकार सचेष्ट है। अब चर्चा समाप्त करें।

श्री माधोसिंह कछवाह : अध्यक्ष महोदय, यह पिछड़े वर्ग का सवाल है। मन्त्री महोदय से स्पष्ट कहना चाहता हूं·······

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : हटाने के बाद····

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार (टी·बी) : अधिकारियों ने हरिजन कर्मचारियों के रिकार्ड खराब कर रखे हैं। ओमप्रकाश तंवर थानेदार है उसका रिकार्ड खराब कर रखा है। उस पर अत्याचार किया गया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हरिजन जाति के कर्मचारियों की सी. आर. खराब की जाती है। सबके गुप्त प्रतिवेदन चैक कराये जायेंगे तो आपको मालूम पड़ जायेगा··

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेजर श्री फतह सिंह : क्या मैं भी दो शब्द कह सकता हूं।

श्री डूंगरराम पंवार : हरिकृष्ण विद्यार्थी जो जाति से पिछड़ी जाति का था,

(श्री डूंगरराम पंवार)

धक्के मार कर निकाल दिया। यह सही बात है। हरिकृष्ण विद्यार्थी गृह मन्त्री से भी मिला था लेकिन ऊंचे वर्ग वालों ने उसको निकाल दिया........

मेजर श्री फतहसिंह : श्रीमान्, जो माननीय सदस्य शंकरलाल जी, रामनारायण जी चौधरी और शिवचरण सिंह जी ने पिछड़ी जातियों के आरक्षण के सम्बन्ध में प्रश्न सदन में उठाया है, वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं समझता हूं वह उनकी मांग बिल्कुल न्यायोचित है। हमें मालूम होना चाहिये कि बिहार में जनता सरकार का शासन चल रहा है, यू. पी. में जनता पार्टी का शासन है, हरियाणा में जनता पार्टी का शासन है, उन प्रांतों में इन अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया गया है तो मैं नहीं समझ पाता कि राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है........

श्री ईश्वरचन्द्र : वहां राम नरेश यादव था।

मेजर श्री फतहसिंह : श्रीमान् हमें यहां भी रखना चाहिये खास तौर से इस मन्त्रि परिषद में क्योंकि राजस्थान के मन्त्रि परिषद ने हिन्दुस्तान की अन्य मन्त्रि परिषदों का कई मामलों में मार्ग दर्शन किया है। आप लोगों ने अन्त्योदय योजना बनाई। काम के बदले अनाज की योजना चालू है। मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि जो अन्य पिछड़ी जाति के आरक्षण का प्रश्न है उस पर भी आप गम्भीरता से सोचें और आप शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लें ताकि आपका इतिहास में नाम अमर हो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, इसके ऊपर विचार किया जाये। श्रीमान्, अन्य पिछड़ी जातियों की आर्थिक हालत इन हरिजनों से, शिड्यूल्ड कास्टस शिड्यूल्ड ट्राइब्स से ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप हमारे क्षेत्र में भीम, ब्यावर या मारवाड़ के आसपास के क्षेत्रों में जा कर देखें तो उनकी वैसी ही हालत है जैसी मीणों और भीलों की है। मैं सरकार से चाहूंगा और अपेक्षा करूंगा, इस पर गम्भीरता से विचार करे और इसी समय विचार करे क्योंकि आपको फैसला करना है।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री डूंगरराम पंवार : हरिजनों के बारे में टालमटोल की जा रही है। सरकार मक्कारीपना छोड़ दे, इसका भी विरोध किया जायेगा। जो कमियां होंगी, उनको आपके सामने रखा जायेगा........

श्री रामनारायण चौधरी : आत्मा को जगाइये।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, जो शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में रिजर्वेशन है उसमें से उन लोगों का रिजर्वेशन हटा दीजिये जो बड़े ऑफिसर हो गये हैं। जो आई. ए. एस. और आई. पी. एस. हो गये हैं उनके परिवार वालों को रिजर्वेशन देना उन गरीब लोगों के प्रति

86

(श्री मूलचन्द सामरिया)

अन्याय होगा। शिड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स के उन लोगों जो इन्कम टैक्स पे करते हैं का रिजर्वेशन खतम कर देना चाहिये और बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिये। जो अन्य लोग है जिनकी इन्कम 200 रुपये 300 रुपया है उनको इस पर्सेंटेज का लाभ मिलना चाहिये जैसे मेव हैं, मीराशी है ऐसे लोगों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिये। साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा, शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन के आधार पर सर्विसेज में लिया है इनमें जो उच्च अधिकारी हैं उनको तो धोलपुर के रहने वाले को बाड़मेर, जैसलमेर भेजते नहीं हैं और जो छोटे-छोटे शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं सर्विसेज में उनको धोलपुर के रहने वाले को बाड़मेर और जैसलमेर भेज देते हैं, यह उनके साथ अन्याय है।

एक मेरा यह भी निवेदन है कि इस तरह के जो अधिकारी हैं या जो उच्च वर्ग में आ गये हैं, मिनिस्टर बन गये हैं, आई. ए. एस., आर. ए. एस. अधिकारी बन गये हैं उनका सर्वे कराया जाय और उनके लिये, उनके परिवार के लिये अब इस रिजर्वेशन सिस्टम को समाप्त किया जाय। दूसरा छोटे कर्मचारियों को इस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रान्सफर करके तंग न किया जाय। अधिकारी वर्ग उनके गुप्त प्रतिवेदनों को खराब कर देते हैं, इसका भी सर्वे कराया जाय। अगर सरकार ध्यान दे तो उनकी मदद कर सकती है।

श्री सोहनलाल बन्सीवाल (दूदू) : शिड्यूल्ड कास्टस के बारे में सभी एम. एल. ए. बोलते हैं कि शिड्यूल्ड कास्टस को प्रायरिटी मिलनी चाहिये लेकिन आपने जो काम के बदले अनाज योजना चलाई है उसमें कोई बनिया नहीं है, कोई राजपूत नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, मीणा नहीं है बल्कि शिड्यूल्ड कास्टस के लोगों ने ही काम किया है तो जगह-जगह पंचायतों में आप देखें क्या हो रहा है। उनको अनाज नहीं मिल रहा है, उन लोगों से चन्दा मांग लिया है। उनके पैसों को सरपंचों ने खा लिया है। तो फिर आपसे क्या न्याय होगा?

श्री शिवचरण सिंह : कौन खा गया, आपकी सरकार से कहें।

(व्यवधान)

श्री मरा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करूंगा······

श्री सोहनलाल बन्सीवाल : पहले मेरी बात सुन लें। आप ज्यादा बोलते हैं, मैं तो बहुत कम बोलता हूं।

(व्यवधान)

माननीय कैलाश जी मेघवाल से कहते हैं तो वे सुनते नहीं हैं। माननीय पुरुषोत्तम जी से कहता हूं तो वे कहते हैं तुम कांग्रेस से आये हो। कालवी साहब के पास जाते हैं तो उनको चारों तरफ से लोग घेरे रहते हैं।

श्री शिवचरण सिंह : यह लड़ाई सदन में क्यों आ रही है? यह तो अपनी पार्टी में जाकर कहो। अध्यक्ष महोदय, सदन का समय खराब हो रहा है।

श्री सोहनलाल बंसीवाल : मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, मैं बोलता कम हूं लोग जो बोलते हैं वे आगे आ जाते हैं। अभी आपने कहा कि उनका रिजर्वेशन खतम कर दिया जाय लेकिन मैं कहता हूं शिड्यूल्ड कास्ट्स आज भी जनरल में तो आते नहीं हैं। मैं एक बात बतादेना चाहता हूं, शिड्यूल्ड कास्ट्स कांग्रेस के जमाने में हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार के जमाने में हो, मेरे ख्याल से उस पर ज्यादा जुल्म हो रहे हैं। आज आप इन्क्वा-यरी करा लीजिये। शिड्यूल्ड कास्ट्स को नाज मिलता नहीं है, मिलता है तो 10 रोज काम किया तो दो रोज का नाज मिलता है और उनसे चन्दा और ले लेते हैं, कहते हैं स्कूल में लगायेंगे, फलां जगह लगायेंगे। तो यह उनके साथ अन्याय है....

(व्यवधान)

मेरा निवेदन है कि अगर इन्क्वायरी करायें तो पंचायत क्षेत्र से न करायें, बी. डी. ओ. से न कराये बल्कि सी.आई.डी. से करायें कि कितना नाज मिला है ...

(व्यवधान)

इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है सी. आई.डी. से इन्क्वायरी कराये कि कहां कहां घोटाले हुए हैं ...

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह जो बन्सीवाल जी ने एलीगेशन लगाया है अनाज नहीं मिलने का, इसकी जांच होनी चाहिए। मजदूर मजदूरी करें और फिर उसको अनाज नहीं मिले तो यह बड़े खेद की बात है। जिन सरपंचों ने बेच कर खाया है, उनकी इन्क्वायरी कराई जाय।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सामने पिछड़ी जातियों का प्रदर्शन हो रहा है और वे एक मेमोरेन्डम माननीय मंत्री जी को देना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो बाहर प्रदर्शन हो रहा है ...

(व्यवधान)

या तो माननीय मन्त्री जी वहां जायं और उनके मेमोरेन्डम को लें ...

(व्यवधान)

या फिर कहीं उनसे मिलने का प्रबन्ध करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यहां डेपूटेशन आया है या तो मन्त्री जी स्वयं जायं और उनको सम्बोधित करें या उनको बुला कर उनके साथ बातचीत की कोई व्यवस्था करें। दोनों में से एक काम तो करें।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : अखिल भारतीय स्तर के नेता आये हुए हैं....

(व्यवधान)

आपके पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, तामिल-नाडू के नेता हैं। वे प्रदर्शन को लीड कर

(श्री शिवचरण सिंह)

रहे हैं। माननीय मन्त्री महोदय को कहें वे जाकर उनसे बात करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल को बोल लेने दीजिए।

(व्यवधान)

इस तरह माननीय सदस्य, व्यवधान होता रहा तो मैं सदन की कार्यवाही बन्द कर दूंगा।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कार्यवाही की व्यवस्था कर दीजिए और मुझे भी अवसर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : सबसे पहले मैंने आपका नाम रखा लेकिन उस समय आप अनुपस्थित थीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उसके लिए अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहती हूं किन्तु मुझे अब अवसर दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको बाद में समय दे दूंगा। लेडीज मेम्बर्स ओ फर्स्ट प्रिफरेन्स।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, जो आरक्षण के सम्बन्ध में चर्चा चल रही है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, और भी माननीय सदस्यों ने काफी चिन्ता व्यक्त की है किन्तु माननीय मन्त्री महोदय कुछ नहीं कह पा रहे हैं। आज वे आरक्षण की बात करना चाहते हैं लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज इस सदन में वे लोग बैठे हैं और सरकार का संचालन वे लोग कर रहे हैं जो डाक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम लेकर राजनीति करते आ रहे हैं। मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा.

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के जरिये कोई सदस्य अपनी बात रखना चाहता है तो उसका मतलब है कि सदन की कार्यवाही स्थगित की जाकर सरकार का ध्यान उस ओर दिलाये, जिस बारे में स्थगन प्रस्ताव है....

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : जब आपके पास हमारा आदमी जाता है और आपसे कहता है कि मुझे नौकरी मिलनी चाहिए तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, हाउस चलना चाहिये लेकिन व्यवस्थित रूप से चलना चाहिए....

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बार-बार व्यवधान

(श्री गोपाल पचेरवाल)

कर रही हैं, इनको रोकना चाहिये। ये बोलने नहीं देती हैं ...

श्री रतनलाल वर्मा : बार बार टोकती हैं, बोलने नहीं देती हैं।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : एक हरिजन बोलना चाहता है तो उसको बोलने नहीं देते हैं।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सुमित्रा जी, आप आरक्षण की बात को सुनने का माद्दा रखिए। आप हमको बोलने तक नहीं देना चाहती हैं यह बड़े दुःख की बात है।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य! माननीय सदस्य, अगर आप इसी तरह से आपस में बातें करेंगे, उलझन में पड़ेंगे, नियमों की बिल्कुल अवहेलना की पराकाष्ठा पर तुले हुए हैं जबकि आज महत्वपूर्ण विषय है तो फिर भी विवशतापूर्वक मुझे सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ेगी।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं साहब, चलाइये।

श्री अध्यक्ष : अगर मैं चलाऊं तो आपके सहयोग से ही चला सकता हूं। माननीय श्री गोपाल पचेरवाल को आसन को सम्बोधित करने दीजिये।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को समझाइए, बीच में टोकें नहीं।

श्री अध्यक्ष : आसन ग्रेट वोकल है, हरएक सदस्य को आसन को ही सम्बोधित करना चाहिए अन्यथा आपस में इस समस्या का हल निकालना चाहेंगे तो मेरे ख्याल में जनतन्त्र के विपरीत है, नियमों के विपरीत है, सदन की गरिमा के विपरीत है। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए तो मैं आपका आभार प्रगट करता हूं। सदन में जो यह चर्चा चल रही है, कई माननीय सदस्यों ने बहुत चिन्ता व्यक्त की है मैं सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं, हमारी सरकार में और सदन में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि आज सरकार में जो मन्त्री बैठे हुए हैं, चाहे वे राजस्व मन्त्री जी हों, चाहे वे आयोजना मन्त्री जी हों, चाहे पंचायत मन्त्री कैलाश जी मेघवाल हों और चाहे वे सम्पत राम जी हों, आज जितने भी मन्त्री सरकार में बैठे हुए हैं....

श्री पुरुषोतम मन्त्री : उद्योग मन्त्री जी भी हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : हां, उद्योग मन्त्री भी हैं और सारे लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमें इस बात की तो खुशी है कि राजस्थान में गृह मन्त्री एक हरिजन है,

(श्री गोपाल पचेरवाल)

मैं इन सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये सब लोग जो आज डा० लोहिया के नाम पर बैठे हैं तथा जो गांधीजी का नाम लेकर सरकार में बैठे हैं, ये ही सारे लोग जब इस सरकार में नहीं थे तो इन पिछड़ी हुई जातियों के लिए आन्दोलन करते थे और जन मानस को इसके लिए तैयार करते थे लेकिन अब तक डाक्टर लोहिया की दुहाई देने वालों ने क्या किया है पिछड़ी हुई जातियों के लिए; आज बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने डा० लोहिया के सिद्धान्त को सही रूप से क्रियान्वित किया है। आज कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण किया। उनको दबाने के लिए प्रतिक्रियावादियों द्वारा चाहे कितना ही प्रयास किया गया, कितना ही विरोध किया गया। लेकिन आज राजस्थान के लोहियावादियों, आपने क्या किया है....

श्री माधोसिंह कछवाह : माननीय सर्वो-दयी नेताओं के नाम भी लो।

श्री गोपाल पचेरवाल : आज राजस्थान के मन्त्रिमण्डल में एक हरिजन मन्त्री हैं। गृह विभाग भी उनके पास है, पुलिस का विभाग उनके पास है लेकिन पुलिस के अन्दर क्या हो रहा है। जो जो पुलिस के अधिकारी हैं जो उच्च वर्ग के हैं उनकी तो पदोन्नतियां हो जाती हैं लेकिन जो हरिजन है, जो पिछड़ी हुई जाति का है उसको कोई नहीं पूछता है, उसकी कोई पदोन्नति नहीं हो सकती। मैं आपको बताता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेहतर जाति का ओमप्रकाश जी पंवार काफी सीनियर होते हुए भी थानेदार बन कर ही बैठा हुआ है लेकिन जो सवर्ण परिवारों के लोग हैं उनकी निरन्तर पदोन्नतियां की जा रही हैं। जहां तक गोपनीय प्रतिवेदनों का सवाल है उनमें भी भेद-भाव किया जा रहा है। आज कैलाशजी मेघवाल भी हरिजन मन्त्री हैं लेकिन उनके विभाग में भी क्या होता है। मैंने कैलाश मेघवाल को एक पत्र लिखा था, पदोन्नति के मामले में लिखा था कि कोट में एक सह-कारी इन्सपेक्टर है जो पन्द्रह साल से इन्सपेक्टर ही चल रहा है लेकिन उससे जो जूनियर लोग हैं उन सब का प्रमोशन कर दिया गया है। उसका प्रमोशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास में पैसा नहीं है, जाति से हरिजन है, मन्त्री के पास सीधी अप्रोच नहीं है। आज बैरवा समाज के किसी व्यक्ति का प्रमोशन नहीं हो सकता, आज हरिजन जाति के व्यक्ति का प्रमोशन नहीं हो सकता है। मैं आज निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मन्त्री महोदय से, हालांकि वे यहां पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं आपके मार्फत उनसे निवेदन करना चाहता हूं आज उनकी केबिनेट में हरिजन मन्त्री कितने हैं, अल्प-संख्यकों के मन्त्री कितने हैं? आज महबूब अली राज्य में मन्त्री तो हैं लेकिन वे केबिनेट स्तर के मन्त्री नहीं बन सकते, क्या कारण है? क्या उनकी योग्यता नहीं है, क्या उनकी काबलियत में किसी प्रकार की कमी है, क्या उनमें विशेषता नहीं है जो एक मन्त्री होने के लिए चाहिए। आज अल्प संख्यक ही नहीं, महिलाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है। डाक्टर लोहिया चाहते थे कि महिला को समान स्तर का दर्जा दिया जावे लेकिन आपने क्या किया है। आज राजस्थान के मन्त्रिमण्डल में कोई महिला मन्त्री केबिनेट स्तर की नहीं है। जो महिला मन्त्री हैं

(श्री गोपाल पचेरवाल)

क्या उनको केबिनेट स्तर का मन्त्री नहीं बनाया जा सकता ? इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपके जितने भी निगम हैं, जितने भी कार्पोरेशन हैं उनके अन्दर किसी महिला को, किसी अल्पसंख्यक को और किसी हरिजन को अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। पर्यटन विभाग के निगम में आप एक रानी को चेयरमैन बना सकते हैं, पर्यटन विभाग की अध्यक्षा एक रानी जी को तो बना सकते हैं लेकिन मेहतरानी को नहीं बनाया जा सकता। अल्प संख्यक महिला को नहीं बनाया जा सकता है। इन मुद्दों पर हमको सोचना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि क्या राजस्थान में कोई भी ऐसी महिला नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति हरिजन जाति में नहीं है कि जिसको किसी निगम का या किसी कार्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया जा सके, उसको केबिनेट स्तर का मन्त्री बनाया जा सके। आज अल्प संख्यकों के विकास की, पिछड़ी हुई जाति के विकास की बातें तो बहुत की जाती हैं लेकिन जब पदोन्नति का प्रश्न आता है तो किसी को पदोन्नति नहीं मिलती है। कांग्रेस के राज में भी यही होता था और आज भी यही होता है। कांग्रेस के राज में भी एक हरिजन को मन्त्री बनाया जाता था, जनता सरकार ने इस सम्बन्ध में कौनसा नया कदम उठाया ?

श्री शिवचरणसिंह : जमुना सोलंकी को तो निकाल दिया।

श्री गोपाल पचेरवाल : आरक्षण के मामले में जो भी समाजवादी तथा गांधीवादी मंत्री सरकार में बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में आरक्षण क्यों नहीं हो सकता ? हमारे श्री भंवरलाल जी शर्मा शिक्षा मंत्री हैं, श्री ललित जी सिंचाई मंत्री हैं। हम उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे हमारे लिए उनके विभाग में आरक्षण की नीति लागू करेंगे क्योंकि उनके इस प्रकार के संस्कार ही नहीं हैं, उनके इस प्रकार के विचार ही नहीं है, वे चाहते ही नहीं हैं। मैं आयोजना मंत्री जी, राजस्व मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, वित्त मंत्री जी सहित सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे 60 प्रतिशत आरक्षण की नीति को लागू करायें। आप लोग जिन डाक्टर लोहिया के नाम पर यहां पर बैठे हुए हैं, डाक्टर लोहिया जिस सिद्धान्त के लिए जिन्दगी भर लड़ते रहे, आज आप उनके सिद्धान्त को लागू करने में पीछे क्यों रहते हैं। आप लड़िये इसके लिए, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। अगर आप आरक्षण की नीति को लागू नहीं कर सकते तो मंत्रिमण्डल को त्याग दीजिए। आप कहिये कि डाक्टर लोहिया मरते दम तक साठ प्रतिशत आरक्षण के लिए लड़ते रहे हैं, हम उसको लागू करा कर मानेंगे। मैं आयोजना मन्त्री से कहता हूं कि इसमें बिहार का सवाल नहीं है, इसमें यू. पी. का सवाल नहीं है, आप राजस्थान में डाक्टर लोहिया के नुमायन्दे हैं, डाक्टर लोहिया का सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे है, मैं आग्रह करूंगा सरकार के सभी मंत्रियों से कि वे इस आरक्षण की नीति को लागू करायें। सरकार में हरिजन मंत्री भी हैं लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि

(श्री गोपाल पचेरवाल)

आज डाक्टर अम्बेडकर के जन्म दिन पर छुट्टी नहीं होती है । डाक्टर अम्बेडकर, जिसने संविधान को बनाया, के जन्म दिन पर छुट्टी नहीं हो सकती। गांधी के नाम पर छुट्टी हो सकती है, नेहरू जी के नाम पर छुट्टी हो सकती है लेकिन डाक्टर अम्बेडकर के जन्म दिन की छुट्टी नहीं हो सकती क्योंकि वह सवर्ण नहीं है। सवर्ण नेताओं की छुट्टी हो सकती है लेकिन आज डाक्टर अम्बेडकर, जो कि अछूतों का मसीहा है, जो अछूतों का देवता है, के जन्म दिन पर छुट्टी नहीं हो सकती है। कैलाश मेघवाल और सम्पतराम जी हमारे हरिजन मंत्री हैं, आप सरकार पर दबाव डालिये कि डा० अम्बेडकर के जन्म दिन पर छुट्टी हो वरना हम मंत्रिमण्डल में नहीं रहेंगे। आप कहेंगे कि यह तो भारत सरकार का मसला है लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप अपने प्रदेश में तो कर ही सकते हैं। यह तो आपकी सरकार के क्षेत्र की बात है, वे चाहें तो नेशनल लेवल पर प्रश्न उठायें, सदन में रखें और चाहे कहीं पर रखें लेकिन डाक्टर अम्बेडकर के जन्म दिन पर छुट्टी होनी चाहिए। मैं और भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार आपके सामने शिड्यूल्ड कास्ट्स कमीशन की रिपोर्ट आई थी, और उस समय मुख्य मंत्री द्वारा यह कहा गया था कि इस पर दो दिन तक चर्चा करेंगे लेकिन मुख्य मन्त्री अपने वायदे से मुकर गये, अफसोस है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो गांधीवादी हैं, लोहियावादी जो सरकार में बैठे हुए हैं वे इस बात पर जोर दें। आरक्षण के बारे में जो सवाल उठाया गया है उस पर जोर देकर आरक्षण कराना चाहिए।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी अल्प सख्यक जाति में से हूं और मुझे भी कहने का हक है, आरक्षण हो लेकिन वह पिछड़ी जाति का नहीं। पिछड़ी जाति के नाम से जिन्होंने फायदा उठाया उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसी की भी किस्मत में, तकदीर में नहीं लिखा रहता है कि हरिजन या रैगर या अन्य जाति का है। यह तो समाज के ठेकेदारों ने भिन्न भिन्न जातियों में समाज को बांट दिया और बड़े लोगों ने यह हालत पैदा कर दी कि वह पिछड़े हुए हैं। पिछड़ी जाति में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछड़ी जाति के नाम से बहुत ऊंचे बन गये हैं। श्री शंकर लाल जी ने प्रस्ताव रखा है, मैं कहता हूं जो सही मायने में गरीब हैं, जो सही इमदाद के हकदार हैं, उनको तो चुनाव करने वाले नजरअन्दाज कर देते हैं, उनको लिया नहीं जाता, उनको मदद करने की बात शंकरलाल जी ने प्रस्ताव में रखी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछड़ी जाति को बड़े लोगों ने पिछड़ा रखा उनको ऊंचा नहीं आने दिया, उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए लेकिन साथ ही उन लोगों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए जो अन्य जातियों में भी पिछड़े हुए लोग हैं। उनमें राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। उनमें भी रोजी-रोटी के मोहताज हैं तो यह

(श्री नूरी)

देखा जाना चाहिए कि किसकी कितनी आमदनी है, उसके पास कितना धन है और ऐसे लोगों को आरक्षण कतई नहीं दिया जाना चाहिए। सही रूप से जो आरक्षण के अधिकारी हैं, सही मायने में जो पिछड़े हुए हैं, जातियों का सवाल नहीं है, जैसा माननीय श्री मेजर साहब ने कहा, मेरा इलाका तो पिछड़ी जातियों के कारण नहीं बल्कि हकीकत में पिछड़ा हुआ है, इस बात की ओर ध्यान रख कर सरकार को विचार कर निर्णय लेना चाहिये, हकीकत में जो पिछड़े हुए हैं उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री शिवचरण सिंह : जो लोग मांग कर रहे हैं, या तो उनको बुलावें या कोई स्पष्ट आश्वासन दें। ये हमारे नहीं ये जनता पार्टी के लोग हैं—

(व्यवधान)

इनको जाना चाहिए और घोषणा करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री शंकर लाल : यह तो आ जाय कि ये उनसे मिलेंगे।

श्री नूरी : समाज कल्याण मन्त्री महोदय से मैंने निवेदन किया। इन्होंने मिलना स्वीकार नहीं किया। मैं निवेदन करूंगा कि समाज कल्याण की नीति पर विचार करें।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने उत्तर नहीं दिया तो उसके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। स्पष्ट उत्तर दिलावें। स्पष्ट उत्तर नहीं है तो मैं बायकाट करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब चर्चा समाप्त हुई। आपके दल के 2-3 सदस्य बोल चुके हैं। माननीय सदस्या।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी....

श्री अध्यक्ष : आज आपका मौन व्रत रहे। कृपया स्थान ग्रहण करें। दो बज गये हैं।

एक माननीय सदस्य : कृपया 1-2 मिनट का टाइम दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन की कार्यवाही बन्द करता हूं, आप या तो स्थान ग्रहण कर लीजिए....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव के द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री जी और गृह मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी लेकिन दोनों ही नहीं है। मैं काफी पूर्व में दोनों को ही पत्र लिख चुकी हूं और उनका ध्यान आकर्षित कर चुकी हूं लेकिन उनकी तरफ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, झुन्झुनू जिले के लाड़पुरा के रामकरण दीवान और महादेवसिंह पुत्र राजूराम ने मलसीसर के गफूर तेली को साढ़े तीन हजार रुपये दिये यह कहने पर कि वह उन्हें अरेबियन कंट्रीज में किसी भी

(94)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

जगह मजदूरी पर भेज सकता है। उन्होंने विश्वास करके रुपये दे दिये पासपोर्ट बनवाने के लिए। पासपोर्ट बनने के बाद दोनों व्यक्तियों को बम्बई भेज दिया गया। 4-5 महीने तक दोनों बम्बई रहे। बाद में कहा गया कि अभी नम्बर नहीं आया, वापस गांव चले जाओ, नम्बर आने पर बुला लेंगे, तब तक वीसा बनने की कार्यवाही हो जायेगी। इस प्रकार बम्बई में उनका हजार बारह सौ का खर्चा करवा कर वापिस गांव भेज दिया गया। फिर उनको सूचना दी कि लीबिया का वीसा तैयार है दिल्ली चले जाओ। उन्हें कहा गया कि लीबिया में साढ़े तीन हजार रुपये मजदूरी मिलेगी। कल हवाई जहाज से भेज देंगे। एयर-पोर्ट पर जाने के बाद कहा गया कि लीबिया का तो नहीं, लेबनान का हवाई जहाज तैयार है। लेबनान में अमुक पार्टी के पास जाकर कांटेक्ट कर लेना। वह गरीब आदमी लेबनान पहुंच गये। वहां जाकर उन बेचारे गरीब आदमियों ने पता किया तो उस नाम की कोई वहां फर्म ही नहीं, नौकरी का तो प्रश्न ही नहीं, उलटे यह बताया गया कि उनका वीसा ही नकली है, इसलिए पुलिस उनको पकड़ेगी, नकली वीसा लेकर कैसे आये। दोनों व्यक्तियों ने भारतीय दूतावास से सम्पर्क किया। लगातार पुलिस उनको तंग करने लगी कि हिन्दुस्तान से जासूसी करने आये हो। तो परेशान होकर भारतीय दूतावास की शरण ली। दूतावास ने भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित किया। भारत सरकार ने अपने पैसे से टिकट खरीद करके दोनों व्यक्तियों को पुलिस के संरक्षण में लेबनान से बम्बई और बम्बई से गांव पहुंचाया। लेबनान तक पहुंचाने के गफूर अली ने पहले साढ़े तीन हजार लिये और फिर साढ़े तेरह हजार कुल मिला कर सत्रह हजार रु० लिये और दो ढाई हजार रुपये के भारत सरकार ने टिकट खरीद करके लेबनान से वापस पहुंचाया। तो साढ़े तेरह हजार और साढ़े तीन हजार इस तरह से 17 हजार रुपये गफूर तेली और ओमप्रकाश देहलवी मलसीसर को दे दिये। दो, ढाई हजार का टिकट खरीद कर भारत सरकार ने उनको लेबनान से भारत वापस पहुंचाया उसमें वह खर्च हो गया। भारत सरकार को किश्तों में देना है वापस। तो इस तरह से 20-22 हजार रुपये तो खर्च हो चुके हैं। झुन्झुनू में अकाल पड़ा हुआ है। गांव को अकालग्रस्त घोषित किया जा चुका है। भारत सरकार की कुर्की आ गई है। भारत सरकार अपना पैसा मांग रही है कि टिकट के लिए पैसा दिया वह दो। उसके पास देने को है नहीं। तो उसने अपनी पत्नी, लड़की और बेटे की बहू सब जेवर बेचकर 20 हजार रुपये दिये। एक आदमी के धोखे में वह इस तरह आ गया है। वह आदमी आज घर से गायब है। भारत सरकार की कुर्की तो घर पर आ गई और उस आदमी का पता नहीं है कि वह मामचन्द कहां है। मैंने इस बारे में माननीय मुख्य मन्त्री और गृह मन्त्री दोनों को लिखा है। मैंने यह लिखा है कि जब आपके पास विटनेस है, भारत सरकार को जब मालूम है कि नकली वीसा दिया गया और जब वह वहां पर पहुंच गया तो कितना मेन्टल टार्चर हुआ, उसको कितनी फिजीकल परेशानी हुई यहां और वहां पर लगातार 5 दिन तक पुलिस की तहकीकात ने उसको परेशान किया। मैंने इस बारे में

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मुख्य मन्त्री जी व गृह मन्त्री जी को लिखा है लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री के यहां से वही स्टीरियोटाइप्ड उत्तर जो मोहनलाल जी सुखाड़िया और हरिदेवजी जोशी दिया करते थे वही उत्तर मिला कि आपका पत्र दिनांक क्रमांक मिला। वाह रे शेखावतजी, क्या कहने। इस प्रकार से किसी आदमी को धोखे से भारत से लेबनान भेज दे तो कितनी जबरदस्त गद्दारी की। गांव वालों ने बता दिया, भारत सरकार उसकी विटनेस है कि इसने क्या किया और क्या नहीं किया और पुलिस विटनेस है। उसके बाद भी राजस्थान के गृह मन्त्री और राजस्थान के मुख्य मन्त्री अपने यहां के लोगों के साथ, राजस्थान के लोगों के साथ इस तरह से धोखा धड़ी होने देते हैं और इस तरह से भारत के लोगों को और राजस्थान के लोगों को विदेशों में काम देने के नाम पर सरासर धोखा देते हैं। लेबनान जाकर इतनी परेशानी, इतना अपमान और इतनी ग्लानि उठानी पड़ी और राजस्थान सरकार का मुख्य मन्त्री यह लिखे कि मैं इस मामले को दिखवा रहा हूं तो, माननीय अध्यक्ष, मैं क्या कहूं? बड़ी शोचनीय स्थिति है, लज्जा की स्थिति है। यह इतना ही नहीं समझते हैं कि राजस्थान के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तथा सुरक्षा के लिए अपना कर्त्तव्य करें तो इस सरकार को, मुख्य मन्त्री को और गृह मन्त्री को एक दिन भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष, एक शब्द इसमें से निकाल दें। 'शेखावतजी' के स्थान पर 'शेखावत साहब' कर दिया जाय क्योंकि 'शेखावतजी' का और मतलब हो जाता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या हो जाता है।

श्री परसराम मदेरणा : और क्या मतलब हो जाता है?

श्री रघुनन्दन व्यास : पुरुष से स्त्री बन जाता है। राजपूतों में यह शेखावत जी स्त्री के आगे लगता है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह एक जाति विशेष का हाउस नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंहजी शेखावत।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री हरजीराम बुरड़क।

(अनुपस्थित)

आय-व्ययक बजट 1979-80।

श्री ईश्वर चन्द्र : माननीय सदस्या का जवाब नहीं दिया गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार को आप कहें कि किस दिन इस मामले का जवाब दे देंगे?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय गृह मन्त्री जी आयेंगे तब जवाब दे देंगे।

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि शेखावाटी के लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी की

(श्री नवरंगसिंह)

जा रही है तो सरकार को इस सम्बन्ध में आश्वासन देना चाहिए। हमारे यहां शेखावाटी के लोगों को बहका कर ले जाते हैं और वहां ले जाकर छोड़ देते हैं।

श्री ईश्वर चन्द्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह चेष्टा करूंगा कि सरकार का उत्तर आपके पास पहुंच जाय।

व्यवस्था का प्रश्न

निगमों के प्रतिवेदनों पर विचार

श्री ईश्वर चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि आप यह व्यवस्था करें कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट, रोडवेज कार्पोरेशन की वार्षिक रिपोर्ट आई हुई हैं, कान सिंह आयोग की रिपोर्ट, एस. टी. सी., पी. एस. सी., स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन, स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन की रिपोर्टस् आई हुई हैं तो इन रिपोर्टस् पर डिस्कशन हाउस में कब करेंगे ? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, मैं एक जानकारी लेना चाहता हूं........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, रामनारायणजी को पता है, माननीय सदस्य की भावना, कि वह क्या है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मैं यह समस्याएं रखूंगा और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी राय लूंगा। अगर आवश्यकता हुई तो सदन के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित करूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर एक जबरदस्त विचार चल रहा है सरकारी पक्ष में और सब जगह कि विधान सभा का यह अधिवेशन 31 मार्च को समाप्त होने जा रहा है, और 31 तारीख के बाद विधान सभा तत्काल स्थगित हो जायेगी। क्या आपके पास इसकी जानकारी है ? जब कि 2 तारीख तक का प्रोग्राम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने हाउस में दिया हुआ है। और राजस्थान सरकार ने हमें इन्फार्मली हाउस को चलाने को आश्वासन दे रखा है उसके अनुसार 10 तारीख तक चलेगा। यह स्पष्ट होना चाहिए। माननीय भटनागर साहब ने जो 8-10 रिपोर्टों का जिक्र किया है आप भी चाहते हैं कि सब विधान सभा में डिस्कस हों और हमारी भावनाओं को भी आप जानते हैं, लेकिन एक बड़ा माहोल है····

श्री अध्यक्ष : मैं अकेला नहीं चाहता हूं। मेरी यह निश्चित धारणा है कि माननीय सदस्यगण चाहते हैं। उनकी इच्छाओं का तो मैं प्रतीक हूं। इसलिए यह मेरा कर्त्तव्य है और जो मेरा कर्त्तव्य है वह मैं पूरा करूंगा। सरकार को कुछ भी अवगत कराना है इस सम्बन्ध में तो मैं निश्चित रूप से सरकार को जानकारी दूंगा और मैं यह चाहूंगा कि वह अपनी भावना व्यक्त करे और मुझे अवगत करायें।

श्री रामनारायण चौधरी : सरकार तो 31 तारीख के बाद तत्काल सदन को स्थगित कराकर भागना चाहती है। यह सूचना आपके पास है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 31 तारीख से यह सदन अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित नहीं होगा, यह आश्वासन आसन से हम चाहते हैं, क्योंकि हमको ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसी अफवाह है।....

श्री अध्यक्ष : मैं जानकारी प्राप्त कर लूंगा, माननीय सदस्या।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जानकारी प्राप्त करने से ही काम नहीं चलेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : सरकार भाग जायगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप हमको विश्वास दिलायें।

श्री रामनारायण चौधरी : सरकार मौन है। सरकार की साइलेन्स इस बात का प्रतीक है कि दाल में कुछ काला है।

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस तरह की रिपोर्ट आई हैं तो इन सारी प्रशासनिक रिपोर्टों पर डिस्कशन होना चाहिए। मंत्री महोदय विद्युत के यह आश्वासन दें कि बिजली बोर्ड की रिपोर्ट को डिस्कशन के लिए लेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : कहां डिस्कशन होगा। 31 तारीख को ही स्थगित कर रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 2 तारीख तक का सारा बिजनेस आ चुका है। पता नहीं कहां से माननीय रामनारायण जी को यह सूचना मिली है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : कहां से मिली है इससे क्या मतलब है। आप यह बताइये कि क्या यह सच है।

श्री दिग्विजय सिंह : वह खण्डन कर रहे हैं।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : आप यह आश्वासन दें कि इन रिपोर्टस् पर डिस्कशन होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य रामनारायण जी को कई कई तरह के स्वप्न आते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय रामनारायण जी को तो स्वप्न आते हैं लेकिन मुझे तो स्वप्न नहीं आता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस आसन से निश्चित तौर से आश्वासन चाहती हूं, मैं आपका विश्वास चाहती हूं कि आप इस सदन को इस बात से आश्वस्त करें कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिकमन्डेशन के मुताबिक जो 2 तारीख तक हाउस चलाना चाहिए वह चलेगा और बाकी और जो हमारे सामने सुझाव आये हैं, जो विभिन्न रिपोर्ट आई हैं उन पर भी हमको डिस्कशन करने का मौका देना चाहते हैं। सारे आयोग एवं बोर्ड की रिपोर्टस को देखते हुए निश्चित तौर से आप सदन को आश्वासन दें कि यह हाउस 31 मार्च को एब्सोल्यूटली, बिल्कुल स्थगित नहीं किया जायगा और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिकमन्डेशन के मुताबिक 2 तारीख तक तो चलेगा ही।

श्री रामनारायण चौधरी : जो रिपोर्ट माननीय भटनागर जी ने बताई और जिनके

(श्री रामनारायण चौधरी)

बारे में आपने स्वयं ने बताया था कि आप चाहते हैं कि सदन उन पर विचार करे....

श्री अध्यक्ष । माननीय सदस्या स्वयं एक जिम्मेदार और कर्मठ सदस्या हैं और पिछली सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। उन्होंने जिस तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया है उसके साथ मेरी एक हद तक सहानुभूति है, लेकिन आसन की भी एक सीमा है। सरकार को आसन किस हद तक बाध्य कर सकता है, माननीय सदस्या, इस सम्बन्ध में अवगत हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो डिलम्मा क्रियेट हो गया है।

श्री अध्यक्ष : मैं चेष्टा करूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : सरकारी पक्ष में डिलम्मा हो गया है जब कि मन्त्री बैठे हुए हैं। डिलम्मा हो गया है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : कह दिया है।

श्री अध्यक्ष : अगर सरकार चाहती है कि 31 तारीख तक चले तो उसके लिए व्यवस्था होगी कि सदन की कार्यवाही चले या नहीं चले। वह आपको पता चल जाएगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट 2 तारीख तक के लिए है।

श्री अध्यक्ष : वह तो आई है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह आ चुकी है।

श्री अध्यक्ष : वह तो सदन में है। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूं। मुख्य मंत्री जी हैं नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमने इस बारे में रियूमर सुनी है। यह सदन 31 तारीख को ही खतम किया जा रहा है।

व्यवस्था का प्रश्न

मद्य निषेध पर चर्चा

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय सर्वोदय नेता श्री गोकुल भाई भट्ट नशाबन्दी के प्रश्न पर 1 अप्रैल से आमरण अनशन करना चाहते हैं। यह सरकार गोकुल भाई के आमरण अनशन को फेस नहीं करना चाहती है इसलिए सरकार एबरप्टली इस सदन को स्थगित करना चाहती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो शिड्यूल है, उससे पहले यह सदन स्थगित नहीं होगा। आपने फर्माया है कि कानसिंह आयोग की रिपोर्ट आपको मिल चुकी है। इसी तरह से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट है। मान्यवर, आपने कहा है, मुख्य मन्त्री जी यहां हैं नहीं इसलिए कोई बात नहीं कह सकते हैं। मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी यहां बैठते नहीं हैं। मुख्य मन्त्री जी इस सदन को नहीं चलाते हैं। यह सदन आपके द्वारा चलता है। इसके लिए कोरम होना जरूरी है। मुख्य मन्त्री जी ने इस सदन में कभी बैठ कर सुनने की कोशिश की है? मुख्य मन्त्री जी सदन में आते नहीं हैं। किसी भी महत्वपूर्ण मामले में उन्होंने जवाब दिया नहीं है। कई महत्वपूर्ण मामले होते हैं। तो वह कभी

(श्री रामनारायण चौधरी)

दिल्ली में होते हैं, कभी बम्बई में होते हैं। तो, अध्यक्ष महोदय, क्या आप आश्वासन देते हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का कार्यक्रम एक्जीक्यूट होगा। उसके बाद ही सदन की कार्यवाही स्थगित होगी।

(व्यवधान)

मास्टर आदित्येन्द्र भी साथ जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आसन तो कहना चाहता है। सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाने को माननीय सदस्य रामनारायण चौधरी ने जो सदन के सामने समस्या रखी है, वह महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है और मुझे विश्वास है कि यह सरकार जो नशाबन्दी की समस्या राजस्थान में उत्पन्न हुई है, उसका सन्तोषजनक हल निकाल सकती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश होगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह तो हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : दूसरी बैठक एडवाइजरी कमेटी की मैं बुलाने की आशा रखता हूं। वह स्वीकृति देगी या अस्वीकृति देगी। जो व्यवस्था होगी वह सदन के द्वारा होगी।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया गया है कि सदन के नेता सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं। सदन के नेता सदन की मर्यादा को कम कर रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : आप वहां क्यों चले गये है। अपनी जगह आइये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार जो नाटक खेलना चाहती है उसमें आप हिस्सेदार नहीं बनें।

श्री अध्यक्ष : आसन का कोई सम्बन्ध ही नहीं है, माननीय सदस्या।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने निवेदन किया है कि सरकार के उस नाटक में आसन हिस्सेदार नहीं बनेगा, यही तो आश्वासन चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैं यह आश्वासन देता हूं कि मैं व्यवस्था निष्पक्ष रूप से दूंगा। इसमें मैं अलिप्त हूं।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक काल अटेंशन मोशन था। स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज ने जो बिक्री कर में रियायत दी है....

श्री अध्यक्ष : क्या दी है ?

श्री अब्दुल अजीज : स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज ने जो बिक्री कर में रियायत दी है।

श्री अध्यक्ष : मुझ से चेम्बर में आकर मिल लें, माननीय सदस्य। अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है।

(100)

(श्री अध्यक्ष)

अनुदान की मांगों पर विचार

माननीय राजस्व मन्त्री जी।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या-8 राजस्व व 41-सामुदायिक विकास की प्रस्तुति

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री (राजस्व मन्त्री) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 8-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,56,19,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री दिग्विजय सिंह (सामुदायिक विकास मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 41,34,33,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग संख्या 8 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

1. **श्री हरिश्चन्द्र सिंह** : राजस्व वसूली में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाया जावे इस पर चर्चा के लिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर)

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर)

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्रीमती श्यामाकुमारी सगर (कपासन)

2. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशनगंज) : जयपुर जिले में अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक वसूल की जाने वाले भू-राजस्व को कम किये जाने पर चर्चा के लिए।

3. जयपुर नगर के आस पास की 12 मील की कृषि भूमि को आबादी-भूमि में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

4. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : हजारों लोगों की भूमि (काश्त) गलत आवंटन हो गई, उन्होंने खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए उन्हें रद्द नहीं करने के कारणों पर चर्चा के लिए।

5. लैण्ड रेवेन्यू के सेक्शन 91 के अन्तर्गत हजारों मुकद्मात होने के कारण कास्तकारों को परेशानी हो रही उसके कारणों पर चर्चा के लिए।

6. भू-राजस्व अभियान के कारण नामान्तरकरण (मूटेशन) के जो अधिकार पंचायतों के हैं, उन्हें उन अधिकारों से महरूम कर देने पर चर्चा के लिए।

7. पटवारी को ग्राम पंचायत के मातहत में लगाने तथा पटवारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं को मिटाने पर चर्चा के लिए।

(श्री मूल चन्द डागा)

8. भू-राजस्व अभियान के कारण राजस्व अदालतों में काम बिल्कुल ठप्प हो जाने पर चर्चा के लिए।

9. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : सोजत तहसील में हुए सेटलमेन्ट में हुई धांधली की चर्चा के लिए।

श्री बहादुर सिंह (नोहर)

श्री शिवकरण बुहाड़िया (फागी)

श्री बालचंद आर्य (डग)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहर थाना)

श्री उमराव सिंह गूजर (महुवा)

10. **श्री डूंगरराम पंवार** (चूरू) : चूरू जिले में बढ़ाये गये भू-राजस्व की समस्या पर चर्चा के लिए।

11. कृषि गणना योजना पर विस्तार से विचार करने हेतु चर्चा के लिए।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

12. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : जिला नागौर के जालरियावास गउचर व गोन्दरड़ा आबादी पर नाजायज कब्जा काश्त कर लेने की चर्चा के लिए।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री नूरा (मसूदा)

13. **श्री रामदेव चौधरी** (मूण्डवा) : भ्रष्ट नायब तहसीलदार नागौर को भ्रष्ट साबित होते हुए भी निलम्बित न करने की चर्चा के लिए।

14. नागौर जिले के राजस्व अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

15. पटवारियों द्वारा हरे पेड़ कटवाने व काटने वालों के साथ जिला नागौर पुलिस थानाध्यक्षों का सहयोग कराने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

16. **श्री वृद्धिचंद जैन** (बाड़मेर) : बाड़मेर जिले में रेगूलराईजेशन के मामले में राज्य सरकार द्वारा त्रुटिपूर्ण रवैया अपनाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर असंतोष पर चर्चा के लिए।

17. **श्री नारायण सिंह** (मालपुरा) : राजस्व वसूली में काश्तकारों को होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिए।

18. **श्री हनुवन्तसिंह राणावत** (बाली) : इस वर्ष राजस्व में की गई वृद्धि अनुचित गोचर भूमि पर किये गये अनाधिकृत कब्जे नियमित कर दिए जाने में भ्रष्टाचार करने की चर्चा के लिए।

19. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा) : पटवारियों तथा गिरदावरों की भर्ती में अनियमितता पर चर्चा के लिए।

20. **श्री जगदीशचंद्र शर्मा** (रतनगढ़) : राजस्व मण्डल में पेंडिंग मामलों पर चर्चा के लिए।

21. **श्री ईश्वरचंद्र** (पिड़ावा) : तहसील पिड़ावा क्षेत्र में पटवारी व अन्य रेवेन्यू कर्मचारियों की निष्क्रियता को चर्चा के लिए।

22. सुनेल में सब तहसील खोलने की चर्चा के लिए।

23. **श्री परसराम मदेरणा** (भोपालगढ़) : राज्य सरकार की भूमि सुधार सम्बन्धी नीति पर चर्चा के लिए।

24. सूखा सम्भावित क्षेत्रों में कृषि भूमि आवंटन पर लगी रोक के विषय पर चर्चा के लिए।

25. भू-राजस्व की दर में तदर्थ वृद्धि की जाने के विषय पर चर्चा के लिए।

26. बाड़मेर में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन पर लगाई गई रोक के विषय पर चर्चा के लिए।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़)

27. भू-प्रबन्ध विभाग अपने कार्य में पूर्णतया असफल रहा, इस पर चर्चा के लिए।

28. राजस्व मण्डल, राजस्थान अपीलीय प्राधिकारी तथा भूमि अवाप्ति कार्यालय अपने-अपने कार्यों में असफल रहे इस पर चर्चा के लिए।

29. राजस्व अभियान में कार्य करने वाले अधिकारियों की निष्क्रियता पर चर्चा के लिए।

30. राजस्व अदालतों में कामकाज निष्पक्षता से नहीं होने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली)

श्री आलम अली खां (फतहपुर)

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी)

31. काश्तकारी कानून को सरल बनाकर भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जावे इस पर चर्चा के लिए।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली)

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी)

32. भू-आवंटन नियमों का सरलीकरण कर काश्तकारों को लाभ दिया जावे, इस पर चर्चा के लिए।

33. **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) : सड़कों एवं बांध तथा अन्य निर्माण कार्यों में किसानों की अवाप्ति की भूमि का मुआवजा न मिलने बाबत चर्चा के लिए।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद)

श्री रतनलाल वर्मा (भीनाय)

34. अजमेर में राजस्व के मामले जो विचाराधीन हैं उनको निपटाने हेतु एक राजस्व अधिकारी की नियुक्ति किये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद)

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला)

श्री रतन लाल वर्मा (भीनाय)

35. अजमेर जिले में पुनः भू-संशोधन करवाये जाने से होने वाली कृषकों की अपार हानि पर एवं अब तक हुए भू-संशोधन को अतिशीघ्र मान्यता प्रदान करने हेतु चर्चा के लिए।

36. **श्री हजारी मल सारण** (सरदारशहर) : भू-राजस्व बढ़ाये जाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिए।

37. **श्री गुरशरण छाबड़ा** (सूरतगढ़) : राजस्व अभियान के सम्बन्ध में हुई गड़बड़ी पर चर्चा के लिए ?

37-ए अपीलों के अधिकार राजस्व मण्डल से राजस्थान सरकार अपने हाथ में ले तथा अभियान चलाकर बकाया मामले निपटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)

38. प्रान्त में राजस्व की दरों में बढ़ोतरी से जनता में फैले असन्तोष पर चर्चा के लिए।

श्री अजीतसिंह (टोंक)

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी)

39. तहसील टोंक में उप तहसील पीपलु की स्थापना किये जाने की चर्चा के लिए।

40. राजस्व अधिकारी बहुद्देशीय शिक्षण केन्द्र टोंक में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. **श्री करतार सिंह** (किशनगढ़) : राजस्व मण्डल में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य न लगाकर राजस्व सम्बन्धी अनुभवी अधिकारियों को सदस्य नियुक्त करने बाबत चर्चा के लिए।

42. राज्य के किसानों को शीघ्र व सस्ता और आसान न्याय उपलब्ध कराने बाबत राज्य के राजस्व न्यायालयों के गाँवों में सर्किट कोर्ट लगाने बाबत चर्चा के लिए।

43. पटवारियों को ग्राम पंचायतों के अधीन रखने बाबत चर्चा के लिए।

44. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 को समयानुकूल बनाने बाबत चर्चा के लिए।

45. अजमेर जिले में भू-संशोधनों (1962-71) को मान्यता न देकर पुनः भू-बन्दोबस्त करवाने के राज्य सरकार के निर्णय से किसानों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद)

(104)

श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर)

46. ग्रामीणों को अधिक सुविधा दिलाने के लिए नायब तहसीलों की बढ़ोतरी व रेगिस्तानी क्षेत्रों का पुनः भू-प्रबन्ध व पटवारी पंचायतों के अधीन लेने हेतु चर्चा के लिए।

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा)

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी)

47. भूमि प्रबन्ध में सुधार के सम्बन्ध में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. **श्री मनोहर सिंह मेहता** (माण्डलगढ़) : भू-राजस्व के अधिकार पंचायतों को देने तथा चरित्रवान व्यक्तियों को नियुक्त करने के बारे में चर्चा के लिए।

49. **श्री रतनलाल चौधरी** (रानीवाड़ा): बाढ़ से चूरी व पथरीली जमीन आ जाने से भूमि बेकार हो गई जिससे भू-राजस्व में कटौती करने बाबत चर्चा के लिए।

50. **श्री राम कृष्ण दास गुप्ता** (कोलायत) : समय पर सेटलमेन्ट न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

51. **श्री गंगाराम चौधरी** (रानीवाड़ा): जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में अनधिकृत अतिक्रमण के नियमन पर लगाई गई रोक के विषय पर चर्चा के लिए।

52. कृषि भूमि के क्रय पर लगी रोक के विषय पर चर्चा के लिए।

53. भू-राजस्व पर लगे सरचार्ज से उत्पन्न समस्या के विषय पर चर्चा के लिए।

54. बन्दोबस्त से पूर्व भू-राजस्व मे तदर्थ वृद्धि की जाने के विषय पर चर्चा के लिए।

55. **श्री अब्दुल अजीज** (मकराना) : पटवारियों को ट्रेनिंग के बाद इन्टरव्यू में न बुलाया जाये इस पर चर्चा के लिए।

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी)

56. पटवारियों को गृह तहसील में नियुक्त करने व स्थानान्तरण न करने पर चर्चा के लिये।

57. झालावाड़ के राजस्व न्यायालयों में हजारों विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण न होने पर चर्चा के लिये।

58. राजस्व मंडल में वकीलों को प्रतिनिधित्व न देने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

59. लगान वसूली में दमनकारी नीति अपनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल)

60. भू-राजस्व में सिरोही नगरपालिका सीमा संवत् 2012 से चले आ रहे अनिर्णित झगड़ों को नियमित कराये जाने पर चर्चा के लिये।

ी शिवचरण सिंह (बयाना)

61. राजस्व विभाग पर काम का बोझ अधिक होने से राजस्व अभियान चलाये जाते हैं इस कारण भ्रष्टाचार बढ़ा है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

62. अभावग्रस्त क्षेत्रों में राजस्व की वसूली किये जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर असंतोष पर चर्चा के लिये।

63. श्री ओमप्रकाश शर्मा बून्दी) : राजस्व अभियान में अनियमिततायें पुराने सीलिंग केसों की समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री ऱन्शीलाल सारस्वत (नागौर)

श्री ओंकार लाल चौहान (अटरू)

64. भू-प्रबन्ध में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरलाल

65. भूमि सुधारों की नीति में शिथिलता बरतने पर चर्चा के लिये।

66. जमीन के बंटवारों के पश्चात् म्यूटेशन मे देरी होने से खाता एक मानकर गलत सरचार्ज वसूल करने पर चर्चा के लिये।

67. जैतारण उपखण्ड में भू-आवंटन व अतिक्रमण हटाओ के मामले में हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

68. जैतारण उपखण्ड के राजस्व अधिकारियों द्वारा भू-पतियों से साँठ गांठ कर गरीब किसानों को परेशान करने पर चर्चा के लिये।

श्री ोपालसिंह (खण्डेला)

69. राजस्व अधिकारियों द्वारा किसानों को खातेदारी अधिकार देने में उदासीनता एवं मनमानी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. खण्डेला (सीकर) के बांध के पास गलत ... से भू-आवंटन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

71. राजस्व अभियान के कारण नामान्तरकरण आदि में अनावश्यक विलम्ब होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़)

72. सरकार की भूमि सुधारों के प्रति उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये।

73. बढ़ाये भू-राजस्व को खत्म कर 'ग्रेडिड सिस्टम' (जोतपर) से भू-राजस्व लगाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण)

श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर (कपासन)

श्रीमती नारंगीदेवी (किशनगंज)

श्रीमती गुणवन्त कुमारी (बैराठ)

श्री ामेश्वर दयाल यादव (चौमूं)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल)

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू)

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनी पार्क, जयपुर)

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा)

74. राजस्व मण्डल की एक स्थायी बैंच जयपुर में स्थापित कराने पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)

75. पटवार मण्डल में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. भू-राजस्व कानूनों के सरलीकरण एवं भू-राजस्व प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : साधना मन्दिर, भीलवाड़ा को प्रदान की गई 5 बीघा कृषि भूमि का पट्टा न दिए जाने पर चर्चा के लिए।

78. राजस्व अभियान के दौरान भी भू-प्रबन्ध से उत्पन्न समस्याओं के निदान न होने पर चर्चा के लिए।

79. नगरपरिषद की 2 मील की परिधि के कारण 50 गुनी पेनल्टी तथा जमीन नियमित न होने पर चर्चा के लिए।

80. सरकारी कर्मचारियों को कृषि योग्य जमीन के आवंटन से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

81. मेजर श्री फतेहसिंह (भीम) : भीम तहसील में भूमि सम्बन्धी समस्याओं का समाधान नहीं निकाला गया है उस पर चर्चा के लिए।

82. बिना भू-प्रबन्ध कराये ही भू-राजस्व बढ़ाने की सरकार की घोषणा से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिए।

83. कुओं से सिंचित भूमि को लगान मुक्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) : नील की खेड़ी की सैंकड़ों बीघा जमीन अब तक अलाट नहीं हुई है, जिसकी चर्चा के लिए।

85. मुकन्दपुरिया की जमीन को भूमिहीनों तथा अल्प भूमिहीनों को अलाट करने की चर्चा के लिए।

86. त्रिवेणी के आस पास गोवटा तालाब से सिंचित होने वाली जमीन का गलत ढंग से किस्म दर्ज की जिससे किसानों पर बहुत रकम चढ़कर आई है उस पर चर्चा के लिए।

87. काछोला में नायब तहसील बनाने की चर्चा के लिए।

88. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : रघुनाथपुरा, डोली, नोनेरा, अयानी श्रीपुरा

(श्री हीरालाल आर्य)

आदि में रास्तों के मामले बार बार निवेदन किये जाने के बाद भी नहीं निपटाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

89. पीपल्दा क्षेत्र में राजस्व अभियान के अन्तर्गत हुई विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

90. ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में लगान माफ किये जाने तथा वसूलियां स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

91. राजस्व अभियान में निपटे कार्यों पर सही अमल नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

92. खातौली में नायब तहसील खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. नायब तहसील इन्द्रगढ़ को तहसील बनाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

94. राजस्व अभियान के तहत रास्तों, सार्वजनिक भूमि तथा रहन मुक्ति के कई मामले नहीं निपटाये जाने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मालूराम (फलासिया) :

95. फलासिया क्षेत्र में उप तहसील कायम किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. क्षेत्र फलासिया में अधिकारियों द्वारा भूमि का गलत तरीके से आवंटन किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

97. वितरित की गई पास बुकों की अनुपयोगिता पर चर्चा के लिये।

98. अनुसूचित जाति एवं जन जाति और भूमिहीन कृषकों को आवंटित भूमि का कब्जा न दिलाये जाने के विषय पर चर्चा के लिये।

99. खसरा नं० 1662 की जमीन जो कलेक्टर, बाड़मेर द्वारा आबादी घोषित कर बाड़मेर नगरपालिका को सुपुर्द की उक्त जमीन को बाड़मेर के भूतपूर्व जमींदारों द्वारा रजिस्ट्रेशन करा कर गैर कानूनी बेचान किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

100. बाड़मेर जिले में गोचर और चरागाह जमीन के अतिक्रमण के विरुद्ध सरकार द्वारा ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. बाड़मेर जिले के बाखासार ग्राम में बाखासर ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा गोचर जमीन के अतिक्रमण करके कास्त करने पर भी सरकार द्वारा कोई ठोस कदम न उठाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

102. बाड़मेर जिले के करीब 10 ग्राम जिनका क्षेत्रफल 25 वर्गमील से अधिक हैं को अनेक गांवों में विभाजित नहीं करने

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

के कारण उक्त ग्रामों के विकास में बाधा पहुंच रही है जिससे उन गांवों की ग्रामीण जनता में गहरा असंतोष है इस विषय पर चर्चा के लिए।

103. **श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़) : भू-राजस्व वसूली से फैले असंतोष पर चर्चा के लिए।

104. झुन्झुनूं जिले में राजस्व मामलों के शीघ्र निपटारे व राजस्व अदालतों में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

105. **श्री एच. एन. शर्मा** (बेगूं) : भू-राजस्व में की गई 25% की तदर्थ वृद्धि को अविलम्ब समाप्त किये जाने हेतु चर्चा के लिए।

106. **श्री चिरंजीलाल गर्ग** (पुष्कर) : अजमेर तहसील में काश्तकारों को दफा 91 एल. आर.ए. के अन्तर्गत झूंठा परेशान किया जाने पर चर्चा के लिए।

107. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : पटवार मण्डल में फैले भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर चर्चा के लिए।

108. भू-राजस्व वसूली में पटवारियों द्वारा किसानों को परेशान कर मुकदमेबाजी में फंसाना व भ्रष्टाचार फैलाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

109. **श्री अब्दुल हादी** (चौहटन) : जिला बाड़मेर में स्थानीय भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि भूमि आवटन एवं नियमन अंदर कर शरणार्थियों को भूमि दी जाने के विषय पर चर्चा के लिए।

110. **श्री काशीनाथ गुप्त** (कुम्हेर) : उप तहसील जो दो तहसीलों के बराबर हैं वहां शीघ्र ही उप तहसील कायम करने हेतु चर्चा के लिए।

111. **श्री माधोसिंह** (रेवदर) : ग्राम लेवल के भू-राजस्व कर्मचारियों व पंचायतों के कर्मचारियों में समन्वय स्थापित कराने बाबत चर्चा के लिए।

श्री भेरू लाल बैरवा (शाहपुरा)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा)

श्री बालचन्द आर्य (डग)

112. **श्री रामप्रसाद लड्ढा** (माण्डल) : शाहपुरा तहसील जिला भीलवाड़ा के ग्राम घनोप, गणपतिया खेड़ा, नसवारिया, रतनपुरा, में ओलावृष्टि के परिणामस्वरूप उत्पन्न बरबादी से भू-राजस्व की मुक्ति करने के प्रश्न पर चर्चा के लिए।

113. **श्री किशनसिंह भाटी** (जैसलमेर): भू-राजस्व कानून को उपयोगी बनाने, समयबद्ध परिणामदायक बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री श्रवण लाल (हिण्डौन)

114. **श्री उमराव सिंह गूजर** (महुवा)

हिण्डौन तहसील के लहसोड़ा हल्का के पटवारी द्वारा मनमानी एवं माफ किया हुआ लगान जनता से वसूल करने एवं रसीद नहीं देने तथा राजस्व अभियान के तहत जनता को परेशान करने पर चर्चा के लिये।

(श्री उमरावसिंह गूजर)

115. हिण्डोन तहसील में नहरों एवं सड़कों में आई हुई जमीनों का मुआवजा चुकाने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये।

116. हिण्डोन में राजस्व के केसों को निपटारा नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

117. राजस्व के विभिन्न विभागों में फैले भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

118. राजस्व अभियान के समय में हुए भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की लापरवाही पर चर्चा के लिये।

119. राजस्व अभियान के तहत मामलों को निपटाने एवं रेगूलेशन के मामलों में सरकार द्वारा की गई मनमानी पर चर्चा के लिये।

120. **श्री खंगार सिंह चौधरी** (खारची): राजस्व की दरें बढ़ाये जाने से जनता में व्याप्त भारी असन्तोष की चर्चा के लिये।

121. **श्री बालकृष्ण थानवी** (फलौदी): भू-राजस्व संग्रहण में चलने वाली भारी अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

122. भू-राजस्व बढ़ाकर किसानों पर भारी बोझ डालने सम्बन्धी चर्चा के लिये।

123. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा): बांसवाड़ा – डूंगरपुर क्षेत्र से संग्रहण किये जाने वाले भू-राजस्व के औचित्य पर चर्चा के लिये।

124. बांसवाड़ा-डूंगरपुर क्षेत्र में जनजाति के लोगों से भू-राजस्व नहीं बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये।

125. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़): बालेसर को सब तहसील बनाने, राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं तथा पटवारियों की कमी पर चर्चा के लिये।

126. **श्री समरथलाल** (राजगढ़): उप-तहसील एवं पटवार मण्डल में व्याप्त भ्रष्टाचार के क्रम में चर्चा के लिये।

127. राजगढ़ (अलवर) में राजस्व अपीलीय कोर्ट खोलने के क्रम में चर्चा के लिये।

128. अलवर जिले के गांव रैणी में सब तहसील खोलने तथा ग्राम पंचायत वाइज पटवार सर्किलों का निर्माण करने के क्रम में चर्चा के लिये।

129. **श्री उमरावसिंह गूजर** (महुवा): हिण्डोन उप तहसीलों में राजस्व मामलों का निपटारा न किये जाने पर चर्चा के लिये।

130. महुआ तथा मण्डावर में कृषि योग्य भूमि पर मकान दुकान बना कर किये जाने वाले अतिक्रमणों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

131. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): उप तहसीलों एवं पटवार मण्डलों के पुनर्गठन बाबत चर्चा के लिये।

132. चरागाह भूमि पर से शक्तिशाली लोगों के कब्जे हटाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)

श्री विजयसिंह नदेरा (बांदीकुई)

133. **श्री लालशंकर डूंगर** (सागवाड़ा) : राजस्थान में असिंचित व सिंचित भूमि का 15 बीघा तक लगान माफ करने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़)

134. **श्री रामप्रसाद लड्ढा** (माण्डल); समयावधि पूर्ण होने पर भी दुबारा सरकार द्वारा सेटलमेंट नहीं किये जाने से भू-राजस्व की राजकोष को होने वाली हानि पर चर्चा के लिये।

135. भू-राजस्व के बाकी रहे मामलों को दुबारा राजस्व अभियान चलाकर निपटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : टोंक जिले में अन्त्योदय परिवारों को आवंटित भूमि का कब्जा नहीं दिये जाने व विवाद पूर्ण भूमि अलाट करने पर चर्चा के लिये।

137. **श्री नाथूलाल** (घाटोल) : घाटोल तहसील जिला बांसवाड़ा के भूगड़ा, वाडगुन आदि गांवों में राजस्व के कई पटवारी हल्कों में काश्तकारों को बंटवारे से वंचित रह गये हैं, इस पर चर्चा के लिये।

138. **श्री जगतार सिंह कंग** (करणपुर) : भू-राजस्व की बढ़ोतरी एवं वसूली से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल बैरवा (शाहपुरा)

139. **श्री कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : शाहपुरा तहसील जिला भीलवाड़ा में 20 वर्ष से भू-प्रबन्ध न होने के कारण उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

140. **श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी** (मावली) : पटवारियों के कार्य कलापों से गरीब काश्तकारों की परेशानियों पर चर्चा के लिये।

141. **श्री हरलाल सिंह खर्रा** (श्री माधोपुर) : ग्राम भाड़ली व ग्राम सुरानी में वर्षों से गश्त करते आ रहे किसानों को भूमि किस्म वेहड़ होने से रेग्यूलाइज नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

142. तहसील श्री माधोपुर में गोचर भूमि को काश्त करने व बेदखल करने के बाद भी काश्त करने पर उन पर कारगर कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

143. राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन बेहड़ किस्म जमीन दर्ज हो जाने पर उसको गोचर भूमि मानने से वर्षों से काश्त करते आ रहे किसानों को बेदखल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

144. राजस्व रिकार्ड में सिवायचक में नाल (कुए) दर्ज होते हुए भी व कृषकों द्वारा खातेदारी प्राप्त करने के प्रार्थना पत्र देने पर भी तहसील श्रीमाधोपुर (सीकर) के ग्रामवासियों के महीनों से पड़े प्रार्थना पत्रों पर खातेदारी अधिकार नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

145. ग्रामों में आने जाने के लिये आम रास्ते होते हुए भी राजस्व रिकार्ड में इनका इन्द्राज नहीं होने से आवागमन में होने वाली बाधा पहुंचने पर चर्चा के लिये।

146. ग्राम गढहकनेत की गोचर भूमि को बिना पंचायत की राय के अलाटमेंट करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

147. श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन) : भू-राजस्व की असमानता दूर करने बाबत चर्चा के लिये।

148. श्री हरीकृष्ण (नदबई) : गरीब काश्तकारों को राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा अनुचित रूप से परेशान किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

149. श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : निर्वाचन क्षेत्र केशवराय पाटन के कस्बा लाखेरी में सब तहसील बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

150. राजस्व संग्रहण में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

151. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : राजस्व अभियान में आवंटित भूमि पर कब्जा न दिलाने पर चर्चा के लिये।

152. केशवराय पाटन निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को सुलभ न्याय दिलाने के लिये केशवराय पाटन में राजस्व कोर्ट खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

153 राजस्व अभियान में अन्त्योदय परिवारों को आवंटित भूमि पर भूमिधारी द्वारा राजस्व बोर्ड में अपील करने पर पाबन्दी तथा निषेधाज्ञा जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

154. राजस्व विभाग में पटवारी कानूनगो नायब तहसीलदार तथा अन्य पदों में पदोन्नति एवं नियुक्तियां 60 प्रतिशत पिछड़ों को स्थान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

155 श्री विज्ञान मोदी (सुमेरपुर) : गोचर भूमि को अन्य उपयोग के लिये आवं-

(112)

(श्री विज्ञान मोदी)

टित किये जाने से व्याप्त जन असन्तोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

156. श्री गणेशलाल बैरागी (हिण्डौली) : राजस्व हेतु कृषकों का सहयोग व सुविधा हेतु हिन्डोलीमें परगनाधिकारी का कार्यालय स्थापित होने की चर्चा के लिये।

157. श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) : राजस्व के मुकदमों का निबटारा शीघ्र करवाकर गरीब काश्तकारों को बरबादी से बचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

158. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : आदिवासी क्षेत्र में कृषकों को भूमि से बेदखल किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

159 श्री जिथिंग (कुशलगढ़) : आदिवासी भूमिहीन लोगों को बेदखल किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

160. श्री नूरा (मसूदा) : ग्रामों से लिया जाने वाला राजस्व सारा ग्राम पंचायतों को देने पर चर्चा के लिये।

161 अभाव व अकाल पड़ने पर उस साल का छोटे काश्तकारों का सारा राजस्व माफ कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगजमण्डी)

162 श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) : पटवार मण्डलों में फैले भ्रष्टाचार तथा रामगंज मण्डी में भूतपूर्व राज्य कर्मचारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार को सरकारी संरक्षण देने के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला)

163. श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर) : पंचायत राज संस्थाओं को शक्तिशाली एवं सुदृढ़ बनाने के लिये राजस्व प्राप्ति पंचायतों को देने पर चर्चा के लिये।

164. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : राजस्व निरीक्षकों को सिरोही जिले से बाहर ट्रांस्फर कराने हेतु नीति निर्धारण करने हेतु चर्चा के लिये।

165. पिण्डवारा तहसील के कई गांव बिना नाम दर्ज हैं, इस पर चर्चा के लिये।

166. राजस्व मण्डल में नायब तहसीलदारों व राजस्व निरीक्षकों के सिनीयरिटी के घपलों के बारे में चर्चा के लिये।

167. श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : पटवार मण्डल एवं राजस्व मण्डल में बढ़ती हुई अनियमितताओं एवं अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहम्मद जहूर (कामां)

168. श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : कामां क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने तथा किसानों की फसलें नष्ट हो जाने से किसानों का राजस्व लगान माफ कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

169 श्री बत्तीलाल मीना (टोडाभीम) : भू-राजस्व एवं लगान कम किये जाने के बारे में चर्चा के लिये।

170 श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार) : तहसील सवाईमाधोपुर खण्डार में किसानों पर नाजायज पेनल्टियां लगाने व उनकी वसूली की रोकथाम की जाने हेतु चर्चा के लिये।

171. श्री नत्थी सिंह (लक्ष्मणगढ़) : राजस्व मण्डल में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार के क्रम में चर्चा के लिये।

172. श्रीमति सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू) : बिना बन्दोबस्त कराये 96 तहसीलों मे पच्चीस प्रतिशत लगान बढ़ाये जाने पर चर्चा करने के लिये।

173. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : संवत् 2012 से 2024 तक के काबिज किसानों को नगरपालिका क्षेत्र में खातेदारी न प्रदान करने पर चर्चा के लिये।

174. श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : राजस्थान में राजस्व कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार से श्राम जनता के असन्तोष की चर्चा के लिये।

175. जयपुर में राजस्व मण्डल की स्थायी बेंच कायम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

176. श्री बजरंग लाल शर्मा (बनी पार्क, जयपुर) : सरकार की भूमिसुधारों के प्रति उदासीनता पर चर्चा के लिये।

177. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) किसान छात्रावास नागौर की भूमि के मामले में अनावश्यक रूप से राज्य सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने पर चर्चा के लिये।

178. राजस्व मण्डल द्वारा लैण्ड रिकार्ड्स कर्मचारियों के प्रमोशन में धांधली बरतने पर चर्चा के लिये।

179. नायब तहसीलदारों के प्रमोशन में मनमानी करने पर चर्चा के लिये।

180. श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) : बिजोलिया क्षेत्र मे कई जगह भीलों की जमीन पर खनिज का काम करने वाले पत्थर और मलवा डालकर जमीन को बर्बाद कर रहे हैं सो उसे तुरन्त रोकने की चर्चा के लिये।

181. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही): सिरोही में कृषि भूमि पर गैर कानूनी कब्जा हटाने बाबत चर्चा के लिये।

182 श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : अनुसूचित जाति एवं अन्त्योदय किसानों को लगान से मुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

183. श्री शीशराम ओला (पिलानी) : पटवार मंडल में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत की चर्चा के लिये।

184. जिला झुन्झुनू में दुबारा शीघ्र सैटलमेन्ट करवाने की चर्चा के लिये।

(114)

185. **श्री मेघराज पंवार** (चुरू) : सेंटलमेन्ट विभाग में फैली अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

186. अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में सख्ती से किए जाने वाली राजस्व की वसूलियों से उत्पन्न स्थिति के सबध में चर्चा के लिये।

187. अनुचित लगान वृद्धि के संबंध में सरकार की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

188. **श्री गुल मोहम्मद** (जोहरी-बाजार, जयपुर) : भू-राजस्व की दर में 25 प्रतिशत तदर्थ वृद्धि करने के संबंध में चर्चा के लिये।

189. **श्री सूर्य प्रकाश** (खेखाड़ा) : भू-राजस्व अभियान के अन्तर्गत विरासती नहीं खुलवाने की चर्चा के लिये।

190. **श्री सूर्य प्रकाश** (खेखाड़ा) : भू-राजस्व अभियान के अन्तर्गत चरागाह भूमि के नाजायज कब्जों के संबंधित विषय पर चर्चा के लिये।

191. भू-राजस्व अभियानों में भूमि एलोटमेन्ट से संबंधित कार्यवाही पर चर्चा के लिये।

192. **श्री खेतसिंह** (शेरगढ़) : राजस्व कार्यालयों में परिकल्पना का अभाव, भूमि सुधारों के प्रति उदासीनता व व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

193 भ्रष्टाचार मिटाने तथा काश्तकारों को खातेदारी की हकूक दिये जाने पर चर्चा के लिये।

194. **सुश्री पुष्पा** (आमेर) : जयपुर जिले में अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक वसूल की जाने वाली भू-राजस्व को कम किये जाने पर चर्चा के लिये।

195. जयपुर में राजस्व मण्डल की स्थाई बेंच कायम करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हजारीमल सारण (सरदार शहर)

श्री नवरंग सिंह (नवल गढ़) :

196. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू) गांवों में पशुओं की संख्या के अनुपात में नियमानुसार गोचर भूमि घोषित करने पर चर्चा के लिये।

197. **श्री हजारीमल सारण** (सरदार शहर) : पटवारियों को गृह तहसीलों में स्थानान्तरण से उत्पन्न स्थिति पर विचार बाबत चर्चा के लिये।

198. चुरू तहसील में भू-राजस्व की बढ़ी हुई दरों पर विचार बाबत चर्चा के लिये।

199. पंचायतों की मांग के अनुसार आबादी भूमि के विस्तार बाबत चर्चा के लिये।

200. **श्री गोपालसिंह 'आहोर'** : सैटलमेन्ट होने पर भू-राजस्व बढ़ाया जाना आवश्यक नहीं है इस पर चर्चा के लिये।

201. **श्री मेघराज पंवार** (चूरू) : चुरू जिले के गांवों में जिनका खारा पानी है और एक भी कृषि सिचाई कुआ नहीं है

(श्री मेघराज पंवार)

उस क्षेत्र में अलग कृषि भूमि का चाही लगान अनुचित रूप से क़ायम किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

202. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अनुसूचित जाति एवं जनजाति और भूमि हीन कृषकों को आवंटित भूमि का कब्जा न दिलाये जाने के विषय पर चर्चा के लिये।

203. बाड़मेर जिले के ग्राम, जिनका क्षेत्रफल 25 वर्गमील से अधिक है, को अनेक गांवों में विभाजित नहीं करने के कारण उक्त ग्रामों के विकास में बाधा पहुंच रही है जिससे उन गांवों की ग्रामीण जनता में गहरा असन्तोष है इसी विषय पर चर्चा के लिये।

204. पटवारियों द्वारा नामान्तर करण की कार्यवाही में देरी करने के कारण किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

205. बाड़मेर जिले में गोचर और चरागाह जमीन के अतिक्रमणियों के विरूद्ध राजस्व विभाग द्वारा ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

206. बाड़मेर जिले में सिवाय चक की सरकारी बिला कब्जा पड़त जमीन पर दिनांक 31–12–75 तक अतिक्रमण किये हुये मामलों को बाड़मेर परगना अधिकारी द्वारा भूमि आवंटन परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाकर नियमन कराये जाने के उपरान्त भी उक्त नियमन का क्रियान्वयन नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

207 बाड़मेर जिले में काश्तकारों को जो पास बुकें वितरित की गई हैं उनमें उनके खातेदारी हकूकों का पूरा विवरण नहीं दिया गया है, यहां तक कि नक्शे भी साथ में नत्थी नहीं किये गये हैं, अतः उनमें तीव्र असंतोष है जिसपर चर्चा के लिये।

208. श्री रणमल सिंह (सीकर) :
श्री रामनारायण चौधरी (मण्डवा) : रेवेन्यू अपीलाट अथोरिटी की अदालतों में मामलों के निपटाने में विलम्ब पर चर्चा के लिये।

209. राजस्व अदालतों में राजस्व मामलों को निपटाने की प्रक्रिया को तेज करने पर चर्चा के लिये।

210. राजस्व मण्डल के द्वारा पटवारियों की भरती कर लेने के बाद उनको नियुक्ति नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

211. श्री लालचन्द्र (भादरा) : जहां-जहां फसल नष्ट हुई है वहां राजस्व की वसूली स्थगित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

212 श्री रामप्रसाद लढ्ढा (माण्डल) : जिन तालाबों में पानी भर जाता है ½ लगान लिया जाता है जब पानी बिलकुल नहीं आता है तो पूरा लगान लिया जाता है जब कि नहीं लेना चाहिये क्योंकि दोनों ही

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

परिस्थितियों में काश्त नहीं होती है, इस पर चर्चा के लिये।

213. राजाजी का कटेड़ा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में नायब तहसील कायम होने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

214. नगरपालिका मांडल के तहत राजस्व मामलों को निपटाने का अधिकार वहां के तहसीलदार को हो क्योंकि अनुसूचित जाति व जनजाति के काफी लोग हैं जो भूमि हीन हैं उनके कब्जे में आधा बीघा जमीन कुल है उनको बार-बार बेदखल किया जाता है इस बाबत चर्चा के लिये।

215. **श्री हनवन्त सिंह राणावत** (बाली) : गोचर भूमि को गलत ढंग से किस्म परिवर्तित करवा कर अधिकारियों द्वारा की गई गड़बड़ी की चर्चा के लिये।

216. पाली जिले में अधिकारियों द्वारा अनधिकृत व बेनामी भूमि को अपने प्रभाव में रखकर जनता को परेशान किया है, की चर्चा के लिये।

217. **श्री अयूब खां** (तिजारा) : नायब तहसीलदार तक के सभी पदों में भरती हेतु सेवा नियम बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

218. नायब तहसीलदार तक के राजस्व कार्यालयों में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

219. राजस्व अभियान में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

220. **श्री मदनसिंह दांता** (दांता रामगढ़) (1) दांतारामगढ़ तहसील में एक उप तहसील खोलने हेतु एवं भूमि आवंटन में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

221. **श्री रतनलाल वर्मा** (भिनाय) : अमीनों द्वारा पैमाइस के मौके के समय जिस प्रकार की खेतों की स्थिति हो उसी प्रकार के नक्शे बनवाने एवं सही तरमीम करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

222. सर्वे के समय, तालावों की आवें, पानी की मोरियां, रास्ते व खेतों के रास्ते मौके अनुसार नक्शे में सही बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

223. जिस खसरे की भूमि पर जो काश्तकार काश्त कर रहा है, मौके पर निरीक्षण कर, उसी के नाम खसरा लेखा में दर्ज कराने हेतु चर्चा के लिये।

224. कई भाइयों के व दूसरे किसानों के नाम एक ही खसरे में दर्ज कर एक ही खाते में नाम अंकित कर देने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

225. शामलाती खातों का बटवारा मौका कब्जा के अनुसार कर किसानों को राहत दिलावें ताकि वे अपने लगान जमा कराते रहें इस पर चर्चा के लिये।

226. राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 15 की आड़ लेकर पुस्तैनी जमीनों

(श्री रतनलाल वर्मा)

की खातेदारी न देकर बेदखल करने पर चर्चा के लिये।

227. तालाब पेटा आई भूमि जिस पर किसानों का पूर्वजों से कब्जा है खातेदारी हक न देने पर व फसलों को नीलाम करने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

228. सन् 1962 में विज्ञप्ति निकली $37\frac{1}{2}$ बीघा तक की खातेदारी देना उसका पालन न कर दूसरी विज्ञप्ति $22\frac{1}{2}$ बीघा की निकल गई इस पर किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

229. 7।। बीघा तक खेत में मिली हुई या जुड़ी हुई भूमि की किसानों को खातेदारी देने पर व उसका पट्टा उसी समय प्रदान करने हेतु चर्चा के लिये।

230. पिता के जिन्दा रहते बेटों के नाम भूमि अन्तरण नहीं किये जाने यानि दाखिल खारिज न करने से उत्पन्न होने वाली स्थिति पर चर्चा के लिये।

231. बन्धों के पेटा डूब में आई जमीन के ऐवज जमीनें देना व किसानों के घरों का मुआवजा देने और उन्हें दूसरी जगह बसाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

232. कई किसानों की पुश्तैनी भूमियां वक्त सेटलमेन्ट शिड्यूलडकास्ट वाले काश्त करते थे खाते में उनके नाम दर्ज कर दी गई शिड्यूलड कास्ट वाले नहीं चाहते किन्तु दुरुस्ती नहीं की जाती है इस पर चर्चा के लिये।

233. तालाब से पीने वाली जमीने तालाबी दर्ज कर रखा है और तालाबों में पूरा पानी नहीं होने से किसानों ने कुएं खोद लिये और खेतों की पिलाई कर रहा है, ऐसी जमीनों की चाही तालाब दर्ज करने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

234. जिन किसानों ने स्वयं ने अथवा कर्ज लेकर कुओं का निर्माण किया है उनसे चाही भूमि का लगान न लेने व अब तक वसूल किये गये लगान को धीरे निर्माण करने हेतु उन्हीं किसानों को अनुदान के रूप में देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

235. किसानों द्वारा अपने निजी साधनों से या कर्जा लेकर नाड़े बनाये हों उनका लगान न बढ़ाना व अनुदान के रूप में राशि वापस देकर लघु सिंचाई को प्रोत्साहन देने बाबत चर्चा के लिये।

236. वन भूमि की काबिल काश्त भूमियों को जंगलात विभाग से हटाकर अन्त्योदय व गरीब परिवारों को आवंटन करने हेतु चर्चा के लिये।

237. जिस ग्राम में जो गोचर भूमि प्रदर्शित है उसे वहां की ग्राम पंचायत के सुपुर्द करने पर चर्चा के लिये।

238. मन्दिरों मस्जिदों की जमीनें जिनको व्यक्तिगत खाते में दर्ज कर दी गई हो, उन जमीनों को व्यक्तिगत खाते से हटा-

(श्री रतनलाल वर्मा)

कर मन्दिर व मस्जिद के नाम कराने हेतु चर्चा के लिये।

239. चरागाह कायम होने के बाद के नाजायज कब्जों को हटाया जाय चाहे वह कितना ही बलशाली व्यक्ति क्यों न हो पूर्व के क़ब्जों को नियमित कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

240. मौके रास्तों को नक्शों में इन्द्राज करना किसानों की वाजिबुल अर्ज लिखना उसकी कापी हर किसान को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

241. सार्वजनिक तालाबों की पानी की भूमि की व्यक्तिगत खातेदारी को खारिज करना और जहां कब्रिस्तान या श्मशान दर्ज कर दिया हो उसे हटाकर उस भूमि को सार्वजनिक दर्ज करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

242. सन् 1958 से सन् 1978 तक राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेशों की पालना नहीं की गई है इससे उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

243. सैटलमेंट होते समय ग्राम निवासियों की समितियां बनाना और उनके निर्णयानुसार मौके के मुताबिक तरमीम एवं खसरा इन्द्राज कर नक्शे और खसरे को सही बनाना और कमेटी के हस्ताक्षर करवाना, इस पर चर्चा के लिये।

244. पास बुकें राजस्व अधिकारियों के दस्तखतों से दी जावें जिसमें कि नक्शे की नकल खाते की नकल उसका वाजिबुल अर्ज लिखने पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 41 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर)

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी)

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा)

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन)

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज)

1. पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव शीघ्र सम्पन्न कराये जाने पर चर्चा के लिये।

2. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को जन उपयोगी बनाये जाने हेतु इनके पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : विकास अधिकारियों की नियुक्ति में बरती जा रही मनमानी पर चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी)

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा)

श्री रामदेव चौधरी (मूण्डवा)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं)

श्री नूरा (मसूदा)

4. पंचायत समितियों के शिक्षा कर के उपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

5. **श्री रामनारायण चौधरी** (मन्डावा): प्रदेश में पंचायत समितियों, जिला परिषदों के चुनाव नहीं करा कर नौकरशाही के हाथों सौंप कर अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त कर दिए जाने के प्रश्न पर चर्चा के लिये।

6. **श्री हजारीमल सारण** (सरदारशहर): विकास अधिकारियों के चयन में पक्षपात पर चर्चा के लिये।

श्री अजीतसिंह (टोंक)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी)

7. पंचायतों में ग्रुप सचिव की नियुक्ति पर चर्चा के लिये।

8. **श्री करतार सिंह** (किशनगढ़): अजमेर व किशनगढ़ सीमा के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में भी शीघ्र कार्य के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत विकास कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. ग्राम पंचायतों को आर्थिक दृष्टि से और अधिक सुदृढ एवं सक्षम करने बाबत चर्चा के लिये।

10. पंचायत समितियों के अधीनस्थ प्राथमिक शालाओं के शैक्षणिक स्तर में निरन्तर हो रही गिरावट से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

11. राज्य सरकार द्वारा अजमेर जिले को समय पर वांछित गेहूं के आवंटन न करने के फलस्वरूप जिला प्रशासन द्वारा कार्यरत मजदूरों की संख्या में निरन्तर की जा रही कमी से मजदूरों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

12. राज्य सरकार द्वारा कार्य के बदले अनाज योजना में सम्पूर्ण राज्य में एक समान मजदूरी की दरें न देने बाबत चर्चा के लिये।

13. पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के चुनाव न कराये जाने से ग्राम जनता में फैल रहे असंतोष पर चर्चा के लिये।

14. वर्तमान में ग्रुप सचिव की प्रणाली से ग्राम पंचायतों को हो रही परेशानी हेतु चर्चा के लिये।

15. काम के बदले अनाज योजना में तकनीकी स्टाफ की कमी से विकास कार्यों में हो रही बाधा बाबत चर्चा के लिये।

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी)

16. सामुदायिक विकास में नौकरशाही द्वारा बाधा उत्पन्न करने एवं उसमें पुलिस तक के हस्तक्षेप के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर)

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी)

17. विभिन्न तहसीलों में आये विकास खण्डों के पुनः सीमा निर्धारण तथा पंचायत समिति के मुख्यालय क्षेत्रान्तर्गत स्थगित करने हेतु चर्चा के लिये।

18. **श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** (कोलायत) : काम के बदले अनाज योजना में अनाज के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये।

19. **श्री अब्दुल अजीज** (मकराना) : विभाग द्वारा हरिजनों के उत्थान के लिए विशेष साधन उपलब्ध कराने हेतु असफल रहने पर चर्चा के लिये।

20. **श्री रणजीत सिंह राठौड़** (ओसियां) : सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को जनुपयोगी बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

21. पंचायत समितियों द्वारा चलाये जा रहे फीडर स्कूलों को कन्फर्म करने हेतु चर्चा के लिये।

22. **श्री शिवचरण सिंह** (बयाना) : सामुदायक विकास विभाग में व्याप्त धांधली एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

23. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : राज्य में पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के चुनाव जल्दी से जल्दी कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : पाली जिले में काम के बदले अनाज योजना में श्रमिकों को कम मजदूरी व यातायात का अधिक खर्चा व लाखों के काम ठप्प होने की चर्चा के लिये।

25. **श्री मनोहरसिंह महता** (माण्डलगढ़) पंचायतों में ज्यादा से ज्यादा विकास के काम हों ज्यादा अधिकार दिये जायें तथा गांव के झगड़े गांव में निपटें तथा राजस्व के अधिकार पंचायतों को हों और पार्टी बाजी से ऊंचे रहें इसकी चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण)

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन)

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज)

श्रीमती गुणवन्त कुमारी (बैराठ)

सुश्री पुष्पा (आमेर)

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल)

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री औंकार लाल चौहान (अटरू)

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा)

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी)

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली)

श्री आलमअली खां (फतहपुर)

श्री बालचन्द आर्य

26. काम के बदले दिये जाने वाले अनाज के समय पर वितरित नहीं किये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण)

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन)

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज)

श्रीमती गुणवन्त कुमारी (बैराठ)

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमूं)

श्री बन्शीलाल सारस्वत (नागौर)

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल)

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा)

27. विकास कार्यों में विनियोजित पूंजी का समुचित लाभ प्राप्त नहीं होने के कारणों पर चर्चा के लिये।

28. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं सामुदायिक विकास योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिये।

29. श्री माधोसिंह (रेवदर) : जिला परिषद व पंचायत समितियों के लम्बे समय से चुनाव न कराने बाबत स्टाफ की निष्क्रियता के बाबत चर्चा के लिये।

30. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : राजस्थान में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत पंचायतों को सीमेन्ट न मिलने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

31. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) : बून्दी जिले में पंचायतों में अनाज नहीं मिलने तथा अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

32. डा. गंगा सहाय (कठूमर) : पंचायतों में नियुक्ति, पंचायत सचिवों द्वारा की जा रही उपेक्षा व अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

122

33. **श्री खेतसिंह राठोड़** (शेरगढ़) : काम के बदले अनाज योजना की कमियों के बारे में चर्चा के लिये।

34. **श्री मदनसिंह दांता** (दांतारामगढ़): ग्राम पंचायत भामा एवं खीरा का हैड क्वाटर रवानड़ी के पास करवाने बाबत तथा पंचायत समिति दांतारामगढ़ में घाटवा उढील लाडास जिला नागौर से हटाकर पंचायत समिति दांतारामगढ़ (सीकर) के अधीन करवाने बाबत चर्चा के लिये।

35. **श्री जयनारायण सालौदिया** (निवाई) : पंचायत समितियों व जिला परिषदों को नौकरशाही के हाथों सौंपने पर चर्चा के लिये।

36. **श्री बालकृष्ण थानवी** (फलौदी) : फलौदी तहसील क्षेत्र में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता पर चर्चा के लिये।

37. **श्री श्योपतसिंह मकासर** (हनुमानगढ़) : पचायतों को अधिक सक्षम किये जाने पर चर्चा के लिये।

38. **श्री नूरा** (मसूदा) : पंचायत समितियों की प्राथमिक पाठशालाओं में नियुक्त ट्रेन्ड बाल सेविकाओं में से कुछ को अनट्रेन्ड घोषित करने व कुछ को नहीं करने के पक्षपातपूर्ण रवैये पर चर्चा के लिये।

39. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंजमण्डी) : सामुदायिक विकास की असफलता पर चर्चा के लिये।

40. **श्री किशन सिंह भाटी** (जैसलमेर) : रेगिस्तानी क्षेत्रों की पंचायत समितियों द्वारा मैटेरियल कम्पोनेंट का हिस्सा जनता पर नहीं डालने व अनाज की पहुंच समयबद्ध बनाने तथा दूरगामी ग्रामों में सस्ती व सुलभ पहुंच करने पर चर्चा के लिये।

41. **श्री हरीकृष्ण** (नदबई) : पंचायत समितियों के ग्रामों में कोई प्रगति नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा)

42. राज्य में पंचायत राज की तीन स्तरीय प्रणाली के स्थान पर दो स्तरीय प्रणाली लागू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

43. केशवरायपाटन पंचायत समिति में कार्य के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण कराने एवं जीप की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये।

44. अनाज के बदले काम की योजना को सफल बनाने के लिए और धन राशि दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

45. **श्री विज्ञान मोदी** (सुमेरपुरा) : राज्य की जन कल्याणकारी सेवाओं को सामुदायिक विकास के नियन्त्रण में देने के संबंध में चर्चा के लिये।

46. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** (बाड़मेर) : राज्य में पंचायत समितियां एवं जिला

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

परिषदों के चुनाव अविलम्ब कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

47. श्री रावतराम (सुजानगढ़) : पंचायत समितियों एवं जिला परिषद के चुनाव कराने बाबत चर्चा के लिये ।

48. पंचायत राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं जन जातियों को जनसंख्या के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

49. सामुदायिक विकास की त्रुटिपूर्ण प्रशासनिक व्यवथा पर चर्चा करने हेतु चर्चा के लिये ।

50. श्री करतार सिंह (किशनगढ़) : नगरपालिकाओं को प्रति व्यक्ति दी जाने वाली अनुदान राशि के समान ही ग्राम पंचायतों को प्रति व्यक्ति अनुदान राशि देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

51. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : पंचायतीराज संस्थाओं के बकाया चुनाव शीघ्र करवाने के बारे में चर्चा क लिये ।

52. पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

53. पंचायत समिति सांचौर में प्राथमिक पाठशाला सावा, बदाकुआ (टापी) छोटी बीरोल, डडूसण, रामपुरा आदि गांवों में शीघ्र खोलने की चर्चा के लिये ।

54. पंचायत समिति सांचौर की शिक्षा शुल्क की निजी आय से प्राथमिक पाठशालाओं के भवन निर्माण एवं नई पाठशालाएं चलाने की अनुमति देने के लिये चर्चा के लिये ।

55. श्री बहादुर सिंह (नोहर) : ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को सामुदायिक विकास में अधिक सशक्त बनाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

56. श्री जिथिंग (कुशलगढ़) : ग्राम पंचायतों को क्षेत्रीय विकास से अधिक अधिकार दिलाने हेतु चर्चा के लिये ।

57. श्री नूरा (मसूदा) : ग्राम पंचायतों के विकास कार्य हेतु और अधिक धन दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी)

श्री माणक लाल ठाकोर (नैनवा)

58. काम के बदले अनाज में नौकरशाही द्वारा समुचित सहयोग नहीं देने एवं इस संभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये ।

59. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : विकास अधिकारी की नियुक्ति में हुई अनियमितताओं के बारे में चर्चा के लिये ।

60. पंचायत समिति सिरोही व जिला परिषद् सिरोही के स्टाफ के लोगों को दस दस वर्षों से स्थानान्तरण नहीं हुए हैं, उस पर चर्चा के लिये ।

(श्री रघुनन्दन व्यास)

61. सिरोही में पंचायत समिति में क्वार्टर्स नहीं बने इनकी जांच हेतु चर्चा के लिये।

62. श्री नाथूराम (बांगीजेरा) : -पंचायत समितियों जिला परिषदों के चुनाव शीघ्र कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : सामुदायिक विकास कार्यों में बढ़ती हुई पक्षपातपूर्ण रवैया के कारण हो रही घोर अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिये।

64. श्री बत्ती लाल मीना (टोडाभीम) : राजस्थान में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की असफलता पर चर्चा के लिये।

65 श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) : अध्यापकों का एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में तबादले तथा इसी प्रकार ग्राम सेवकों के तबादले किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. पचायत समितियों में विकास अधिकारी का नाम पंचायत समिति सेवक रखने तथा जिनको ग्राम के कार्यों में निष्ठा हो उन्हें ही रखने की चार्चा के लिये।

67. श्री नत्थी सिंह (लक्ष्मणगढ़) : पचायतों के द्वारा नव निर्माण कार्यों के लिए योजना नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिए।

68. ग्राम पंचायतों में काम के बदले अनाज के अन्तर्गत किये कच्चे कार्यों में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिए।

69. ग्रामीण क्षेत्रों में अफसरशाही के द्वारा निर्माण में किये भारी घोटालों पर चर्चा के लिए।

70. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) बाल सेविका की ट्रेनिंग प्राप्त अध्यापिकाओं को पचायत समितियों में, ट्रेन्ड ग्रेड न देकर अनट्रेन्ड ग्रेड देने बाबत चर्चा के लिए।

71. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) अनाज के बदले काम योजना में हो रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

72. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : पंचायत समिति भीनमाल, सावला जसवन्तपुरा एवं रानीवाड़ा में काम के बदले अनाज योजना का अनाज न मिलने बाबत चर्चा के लिए।

73. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) पंचायत समितियों द्वारा सामुदायिक विकास कार्यों पर बैल गाड़ी किराये के भुगतान न करने पर चर्चा के लिए।

74. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर प्रति 10 पंचायतों पर एक ओवरसियर तथा प्रति पंचायत समिति पर एक ए. ई. एन. की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री कौशल किशोर जैन)

75. विकास के अन्तर्गत राजस्थान में हुए कार्यों को पक्का तथा स्थाई कराने पर चर्चा के लिए।

76. **श्री रामेश्वर दयाल यादव** (चौमू) राजस्थान में ग्रुप सचिवों की कमी से ग्राम पंचायतों के कार्यों में रुकावट पैदा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

77. राजस्थान में भूतपूर्व सरपंचों के गबन एवं भारी घोटालों की बकाया वसूली नहीं होने पर चर्चा के लिए।

78. **श्री बजरंगलाल शर्मा** (बनीपार्क, जयपुर)

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : सामुदायिक विकास के हेतु आवश्यक परिकल्पना का अभाव एवं विकास की धीमी गति तथा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

79. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : ग्राम पंचायत पीलनवाद पंचायत समिति लाडनूं के उप सरपंच द्वारा समानान्तर पंचायत चलाने के मामले में उप जिला विकास अधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं करने तथा उसे प्रोत्साहित करते रहने पर चर्चा के लिए।

80. विकास अधिकारी डीडवाना द्वारा ग्राम कोलीया के अध्यापकों को गलत तरीके से निलम्बित कर देने पर चर्चा के लिए।

81. ग्राम सेवक पंचायत समिति दूदू को अनावश्यक रूप से निलम्बित कर देने तथा लम्बे समय तक निलम्बित रखने पर चर्चा के लिए।

82. **श्री मनोहर सिंह महता** (माण्डलगढ़) : मांडलगढ़ तथा कोटड़ी पंचायत समिति में महताजी का खेड़ा, रानी खेड़ा ग्रामों आदि जितने भी तालाब हैं उनकी क्षमता बढ़ाने की चर्चा के लिए।

83. मांडलगढ़ क्षेत्र के धानड़खेड़ी गांव को आदर्श गांव में लेने की चर्चा के लिए।

84. **श्री शीशराम ओला** (पिलानी) : पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने एवं बाकी पंचायती राज संस्थाओं के शीघ्र चुनाव करवाने की चर्चा के लिए।

85. सम्पूर्ण देश में पंचायती राज संस्थाओं का एक ढांचा बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : पंचायत समिति के अधीनस्थ शालाओं के शैक्षणिक स्तर में व्याप्त धांधली, भ्रष्टाचार, त्रुटिपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था, गबन व भारी घोटाले के कारण हो रही गिरावट पर चर्चा के लिए।

87. पंचायत समितियों व जिला परिषदों के चुनाव न होने, पंचायतों को नौकरशाही के हाथों न सौंपने तथा राजस्व अधिकार पंचायतों को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(126)

88. **श्री रामेश्वर प्रसाद** (जमवारामगढ़): क्षेत्र जमवा रामगढ़ में विकास अधिकारियों के प्रति विभाग द्वारा उदासीनता दिखाना एवं लापरवाही करना इस पर चर्चा के लिए।

89. **श्री मथुरादास माथुर** (डीडवाना): अशोक मेहता कमेटी की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा ठोस निर्णय लेने में असफलता पर चर्चा के लिए।

90. काम के बदले अनाज योजना की क्रियान्विति में श्रमिकों को भुगतान करने, खराब किस्म का अनाज देने एवं विकास अधिकारियों द्वारा मजदूरों को काम पर लगाने में पक्षपात करने से उत्पन्न समस्याओं के विषय पर चर्चा के लिए।

91. **श्री रामनारायण डूडी** (बिलाड़ा): पंचायत समितियों में नियुक्त प्रशासकों द्वारा मनमानी करने बाबत चर्चा के लिए।

92. पंचायत समितियों के चुनाव न करा कर पंचायतों की कार्य प्रणाली में निष्क्रियता पर चर्चा के लिए।

93. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बड़ी सादड़ी : श्री गंगरार तहसील क्षेत्र के लिए गंगरार पचायत समिति अलग बनाये जाने की आवश्यकता की चर्चा के लिए।

94. बड़ी सादड़ी तहसील क्षेत्र के लिए अलग से पचायत समिति को बनाये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

95. **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) : जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों को सशक्त बनाने के विषय पर चर्चा के लिये।

96. जिला परिषद् एवं पंचायत समितियों के चुनाव अविलम्ब कराये जाने पर चर्चा के लिए।

97. **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (झुन्झुनू): पंचायती राज संस्थाओं के अधूरे चुनावों के चक्र को शीघ्र पूरा करने हेतु चर्चा के लिए।

98. **श्री वृद्धि चन्द जैन** (बाड़मेर) : पंचायत समितियों को विधान सभा क्षेत्र के समकक्ष बनाये जाने पर चर्चा के लिए।

99. प्रत्येक ग्राम पंचायत में सचिव रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. पंचायत समितियों के अन्तर्गत चल रही प्राथमिक शिक्षा की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिए।

101. पंचायती राज को राज्य में सुदृढ़ बनाने हेतु चर्चा के लिए।

102. **श्री हरगोराम बुरडक** (लाडनूं): ग्रुप सचिव स्कीम लागू करने के कारण पंचायतों का काम ठप्प हो जाने पर चर्चा के लिए।

103. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा चयन आयोग को अनावश्यक रूप से बना रहने देने पर चर्चा के लिये।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

104. ग्राम पंचायत सिलनवाड़ पंचायत समिति लाडनूं के उप सरपंच द्वारा अलग से नाजायज पंचायत चलाने पर चर्चा के लिए।

105. काम के बदले अनाज योजना के बारे में स्पष्ट निर्देशों के अभाव में आने वाली रुकावटों पर चर्चा के लिये।

106. **श्री रामप्रसाद लड्ढा** (माण्डल): पंचायत समितियों व जिला परिषदों के चुनाव अविलम्ब कराये जाने की चर्चा के लिये।

107. सरपंच चिताम्बा (मांडल) के खिलाफ गबन की कार्यवाही होकर हटा दिया गया मगर अभी कार्य कर रहा है क्योंकि पंचायत समिति मांडल के पास इसकी सूचना नहीं है इससे विभागीय शिथिलता पर चर्चा के लिये।

108. मांडल में जिन सरपंचों के खिलाफ कार्यवाही चल रही है उनको पूरा न करने पर चर्चा के लिये।

109. काम के बदले अनाज के कार्यों को पूर्ण कराने पर चर्चा के लिये।

110. काम के बदले अनाज योजना में गेहूं का भाड़ा जो पंचायत से दिया जाता है उसके औचित्य पर चर्चा के लिये।

111. **श्री अयूब खां** (तिजारा): सामुदायिक विकास विभाग द्वारा शिक्षा तथा अन्य विकास कार्यों पर किये गये अनियमित खर्चे पर चर्चा के लिए।

112. **श्री रतनलाल वर्मा** (भिनाय): पंचायत समितियों को राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर पुनर्गठित कर वहां पर विकास अधिकारी आर. ए. एस. नियुक्त किये जाने व उसे सब डिवीजनल आफिस के अधिकार दिये जाने हेतु चर्चा के लिये।

113. भूमि बन्दोबस्त लगान वसूली तथा विकास के समस्त अधिकार पंचायतों को दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिये टेण्डर प्रथा को समाप्त कराने हेतु चर्चा के लिये।

115. ग्राम पचायत बान्दलवाड़ा में विक्रय सुदा 1400 प्लाटों पर अनाधिकार रूप से केन्सिल कर दिये जानें से उत्पन्न कठिनाईयों पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 8 व 41 पर विचार

मेजर श्री फतह सिंह (भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्तावों के जरिये से इस सरकार का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिन तथ्यों को मैं सदन के सम्मुख बयान करूंगा, वह कोई नई बात नहीं है। इस सदन को मालूम होगा कि इस विधान सभा के पहले सत्र में तहसील

(मेजर श्री फतहसिंह)

भीम की समस्याओं की ओर, राजस्व की समस्याओं की ओर मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। उस समय मैंने कहा था कि भीम की राजस्व की समस्याओं ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है। सात-आठ वर्ष पहले बन्दोबस्त हुआ। उसमें बहुत सी गलतियां हो गईं। नतीजा यह हुआ कि हजारों काश्तकारों की बीड़ों को बिला नाम दर्ज कर दिया गया। जब बिला नाम दर्ज हो गईं तो दूसरों को आवंटन हो गये। जब आवंटन हुए तो लोगों में मुकदमे बाजी हो गई। मैंने पहले बजट अधिवेशन में इस सदन में कहा था कि सरकार इस समस्या का समाधान, इस गम्भीर समस्या का समाधान निकाले। और अगर वह नहीं निकालेगी तो 15 अगस्त, 1977 से मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। इस घोषणा के बाद मुझे तत्कालीन स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर श्री कैलाश मेघवाल ने आश्वासन दिया कि वह एक कमेटी मुकर्रर करेंगे और सारे मामले की जांच करायेंगे। उन्होंने एक वन-मैन कमेटी मुकर्रर की जिसके सदस्य श्री जगदीश चंद्र अग्रवाल डिप्टी सैक्रेटरी रेवेन्यू थे। अभी वह अजमेर में हैं। वह रिपोर्ट सरकार को सितम्बर, 77 में प्रस्तुत कर दी गई। लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। कई मुकदमे स्टे कर दिए गए, जो 91 के तहत चल रहे थे। लेकिन तीन-तीन महीनों के लिए स्टे होते हैं और बाद में फिर चालू हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं तो फिर स्टे हो जाता है। इस स्थिति की ओर मैंने कई बार मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया, कई बार रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को भी कहा लेकिन जब कभी मैं कहता हूं तो वे कहते हैं हां। हां हां कर रहे हैं, लेकिन वे कर कुछ भी नहीं रहे। श्रीमन्, यह समस्या है जिसके ऊपर चिन्तन की आवश्यकता है और चिन्तन करने के लिए समय चाहिये। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राजस्व मन्त्री जी के पास और मुख्य मन्त्री जी के पास इस समस्या पर चिन्तन करने के लिए समय नहीं है। जो हमारे मुख्य मन्त्री महीने में दस दिन दिल्ली में निवास करते हैं उनको हमारी इस समस्या का निपटारा करने के लिए समय कहां से मिलेगा? इसलिए मैं राजस्व मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि समय रहते इस समस्या का समाधान करें। हम रेवेन्यू कमिश्नर से भी मिले, कलेक्टर से भी सारी स्थिति को स्पष्ट किया। कलेक्टर होशियार है आदर्शकिशोर सक्सेना और वह इस समस्या का हल भी करना चाहता है लेकिन बिना गवर्नमेन्ट आदेश के समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। बात यह है कि ये बीड़े और शेरे, जिनमें घास पैदा होती है, सैकड़ों वर्षों से किसानों के कब्जों में चले आ रहे हैं. लेकिन कभी रिकार्ड में उनका पजेशन नहीं था। इसलिए जब तक इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट के आदेश नहीं हों तब तक इनका नियमन कैसे किया जाय? जब तक गवर्नमेंट के आदेश नहीं हों तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि इसका निपटारा आप समय रहते करें। मैं आयुर्वेद के राज्य मन्त्री जी की तरह झूंठी बात नहीं कहना चाहता लेकिन दो वर्षों से यह सरकार इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकी, यह दुर्भाग्य की बात है। इसलिए अब जनता के सामने

(मेजर श्री फतहसिंह)

एक ही रास्ता खुला हुआ है और वह रास्ता है अहिंसात्मक आन्दोलन का। इसलिए सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि इसका समाधान निकाले। अगर इसका समाधान 15 अगस्त से पहले नहीं निकला तो भीम क्षेत्र में अहिंसात्मक आंदोलन होगा और वह क्या रूप लेगा, यह अभी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसका नेतृत्व फतहसिंह करेगा। मैं यह कहूंगा कि सब पंचायतें इसके विरोध में हैं सरकार इसका निर्णय नहीं कर रही है। सब पंचायतें त्याग-पत्र देंगी और सरकार से असहयोग करेंगी।

अब प्रश्न आता है, इधर के माननीय सदस्य कहेंगे कि सरकार के दल से आपका सम्बन्ध है, आप भूख हड़ताल कैसे करेंगे। थोड़े समय पहले श्री जहूर जी ने भूख हड़ताल की, उस वक्त दल की ओर से यह कहा गया कि ऐसा करना अनुशासनहीनता है, लेकिन जहां तक मेरे क्षेत्र के हित का प्रश्न है। अगर यह अनुशासनहीनता भी मानी जाय तो भी मैं अनुशासनहीनता करने से नहीं हिचकिचाऊंगा। इसलिए सरकार इस ओर ध्यान दे। मुख्य मन्त्री महोदय तक मेरा सन्देश पहुंचा दें और उनका ध्यान इस ओर दिलावें।

मैं एक बात और कह देता हूं, कैलाश जी मेघवाल, जिनका उदयपुर जिले से सम्बन्ध है, को इस समस्या की पूरी जानकारी है। वे जब तक राजस्व मन्त्री रहे, इस समस्या को हल करने की बराबर कोशिश करते रहे लेकिन जब से माननीय पुरुषोत्तम जी आये हैं वे समस्या को समझते हैं या नहीं, या समस्या उनकी समझ से बाहर है; मैं नहीं जानता। इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जो विकट स्थिति उत्पन्न होने वाली है उससे मुझे बचावें, मेरे क्षेत्र को बचावें। आप कह दीजिये कि हमारी मांग अनुचित है ताकि हम जनता को जवाब दे सकें लेकिन पौने दो वर्ष तक इस समस्या को टालते रहना सरकार और मेरे दल के लिए अशोभनीय है।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि कुओं से जमीन की सिंचाई होती है, उस सिंचित भूमि पर लगान नहीं होना चाहिये, कुओं से सिंचित भूमि को लगान से मुक्त रखना चाहिये। क्यों? कुओं को खोदने में काश्तकार धन लगाता है, परिश्रम करता है। सरकार का उसमें क्या योगदान है? जब वह कुंए खोद लेता है और सिंचाई करता है तो सरकार उस पर चाही लगान लगावे, मैं इसका विरोध करता हूं। जनता पार्टी ने जमीन को लगान से मुक्त करने की घोषणा की थी आपने कुछ बीघा बारानी जमीन को लगान से मुक्त कर दिया, यह पर्याप्त नहीं है। हमारे इलाके में प्रति व्यक्ति तीन, चार, पांच बीघा जमीन भी नहीं है वहां पर किसान ने कुंए खोदे हैं। आपकी लगान मुक्ति की घोषणा सेबारानी जमीनों पर

(2.38 म. प)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

असर पड़ेगा। हम जब चुनाव में जाते थे तो कहते थे कि कांग्रेस ने नहीं किया वह

(130)

(मेजर श्री फतहसिंह)

जनता पार्टी करने वाली है लेकिन आपने हमारे सारे करे-कराये पर पानी फेर दिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन कुओं के बनाने में सरकार का कोई योगदान नहीं है उन पर चाही लगान नहीं रखा जाय, उनको चाही लगान से मुक्त रखा जाय। बांध से या तालाब से सिंचाई होती है, आबपाशी होती है तो लगान लगना चाहिये और उस पर बढ़ाने की आवश्यकता हो तो बढ़ाया भी जाना चाहिए। लेकिन कुओं से सिंचित भूमि को सर्वथा लगान मुक्त रखने की आवश्यकता है और इसका पूरा औचित्य भी है।

श्रीमान्, एक और मुद्दे की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा था लेकिन कहीं इधर-उधर अटक गया, वह यह है कि भीम तहसील के 94 गांव और रायपुर तहसील के 24 गांव 1 अप्रैल, 1938 को उदयपुर महाराणा और जोधपुर महाराणा को दिये गये थे। माननीय माथुर साहब यहां बैठे हैं इनको भी इसकी पूरी जानकारी है। उस वक्त कांग्रेस ने, प्रजा परिषद् ने सबने इसका विरोध किया था कि यहां की जनता को मारवाड़ और मेवाड़ के शासकों को देना अन्याय करना है। यहां तक कि हरिपुरा कांग्रेस सेशन में भी इसका विरोध हुआ था।

कांग्रेस का शासन 30 वर्ष तक रहा, उनके शासन में भी मैंने कई बार यह सवाल उठाया लेकिन न मालूम एक भावात्मक बात बीच में पड़ी रहती है। मारवाड़ वाले कह रहे थे कि हमारे गांवों की एक इन्च भूमि भी अजमेर, ब्यावर राज्य को नहीं दी जा सकती। मेवाड़ में सुखाड़ियाजी कहते थे कि हमारे क्षेत्र की एक इंच भूमि भी अजमेर के साथ नहीं जा सकती। मैं इसका औचित्य बताता हूं, भौगोलिक स्थिति बताता हूं, जिस पर राजस्व मन्त्री सोचें। ब्यावर के पास बोरदर गांव है, आप मेरे साथ उस इलाके को देखें और मैं माथुर साहब को साथ में ले जाऊंगा। बोरदर गांव और आसपास के 10-15 गांव हैं, उस गांव के लोगों को उदयपुर जाना पड़ता है कलक्टरी के लिए। पहले वह ब्यावर में आए और उसके बाद 140 मील उदयपुर जाए। कलक्टरी से 150 मील दूर उस इलाके का उदयपुर के साथ रहने का क्या औचित्य है? आखिर सारा राजस्थान एक है। हमें जनता की सुविधा के अनुसार इसका रीआर्गनाइजेशन करना चाहिए।

इसी तरह से रायपुर तहसील का कोटरिएना ग्राम है। आप जानते हैं कि वहां से जैतारण व पाली जाने के लिए पहले 30 मील ब्यावर आना पड़ता है, फिर पाली या जैतारण जाना पड़ता है। अगर आप जनता का हित चाहते हैं, जनता को सुविधा पहुंचाना चाहते हैं तो रायपुर तहसील के वे 24 गांव जो 1 अप्रैल, 1938 से मारवाड़ को दिये गये थे, उनको ब्यावर में मिलाया जाए और भीम तहसील के सभी गांव जो 1 अप्रैल 1938 से मेवाड़ शासक को दिए गये थे, तत्कालीन महाराणा को, उनका पुनः अजमेर जिला और ब्यावर के साथ सम्बन्ध जोड़ा जाए। मैं ब्यावर जिले की मांग नहीं करता हूं। अगर करूं तो उसका भी औचित्य है। किसी जमाने में आज से 10 वर्ष पहले ब्यावर राजस्थान का आबादी के हिसाब से नवां शहर था। अगर आप उसको जिला बनायें तो भी माथुर साहब जानते हैं कि पाली व जैतारण के लोगों को रास और बाबरा के लोगों को ब्यावर और फिर पाली जाना पड़ता है कलेक्टरी के लिए। इसी तरह से कोटरिएना वालों को ब्यावर होकर जाना पड़ता है। इसका रीआर्गेनाइजेशन करिए और सुविधानुसार ब्यावर को जिला बनाना भी हो तो बनाना चाहिए। इसका औचित्य है ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं कुछ समय और लूंगा। भीम और रायपुर के लोग हमेशा स्वतन्त्र रहे हैं। शायद आप कहेंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं। अंग्रेजों के शासन से पहले भीम वालों ने कभी किसी शासन का आधिपत्य नहीं माना। ये ऐसे स्वतन्त्र थे जैसे मुगल काल में उदयपुर-मेवाड़ के शासक स्वतन्त्र थे। छुट-पुट लड़ाइयां हुआ करती थीं लेकिन

(मेजर श्री फतहसिंह)

किसी का शासन नहीं माना। तो ऐसी बहादुर कौम की इज्जत करें। इनकी प्रतिष्ठा व संगठन को बनाए रखने के लिए इनका सम्बन्ध ब्यावर से जोड़ा जाए।

अन्त में मैं सैनिक कल्याण की बात करना चाहता हूं। टाडगढ़ में एक विक्ट्री मैमोरियल धर्मशाला है जिसका निर्माण दिसम्बर 1924 में हुआ था। वह बहुत अच्छी इमारत है। आज के वक्त उसकी तीन लाख रुपये लागत होगी। उस फौजी धर्मशाला पर कुछ प्रतिक्रियावादी लोग और सेठ अतिक्रमण कर रहे हैं और उस धर्म शाला को हड़पना चाहते हैं। अदालतों में इसके लिए मुकदमे भी चल रहे हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। आज मैंने श्री महबूब अली, जिनका सीधा सम्बन्ध सैनिक कल्याण से है, से निवेदन किया है कि उस धर्मशाला को अपने नियन्त्रण में लें। जितनी अतिक्रमण की बातें हो गई हैं उनका सामना सरकार करे, गरीब जनता, किसान व भूतपूर्व सैनिक नहीं कर सकते।

मैं अधिक न कहता हुआ क्योंकि दुबारा घण्टी बजने वाली है, सरकार से निवेदन करूंगा कि जो बातें मैंने उठाई हैं, उन पर गम्भीरता से विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्तावों के द्वारा राजस्व मन्त्री व सरकार का ध्यान राजस्व सम्बन्धी समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्व की आय राज्य के खजाने में जाती है, राजस्व का सम्बन्ध 80 प्रतिशत जनता से है ऐसा सोच कर मैं मानता हूं कि मुख्य मंत्री ने जो प्रथम खोज की वह यह कि राजस्व के मामले में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है इसलिए उस भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए गांवों में खुली अदालतें स्थापित की जानी चाहिए। इन तथाकथित अदालतों में, मेरी समझ में नहीं आया, जिन बिन्दुओं पर गांव में राजस्व अभियान के अन्तर्गत निर्णय लेने होते हैं, उनके लिए राजस्व विभाग, जो सरकार का है, ने आदेश जारी किये हैं। राजस्व मन्त्री, आप उस पर निर्णय लेने वाले हैं जैसा मैंने पिछले साल निवेदन किया था मैं फिर पूछना चाहता हूं राजस्व मन्त्री से कि कौनसी अदालतें बिठाई गईं ? अदालतें बनती हैं सहायक जिलाधीश की। तहसीलदार की, 91 के केसेज में फैसला अगर तहसीलदार देता है मौके पर, तो वह अदालतों का निपटारा हो गया। कुछ नियमन और आवंटन के मामले तहसील एडवाइजरी कमेटी में आते हैं। इस एक बिन्दु पर इस सदन के माननीय सदस्यों का सहयोग लिया जाता है और बाकी जितने मामले हैं, अलग-अलग प्रकृति के चाहे कोआपरेटिव्स के सदस्य बनाने है, चाहे ओल्ड एज पेंशन चाहे दूसरे सवाल है, उन पर निर्णय लिये जाते हैं उसमें सदस्यों का न तो सहयोग है, न माननीय सदस्य सम्मिलित हैं। अगर आवंटन का कोई मामला है तो एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में उसकी राय ली जाती है और उसके हस्ताक्षर भी लिये जाते हैं। यह कहना गलत है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था, वह खुली अदालत होने से समाप्त हो गया। मैं आपको सूचित करना चाहता

(श्री परसराम मदेरणा)

हूं कि जो मामले नियमन या आवंटन सम्बन्धी इस कमेटी के सामने आए, पहले एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाने का प्रावधान राजस्थान लैंड रेवेन्यू (अलाटमेंट आफ लैंड फार एग्रीकल्चर पर्पजेज) रूल्स 1970 के रूल 13 के अन्तर्गत थे उसका सशोधन करके अब पंचायत मुख्यालयों पर आप इस प्रकार की मीटिंग बुलाते हैं। पिछले सत्र में मैंने 15 तारीख को प्रश्न उठाया था और आपने आश्वासन दिया था कि 20 25 दिन पहले इस प्रकार का नोटीफिकेशन निकाल दिया है। 15 नवम्बर को मैं पूछता रहा। 17 नवम्बर को गजट का इन्तजार करते रहे। 18 नवम्बर को प्रेस सुपरिटेंडेंट से बात करते रहे। 19 शाम को मैं रवाना हुआ तब तक उस प्रेस के अन्दर कोई सूचना नहीं थी। 11 नवम्बर का नोटीफिकेशन बाद में निकला है लेकिन 11 नवम्बर का नोटीफिकेशन प्रेस में कौनसी तारीख को आया और उसके बाद में आपने वहां से कब रवाना किया? प्रेस का इनवर्ड नम्बर और राजस्व विभाग का आउटवर्ड नम्बर देखने से आप निश्चित रूप से इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो आश्वासन आपसे दिया था वह सही नहीं था। मैं बिना नोटीफिकेशन के 20 तारीख को मीटिंग में गया। उसके बाद में वहां गजट नोटीफिकेशन तो नहीं लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक नोटीफिकेशन कलेक्टर के पास में 22 या 23 तारीख को पहुंचा है। इस सदन में आप आश्वासन देते हैं कि 20 रोज पहले इसका निर्णय ले चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपने इस हाउस को मिसलीड किया है। आप पर आरोप है कि लोग आपको गलत ब्रीफ करते हैं। इसकी जानकारी कर लीजिए, आउटवर्ड और इनवर्ड नम्बर देख लीजिए। उसके बाद में निश्चित रूप से मन्त्री जो भी आश्वासन दे। केवल पत्रावली से निर्णय नहीं हो जाता। निर्णय तभी होता है जब कि नोटीफिकेशन हो जाता है। नोटीफिकेशन समय पर नहीं हुआ। इसकी कार्यवाही पिछली साल पूरी की पूरी गैर कानूनी हुई। कलेक्टर के पास इसका नोटीफिकेशन पहुंचा है उसकी तारीख नहीं बल्कि गजट में नोटीफिकेशन हुआ है वह 22 या 23 तारीख को हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी कानून के मामले में सरकार इस तरह से तारीख नोटीफिकेशन पर नहीं लगाती। कोई भी काम नोटीफिकेशन प्रेस के पास है और नोटीफिकेशन के अन्दर एक पुरानी तारीख लगा दी जाये तो कोई भी सरकार जो नैतिकता का दावा करती है इस प्रकार के नोटीफिकेशन नहीं निकालती। व्यक्तिगत आदमी जरूर निकालता है लेकिन सरकार, जिसका नाम सरकार है, कभी धोखाधड़ी करके या तारीख बदलने का काम करके, जिससे सदन को गुमराह किया जाए, ऐसा नहीं करती।

इस राजस्व अभियान में वही मामले रखे जाते थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की शिकायत थी कि रेगुलेराइजेशन के मामले और अलाटमेंट के मामले, इन दोनों बिन्दुओं के ऊपर राजस्व अधिकारी के पास रात में पहले जो पहुंचता था और हथेली को गर्म कर देता था उसका तो मामला आ जाता था और दूसरों का नहीं आ पाता था। एक दिन में दो, तीन ग्राम पंचायतों की मीटिंग हुई और 19 बिन्दुओं पर निर्णय लिये हैं यदि उनको पढ़ा

(श्री परसराम मदेरणा)

जाए तो उसमें भी समय लगेगा लेकिन जिस जिले में आप राजस्व अभियान चला रहे हैं, चलाने का वक्त जो आपने हमेशा ढूंढ़ा है, इसके लिए मैंने पहले भी शिकायत की थी। हमारे यहां राज्य में राजस्व के पहले भी अभियान चले हैं, यों तो 1970 से लगातार यह अभियान चल रहे हैं लेकिन 1975 के अन्दर बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था उस अभियान के अन्दर जितना भी खर्चा हुआ था वह फाइनेंस डिपार्टमेन्ट से स्वीकृति लेकर हुआ था। तहसीलदारों को गाड़ियां दी थीं। इस अभियान के अन्दर आप लाखों रुपयों का खर्चा कर रहे हैं। मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आप स्पेशल कैम्पेन चला रहे हैं, लेकिन खातेदारी का अधिकार जो दिया जाना चाहिए वह खातेदारी का अधिकार तहसीलदार देता है अपने दफ्तर में बैठकर। तहसीलदार के बारे में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो इन्कम टेक्स में व्यवस्था है वही म्युटेशन की व्यवस्था है इस भूमि सुधार के अन्दर सबसे बड़ी जो कमी है वह हमारे विलेज मैप की है। वह इन्कम्प्लीट पड़े हैं। रेवेन्यू मैप को सुधारने का इस रेवेन्यू अभियान के अन्दर कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ। यह सबसे बड़ा भूमि सुधार है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप विलेज मैप के सम्बन्ध में खास तौर से प्रावधान रखें। जो सैटलमैण्ट के काम को जानते हों, क्योंकि जगह-जगह नक्शे फट गये हैं या अधूरे पड़े हैं और जो पटवारी छोटी ट्रेनिंग लेकर जाता है वह इसके लिए सक्षम नहीं है कि वह नक्शे को तैयार कर सके इसलिए आप उनसे विलेज मैप को तैयार करवायें। ऐसे मामले जो निर्णीत नहीं हुए और पुराने हैं वह फिर आयेंगे। इसका मतलब यह है कि इस सदन के माननीय सदस्यों को भी पता नहीं है। सब लोग वहां आते नहीं हैं और कहते भी हैं तो कोई ट्रेसपासर कहता है या जिसको अ वंटन करना है वह भी बात करता है तो वह कहता है प्रोक्लेमेशन नहीं आता है और जब प्रोक्लेमेशन नहीं आता तो यहां पर कार्य ही नहीं कर सकते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निर्णय तो केवल दो बिन्दुओं पर ही होता है और वह है रेगुलेराइजेशन और अलाटमेंट आफ लैंड।

आप जो भी लैण्ड अलाटमेन्ट की बात कर रहे हैं, अन्त्योदय परिवारों का सलेक्शन किया जाता है और उनको आइडेण्टीफाई करने के लिए जैसा मैंने पूर्व में कहा था कि जो भूमि आप अन्त्योदय परिवारों को दे रहे हैं वह कल्टीवेबल लैण्ड नहीं है। क्लासीफिकेशन चेन्ज करने से लैण्ड की फर्टीलिटी में संचार नहीं कर सकते। इसलिए अन्त्योदय परिवारों को दूसरी जगह से ऋण दिलाया होता और उनको अपने पैरों पर खड़ा करते तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन जैसा मैंने बताया था कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में और हमारे जिले में वह जमीन दी गई है जो पहले कोई नहीं ले रहा था और जो सबसे कम उपजाऊ जमीन है। वह किसी को चार बीघा और किसी को पांच बीघा दी है गवर्नर महोदय के एड्रेस में आपने जो आंकड़े दिये हैं उसमें तीन एकड़ का एवरेज आ रहा है। तो इस प्रकार की इनफीरियर भूमि से किस तरह से अन्त्योदय परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो जायेगा? यह एक मृगतृष्णा है इसलिए इस विषय में अन्त्योदय परिवार को

(श्री परसराम मदेरणा)

थोड़ी बहुत जमीन बांटी गयी है उसको देकर इस प्रकार का दावा करना गलत है कि हमने उन को पैरों पर खड़ा कर दिया है। वस्तु परक और व्यवहारिक जो चीज है वह देकर उनको आप पैरों पर खड़ा कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में राजस्व अभियान के अन्तर्गत एक मामले जो बाड़मेर जिले के सम्बन्ध है, में चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य ने 6-4-79 को एक प्रश्न पूछा था। उसका जो आपने उत्तर दिया है वह यह दिया है कि रेगिस्तानी जिलों के अन्दर भूमि आवंटन पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। वहां जमीन अ रक्षित रखना चाहते हैं ताकि डेजर्ट डवलपमेन्ट हो सके और पशुधन के लिए चरागाह की भी व्यवस्था कर सकें। इस प्रकार का यहां सदन में आपने उत्तर दिया था। इसी में दुबारा एक स्थगन प्रस्ताव के जरिये इस मामले को मैं 15 नवम्बर को सदन में लाया था। तब आपने कहा था कि यह जमीन पाकिस्तान में चली गई है इसलिए टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत टिनेन्सी एक्सटिंग्विश हो गयी है इसलिए टिनेन्सी एक्ट के सैक्शन 64 में वह जमीन सरकार में वेस्ट हो गई है। इस सम्बन्ध में एडवाइजरी कमेटी में निर्णय लिया था उसको हमने इस लिए नहीं माना कि यह भूमि अप्राप्त नहीं की जा सकती। यह बात आपने कही है और अब आप आवंटन करने जा रहे हैं—इन दोनों में, माननीय राजस्व मंत्री जी, बहुत विरोधाभास है। 1965 के कनफिलक्ट में और 1947 के देश के विभाजन के समय इस प्रकार की भूमि आवंटन कर दी गई और जो इवेक्यू प्रापर्टी पूल में नहीं थी उसको आपने खालसा जमीन माना है। 1970 में इस प्रकार के आदेश दिये गये कि जिस प्रकार दूसरी भूमि का आवंटन किया जा रहा है उसी प्रकार से इसका भी आवंटन होगा राजस्थान रेण्ड रेवेन्यू (अलाटमेंट आफ लैण्ड फार एग्रीकल्चर परपजेज) रूल्स, 1970 बने हुए हैं उनके अन्तर्गत दूसरी भूमि का आवंटन किया जाता है उसी तरह से जो भूमि सरकार में वेस्ट हुई है उसका आवंटन होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपका उत्तर बहुत स्पष्ट था कि रेगिस्तानी इलाकों में अभी भूमि का आवंटन नहीं कर रहे हैं। आपने जो उत्तर दिया उसके आखिरी पैरा 6 में यह कहा है, जब तक मरुस्थलीय क्षेत्रों में आवंटन पर रोक है तब तक अतिक्रमण शुदा भूमि का नियमन नहीं किया जा सकेगा। इन प्रतिबन्धों का कारण धारा 63(1) (8) के तहत खालसा की गई भूमि का आवंटन एवं नियमन भी न किया जावे। प्रतिबन्ध का कारण यह है कि यदि आवंटन किया गया तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम के लिए भूमि की उपलब्धि में कठिनाई होगी।

मरुस्थल के अन्दर इसके लिये एक प्रोग्राम बनना चाहिए। ज्यादातर एरिया पशुपालन का है, चरागाह के लिये सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, 1974 में आपने प्रतिबन्ध लगाया था। बीकानेर की कान्फ्रेन्स में जिलाधीशों से प्रस्ताव मांगे गये थे कि जिलाधीश किन किन भूमियों पर कहां कहां पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं। यह 11-9-74 को प्रस्ताव मांगे गये थे। जिलाधीश वान्कीट प्रस्ताव भेजें कि उनको कितनी भूमि की आवश्यकता है। चरागाह

(श्री परसराम मदेरणा)

कहां कहां पर स्थापित करना चाहते हैं। उसके बाद भी और आदेश थे। 3-9-75 को आदेश दिया कि रेगिस्तानी इलाके में सीलिंग में जो अवाप्त भूमि है उसको आवंटित किया जाये। उसके बाद दूसरा आदेश गया। उसमें यह लिखा हुआ था कि 1-1-75 से पहले के कोई यदि अतिक्रमणी है। रेगिस्तानी या बिना रेगिस्तानी का भेदभाव करते हुए आपने वह आदेश निकाला कि सीलिंग में अवाप्त भूमि 1-1-75 से पहले के अतिक्रमणी है रेगूलेजेइशन के लिये उन लोगों को भूमि आवंटित हो सकती हैं। उसके बाद राजस्थान सरकार ने, मन्त्रिमण्डल यह निर्णय लिया और उसका आदेश 21-4-76 को निकाला कि रेगिस्तानी इलाके के अन्दर एक हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया जा सकता हैं और उस भूमि का किया जा सकता है जो टुकड़ों में खड़ी हुई है, यह स्पष्ट निर्णय है। लेकिन इस साल आपने वायरलेस भेजा है कि 61 बीघा तक भूमि आवंटित की जा सकती है, 74 का जो आपका निर्णय है उसकी अनुपालना में वायरलैस भेजे थे या कोई दूसरा निर्णय है। जहां केबिनेट निर्णय ले लेती है उसके बाद प्रभारी मन्त्री को अधिकार नहीं है कि वे दूसरे आदेश दें। पहले वाले आदेश डिटेल्ड लैटर्स में थे पहले वाले स्ट्रिक्टलि मानते रहे हैं। किन्हीं जगहों पर भूमि आवंटित कर दी। अगर 61 बीघा से कम है, रेगिस्तान में इसका नियमन किया जाना चाहिये। इसका जो सशोधन आपने किया वह गलत किया, मन्त्रिमण्डल का निर्णय नहीं था। बाड़मेर में 77 के बाद राजस्व अभियान के वक्त तहसील एडवाइजरी कमेटी के अनुसार 70 हजार एकड़ भूमि का आवंटन किया। उसके बाद आपने जो सूचना दी वह सूचना यह दी कि 3-2-78 को आदेश किया है कि जो जमीन सैक्शन 63 के अन्दर आई है, उसका आवंटन न किया जाये। आपने यह आदेश दिये हैं कि आवंटन न किया जाये। चार महीने पहले, आपने यह नवम्बर के शुरू में किया है, 77 के नवम्बर में आवंटन किया। चार महीने तक होता रहा। एडवाइजरी कमेटी में जब आ जाता है उसमें निर्णय लेते हैं इस तरह की भूमि आवंटत की जाये, न की जाये। उसमें हुआ है स्वीकृत और फिर उसके बाद आपने रुकवा दिया। यह 15 के अन्दर 3-2-78 के जो आदेश भेजे हैं इस प्रकार जो अनियमिततायें हो गई है वे इल्लीगल है। रिव्यू कर लिया जाये। मैं जानना चाहता हूं रिव्यू होता है रूल 20 के अन्तर्गत। रिव्यू कर सकता है केवल कलेक्टर। उन्होंने करके जो गैप ला दिया। दोनों आदेश किये थे क्योंकि भूमि में सैक्शन 63 के अन्तर्गत राइट्स एक्सटिंग्वश हो गये हैं। इसका आवंटन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की आपने कार्यवाही की है। यह कार्यवाही किसने की ?....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय परसराम जी, मैं पूछना चाहूंगा आप कितना समय और लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : 10 मिनट और लूंगा।

आप जिस वक्त पिछले सत्र में यहां पर उत्तर दे रहे थे, उस वक्त निर्णय ले लिया

(श्री परसराम मदेरणा)

था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस नोटिफिकेशन को पढ़ कर दंग रह गया। उस नोटिफिकेशन का जिक्र तक नहीं किया गया। 17-6-78 का नोटिफिकेशन सैक्शन 260 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत निकाल कर 17 में जो पावर है, ओवर राइडिंग पावर्स कि राज्य सरकार आवंटित कर सकती है, रूल 17 के अन्तर्गत 4 हजार लोगों को, जो पाकिस्तान से आये थे, आपने आवंटन किया। मैं नहीं कहता आप शरणार्थियों को आवंटन न करिए लेकिन तहसील एडवाइजरी कमेटी, उसके बाद गांव में रहने वाले भूमिहीन, वे सब ओवर राइड होते हैं। इस प्रकार का जो निर्णय लिया, मैं नहीं कहता, सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने यह बात कही थी, किस तरह बाड़मेर क्षेत्र में करना चाहते हैं जहां भूमि आवंटन पर प्रतिबन्ध है। एक तरफ राज्य सरकार ने आदेश प्रसारित किया है, सरकार ने एक कमेटी बैठाई थी चरागाह कहां स्थापित हों, उसकी रिपोर्ट आने के बाद निर्णय लिया जायेगा। वह निर्णय आज दूसरे जिलों में लागू नहीं किया लेकिन इस जिले में यह भूमि आवंटन की। जहां शिड्यूल्ड कास्ट के लोग थे, गांव के रहने वाले थे उनको आवंटित न करके 4 हजार शरणार्थियों को की। मैं नहीं कहता उनको आवंटित न की जाये लेकिन उनको एट पार रखें। जो लोग गांवों में भूमिहीन हैं उन लोगों को आपने भूमि आवंटित नहीं की। आप एक तरफ तो कहते हैं कि 17 में ओवर राईडिंग पावर्स नहीं है, दूसरी तरफ राजस्थान हाई कोर्ट के अन्दर प्ली ली है रूल्स 17 के सम्बन्ध में। यह सरकार दो तरह का मुंह रखती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के जो गरीब और भूमिहीन लोगों को शिड्यूल्ड कास्ट्स के और माइनोरिटीज के लोग हैं जो उस भूमि पर बैठे हुए हैं, कुछ अतिक्रमणी हैं और अतिक्रमणी नहीं भी है, को भूमि आवंटन की जाये उसके सम्बन्ध में आपने सदन में आश्वासन भी दिया था, उस आश्वासन को आप निगल गये। इसके बाद आपने जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूं 17-6-78 का जो आदेश है जिसके अन्तर्गत रूल 17 की पावर कन्फर की है यह कार्यवाही छिप छिप कर है। माननीय मन्त्री जी ने इस सदन को मिसलीड किया है। मेरा यह आरोप है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिला मुख्यालयों पर जाते हैं हमेशा एक बात कहते हैं कि आप इस राजस्थान के अन्दर भूमि सुधार को बहुत महत्व दे रहे हैं। इसका महत्व, इसकी आवश्यकता इसलिए है कि आप राजस्थान का काम्प्रीहेन्सिव बिल तैयार करवा रहे हैं, उसको इस सदन में ला रहे हैं। पिछली दफा भी कहा। अभी इस सदन में चर्चा हो रही थी कि आपने पिछले सत्र में यह वायदा किया था कि काम्प्रीहेन्सिव बिल आ रहा है। इस सत्र में मैंने सूची देखी, आप नहीं ला रहे हैं। बिल आपके पास तैयार पड़ा है। बिल यहां पर आने के बाद भी हो सकता है प्रवर समिति के पास जाय। वह तो ला नहीं रहे हैं और गवर्नर साहब के अभिभाषण में आपने कहलवाया है कि हम 15 (ए) का अमेन्डमेंट कर रहे हैं। इसी प्रकार राजस्थान नहर परियोजना के उन काश्तकारों,

(श्री परसराम मदेरणा)

जो पूर्व में खातेदार या मारूसी कृषक थे, को राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 अ का संशोधन कर खातेदारी अधिकार देने का निर्णय लिया है।

अगर आपने इस प्रकार का निर्णय ले लिया है कि सैक्शन 15 और सेक्शन 15 (ए) से जो समस्यायें कालोनाइजेशन में खड़ी हो गई है उनको मीट आउट करने के लिये 15 (ए) की आवश्यकता है चाहे वह 9 शिड्यूल में तितर-बितर हो जाय लेकिन जो लैण्ड रिफार्म इनेक्टमेंट रखने जा रहे हैं वह कम्पलीट नहीं है। राजस्व विभाग और विधि विभाग कोई भी इस प्रकार का बिल, काम्प्रीहेन्सिव तो छोड़ दें, अभी भी नहीं ला रहे हैं। जो आप 15(ए) में अमेन्डमेंट करने जा रहे हैं, राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण के पैरा 20 में यह कहने देते उसी समय आप यहबिल बना चुके थे और उसे आपको सदन में लाना चाहिये। ऐसा नहीं करते हैं तो सदन की अवमानना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, मन्त्री जी का कई बातों के अन्दर, अनियमितताओं के बारे में, एक मौलिक चिन्तन है। मैंने तो, उपाध्यक्ष जी, यह पढ़ा है, प्रोफेसर केदार जो हमारे श्रम मन्त्री है उनके मकान के ऊपर नागौर के छात्रावास का जो आवंटन हुआ था उसके संबंध में बोलचाल में बात हुई और माननीय मन्त्री जी ने यह बात कही, अखबारों में भी आई है, मैं निवेदन करू मैंने जो भूमि आवंटन की थी नागौर छात्रावास के लिए, आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट सैकड़ों आदमी लगाने के बाद भी कुछ नहीं कर सका। मैं भी पांच साल और चार महीने रेवेन्यू मिनिस्टर रहा हूं। इस पूरे दरमियान के दो मामले बेरी कमीशन को दिये हैं। मैंने उसके लिए कई फैक्ट्स रखे हैं लेकिन मामला सब जूडिस है इसलिए बोलना नहीं चाहता हूं यह कहा है कि इस भूमि का मैंने गैर तरीके से आवंटन किया है तो इसको बेरी कमीशन को भी देना चाहिये था। मैंने जो भूमि आवंटन की है, Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Construction of Schools, Colleges, Dharmshallas and other public utility buildings.) Rules में लिखा है डिग्री और पोस्ट डिग्री कालेजेज को 30 एकड़ भूमि as well as playgrounds अलाटमेंट आथोरिटी किसको कर सकेगी। रजिस्टर्ड सोसायटी है और सरकार उचित समझती है तो चार प्रकार के रूल्स बने हैं उसमें यह है कि 30 बीघा तक दे सकते हैं लेकिन मैंने 25 बीघा भूमि आवंटन की है। वह इसलिये की है कि नागौर जिला मुख्यालय है। पोस्ट ग्रेजुएशन कालेज है। वह 70-71 में बना था उसके बाद बराबर वहां के छात्रों के लिये छात्रावास की समस्या थी। डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर आ गया उत्तर में और छात्र पढ़ने आते हैं ठीक दूसरे कोने से 100-125 मील का एरिया है जहां के छात्र पढ़ने आते हैं। किसानों के पास रहने के

(श्री परसराम मदेरणा)

लिये कोई छात्रावास की सुविधा नहीं थी। जो आवंटन किया है वह आवंटन कानून के अन्तर्गत ही किया है। हो सकता है चौधरी साहब और आपके बीच कोई बात हुई हो लेकिन मेरा नाम घसीट लेना और कह देना कि यह जातिवाद के आधार पर किया गया है किसी प्रकार उचित नहीं है। मैं कहता हूं जाति विशेष के मामलों में तो आप पहले भी गये हो। आज भी जा रहे हो, इस तरह मेरा नाम घसीटना....

श्री माणक लाल ठाकोर (नैनवा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, व्यक्तिगत बातें दोनों अलग से बैठ कर कर लें ताकि सदन का समय खराब नहीं हो।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : राज्य में सबका सीर है। राज्य बोलता है।

श्री परसराम मदेरणा : किसी भी केस, अलाटमेंट में आप किसी आदमी के नाम को घसीटने की कोशिश मत कीजिये और मैरिट पर जाकर फैसला कीजिये। कोई भी बात कानूनसंगत नहीं थी तो उसकी नजर-सानी कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। यह आपके अधिकार की बात है। लेकिन यह कह देना कि भूमि गलत आवंटित की गई थी, तथ्यों से परे होगा। मैंने यह बात भी कही थी कि जो खुद काश्त में जमीन मिली हुई है इस बिन्दु को भी आप बेरी कमीशन को दे दीजिये। मैंने एक प्रश्न पूछा था 76-77 में। उस मामले को एग्जामिन करवाया 1977 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने और उसमें 10 बिन्दुओं पर इनफार्मेशन मांगी थी। मुझे तो प्रस्तुत नहीं की लेकिन यदि आप उसको एग्जामिन करने के बाद यह बताते कि राज्याधिकारियों को जो आवंटित हुई है उसके सम्बन्ध में क्या निर्णय हुआ है तो शायद बात और होती उसके बारे में। मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सिंगल बैन्च में निर्णय लिया है कि राजस्थान जागीरदारी एबोलिशन एक्ट की 40 (ए) में धोखा-धड़ी की है और इसमें लिमिटेशन नहीं लगेगा। जिन अधिकारियों के बारे में चर्चा आई थी, मैंने खुद एग्जामिन करने के बाद लॉ डिपार्टमेंट से राय लेने के लिये जागीर डिपार्टमेंट को पहले ही भेजा था। इसलिये इसपर भी निर्णय ले लीजिये : जिन बिन्दुओं को मैंने उठाया है, जिनमें कम्पलीट वायोलेशन हुआ है उनको आप बेरी कमीशन को सुपुर्द कर दीजिये।

एक जनरल समस्या है जोधपुर और अजमेर के बहुत बड़े हिस्से में। राजस्थान के कई कस्बे और कई गांव पीढ़ियों से बसे हुए हैं उनको अभी तक आबादी भूमि में कनवर्ट नहीं किया गया है। अजमेर आधा कृषि भूमि पर बसा हुआ है। हजारों आदमी कृषि भूमि पर बसे हुए हैं, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को नीति सम्बन्धी कोई निर्णय लेकर कुछ कर लेना चाहिये ताकि जो 91 के नोटिसेज जारी हुए हैं उसमें कुछ राहत मिल सके। इसलिये भूमि जो अवाप्त की जाती है चाहे वह राज्य

(श्री परसराम मदेरणा)

सरकार के संस्थानों के लिये हो या भारत भर. के लिये हो। डिफेन्स अप्लाई करता है किन्तु भूमि एक्वायर करने का जो उत्तरदायित्व है वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। गवर्नमेंट ग्राफ इण्डिया के सुरक्षा मंत्रालय को जोधपुर के पास जो भूमि आवंटन कर रहे हैं वह पीस मील में कर रहे हैं। यह पहले भी डिफेन्स से झगड़ा रहा है। उस समय के डिफेन्स मिनिस्टर के पास में मैं गया था सरदार स्वर्ण सिंह के पास। अभी जो डिफेन्स मिनिस्टर हैं जगजीवन राम जी वे भी पीस मील में ही आदेश कर रहे हैं। आप उसी तरह जमीन एक्वायर कर रहे हैं। हजारों आदमी गंगानगर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में हैं, मैं समझता हूं उनके लिये रेवेन्यू स्कीम बनाने का भी उत्तरदायित्व रेवेन्यू विभाग का है।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी समस्या और है, जोधपुर और नागोर दो जिलों में मुख्य रूप से है और वह है सरचार्ज की। यह समस्या इस प्रकार की है कि जो सरचार्ज देय होगा, राजस्थान लैंड रेवेन्यू सरचार्ज एक्ट की धारा 3 (2) के अन्तर्गत, उसमें इस प्रकार का प्रावधान है कि जो पर्चे सैटलमेंट के वक्त वितरित किये गए थे उनके बेसिस पर, उनको बेसिस मान कर सरचार्ज केलकुलेट किया जाएगा, इस पर कोई एतराज अकाउण्टेंट जनरल ने किया है। इस एतराज के करने के बाद अब जो भी पुराने पर्चे सैटलमेंट के वक्त में दिए गए थे, उनके बेसिक पर सरचार्ज केलकुलेट करके नोटिस दिये जा रहे हैं। आज की तारीख में वे को-शेयरर और को-पार्टनर नहीं रहे, न शामलात में खातेदार रहे। उस वक्त शामलात का पर्चा दिया गया था उस पर सरचार्ज वसूल करने के नोटिस दिए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप एक-एक आदमी पर पांच-पांच, छः-छः हजार की डिमाण्ड आई है। इसलिए मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा, मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री महोदय से भी बात की थी और निवेदन किया था कि यह अकाउण्टेंट जनरल का आडिट पैरा बना है सैक्शन 3 के अन्दर प्रावधान है और उसका जो वे इण्टरप्रिटेशन कर रहे हैं, अगर वैसा ही किया गया है, उसी आधार पर सरचार्ज केलकुलेट किया गया है तो उनके सामने स्थिति विषम होगी। मैं यह इसलिए भी कह रहा हूं कि सैक्शन 3 (2) में यह बात लिखी हुई है :

"Where a holding is held by more tenants than one and separate defined shares of all or any of the co-tenants have been recorded in assessment parchas issued during the course of settlement..."

इस कोर्स आफ सैटलमेंट के पर्चे में जो स्थिति है उससे आज के जमाने में दूसरी स्थिति बनी है, क्योंकि आडिट से एतराज हो गया है। को-शेयरर की मिसल बन्दोबस्त का जो पर्चा है उसके आधार पर लैंड रेवेन्यू पर सरचार्ज लिया जा रहा है, एक्चुअल स्थिति दूसरी हो गई है। उसमें बाद में जो तरमीम हुई है उसमें कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

(140)

(श्री परसराम मदेरणा)

अन्त में मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप राजस्व अभियान को ढकोसला नहीं रखना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरा इसलिए भी निवेदन है कि जो यह कोर्ट लगा रहे हैं आपकी इन कोर्ट्स के अन्दर मैंने कोई स्पेशल सूट फैसल होते नहीं देखे लेकिन कुछ लोगों ने फैसल किये हैं। जोधपुर में एक एस. डी. ओ. ने टिनेंसी एक्ट के सैक्शन 53 और 88 के अन्दर कुछ केसेज फैसल किये हैं। उसके अन्दर एक दिन वह सूट लेता है, फिर दूसरी पार्टी को नोटिस देता है, तनकिया कायम करता है और फिर फैसला देता है। एक केस को निपटाने के अन्दर करीब चार साढ़े चार घटे का समय लगता है लेकिन उसने निपटाये हैं, मैं इसको मानता हूं। दूसरे जिलों में नहीं निपटाये गये हैं लेकिन जोधपुर के एस. डी. ओ. ने निटपाये हैं, जो बिलाड़ा तहसील का एस. डी. ओ. है वहां पर दो एस. डी. ओ. हैं लेकिन इस राजस्व अभियान में चार एस. डी. ओ. लगा दिये हैं, बहुत से आदमियों को राजस्व कानूनों की जानकारी नहीं होने से वे लोग ऐसा नहीं कर सके, इसने किया है। मैं चाहूंगा कि इस मामले को भी आप एग्जामिन कर लीजिए। जो पार्टीशन के मामले हैं, चाहे वह कोन्टिनेंट्स हों, चाहे वह शामलाती खाते हों, बहुत बड़ा प्रश्न है, किसानों के सामने, आज इसकी बहुत बड़ी समस्या है। आज ओसियां तहसील बिलाड़ा में लगती है। बिलाड़ा के पास में नहीं है. वहां से वह फलौदी हैड क्वार्टर पर जाता है। ओसियां का बहुत बड़ा एरिया है, ढाई हजार स्क्वायर माइल का एरिया है। सूचना मिलने पर पहले वह जोधपुर आता है, फिर फलौदी जाता है। पार्टीशन का सूट दायर करने के बाद कोई एतराज नहीं है, जिसमें कोई एतराज नहीं है, या तो नाम नहीं है, नाम है भी तो अलग-अलग कराना चाहते हैं, इसलिए कराना चाहते हैं कि आज कंस्ट्रक्शन का प्रश्न है, दूसरे पर्पज हैं, चाहे दो सगे भाई हों, साथ रह कर भी अलग-अलग रहते हैं इसलिए पार्टीशन अलग कराना चाहते हैं तो सैक्शन 88 में दावे हो जाते हैं। वहां निर्णय हो जाता है तो वास्तव में वह अदालत कहलाएगी अलबत्ता टिनेंसी एक्ट में यह एक सब डिविजन का डी-लिमिटेशन है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

असिस्टेंट कलेक्टर की अदालत होती है उसका कोई काम नहीं है, केवल एडवाइजरी कमेटी का काम करती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इनको पावर दीजिए ताकि वास्तव में ये अदालत का काम कर सकें।

अन्त में एक और निवेदन करना चाहता हूं। आपने अभी सब तहसीलों की घोषणा की। आपने डेगाना तहसील में दो सब तहसीलें कायम की हैं सामला और सांभू में खोली हैं। मैं सांभू के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आपने निर्णय लिया है, सांभू डेगाना से दस मील की दूरी पर है और आखिरी विलेज है। जो कोई सांभू जाएगा तो वह डेगाना होकर सांभू पहुंचेगा। यह जो आपने निर्णय लिया है

(श्री परसराम मदेरणा)

यह किस की मांग पर लिया है। इसको खोलने का औचित्य उल्टा हो गया है। लोगों को आपने सुविधा देने के बजाय बहुत बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी कर दी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इस सम्बन्ध में जो निर्णय लिया है ये जो तहसीलें कायम की है, इसकी आवश्यकता क्यों अनुभव की, इस सम्बन्ध में भी उत्तर दें।

उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व में हमेशा इस प्रकार की परिपाटी रहती थी कि जब यह सदन सेशन में होता है तो कभी भी तहसील एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग नहीं रहती थी, परसों 24 तारीख को····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदेरणा साहब, आपने बहुत समय ले लिया है। अब और समय लेंगे तो आपके दल के शेष सदस्यों को समय नहीं मिल सकेगा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दल के दूसरे सदस्यों को भी थोड़ा बहुत समय तो देना पड़ेगा, यह कृपा तो आपको करनी पड़ेगी। मेरा आपसे अन्त में इतना ही निवेदन है कि पहले भी जब मीटिंग रखी जाती थी, पहले आपने 15 नवम्बर की मीटिंग इसीलिए कैंसिल की थी, इसलिये डेफर की थी कि सदन का सत्र चल रहा था। इस वक्त मेरे पास में नोटिस आया है, 24 तारीख को। बिलाडा मेरी कांस्टीट्यूएंसी के अन्दर आता है वहां पर तहसील एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग रखने जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो हम सदन के माननीय मैम्बर हैं और जो उस कमेटी में अपने रचनात्मक सुझाव दे सकते हैं या जो कुछ भी अलाटमेंट, रेगुलराइजेशन करने जा रहे हैं, उसके औचित्य के सम्बन्ध में निष्पक्ष राय देना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं, इस प्रकार की मीटिंग जब कि सत्र चल रहा है तब नहीं की जानी चाहिए।

अन्त में जहां तक सीलिंग का सम्बन्ध में, एक बिल सदन के सामने दो तारीख को आ रहा है सीलिंग का, उसी समय मैं अपने विचार रखूंगा। मैं अभी तो, उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एक काम्प्रीहेंसिव टिनेंसी बिल सदन के सामने रखना जरूरी है और तब तक इसको पोस्टपोन करें ताकि यह जो आप रातों रात ताबड़तोड़ हर जिलों में एलान करते जा रहे हैं, वैसे मैं समझता हूं कि आवश्यक भी है और राजस्थान के किसानों के भले के लिए करना चाहते हैं किन्तु यह सीलिंग का मामला जिस तरह से मनमाने तरीके से राजस्थान की सवा तीन करोड़ जनता के सम्बन्ध में करने जा रहे हैं, जब तक टिनेंसी लॉ का सरलीकरण नहीं हो जाता, तब तक इसी प्रकार की समस्या रहेगी यह क्लाजेज आज रीडनडेंट हो गये हैं आज के मौजूदा हालात में, 55 के बाद में लम्बा अर्सा हो गया है, 24 साल के बाद में जो स्थिति राजस्थान में हो गई है, उस संदर्भ में आज कानून को बदलने जा रहे हैं वह तभी सफल हो सकेगा जब नया टिनेंसी बिल इस सदन में आपसी विचार विमर्श के बाद में पेश होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीतसिंह ।

श्री अजीतसिंह (टौंक) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो राजस्व विभाग और पंचायत विभाग के ऊपर मेरे कटौती के प्रस्ताव हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कहना पड़ेगा कि इन दोनों विभागों ने जो कार्य किये हैं वे निश्चय ही सराहनीय हैं इनसे जनता पार्टी की सरकार की इमेज पूरे राजस्थान में अच्छी बनी है । दोनों विभागों का कार्य बड़ा सराहनीय रहा है । राजस्व अभियान के अन्दर भी हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई हों, जैसा कि अभी मदेरणा साहब कह रहे थे कि इसके अन्दर और पावर्स बढ़ाई जानी चाहिए ताकि फैसले आसानी से हो सकें और निश्चित रूप से काश्तकारों को फायदा मिल सके । वैसे तो काफी फैसले हुए हैं और उनसे किसानों को काफी राहत मिली है । तो यह तो मानना पड़ेगा कि इससे काश्तकारों को काफी राहत मिली है और भ्रष्टाचार पर भी काफी रोक हुई है लेकिन जो दूसरा विभाग है, विकास विभाग के अन्दर भी अन्त्योदय और काम के बदले अनाज योजना चल रही है उनसे भी काफी अच्छा काम हुआ है और गांवों में हमारी अच्छी प्रतिष्ठा बढ़ी है । लेकिन इन सब को देखते हुए भी जो इन विभागों ने काम किये हैं, उनमें विभागों की कार्य कुशलता जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं रही है । इसलिए इसके अन्दर दोनों विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, उनको ट्रेनिंग देकर अच्छा व्यवस्थित करने की आवश्यकता है । मेरे यहां टौंक के अन्दर एक रेवेन्यू का आफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स चलता है, एक स्कूल चलता है लेकिन उसकी हालत इतनी बदतर है, उसके अन्दर न तो कोई कार्य होता है, न कोई ट्रेनिंग होती है, और उसका मिसयूज होता है, पैसे का मिसयूज होता है और समय का भी । इसलिए मैं यह चाहूंगा कि राजस्व मन्त्री जी इसके ऊपर पूर्ण ध्यान दें और जैसा मैंने आपसे कहा कि इनकी प्रोपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है । हमारे राजस्थान में पटवार ट्रेनिंग स्कूल चलते हैं जहां पर नायब तहसीलदार और तहसीलदारों को ट्रेनिंग देते हैं, इसी प्रकार से आर. ए. एस वालों के लिए जयपुर में एक विद्यालय चल रहा है । इन सब को को-आर्डिनेट करके व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि ट्रेनिंग कोर्स सुचारु रूप से, ठीक ढंग से चल सके । आज, उपाध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि गेहूं और जौ का पत्ता नहीं पहचान सकते कि यह गेहूं का पत्ता है और यह जौ का है । यह भी नहीं जानते कि एक चैन के अन्दर कितनी कड़ियां होती हैं । इससे ट्रेनिंग कराने का क्या फायदा । कई तरह के राजस्व अधिकारियों से काम लेते हैं उनको पूरी तरह से ट्रेण्ड होना चाहिये । हर तरह के काम तहसीलदारों को बताते हैं, हर तरह के काम तहसीलदार से करवाते हैं लेकिन जब तक पूरी ट्रेनिंग नहीं होगी आपकी व्यवस्था ठीक नहीं चलेगी । इसलिये आप इसको री-एग्जामिन करें । टौंक में भवन की व्यवस्था है उसको आप ठीक तरह से चलावें । आशा है आप इसके लिये कार्यवाही करेंगे ।

आपने राजस्व अभियान चलाया इसका मैं स्वागत करता हूं, परन्तु बड़ी बड़ी तह-

(श्री अजीतसिंह)

सीलों में काश्तकारों को तहसील हैडक्वार्टर पर आना पड़ता है। परेशान होते हैं। इसके लिये निश्चित रूप से गिरदावर या नायब तहसीलदार का गांवों में हैडक्वार्टर होना चाहिये। इसके साथ यह भी निवेदन है कि जो गिरदावर की पोस्ट है यह बिल्कुल नाकारा है। कोई फायदा नहीं। इससे क्या मिल रहा है सरकार को फायदा? इसलिये नायब तहसीलदार को अलग-अलग सर्किल में बिठा दें, गिरदावर को हटा दें तो निश्चित रूप से हित होगा। लगान को वैज्ञानिक आधार पर लागू किया जाय। आज भी वही लगान लगता है जो पिछली सत्ता के टाइम पर लगता था। इसलिये राजस्थान में लगान का वैज्ञानिक आधार तैयार हो। जयपुर, उदयपुर में जो लगान है वह बहुत ज्यादा है। सरचार्ज पड़ता है तो 20, 40, 50 रुपये तक लगान होता है। किसान किसी प्रकार कुए खुदवा कर, पंपिंग सेट के द्वारा या चरस बना कर पानी निकाल कर पैदावार बढ़ाते हैं तो दूसरी ओर सरकार की तरफ से पानी पहुंचाया जाता है दोनों में काफी अन्तर है। आप समाजवाद में विश्वास रखने वाले आदमी हैं, कम से कम आप विचार करें और राहत दिलवावें।

पंचायत समितियों के बारे में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। पंचायतों से काम के बदले अनाज की योजना में गांवों में कार्य कराने में विघ्न पड़ता है। पंचायतों से काम नियमित ढंग से नहीं होता। दूसरा निवेदन है कि सामुदायिक विकास विभाग का पुनर्गठन होना चाहिये, अलग से विभाग होना चाहिये। इसमें शिक्षा, प्रशासनिक काम कई तरह के काम हैं जिनमें अधिकारी ठीक तरह से ट्रेण्ड हों। वर्षों से काम चल रहा है, इसका पुनर्गठन नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री करतारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रतनलाल वर्मा।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष में, 12 महीने पूर्व अजमेर जिले में सैटलमेंट कराने की घोषणा सदन में कर दी गई। मुझे अत्यन्त दुःख है कि 12 महीने में कुछ भी नहीं हुआ। श्री गणेश भी नहीं हुआ।

श्री मूलचन्द डागा : अफसोस।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्व मन्त्री जी से, झूठी बातें कहना और थोथे आश्वासन देना उचित नहीं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : शेम।

श्री रतनलाल वर्मा : आप वही बात कीजिये, जिसको पूरा कर सकते हों। काश्तकारों के पूरी तरह से जोंकें लगी हुई हैं; चारों तरफ जोंकें लगी हुई हैं। इसी तरह से राजस्व डिपार्टमेंट, इसको रावण डिपार्टमेंट कह दें तो गुनाह नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, एस. डी. ओ. सब के सब किसानों के चारों तरफ लगे हुए जोंकों की तरह खून चूस रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : और आप क्या कर रहे हैं ?

श्री रतनलाल वर्मा : आप बोलने दीजिये । आप खुद जोंक बन कर खून चूसते रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं राजस्व मन्त्री जी से कि जो किसान का मौके पर खेत है, रकबा है उसको रिकार्ड में नक्शे में मौके के अनुसार करवा दें तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा काम है । यह काम कहने में छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा लगता है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मन्त्री जी को आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि 30 साल के अन्दर कांग्रेस वालों ने एक भी गांव का नक्शा सही और सच्चा नहीं बनाया । यह मेरा राजस्व डिपार्टमेंट को चेलज है, उसके अधिकारियों को चेलेंज है कि कहीं भी एक भी गांव का नक्शा 100 प्रतिशत सही हो, ऐसा नहीं है । अजमेर जिले का तो नहीं है लेकिन मैं कहता हूं कि राजस्थान का भी नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, 5–10 रुपये की रिश्वत खा लें उसको सजा और एक अमीन जिस जगह वर्षों से रास्ता जा रहा है उस रास्ते को नक्शे में नहीं बताते, तालाब के पानी की जो आव आ रही है, नाला आ रहा है उस नाले को नक्शे में नहीं बनाया, जिस मोरी से खेत पीता है वह मोरी नक्शे में नहीं बनाई । कितना बड़ा धोखा है कहीं पकड़ लेंगे तो कह देंगे गलती हो गई साहब । तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्व मन्त्री, आप जितने आदमी नियुक्त करें आप एग्रीमेंट लिखावें कि किसी भी अमीन ने मौके के अनुसार नक्शा नहीं बनाया और वह पकड़ा जाय तो उस पर चार सौ बीसी का मुकदमा चला कर जेल में बन्द कर दें । जब तक सरकारी नौकरों पर पाबन्दी नहीं करेंगे, उनके खिलाफ फर्जी डाकुमेंट बनाने का मुकदमा चला कर जेल में बन्द नहीं करेंगे तब तक काम ठीक ढंग से नहीं हो सकता । उपाध्यक्ष महोदय, मेरी 20 साल की जवानी इस डाकू डिपार्टमेंट से, रावण डिपार्टमेंट से लड़ने में चली गई ।

श्री मूलचन्द डागा : आप तो राम होंगे ?

श्री रतनलाल वर्मा : मैं चैलेंज के साथ कहता हूं । गत विधान सभा में भी कहा था लेकिन यह सरकार नहीं देखती ये लक्षण ऐसे लग रहे हैं कि यह कोई सुधार करने वाली नहीं है । यह झूठी मुलम्मेबाजी झूठे आश्वासन देकर बातों की लीपापोती करनी है ।

श्री सूरजपाल सिंह : आपने ही दिमाग बिगाड़ा है इनका ।

श्री रतनलाल वर्मा : आप सुन लें । जरूरी नहीं है कि आप मेरा समर्थन करें । आप पापी हैं, आप मेरा किस तरह से समर्थन करेंगे ? आप लोगों के जो लक्षण थे वही इनके होते जा रहे हैं । आप रहने दें । यह भी पापी हो गये हैं ।

श्री रतन लाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय·····

एक माननीय सदस्य : लाल झण्डा उठायें आप ।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं झण्डे में विश्वास नहीं करता हूं। मैं डण्डा रखता हूं। डण्डे के पीछे सब झण्डे हैं।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन कर रहा था कि यह किसानों की मूलभूत बात है। यह वह किसान है जो सर्दी, गर्मी और बरसात में जंगलों के अन्दर काम करने वाला है और मजदूर मकान में काम करता है तो मजदूर को तो दिन में बिजली देते हैं और किसान को बिजली देते हैं रात को। रात को वह अपनी फसल को खेत में बोता है। उसके ऊपर पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार सब अत्याचार करते हैं। इनको शर्म नहीं आती है कि जिस किसान का खाते हैं, उस किसान का दूध पीकर, उसका अन्न खाकर उस किसान पर ही अत्याचार करते हैं। न जाने भारतवर्ष में यह परम्परा कब तक बनी रहेगी ? मैं निवेदन करूंगा कि बिना मजबूती पकड़े हुए, बिना सख्ती से काम लिये हुए लोहियाजी के सिद्धान्तों से ही काम नहीं चलेगा। लिट्रेचर तो बहुत बढ़िया बढ़िया निकाल दिया और पोस्टर्स बढ़िया बढ़िया दीवारों पर लगा दिया, लेकिन प्रेक्टिकल काम नहीं करते हैं। आप बताइए कि कितनी जगह आपने नक्शों का चैकिंग किया है मौके पर जाकर ? केवल कोटा का चक्कर लगा लिया उससे कुछ नहीं होने वाला है। धारा 91 के मुकदमे आज भी किसानों पर चल रहे हैं। खातेदारी के पट्टे देने के मुकदमे आज भी किसानों पर चल रहे हैं। 10-10, 15-15 साल काबिज काश्तकार आज बेदखल हो रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे 30 कटौती प्रस्ताव हैं इसलिए एक एक प्रस्ताव पर एक-एक मिनट दिया जाय तो तीस मिनट होते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आपको एक घंटा दिया जाय।

श्री रतनलाल वर्मा : आज मेरा विषय है इसलिए बोलना चाहता हूं। और किसी भी विषय पर नहीं बोला हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : जनता पार्टी में किसानों की तरफ से बोलने वाले एक ही सदस्य हैं इसलिए सारा जनता पार्टी का समय इनको ही दे दिया जाय।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हम भीख नहीं मांगते हैं, दान नहीं मांगते हैं। हम वह किसान हैं जो दुनियां का पेट भरते हैं और हमारा भी भरते हैं। किसान को सुखी बनाना और सबल बनाना हमारा काम है।

अब आपने यह डेयरी पद्धति चालू कर दी है। यह डेयरी की योजना चला दी तो डेयरी की योजना चला कर पहले तो एक टाइम का दूध लेते थे लेकिन अब दोनों टाइम का दूध लेने लग गये। क्या आप किसानों को पंगु बना देना चाहते हैं ?

श्री दिग्विजय सिंह : डेयरी के मन्त्री तो कल्याण सिंह जी हैं।

श्री रतन लाल वर्मा : चाहे कल्याण सिंह जी मन्त्री हों, चाहे पूनिया जी हों या चाहे कोई मन्त्री हों, लेकिन मैं कहना चाहता

(146)

(श्री रतनलाल वर्मा)

हूं कि ग्राप किसान के पास से एक समय का दूध लें ग्रौर एक समय का दूध किसान के पास रखें। ग्रगर दोनों समय का ले लिया तो किसान खेती करने के लायक नहीं रहेगा। उसकी सन्तान खेती करने के लायक नहीं होगी। खेती करते हुए हल जमीन के कट में फंस जाएगा तो कौन ग्रायगा उसको निकालने के लिए ? क्या मन्त्रिमंडल जायगा ? जब वह फसल ले यगा ग्रौर उसकी गाड़ी उलाल हो गई तो उसको दबाने के लिए ग्राप जायेंगे ? ग्रगर किसान के शरीर में ताकत नहीं होगी तो किसान खेती नहीं कर सकता है। हर काश्तकार के पास ट्रैक्टर नहीं है, हर काश्तकार के खेत में मोटर नहीं लगी हुई है। ग्रापकी जिम्मेदारी है किसानों को मजबूत बनाने की, किसानों के हितों पर कुठाराघात न हो यह ग्रापकी जिम्मेदारी है। ग्राप राजस्व मन्त्री हैं। मैं इतनी ही बात ग्राप से निवेदन करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

ग्रध्यक्ष महोदय, 5 मिनट में ही पंचायत विभाग की बात निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप दो मिनट ग्रौर ले लें।

श्री रतन लाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राप मेरे कटौती प्रस्ताव तो देखिए।

श्री सूरजपाल सिंह : इनकी किसानों के साथ बहुत सहानुभूति है। राजस्व मन्त्री इनको ही बनाना चाहिए।

श्री रतन लाल वर्मा : मुझे 30 वर्ष तक कांग्रेस ने सदन में नहीं ग्राने दिया। ग्रब तो ग्रा गया हूं तुम्हारी छाती पर सीना ठोक कर। इन्होंने 30 वर्षों तक किसानों को लूटा है....

श्री नूरा : यह प्रगतिशील दल आपको ग्रपना नेता बना देगा, ग्राप प्रगतिशील दल में ग्रा जायं।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं न ठण्डे दल में हूं ग्रौर न गरम दल में।

मैं पंचायत मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके ग्राप बातें मत करिये ग्रौर मेरी बात को सुन लें। ग्रनेक पंचायत मन्त्री बन गये ग्रौर चले गये। रामनारायण जी जो उधर बैठे हुए हैं। पंचायतों को खोखला बना दिया ग्रौर ग्रब भी वह खोखली हैं। ग्रगर ग्रापकी शान रखी है तो ग्रामों के सरपचों ने ग्रौर पंचायतों ने फूड फार वर्क में काम करवा कर। क्या ग्रापने कुछ पंचों ग्रौर सरपंचों को इनाम दिया है ? उन पंचायतों के सरपंचों ने, गाँव के चुने हुए लोगों ने निष्पक्ष होकर काम किया है। दो पर्सेन्ट किसी ने गलती कर ली होगी तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो ग्रापके बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, सिंचाई विभाग है, ग्रापका पी. डबल्यू. डी. है ग्रापका फेमिन कमिश्नर है वह 30 करोड़ का काम नहीं करा सकते थे वह काम किया है ग्राम पंचायतों ने। उनकी ग्रार्थिक हालत कमजोर है।

ग्रभी ग्रापने घोषणा की है एक हजार तक की जमीन ग्राम पंचायतें बेच सकती हैं। ग्रापकी म्यूनिसिपैलिटी ग्रौर विकास न्यास

(श्री रतन लाल वर्मा)

तो लाटरी सिस्टम से जमीनें बेच सकता है उसकी कीमत तय कर सकता है, लेकिन ग्राम पंचायतें, जो ग्रामों में रहती हैं, उसकी कीमत तय करके फिक्सड कीमत करके गरीबों को जमीन नहीं दे सकती है। यह कैसा न्याय है? यह दोगलेपन की नीति है। म्यूनिसिपैलिटी के लिए कुछ, नगर सुधार न्यास के लिए कुछ और ग्राम पंचायतों के लिए कुछ—यह दोगली नीति है। यह हमारे ऊपर कुठाराघात है।

दूसरा यह जो सचिव लगाये हैं तो दो तीन पंचायतों के बीच में एक लगाया है। वह चला जाता है पंचायतों का ताला लगाकर तो सरपंच फिरता ही रहता है। कभी कहता है कि वूबम्बा चला गया, कभी सोबकी चला गया। यह आपने गलत काम किया है। मेहरबानी करके 100-150 रुपया ग्राम पंचायतों को सचिव के लिए अनुदान दे दें तो ग्राम पंचायतें अपना सचिव रख लेंगी। तो उसकी जिम्मेदारी होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट और लूंगा। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : पंचायत राज के बारे में कहना पड़ेगा। उसकी अशोक मेहता की कमेटी बनाई है जिनको पंचायतों का ज्ञान नहीं है। कभी वह सरपंच या पंच नहीं रहे। क्या यह हमारी पंचायत करेंगे दिल्ली में बैठ कर? मैं निवेदन करूंगा कि ग्राम पंचायत की इकाई कम से कम 5 हजार की जनसंख्या पर हो। उसका एक सैक्रेटरी हो जिस पर वहां की ग्राम पंचायत का नियन्त्रण नहीं हो और वहां पर जितना भी स्टाफ है प्राइमरी स्कूल का, मिडिल स्कूल का, सैकण्डरी स्कूल का व अन्य विभाग का तो सरपंच उसका अध्यक्ष हो और ग्राम पंचायत के सदस्य उसके चुने हुए आदमी हों। विधायक का निर्वाचन क्षेत्र और पंचायत समिति का क्षेत्र दोनों एक ही क्षेत्र होने चाहिए। दोनों पंचायत समितियों का एक क्षेत्र होकर एक सब-डिविजन होना चाहिए और दो तहसीलदार होने चाहिए, एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट होना चाहिए, पी. डबल्यू. डी. का असिस्टेन्ट इन्जीनियर सिचाई विभाग का असिस्टेन्ट इन्जीनियर सब के सब उसी सब-डिविजन के अन्दर हों और वह सब-डिविजन पंचायत समिति का हैड क्वार्टर हो। ये नये-नये हड़के कुत्ते की तरह आकर बैठते हैं। यह नहीं होगा। तभी जाकर विधायक उन पर नियन्त्रण कर सकेगा। विधायक को यह मालूम होना चाहिये। जिला परिषद् के ऊपर जिले का अधिकार होना चाहिए। तब जाकर सही काम चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्मा जी, आप विराज जायें।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय मन्त्री महोदय, ग्रामीण जनता के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। म्यूनिसिपैलिटी को आप 5 रु. अनुदान दे रहे हैं। ग्रामीण पंचायतों को आप ढाई रुपये दे रहे हैं। मेरा कहना है कि ग्राम पंचायतों को भी म्यूनिसिपैलटी की तरह से 5 रुपये प्रति व्यक्ति अनुदान दीजिए। तभी उसको सफल बनाने की कोशिश कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव पंचायत राज के बारे में पेश किये हैं। गत अधिवेशन में, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी। सदन के नेता ने आश्वासन दिया था कि इसके बारे में चर्चा करने के लिए और समय देंगे। श्रीमान्, 1957 में जब से बलवन्तराय मेहता कमेटी कायम हुई थी, उसके बाद में जिस आप प्रजातन्त्र का विकेन्द्रीकरण कहते हैं, कायम हुआ। कायम होने के बाद पंचायत राज प्रणाली में और समाज में काफी परिवर्तन हुआ है। श्रीमान्, सबसे बड़ी बात तो यह हुई है कि पंचायत राज के पर्दे में जो चीजें आई हैं, वह इन्सटट्यूशनल भी हैं, स्ट्रक्चरल भी हैं और फंक्शनल भी हैं। खास तौर से कृषि में काफी माडर्नाइजेशन हुआ है, आधुनिकता आई है। यह बड़ा सैक्टर है। श्रीमान्, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि देहातों में खास तौर से औद्योगिकरण का श्रीगणेश हुआ है। तीसरी बात, श्रीमान्, हमारे यहां ज्यादा फाइनेंसिंग हम को मिलने लगा है। अन्त में हमारे समाज में एक सोशल कांशसनैस आई है शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में। यह जो समाज में नजर आती है इससे वर्षों पुराना जो ढांचा पंचायतों का था, वह कायम नहीं रह सका है।

आज भी हम पंचायत राज की चर्चा करते हैं। कुछ बड़े नेता और आफिसर लोग, जो मुखालिफ पार्टी में नेतागिरी करते हैं, पंचायत राज की चर्चा करते हैं सोशल कांशसनैस, लेक आफ कांफिडेंस की। पंचायत राज के पास आज साधन उपलब्ध नहीं हैं। तीसरी बात, मेजर रेस्पांसिबिलिटी है। काम करने वाले की बहुत कम रेस्पांसिबिलिटी है। आज सामाजिक परिवर्तन हुआ है, आज लोगों में परिवर्तन हुआ है, समाज में जाग्रति आई है, उसको देखते हुए पंचायत राज का जो ढांचा 1957 में बनाया गया था, वह आज आकर चौराहे पर खड़ा हो गया है। आज पंचायत राज की रूपरेखा क्या हो। इस सूरत में पंचायत राज का विकास किस रूप में करना है। अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई फिर भी पंचायत राज के चुनाव नहीं हुए। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो जो लोग बराबर यह कहा करते थे कि चुनाव नहीं कराये हैं। उन्होंने अब कितनी पंचायतों के चुनाव कराये हैं? जिला परिषदों के चुनाव नहीं हुए हैं।

बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के बाद सादिक अली जो गवर्नर हैं, उनकी रिपोर्ट है। उसके बाद गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट है। अन्त में अशोक मेहता कमेटी केन्द्र ने नियुक्त की। उसकी रिपोर्ट है। पंचायत समितियों को रखें या नहीं, जिला परिषदों को रखें या नहीं, यह टू टायर सिस्टम रहे या नहीं, कहां से सुपरवीजन हो, कलेक्शन क्या रहे, यह प्रश्न हैं। उधर कलेक्टर, एस. डी. ओ., तहसीलदार और पटवारी हैं इधर ग्राम सेवक, बी. डी. ओ. फिर जिला परिषद है। सरकार को इस बात का फैसला करना पड़ेगा, कि क्या नीति होगी। कलेक्टर और परिषद के बीच में एस. डी. ओ. और

(श्रीमथुरादास माथुर)

पंचायत समिति के बीच में बराबर संघर्ष है । आपने वायदा किया था कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के बाद चुनाव कराये जायेंगे । हम इन्तजार कर रहे थे । वह रिपोर्ट आ गई । सदन में उस पर कुछ चर्चा हुई । उसमें प्रयोजल जरूर हुए । हम लोग उसमें शरीक नहीं हो सके । अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आये 12 महीने हो गये हैं । आठ महीने हो गये हैं । हमें यह उपदेश दिया जाता है कि हम पंचायतों को सशक्त करना चाहते हैं, पंचायतों को जो अनुदान दिया जाता था वह अनुदान बढ़ाया गया है । यह एक बहादुरी का काम किया है । छोटी-छोटी पंचायतें हैं । दो-दो हजार की आबादी की पंचायतें हैं । 10 हजार और 8 हजार की आब दी की भी पंचायतें हैं ।

श्री ईश्वरचन्द्र : अनुदान की राशि को आप घटा क्यों रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : पहले 500 मिलता था, अब 2000 मिलता है । अगर 1500 बढ़ गया ...

श्री रतनलाल वर्मा : पहले तो 500 ही मिलता था ।

श्री मथुरादास माथुर : टी. बी. के बीमार का अगर दो पौण्ड वजन बढ़ गया तो बीमारी खतम नहीं हो जाती है । वजन बढ़ जाने से क्या होगा ।

श्री ओंकारलाल चौहान : This is one factor.

श्री मथुरादास माथुर : पंचायत राज को आपने बहुत मोटा कर दिया । 500 रुपये देना इतना जरूरी नहीं है, जितना उनको इकानामिकली वाइबल करना । अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा होगा । आपकी पार्टी ने रिपोर्ट बनाई है । आपने भी पढ़ा होगा । टू टायर सिस्टम है । मेरी पुरजोर मांग यह है कि छोटी छोटी पंचायतें. जिनकी आबादी दो हजार है । कब इकानामिकल हो सकेंगी ? कभी भी रेस्पान्सिलिटी आप देंगे वह वहन नहीं कर सकेंगी और हमेशा अनुदान पर निर्भर रहेंगी । इसलिए मेरा निवेदन है कि अशोक मेहता कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि इनका समूह होना चाहिये और मेरा भी यही सुझाव है कि 8, 10 या 5, 6 पंचायतों का समूह बना कर एक पंचायत समिति की जगह तीन तीन पंचायत मण्डल बनाए जायं, उनको आप अधिकार दीजिए तभी वे इकानामिकली वायबल हो सकती है । किसी भी इन्स्टीट्यूशन की शक्ति उसको मोटा करने से नहीं होती बल्कि उसको आप कितनी पावर देते हैं, उसको कितने अधिकार देते हैं, उसको कितना इकानामिकली वायबल बनाते हैं, राज्य सरकार अपनी सत्ताको कितना विकेन्द्रित करती है । उससे होती है । मैं यह मानता हूं कि पंचायतें होनी चाहिएं, पंचायतें बड़ी होनी चाहिए और उनके ऊपर जिला परिषदें होनी चाहिए और वह इस तरह से काम करें कि उनको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेन्ट को संज्ञा दी जानी चाहिए । आपको अशोक मेहता कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसको मानना चाहिए । मैंने मुख्य मन्त्री जी को कह दिया था कि तुम इसको मानने वाले नहीं हो । सत्ता में रहते हैं वे सत्ता

(150)

(श्री मथुरादास माथुर)

को छोड़ना नहीं चाहते। पहले कलेक्टर छोटा साहब कहलाता था।

श्री दिग्विजयसिंह : माननीय माथुर साहब, मेरी जानकारी के लिए पूछना चाहता हूं, आप पंचायत समितियां रखने के पक्ष में हैं या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं हूं, मैं तीन तीन पंचायत मंडल बनाना चाहता हूं।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, समय का सीमित समझते हुए मैं रेवेन्यू के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। पहली बात तो यह है कि अशोक मेहता कमेटी पर राज्य सरकार क्या निर्णय ले पाई है यह आज तक यहां नहीं बताया गया है। दूसरी बात पंचायत समितियों के चुनावों को स्थगित करते जा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि अब एक पंचायत को रख कर, एक पचायत समिति को रख कर और जिला परिषदों को रख कर, आप पंचायतों को पंचायत समितियों का आर्डर्ली बना कर रखना चाहते हैं, जिससे आपके पास सत्ता रहे और आपके पास रिसोर्सेज बने रहे। दो हजार, दो सौ और ढाई सो रुपया अनुदान का भुगतान का काम करने से वे क्या काम कर सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप उनको शक्ति दीजिए और साधन दीजिये। इसके लिए फाइनेन्सियल डिवोल्यूशन करना पड़ेगा। भारत सरकार कान्स्टीट्यूशन के तहत फाइनेन्स कमीशन अपाइन्ट करती है। जितना भी पैसा आता है वह भारत सरकार और राज्य सरकारें देती है, सारा पैसा गांवों से आता है। किसी संस्था को आप अधिकार देते हैं तो उसको रिसोर्सेज भी देने पड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि दो सौ और पांच सौ की ग्राण्ट दे देना मेरे सामने गौण हो जाता है। इसलिए पंचायतों को भी डिवोल्यूशन के जरिये रिसोर्सेज दिये जांय, जिला परिषदों को दिये जांय, और पंचायतों को दिये जांय। पंचायत बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो वह इकानामिकली वायबल नहीं हो सकती, वह कोई काम नहीं कर सकती इसीलिए पंचायत राज खोखला होता गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस पर चिन्तन करें और चिन्तन करके इस पर फेसला करें।

इसके साथ ही श्रीमान्, पहले मैंने शुरू में कह दिया था कि आज के दिन मैं जो पंचायत राज की तस्वीर देखता हूं और जिला शासन की तस्वीर देखता हूं, दस हजार से ऊपर की आबादी पर म्यूनिसिपैलिटीज है, डिस्ट्रिक्ट्स का इण्टोग्रेटेड डवलपमेंट होना चाहिए और जिला परिषदों के ऊपर जवाबदारी होनी चाहिए और उनको पैसा मिलता रहे। कुछ स्कीम्स ऐसी हों जो स्टेटवाईज प्लान की हों, उस प्लानिंग कमेटी में एम.एल.ए. और एम.पी. भी हो और एक पंचशाला योजना बनाई जावे। आज होता क्या है कि एक सवाल पूछते हैं, मिनिस्टर उसका जवाब देते हैं मैम्बर कहते हैं कि झूठ

(श्री मथुरादास माथुर)

है, हमेशा यह होता है। अंग्रेज लोग कह गए कि हिन्दुस्तानी शासन करना नहीं जानते, वे शासन नहीं चला सकते। आप और हम भी गांवों से आते हैं। जिला परिषदों और पंचायत समितियों की समस्याओं और उनके विकास को हम गांव के लोग ज्यादा तवज्जह से देख सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर ज्यादा डिटेल्स में जाने के लिए अभी समय नहीं है। मैं तो अपने कट मोशन के जरिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर फैसला करो, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, मैं ज्यादा जोर नहीं देना चाहता, जिला परिषदों को आप पावर्स दें, पंचायतों को पावर दें उनको सेन्टर और राज्य सरकार के बीच में लिया जाये, और डिस्ट्रिक्ट के रिसोर्सेज उनको मिले। जिले की एक पार्लियामेन्ट हो, एक असेम्बली और जिला परिषद के प्रमुख एग्जीक्यूटिव बनें और इस तरह से उनकी गवर्नमेन्ट बने, जिला परिषद का सैक्रेटरी चीफ सैक्रेटरी बने, इस पैटर्न पर काम किया जाय। अशोक मेहता कमेटी ने सुझाव दिया और मैं भी यह सुझाव देना चाहता हूं कि जब तक पंचायत राज का प्रवेश नहीं होगा, जब तक कान्स्टीट्यूशन में उनके लिए पावर नहीं डाली जायगी, तीन लिस्ट हैं, सेन्टर और कान्करेन्ट लिस्ट, इसी तरह से एक पंचायत राज की भी एक लिस्ट होगी, जिसमें जो विषय होंगे वे उनके लिए देंगे। इस तरह की पंचायत राज की रूपरेखा आप लेकर आयेंगे तो हम आपको सहयोग देंगे। मगर आपको आठ महीने में समय नहीं मिला, आज तक आपको समय नहीं मिला, आपको चुनाव स्थगित कराते जा रहे हैं, न जिला परिषदें काम कर रही हैं और न पंचायत समितियां काम कर रही है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमान्, मैं समय ज्यादा नही लूंगा। अन्त में यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस समस्या को, जो यह बहुत बड़ी समस्या है यह एक डिपार्टमेन्ट की समस्या नहीं है, शीघ्र हल किया जाये। राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन को एक नई रूपरेखा दी जाय। आपने अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट बनाई है। उसमें बेसिक स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन की पावर्स बताई है। उसको मंजूर करके हमारे सामने आए तब पंचायत राज को मानेंगे। वरना धान का काम आपने पंचायतों को दे दिया। बूढ़ी गाय ब्राह्मण को दी, रुपया तो नहीं देंगे, धान देंगे उसके बदले काम लेंगे, अच्छा हुआ। पहले वाला धान ठीक आया, उसके बाद खराब आ रहा है। धान को काम के हिसाब से देते हैं। कहते हैं अकाल के काम नहीं कराए, टैस्ट वर्क्स में फेमिन का काम शुरू होता है, उस समय कितना काम होता है या नहीं, यह देखा जाता है। सबको आपने 5-5 किलो नहीं दिया। किसी को 3-3 किलो किसी को ढाई किलो। आप जांच करा लें, कई पंचायतों में लोगों का 50-50 किलो धान तुम्हारी सरकार में काम करने के लिए बाकी है, वह नहीं मिल रहा है। आप कहते हैं फोन से दिल्ली बात कर ली और धान आ रहा है।

(श्री मथुरादास माथुर)

फोन से धान नहीं आता है। जितना आपके हिस्से का धान था उससे ज्यादा आपने ले लिया है। अब धान आपको नहीं मिलने वाला है। अब दूसरे मुख्य मन्त्री भी धान की मांग कर रहे हैं। आप नीड का आधार देंगे तो देश का हरएक गांव नीड में है, हरएक राज्य नीड में है। उड़ीसा, बंगाल व राजस्थान नीड में है। कहीं पर अकाल है, कहीं पर ओला वृष्टि है, अतिवृष्टि है। पीछे धान नहीं मिलेगा तो उनको कैश में देने का वायदा करें इस सदन में। वरना लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि सरकार में हमारा धान बाकी है, विकास अधिकारी उनसे कहता है कि धान आ रहा है। मैं एक एक, दो दो गांवों की मिसाल नहीं देना चाहता, मैं अपने इलाके के लोगों को जानता हूं। अगले साल इस स्कीम को समझ कर बनाइये, आज नहीं कहूंगा। एप्रिप्रिशन बिल पर बोलते समय बताऊंगा कि तुमने कितने करोड़ रुपए धान के पेटे बजट में रखा। डेफीसिट बजट को बेलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, यह फर्जी है, धोखा है।

इसलिए अगले वर्ष 1979-80 में धान कितना मिलेगा, हमें बताइए कि कितना आ गया, कितना बाकी है, कितने की विकास अधिकारियों से मांग आ रही है। सब पंचायतों को देख कर एक अकाउन्ट सदन के सामने रखें वरना धान के नाम पर तालियां बजवाते हैं लोगों से। जब धान नहीं देंगे तो सरकार बदनाम होगी और पंचायतों ने जो काम किया है वह बेकार जाएगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सरकार न जाने क्यों 8 महीने तक फेसला नहीं कर सकी। तुम नशाबन्दी का फेसला नहीं करना चाहते, तुम पंचायती राज का फेसला नहीं कर सकते, तुम धान का फैसला नहीं कर सकते, तुम एक बात करते हो। जिस समय सदन में कोई बात आती है तो अखबारों में स्टेटमेंट चेप देते हो। ट्यूब लाइट की जगह मरकरी लाइट लगवा ली। भूखे पेट वालों को ये मरकरी लाइट्स राजी नहीं करेगी। टी० बी० के कारण जो सिर में दर्द है वह बाम लगाने से नहीं जायेगा। आपको टी० बी० के कीटाणुओं को मारना होगा। तो आप इस पर चिंतन करें और जो मैंने बातें कही हैं उन पर जल्दी फैसला करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट सत्र का उद्घाटन करते समय राज्यपाल महोदय ने कहा था कि विकास की गंगा हर गांव और हर ढाणी को धोएगी। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि काम के बदले अनाज योजना चालू करके राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंश को कार्य रूप में परिणित किया। इतना ही नहीं, जो पंचायतें इन 10-12 सालों में मृत प्राय: सी हो गई थी उनको सरकार ने 5 हजार रुपये तक के काम अपनी मर्जी से आवश्यकतानुसार करने की छूट दी और उनमें पूरा विश्वास रखा। उसका नतीजा यह हुआ कि आज कहीं पर भी ओला वृष्टि हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि

(श्री मूलचन्द सामरियां)

हो, किसी तरह से फसल खराब हो गई तो उस गांव के गरीब, जो जौ, मक्का, बाजरा व ज्वार की रोटी खाते थे, उनको गेहूं की रोटी खाने को मिल रही है। मेरे पूर्ववक्ता ने इतने बड़े नेता होते हुए भी इस योजना का जिस तरह से मखौल उड़ाने की कोशिश की, वह उनके व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं था।

सरपंचों ने इतने अल्प समय में 25-30 करोड़ के काम करवाए, एक पैसा भी कमीशन नहीं खाया जैसे बड़े-बड़े अधिकारी किसी विभाग में करते हैं, ठेकेदारी नहीं ली। उन सरपंचों ने ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभाओं से काम करवाये। इस राज्य की जनता में अपना पूरा विश्वास रखा उस विश्वास को राज्य के सरपंचों व पंचों ने कुशलता व ईमानदारी से पूरा किया और 30 करोड़ रुपये के अनाज के बदले काम पूरे हुए। आज भी कुछ लोग सरपंच को बदले की भावना से देखते हैं। वह सरकारी नौकर नहीं है। पंचायतों के 2-4 आदमियों को पकड़ते हैं, उनसे शिकायत कराते हैं, इधर अधिकारियों के पास आते हैं और अधिकारीगण न मालूम क्यों जरा सी शिकायत पर उस सरपंच के पीछे पड़ जाते हैं। इन्सपेक्टर देखता है, अब काम बन्द हो चुके हैं, ज्यादातर काम नहीं चल रहे हैं लेकिन पुराने खड्डे खोद रहे हैं और सरपंचों को डीमारेलाइज करना चाहते हैं। जो सीधे वोट से चुन कर आया, उस ईमानदार व्यक्ति से इन्सपेक्टर अपने चपरासी जैसा आचरण करेगा तो भविष्य के लिए वह अपना समय नहीं दे पाएगा, वह डीमारलाइज होगा। इसलिए इस तरह की मामूली शिकायत के आधार पर उसको गांव में आकर जलील करते हैं क्योंकि फलां नेता चाहता है कि उसको हटाया जाए। इन बातों से सरपंचों को मानसिक रूप से पीड़ा हो गई क्योंकि सरपंच एक काम कराता है और जो उनको नहीं चाहता है वह उनके साथ ज्यादती कराएगा तो दुर्भाग्य होगा।

जयपुर शहर में कन्वेंशन चार्जेज मिनिमम 4.80) रखे गये है इसके मुकाबले में छोटे-छोटे कस्बों में 4.50 रखा है। एक तरफ जयपुर जैसा शहर और दूसरी तरफ देहाती छोटे-छोटे कस्बों में जो आपने कन्वेंशन चार्जेज रखे, आप विचार करें कि 4.50) व 4.80) में क्या अन्तर है। यह असमानता है, गांव वालों के साथ अन्याय है। जिस गांव की जमीन की कीमत 2 रुपये प्रति गज होती है शहर में हजार रुपये होती है, उनके कन्वेंशन चार्जेज के अन्दर केवल तीस पैसे का अन्तर न के बराबर है। आप इस अन्तर को निकालें। गावों में कन्वेंशन चार्जेज नाम मात्र करें। इसी तरह आपके कानून के अनुसार कोई रास्ता चालू है और रेवेन्यूरिकार्ड में दर्ज नहीं है तो किसी अधिकारी अधिकार नहीं है कि सिवा कोर्ट के कि इस रास्ते को निकाल सके। इसलिए जहां रास्ता है, जहां रिकार्ड नहीं है, आये दिन आपसी झगड़े होते है। ये अधिकार एस. डी. एम. को देने चाहिये कि चालू रास्ते को देख कर रिवेन्यू रेकार्ड में दुरुस्ती करा दे। जब आपका राजस्व अभियान चलता है उस समय उसका फैसला करके रास्ता घोषित किया जाये। आज कोई कानून नहीं

(154)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

है। जब मास्टर साहब धौलपुर पधारे थे तो उन्होंने कहा था कि राजस्थान के बड़े-जिलों को छोटा करके प्रशासनिक दृष्टि से एक समानता लाई जाएगी। इस सन्दर्भ में जब मन्त्री महोदय ने घोषणा की है जिनको मैं राजस्थान का गांधी मानता हूं और जो मोस्ट सीनियर मैम्बर आफ दी कैबिनेट हैं उन्होंने घोषणा की है कि जिलों का पुर्ननिवारण होगा और जयपुर के दो टुकड़े किये जायेंगे और घोषणा करने के बाद भी अमल नहीं किया जाता तो इस सरकार के मन्त्रिमण्डल के बारे में जनता में एक इमेज बनती है, तस्वीर बनती है वह अच्छी नहीं कही जा सकती है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि आप जयपुर जिले की आबादी को देखें तो वह 10 लाख के करीब है और यहां पर आये दिन विदेशों से लोग आते हैं, जयपुर में हमारे देश के बड़े-बड़े नेतागण आते हैं और वी. आई. पीज. के इन्तजाम के लिए कलेक्टर को लगना पड़ता है। यहां आये दिन यूनिवर्सिटी, कालेज और मजदूरों आदि के प्रदर्शन और बड़े-बड़े व्यापारियों के आंदोलन होते हैं। इन सब के लिए जिला प्रशासन को काफी कार्यरत रहना पड़ता है। फिर बाहर का आदमी बांदीकुई से आये, बसवा से आये और उनसे मिलना चाहे तो जिला प्रशासन अधिकारी भी उसको समय नहीं दे सकते क्योंकि वह तो पहले से ही व्यस्त हैं। उनको समय नहीं मिलता है। वह आयें तो लोकल आदमियों के मुकाबले में उनको कौन समय देता है। टाइम मिलना मुश्किल है। यदि मिल भी जाये तो बात करना मुश्किल है। जयपुर विश्व के 10 बड़े जिलों में से एक है और भारत में आबादी की दृष्टि से दूसरे नम्बर पर आता है। इतने बड़े जिले के बारे में यह रिपोर्ट आई है यूनेस्को में कि इतना बड़ा जिला होने की वजह से जनता को सही प्रशासन नहीं मिलता है और न जनता से सम्पर्क हो सकता है। एक तरफ उदयपुर और बूंदी जिले हैं जिनमें दो-दो और तीन-तीन तहसीलें हैं। वहां भी एक जिलाधीश होता है। वहां लोगों का सीधा जिला प्रशासन से सम्बन्ध रहता है और वह अपनी मुश्किलों को जल्दी से हल कर लेते हैं। जिस जयपुर शहर के 6 और बाहर के 1: विधायकों की यह कान्स्टीट्यूएन्सी है, इतना बड़ा यह जयपुर जिला है और बहुत सी समस्यायें रहती हैं, आन्दोलनों को फेस करने की समस्या, मजदूर और विद्यार्थियों के आन्दोलन का मुकाबला करने की समस्या, बड़े बड़े वी. आई. पीज. के इन्तजाम करने की समस्या। इन सब समस्याओं के आगे जिला प्रशासन को कहां समय मिलता है, गरीब किसानों को सुनने के लिए जो बाहर से आते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

करूंगा कि इसके लिए मन्त्रिमण्डल के एक सीनियर मैम्बर को घोषणा है वह बहुत ही वाजिब मांग है। इसके पीछे कोई औचित्य नहीं है कि इसको नहीं मानाजाये या मना किया जाये। इसलिये जयपुर जिलेके दो टुकड़े करके एक जिला दौसा बना या जाये। दौसा ऐसी जगह है जो कि जयपुर राजघराने की पहले राजधानी थी और बहुत

(श्री मूलचन्द सामरिया)

महत्वपूर्ण स्थान है। उसके चारों तरफ तहसीलें हैं। दौसा को जिला बनाने में कोई खर्चा भी नहीं होगा। जयपुर में हर चीज के दो-दो और तीन-तीन अधिकारी है। मकान वैगरह बहुत महंगे हैं। यहां पर दो अधिकारी शिक्षा के, दो अधिकारी मेडिकल के, दो अधिकारी आयुर्वेद के हैं तो क्यों नहीं इन अधिकारियों को दौसा भेज दिया जाता जिससे उनको मकान भी सस्ते मिलें और आस-पास के लोगों को सस्ता न्याय भी मिल सके, सस्ती से सस्ती चीजें मिल सकें। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनायें। राजस्व मन्त्री जी से कहूंगा कि जिला बनाने को प्रक्रिया हो तब तक एस० डी० एम० का आफिस दौसा में जरूर खोल दिया जाये क्योंकि उस प्रक्रिया में तो समय लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री मूलचंद सामरिया : मेरी आखिरी बात एस० डी० एम० कार्यालय वहां स्थापित करने की अवश्य याद रखें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री करतारसिंह।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने काम के बदले अनाज की महत्वाकांक्षी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करके जनता पार्टी के लिए बहुत ही सुदृढ़ कार्य किया है। दूसरी ओर मैं राजस्व मंत्री जी को रेवेन्यू अभियान के मामले में कहूंगा जैसा गवर्नर महोदय के अभिभाषण में भी बताया कि राजस्व के मामलों में बहुत कीर्तिमान स्थापित किया है, मैं इसको ढकोसला मानता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय की सदन में इसके लिए आलोचना करूंगा।

मान्यवर, सर्वप्रथम मैं राजस्व अभियान की ओर राजस्व मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्व अभियान आपने पूरे राजस्थान में लागू किया। सर्वप्रथम त्रुटि तो इस राजस्व अभियान में यह रही कि वह समयोपयुक्त नहीं था। गर्मी के दिनों में आपको इसे प्रारम्भ करना चाहिये था जब कि किसान मई के महीने में फालतू रहते हैं और अपने केसेस का निपटारा करा सकते हैं। किसान इस समय अपने कार्यों में व्यस्त हैं।

मान्यवर, दूसरा निवेदन मैं राजस्व अभियान के बारे में यह करूंगा कि इसके चलाने से पहले राजस्व अधिकारियों ने न तो समस्याओं का कोई संकलन किया और न सरपंचों को ही जानकारी दी कि पर्टीक्यूलर जिले के अन्दर कौन कौन सी समस्या है और उनका निपटारा कैसे किया जा सकता है। मेरा यह निवेदन है कि कोई भी अभियान चलाने से पहले यह सर्वे कराया जाये कि कौन सा काम करना है क्योंकि सारे राजस्थान में एक तरह का काम एक साथ नहीं कर सकते हैं।

(श्री करतारसिंह)

दूसरा निवेदन यह है कि राजस्व अभियान का काम आपका प्रगति पर है। इसके बाद काम समाप्त होने पर आपको स्थानीय जन प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनानी चाहिये ताकि वह मूल्यांकन कर सके और कह सके कि काम उचित हुआ है या नहीं। काम में अगर गलती पाई जाये तो स्थानीय अधिकारियों को दण्डित करने का प्रावधान भी होना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो चार उदाहरण देना चाहूंगा। जब राजस्व अभियान चालू हुआ तो राजस्व मन्त्री जी से, कमिश्नर महोदय से, और योजना मन्त्री श्री माणक चन्द जी सुराणा और मुख्य मन्त्री जी से मैं मिला। मैंने मेरे क्षेत्र की समस्या सामने रखी। जैसे गैर खातेदारी के करीब 300 केसेज पुराने चले आ रहे हैं। उनको खातेदारी के अधिकार नहीं देकर उनके खिलाफ 91 की कार्यवाही की जा रही है। मेरा रूपनगढ़ गांव है, उसके आस पास के इलाके में किशनगढ़ स्टेट थी। उस समय ठेकेदारी प्रथा चालू थी। किसानों को तीस-तीस साल से लीज पर दिये गये थे और अब किसानों को मान्यता नहीं दी जा रही है। तीसरे, मैंने यह कहा था कि मेरे क्षेत्र में कलेक्टर ने खुद मौके पर आकर तहसीलदार को आदेश दिये कि सम्बन्धित किसानों से 25 रुपये लेकर उनका नियमन कर दिया जाये लेकिन आज तक केसेज तय नहीं हुए हैं। मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे पास आज भी अनेक अर्जियां पड़ी हैं। यदि मंत्री महोदय उनका अवलोकन करना चाहें तो मैं उनको दिखा सकता हूं। ग्राम बागोड़ा में 15 साल से जो लोग बसे हुए हैं उनके खिलाफ सैक्शन 91 की कार्यवाही हो रही है। मैंने मंत्री महोदय से बात भी की थी और प्रार्थना पत्र भी दिया था कि वहां का तहसीलदार बहुत भ्रष्ट है लेकिन आज साल भर हो गया पता नहीं उसका क्या हुआ। ऐसा भ्रष्ट तहसीलदार मैंने मेरी जिन्दगी में नहीं देखा। मैंने बार-बार प्रार्थना की तो इसका मन्त्री महोदय जवाब देते हैं कि राजस्थान में सारे तहसीलदार भ्रष्ट हैं, मैं किस-किस को हटाऊं। एक तरफ तो मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि नाक से भ्रष्टाचार निकाल दूंगा और दूसरी तरफ राजस्व मन्त्री जी कहते हैं कि किस-किस को हटाऊं। तो किस की बात सही है, मुख्य मन्त्री जी की या राजस्व मन्त्री जी की। मैं फिर कहूंगा कि आप ऐसे भ्रष्ट तहसीलदार को हटायें नहीं तो निश्चित रूप से मैं यह कहना चाहता हूं कि स्थानीय जनता के प्रतिनिधि और सरपंच मिल लिये हैं और इसके बाद स्टेप नहीं लेते हैं तो उस क्षेत्र में किसान आंदोलन करेंगे और उसका मुआवजा आपको देना पड़ेगा।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय सदस्य, आंदोलन की जरूरत नहीं है, गधे के ऊपर बैठा कर उसकी सवारी निकाल दो।

श्री करतारसिंह : अजमेर जिले के कई ऐसे गांव हैं जहां सीमा विवाद रहता है। अतिक्रमण रहता है। किसान परेशान हैं, 91 के नोटिसेज मिल रहे हैं। मैं चाहूंगा, इन किसानों को राहत किसी तरह से मिल सके।

(श्री करतारसिंह)

राजस्व मण्डल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। अजमेर में आई. ए. एस. अधिकारी लगा रखा है। आई. ए. एस. अधिकारी नियुक्त न हों। राजस्व के मामलों को समझने वाला होना चाहिये। जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी, केसेज का निपटारा कैसे होगा ?

जैसा माननीय मन्त्री महोदय ने बताया था कि हम गांवों तक सस्ता न्याय पहुंचाना चाहते हैं। हाई कोर्ट की बैंच अजमेर में न खोली गई तो अजमेर के साथ आप खिलवाड़ करेंगे। इसके लिए आन्दोलन होगा। आपसे निवेदन है कि हाईकोर्ट की बैंच अजमेर में स्थापित करें।

मान्यवर, इस बात का सर्क्युलर निकाला जाना चाहिये कि जिलाधीश, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, जनता के अभाव अभियोग सुनने के लिए गांवों में जायें। 91 की अपील एस. डी. एम. के पास जाती है। गांवों में जाकर ही निपटाये जाने चाहिये। इसके साथ ही एस. डी. ओ. हर गांव में हफ्ते में दो दफा जाने की कोशिश करें ताकि जनता की समस्यायें सुलझाई जा सकें।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पटवारी लोग हैं इनको ग्राम पंचायतों के अधीन कर दें। इनको नकल लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। अगर भ्रष्टाचार को खतम करना चाहते हैं तो पटवारीज को पंचायत समितियों के अधीन कर दें ताकि किसानों को राहत मिल सके····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, दो मिनट में खतम करता हूं।

इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि किशनगढ़ तहसील के अधिकांश तालाब स्टेट टाइम के बने हुए हैं। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 42 ए में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहिये। किशनगढ़ और अजमेर के अन्दर हजारों मामले पेंन्डिंग पड़े हुए हैं। किसानों के साथ अन्याय हुआ है। किसानों को राहत देना चाहते हैं तो तत्काल अमेंडमेंट करके आप इसको सही करें।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा पंचायतों को जो आपने अधिकार दे रखे हैं सड़कों के, हर रास्ते का अतिक्रमण हो रहा है। रास्ता साफ करने का तहसीलदार और एस. डी. ओ. को पावर दो।

इसके साथ ही एक और निवेदन करना चाहूंगा जो राजस्व मन्त्री जी को शिकायतें प्राप्त होती हैं उसके लिए एक विजिलेंस सैल बनाये, सतर्कता समिति तो आपकी बकवास है, जिस किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई स्पेसिफिक शिकायत प्राप्त हो, तत्काल एक्शन लेना चाहिए। उसमें जन प्रतिनिधि को सम्मिलित करना चाहिये

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री करतारसिंह)

इसके साथ ही पंचायतों के मामले में मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सरपंच और एम. एल. ए. के अन्दर क्यों फर्क समझते हैं ? दोनों जनता से चुनकर आते हैं। सरपंच के निलम्बन का अधिकार क्यों ले रखा है, इसको हटा दीजिये। पंच, सरपंच को जो भत्ता देते हैं। क्या यह उचित समझते हैं ? तीन रुपया पर्याप्त है ? एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 5), 5।। रुपये भत्ता मिलता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं''''

एक माननीय सदस्य : 5 रुपये कर दिया है।

श्री करतारसिंह : काम के बदले अनाज योजना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि आपने हर डिस्ट्रिक्ट में अलग-अलग रेट कायम रखी है। इस असमानता को दूर करिये और एक समान रेट लागू करें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री करतारसिंह : अन्त में मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके विभाग के अन्दर अन्धेरा ही अन्धेरा दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार के बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दो साल हो गए। मैंने विधान सभा में मामला उठाया था। तिलोनिया के अन्दर जमीन है। विभाग को मालूम नहीं, हमारी जमीन भी है कि नहीं। उसकी लीज भी खतम हो गई है। मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह। माननीय सदस्य, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं दल का विचार रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे दलों के समय पर कटौती हो जायेगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): सबसे पहले मैं पचायतों के बारे में अपने विचार रखता हूं। पिछले साल भी हमने यही बात कही और दुबारा यही बात कहनी पड़ रही है। सबसे पहले जब तक आप पंचायतों को अधिकार नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। 323 में मुकदमे, दिवानी के मुकदमे और दूसरे झगड़ों के मुकदमे जब तक यह राइट नहीं देंगे तब तक यह लिटीगेज्ट्स की भीड़ बढ़ती जायेगी, और अदालतों के पास मुकदमे इकट्ठे होते चले जायेंगे। निश्चित रूप से क्या करना है, इसका एक ही तरीका है।

दूसरी बात पंचायतों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तक जितने भी डवलपमेंट्स के काम हुए हैं उन्हें पंचायतों के अधिकार में दीजिये। पटवारी को आप सरपंच के नीचे करिये। जब तक पटवारी की सी. आर. सरपंच के नीचे नहीं देंगे, पटवारी इसी तरह लोगों को लूटता रहेगा। अब तक किसी से

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

पटवारी काबू में नहीं आया है, सरपंच को उसकी सी. आर. का अधिकार दे दो, वह उसके काबू में आ जायेगा····

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आफिसरों की रिपोर्ट उनके हाथ में नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इसके साथ साथ फूड फार वर्क ···

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : You are being treated as nobodys.

श्री श्योपत सिंह मकासर : इसके साथ जो काम के बदले अनाज योजना शुरू की, मैं कहता हूं बहुत अच्छी है मगर इसको अच्छे ढंग से यूटिलाइज करना चाहिये था। सरपंचों के पास क्या है ? ग्रुपसचिव। सरपंच ग्रुपसचिव के पीछे रहते हैं, न ग्रुप सचिव मिलता है और न काम होता है। एक तरफ उसको जेल दिखाई देती है दूसरी तरफ एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी सरपंच को। इसलिये महरबानी करके और कुछ नहीं करना चाहते हैं तो मैं कोई टू टायर, थ्री टायर की बात नहीं कहना चाहता हूं, अभी जो आपका थ्री टायर सिस्टम चल रहा है महरबानी करके आप उसे ही कायम रखिये।

पंचायतें जो आपने पांच, दस गांवों की कर रखी है वह न करके छोटी कीजिये। छोटी पंचायतें ज्यादा काम कर सकती हैं। इसकी एक लिमिट बान्ध दीजिये तो मैं कहता हूं ये ज्यादा इफेक्टिव होंगी।

इसके साथ ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह भी कहना चाहता हूं आपका राजस्व अभियान ठीक है, आपका फूड फार वर्क ठीक है, अन्त्योदय की योजना काफी ठीक है। सवाल है इम्पलीमेंट किस तरह करें ताकि उनके अच्छे रिजल्ट्स निकल सकें ? राजस्व अभियान क्या करता है? आपका एस. डी. एम. 10-11 बजे जाता है, और बड़े आराम से निकलता है। हैड क्वार्टर से तीन मील दूर पहुंचता है और शाम को वापस आ जाता है। आपने ज्यादा खर्चा बांध दिया। कितने रुपये आपके जीप पर खर्च आये, कितना पैट्रोल खराब किया लेकिन लेना देना कुछ नहीं। तो मेरा निवेदन है कि यह दरबार मत लगाइये। यह पुराना रिवाज है। अब तो आप कान्क्रीट बात कीजिये। जो आपने राजस्व का पीरियड तय किया है, वह खतम कर दीजिये। हर एक एस. डी. एम. और तहसीलदार को हिदायत दे दी जाय कि वह हर एक गांव-गांव में जाकर केम्प लगायें। इसे आप अनिवार्य कर दीजिये साल भर के लिए। जब आप राजस्व अभियान का प्रचार कर रहे हैं तो मैंने देखा है और मेरे साथ समस्या भी आई है कि मैं चलूं या नहीं चलूं। हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी ढेर सारी प्राबलम्स होती हैं। जब हम उनका निदान नहीं कर सकते हैं तो वे बड़े मायूस हो जाते हैं। मैं कहता हूं आप अच्छा काम करेंगे तो गांव का गरीब आपकी वाहवाही करेगा। यदि उसका कुछ काम नहीं होगा तो गाली देगा। अगर आपका एस. डी. ओ., तहसीलदार वहां जायेगा और गरीबों की समस्याओं का निपटारा नहीं करेगा तो आपको गालियां मिलेंगी। फिर

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

आपके राजस्व अभियान की बदनामी होगी। जिस मकसद से आप खर्चा करने जा रहे हैं वह नाकामयाब हो जायेगा। आपका एस. डी. एम. शाम को वापस आयेगा जाहे वह हैड क्वार्टर से कितनी ही दूर चला जाय। तो मैं कहता हूं वह वहां रात को क्यों नहीं ठहर जाता है। उसे वहीं रह जाना चाहिये। लोगों की दिक्कतों को दूर करना चाहिये।

मेरा निवेदन है, साल के अन्दर तो आप उनको पाबन्द कर दीजिये कि हर गांव में जाना पड़ेगा और समस्याएं अधिक हों तो वहीं ठहरना पड़ेगा। प्राब्लम्स सिर्फ अक्टूबर महीने में ही नहीं आती है। राजस्व अभियान के जिम्मे क्या काम है। रास्तों का फैसला। लेकिन अगर वह कलेक्टर के पास चल रहा है तो फैसला नहीं कर सकता। म्यूटेशन के काम तहसीलदार के जिम्मे लगाइये।

श्री रतनलाल वर्मा : यह काम तो पंचायतों के पास था।

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह तहसीलदार के जिम्मे लगाइये। साल भर में गांव-गांव में जायगा, कोई बंटवारे का काम होगा, तकसीम का काम होगा। भाइयों में बंटवारा होता है तो आपका एस. डी. एम. जाकर करे। अभी आपका राजस्व अभियान चला। क्या किसी गांव में किसी गरीब को बसाने के लिये जमीन दी है। मैं बहुत से गांवों में गया हूं। इस तरह की शिकायत हैं गरीबों की कि हमें बसने के लिये जमीन नहीं दी। तो आपका यह अमला कोई भी फैसला नहीं करता है इसलिये लाजमी करिये और एस. डी.एम. के जिम्मे लगाइये कि गांवों के गरीबों को बसने के लिए प्लाट्स दें। जो बड़े-बड़े लोग हैं उन लोगों ने बीघों जमीन घेर रखी है…

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बंसीलाल सारस्वत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 8.00 बजे तक बढ़ा दिया जाय?

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय 8-00 बजे तक के लिये बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 8 व 41 पर विचार

श्री रतन लाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इनके बोलने का समय खत्म होने वाला है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत यह कहना चाहता हूं, आज गांवों के गरीबों को मकान नहीं मिल रहे हैं। गांवों के बड़े-बड़े लोगों ने बड़े-बड़े नोहरे और बाड़े घेर रखते हैं। आप अगर किसी की जमीन नहीं ले सकते तो यह

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

एस. डी. एम. को अधिकार दीजिये कि किसी गरीब के पास छोटा मकान है और रहने को जगह नहीं है तो उसको बसाने के लिये जगह मिलनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत राजस्व मंत्री से एक बात कहना चाहता हूं, भूमिहीनों के बारे में। जब आप शुरू-शुरू में मंत्री बने थे तो हमें भरोसा हुआ था कि समाजवादी मंत्री है कुछ प्रोग्रेसिव कदम उठायेंगे लेकिन आप तो केवल झूठी धमकियां देते हैं, यह कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं है। आप नागौर के होस्टल को जमीन देने से इन्कार कर देवें तो यह कोई समाजवादी कदम नहीं है। वे कोई वहां बूचड़खाना नहीं खोलेंगे। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि आपके साथ केदार जी के बंगले पर जनता पार्टी के एक नेता का झगड़ा हुआ। उस झगड़े की आड़ में प्रोग्रेसिव होने का ढोंग दिखाया। क्या गांव के किसान का लड़का कोई होस्टल की मांग करे तो कोई यह जाति विशेष का मामला है ? नागौर के होस्टल के लिए मांगी गई जमीन बेकार भगरा है उसमें कुछ पैदा नहीं होता है। आपने यह किस तरह कह दिया ? हमको एतराज नहीं है आप सीलिंग के केसेज को रि-ओपन कीजिये। हम उसका स्वागत करेंगे लेकिन उसमें तो आपकी हिम्मत नहीं है। आपकी केवल नजर गंगानगर पर ही नहीं होनी चाहिये। आपको बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं की जमीन दिखाई नहीं दी। गंगानगर पर ही हमला बोल दिया। जहां सीलिंग की जमीनें हैं उनको रि-ओपन करें लेकिन मैं सदन में कह रहा हूं आप कुछ नहीं कर सकेंगे।

कुछ दिन पहले हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि बड़े-बड़े लोगों और नेताओं की जमीन हरिजनों में बांटना शुरू कर दी थी। मैं पूछना चाहता हूं कि जिला गंगानगर के जिलाधीश ने रि-ओपन करके गरीबों को बांटी है, जिलाधीश खुद ने गड़बड़ियां कर रखी है आप उससे छीन नहीं सकते हैं। एक बीघा जमीन उनसे नहीं ले सकते हैं। यह क्या समाजवाद आ रहा है। बड़े-बड़े जागीरदारों से आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं। चाहे बात आप कुछ भी कहें लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपके कितने ऐसे अधिकारी हैं जो राजस्थान में अधिकारी बनने के बाद अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके जमीनों के मालिक बने हैं। आपके पास लिस्ट है ? उनसे कभी पूछा आपने कि यह जमीन कैसे ले ली ? वे बेईमान अधिकारी जो फर्जी नाम से जमीन ले लेते हैं, फर्जी बन कर जमीन ले लेते हैं। गोगामेडी से हनुमानगढ़ तबादला हो जाय और बड़ी-बड़ी जमीनें दबा लें। आप समाजवाद की बात करते हैं और पब्लिक रिप्रेजेण्टेटिव को एक्शनरी बताते हैं। यह आपकी धारणा गलत है।

दूसरा भूमिहीन किसानों के बारे में निवेदन करता हूं। कभी सोचा है भूमिहीन किसानों और उनके बारे में ? पिछले साल कह रहे थे जमीन उसकी जो जोतेगा....

श्री हरचन्दसिंह : फिर आपका क्या होगा ?

162

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप देखिये, मेरा तो जो होगा सो हो जाएगा लेकिन तुम्हारा अपना सोचो। आपने कहा था कि भूमि उसकी जो जोते, कानून लागू करेंगे। क्या हुआ उसका ? कहां गया आपका कानून ? पिछले साल आप कह रहे थे अभी ला रहे हैं, फिर सो गए। भूमि उसकी जो काश्त करे, अगर इस कानून को लागू नहीं करोगे तो, राजस्व मंत्री जी, लाखों बटाईदार आज गुलाम बने हुए हैं जिनकी काश्त करते हैं क्योंकि उनका गिरदावरी में नाम नहीं होता। आज वे गुलामों की तरह जी रहे हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं राजस्थान के गरीबों का भला, और आप निश्चित रूप से लोहियाजी के फोलोअर हैं तो उसको लागू कीजिए।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

आज आप जमीन की नीलामी कर रहे हैं राजस्थान कैनाल में। कोई भी समाजवादी सरकार जमीन को नीलाम नहीं करती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने तय कर दिया, आठ मील के अन्दर एक मुरब्बे की कीमत एक लाख और 16 हजार रुपये, उससे कम में नहीं ले सकेगा। भूखण्ड नीलाम करेंगे, नीलामी में जमीन कौन ले जाएगा, मुझे बताइये ? जिसके पास पैसा है वह ले जाएगा। भूमिहीन किसान तो ले नहीं सकता। दूसरी तरफ आवंटित भूमि की 31 हजार कीमत वसूल कर रहे हैं लेकिन उसके नाम से दूसरे लोग ले जायेंगे। भाषण से सिद्ध नहीं होगा कि आप कितने प्रोग्रेसिव हैं यह आपके एक्शन से सिद्ध करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप रीओपन करने की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं, पंजाब के मुख्य मंत्री के पास है मगर बादल की जमीन छीनने की आपको हिम्मत नहीं है। सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलने वाला है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खतम करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माणक लाल ठाकोर।

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ माननीय विधायकों ने राजस्व मंत्री महोदय पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। खैर, इसका उत्तर है वह तो माननीय राजस्व मन्त्री महोदय ही देंगे लेकिन जो बिल्कुल खुली बात है, जो बिल्कुल साफ बात है वह मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम हमारे बूंदी जिले की तरफ के और कुछ अन्य क्षेत्रों के विधायकों से मेरी बात हुई, उनकी सूचना के आधार पर कहना चाहता हूं कि राजस्व मन्त्री महोदय को किसान, चाहे वे ट्रेसपासर्स हों और चाहे दूसरे हों, आशीर्वाद दे रहे हैं कि इनके कार्यकाल में, उनके आदेशों के द्वारा हजारों काश्तकारों को खातेदारी के अधिकार प्राप्त हुए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में सब-टिनेंट

(श्री माणकलाल ठाकोर)

की परिभाषा में अन्तर आया है और सब-टिनेंट साबित करने की जो प्रक्रिया राजस्थान टिनेंसी एक्ट, 1955 में थी, उसमें भी अन्तर आया है। उसके अनुसार यदि सब-टिनेंट रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज भी नहीं हो तो उसको साबित करने के लिए इस प्रकार शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी सबूत दे सकता है। मैं निवेदन करूंगा राजस्व मन्त्री महोदय को कि जो अधिकार शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की इस परिभाषा के अन्दर दिये हैं तो यह न्यायसंगत होगा कि जो भूमिहीन हैं, जो सब-टिनेंट हैं, भूमिहीन हैं जो व्यक्ति, उनको भी इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वह भी अपने अधिकार को न्यायालय में साबित कर सकें। उनका नाम राजस्व रिकार्ड में तो नहीं है किन्तु हमारा नाम है वह रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए और हमें खातेदारी अधिकार मिलना चाहिए, यह साबित करने का अधिकार उनको भी होना चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि टिनेंसी अमेंडमेंट एक्ट की अनेक बातें चल रही हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि कुछ धमाके उनके राजस्व विभाग से होने की आशंकायें हो गई हैं, इसलिये हमारे बड़े-बड़े भूमिपति हैं, मुझे यह कहते हुए शक नहीं है, हमारे अन्दर भी लोबी है इस पक्ष में और यहां तक कि तथाकथित वामपंथी जो नेता बनते हैं, वह व्यक्ति भी आज इस प्रकार की लाबी बना रहे हैं, इस प्रकार का राजस्व मन्त्री पर दबाव देना चाह रहे हैं कि प्रगतिशील कानून जो राजस्थान टिनेंसी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया जाने वाला है वह नहीं लाया जा सके, उनको अपने रास्ते से विचलित किया जा सके। तो मैं यह कहना चाहता हूं माननीय राजस्व मन्त्री महोदय कि वह किसी भी प्रकार से विचलित नहीं हों, चाहे उनकी सरकार पर या उनके स्वयं के मंत्री पद पर किसी तरह की आंच आवे, उनको अपने रास्ते पर अडिग रहना चाहिए और बड़े-बड़े भूपतियों, बड़े-बड़े भूतपूर्व जागीरदारों से मिल कर जो हमारे अन्दर, विपक्ष के अन्दर, लोबी बनी हुई है उसको किसी प्रकार से सफल नहीं होने देना चाहिए।

साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ मूलभूत परिवर्तन आने चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच सौ रुपयों का एक दावा होता है तो उसके लिए तो हम यह कहते हैं कि बिल्कुल स्वतंत्र न्यायालय में दावा-पत्र पेश होना चाहिए। हजार रुपये, पांच सौ रुपये और यहां तक कि दो सौ रुपये तक के लिए भी स्वतन्त्र न्यायालय में जाना चाहिए लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाखों रुपयों की, करोड़ों रुपयों की जो भूमि होती हैं उसके सम्बन्ध में सोचते नहीं हैं कि निष्पक्ष और न्यायपालिका से सम्बन्धित निष्पक्ष लोगों के सामने पेश होना चाहिए। इनकी जब पेशी होती है रेवेन्यू अधिकारियों के सामने, एस.डी.ओ. कलेक्टर के सामने और राजस्व मण्डल के सामने। इसका नतीजा यह होता है कि टेलीफोन की घंटियां उसका न्याय करवा सकती हैं। मिनिस्टरों के, सरकारी अधिकारियों और विधायकों के प्रभाव उन पर कामयाब हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो राजस्व विभाग है इसको कम से कम यह क्रांतिकारी कार्य

(श्री माणकलाल ठाकोर)

कर देना चाहिए कि जो मुकदमे हों एक पक्ष से दूसरे पक्ष के बीच में उनका जो फैसला हो वह स्वतन्त्र न्यायालय के द्वारा होना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तक ऐसा नहीं हो सके कम से कम राजस्व मण्डल के अन्दर आपको यह कर देना चाहिये कि उसके जो सदस्य है वह डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जजेज के दर्जेज के हों और न्यायपालिका के द्वारा नोमीनेटेड हों। यह करना चाहिये अन्यथा न्याय का नाम मत लो, यह न्याय का ढकोसला है। पांच सौ रुपयों का वाद तो स्वतन्त्र न्यायालय द्वारा तय हो और लाखों करोड़ों रुपयों के मामले हैं वे बिल्कुल अधीनस्थ विभाग के द्वारा तय हों, यह बहुत बड़ा अन्याय है। मैं एक निवेदन और कर देना चाहता हूं कि आज क्या स्थिति है, राजस्व मण्डल की क्या स्थिति है ? एक तरफ तो वे न्याय करते हैं, फैसले लिखते हैं और दूसरी तरफ उनको प्रशासनिक दृष्टि से अधीनस्थ बना रखा है। मैं निवेदन करूंगा कि प्रशासनिक अधिकार उनको दे ही क्यों रखे हैं। ट्रांसफर्स के अन्दर अधिकार प्रशासनिक अधिकार, निलम्बन के अधिकार, ये सारे अधिकार राज्य सरकार के स्वयं के पास होने चाहिये। राज्य सरकार के राजस्व मण्डल के साथ कोई प्रशासनिक सम्बन्ध नहीं होने चाहिए। और हों तो भी इस प्रकार से होने चाहिए कि वह किसी तरह से न्याय के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकें।

इसके साथ साथ में राजस्व मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिलों के अन्दर जहां तक जिलाधीश लोग है, मैं यह मानता हूं कि हमारी राजस्थान

(4-59 म० प०)

(श्रीमती सुमित्रा, सभापति, पीठासीन)

सरकार की जैसी स्थिति बनी हुई है, मुझे आप क्षमा करेंगे और जैसा हमारा आज का ढांचा है उसको देखते हुए यह आशा तो नहीं करता कि जिलाधीश महोदय का आप कुछ कर सकते हैं लेकिन आप इस पर विचार करें, यदि आप चाहते हैं कि इस देश के अन्दर विकास हो, अगर आप चाहते हैं कि पंचायती राज सफल हो तो आपको एक न एक दिन निर्णय करना पड़ेगा कि जिलों में यह जिलाधीश का पद समाप्त कर दिया जावे। मैं निवेदन करूंगा कि जिलाधीश का पद समाप्त हो। यदि आप नहीं कर सकते तो कम से कम उसका नाम जिलाधीश तो मत रखिए। ये तो मिनिस्टर या मन्त्री और वे जिलाधीश। यह कम से कम नाम हटाइये। जैसा कि माननीय माथुर साहब और वर्मा जी ने सुझाव दिया जिलाधीश को जिला परिषद् के अधीनस्थ करना चाहिये। यह प्रावधान अविलम्ब कर दिया जाय। माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि—

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, 10 मिनट का समय बन्धा हुआ है। 8 मिनट हो चुके हैं इसलिए मैंने घण्टी बजाई।

श्री माणक लाल ठाकोर : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व विभाग के अन्दर कुछ मनमानियां होती हैं, यह बात तो स्वयं मन्त्री जी ने भी मानी है। माननीय करतारसिंह जी ने कहा कि उनको यह परेशानी है कि कौनसा तहसीलदार ईमानदार है। यह जानने में परेशानी है। आप कम से कम ज्यादतियां तो बन्द करवाइये। आज ही मुझे पता चला कि टौंक जिले में एक काश्तकार से रेगुलराइजेशन करते समय लगान से पचास गुना पेनल्टी वसूल की गई। शायद माननीय राजस्व मन्त्री जी को इसका ज्ञान नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक सामुदायिक विकास का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि माननीय माथुर साहब ने कहा, यह चेतावनी मैं भी स्वयं देना चाहता हूं कि आपने इतने अच्छे काम किये हैं, राजस्थान की कायापलट करने में सहयोग दिया है इसके लिए बहुत धन्यवाद है आपका, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 31 मार्च के बाद भी बकाया अनाज ग्राम पंचायतों को आप दे सकेंगे, इसमें शक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर सत्याग्रह होंगे, आन्दोलन होंगे और आपको अपने खजाने से पैसा देना पड़ेगा, आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। सरपंचों की स्थिति यह हो रही है कि उनके पास जो सचिव हैं, सारा रिकार्ड उन्हीं के पास रहता है इसका नतीजा यह होता है, माननीय अध्यक्ष महोदय—

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय।

श्री माणक लाल ठाकोर : हां, सभापति महोदया, हम चाहते हैं, अध्यक्ष हो जावें। तो आज स्थिति यह हो रही है कि अगर सचिव चाहे या सहायक सचिव चाहे तो वे पुलिस वालों से मिल कर सरपंच को हथकड़ी डलवा सकते हैं क्योंकि पढ़े लिखे होते नहीं है कितना चूना खरीदा, कितने पत्थर खरीदे सारा हिसाब सचिव या उप सचिव के पास रहता है। वे रसीदों को किसी भी समय फाड़ सकते हैं, जला सकते हैं, केश बुक में इन्द्राज करना या न करना उनके हाथ में है। ऐसी स्थिति में सरपंच के हथकड़ियां लगाई जाती है जब कि पंचायत विभाग से आदेश दिये जाते हैं कि जन प्रतिनिधियों के हथकड़ियां न लगाई जावें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभापति जी का आदेश मानते हुए स्थान ग्रहण करता हूं। भविष्य में भी मेरा ध्यान रखें।

श्री सभापति : श्री किशनसिंह भाटी।

श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर) : सभापति महोदया, मैं राजस्व विभाग के बारे में दिए हुए कुछ कटौती प्रस्तावों पर ज्यादातर अपने जिले के बारे में, कुछ जनरल बातें कहूंगा। राजस्व का महकमा बहुत पुराना होने की वजह से नये परिप्रेक्ष्य के अनुसार इस महकमे का पुनर्गठन होना चाहिए। मैं भी चाहूंगा कि रेवेन्यू बोर्ड में राजस्व कानून के जानकार लोगों को ही रहना चाहिये और इस आई. एस. की जमात बी. एस सी., बी.काम. किये हुए, आदमियों को नहीं रखना चाहिये।

श्री ईश्वर चन्द्र : इसके बाद आपका नम्बर भी आ जाएगा।

श्री किशन सिंह भाटी : You should not disturb every now and then.

(श्री किशनसिंह भाटी)

इसमें इस तरह के आदमी आपको रखने चाहिये। दूसरी मेरी मांग होगी कि कलेक्टर का जो इंस्टीट्यूशन है, कलेक्टर बिल्कुल राजस्व अधिकारी ही रहे। लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करने की जरूरत दूसरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूरी करें यह सेपरेशन होना बहुत जरूरी है वरना गांव की पचासों समस्याएं और कलेक्टर को 50 तरह की ड्यूटी। ब्रिटिश पीरियड में जो भी लोग थे, वायसराय का प्रशासनीय कंट्रोल कलेक्टर के जरिये होता था। हमारे जमाने में भी कलेक्टर, स्लन्टली कहें तो हम भी ज्यादा हिपोक्रेट हैं। इसका कारण चाहे मिनिस्टर चेंज हो जाय, चाहे पार्टी चेंज हो जाय, जनरल मासेस का कुछ नहीं होता। आज दो साल से जनता पार्टी ने एक भी कानून प्रशासन की व्यवस्था को बदलने के लिये नया नहीं बनाया। इसलिये जिलाधीश प्योरली राजस्व के ही काम को करे उसके नीचे एस. डी. ओ., तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी इत्यादि राजस्व को डील करने वाले अधिकारी रहें। इस दृष्टिकोण से यह भी कहूंगा कि छोटे-छोटे नायब तहसीलदार आफिसेज राजस्थान में और स्थापित किये जाये तहसीलें और स्थापित की जायें और रेगिस्तानी सीमा के इलाकों को देखते हुए कम से कम हर ग्राम पंचायत केन्द्र पर एक पटवारी की इंस्टीट्यूशन, गांधीजी के स्वप्नों के स्वराज्य के अनुसार विकेन्द्रीकरण की वर्तमान प्रक्रिया को देखते हुए पटवारी की इंस्टीट्यूशन हो, कई बार निवेदन कर चुका हूं कि पटवारी को ग्राम पंचायत के अधीनस्थ रखा जाना चाहिये और गांवों का सारा राजस्व रिकार्ड ग्राम पंचायतों में रहना चाहिये। राजस्व का हिस्सा ग्राम पंचायतों को मिलना चाहिये। आपने ढाई रुपये दिये, यह अच्छा है लेकिन हम यह चाहते हैं और अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट में भी यही है कि राजस्व का सारा हिस्सा पंचायतों को मिलना चाहिए। व्यावहारिक दृष्टि से गांव का धन गांव के विकास में ही लगे, इस दृष्टि से देखते हुए उसे गांव में ही खर्च करने के लिये और पंचायतों को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए उन्हें दिया जाना चाहिये। दूसरे यह गोचर, सांसण और ओरण भूमि में किसी तरह के खेत अलाट नहीं होने चाहिये और जहां आवंटित हो चुके हैं उन लोगों को दूसरी जगह ले जाना चाहिए। इससे वनों का विकास होगा, मवेशी को घास उपलब्ध होगी। यह एरिया रहना बहुत जरूरी है। हमारा राजस्व कानून काफी पुराना है उसमें गोचर कहलाती है। तो गाय को ही पशु गिना है और भेड़ और बकरी को पशु गिना नहीं है। इसलिए, सभापति महोदय, आज के जमाने की जरूरत है कि आप सारी डिक्शनरियों को सम्हालें और अपनी डिक्शनरी को देखें। जमाने के अनुसार भेड़ भी पशु है, बकरी भी पशु है, जिनको चारे के लिए जमीन चाहिए। डिफेक्टिव होने के कारण राजस्व अभियान में बड़ा संघर्ष करना पड़ा है। एस० डी० ओ० और कलेक्टर को प्रतिनिधि के नाते कहने का फर्ज है मगर वह परवाह न करें तो गांवों में बड़ी दिक्कत आती है। ग्रामीण लोग कहते हैं कि गोचर की क्या पढ़ाई है आप एम० ए० है तो हम मिनिमम अनपढ़ है लेकिन कामन सेन्स तो है। तो गोचर में परिवर्तन करा कर आप इसको भेड़ और बकरी के लिए नहीं करा सकते हैं? इतना छोटा सा परिवर्तन हम दो दो साल में नहीं करा सकते तो लोग हम

(श्री किशनसिंह भाटी)

से क्या उम्मीद करें। इसके लिए बहुत लम्बा चौड़ा लेजिस्लेशन नहीं करना पड़ता है। मामूली से सक्यूलर से इसको चेंज कर सकते हैं। इसलिए गोचर में परिवर्तन करना चाहिए। सैटलमेंट के बारे क्या किया? अपने ही इलाके के संदर्भ में और वहीं के परिप्रेक्ष्य में कहूं कि मेरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा ज्यादतियां हुई हैं। पुरानी मारवाड़ रियासत में, जयपुर रियासत में तो सैटलमेंट हुआ है लेकिन हमारे जैसलमेर जैसी पिछड़ी हुई रियासत में तो सैटलमेंट शब्द को कोई नहीं समझता था। राजस्थान बनने के बाद सैटलमेन्ट हुआ तो अकाल की वजह से लोग जमीनें नहीं लिखा सके, कुछ लोगों ने जमीनें अपने नाम डर से नहीं लिखाई, कुछ भूल हुई इस कारण से लोगों द्वारा जमीनें नहीं दिखाई गई हैं। तो सैटलमेंट, सभापति महोदया, पुनः होना चाहिए। वह बोर्डर का इलाका है। इसके लिए कहते हैं तो वहीं घिसा पिटा जवाब मिलता है कि नहीं लिखाई तो कानून में उसकी रेमेडी है। तो मर्डर करने वालों के लिए भी रेमेडी है, नहीं करने वालों के लिए भी रेमेडी है। मेरे ऊपर झूंठे मुकद्दमे बनाये जाएं तो उसकी भी रेमेडी है, लेकिन वह गरीब आदमी कहां लिटिगेशन करता फिरेगा। इसलिए जैसलमेर में सैटलमेंट, सभापति महोदया, माकूल होना चाहिए। पुरुषोत्तम मन्त्री जो जवाब दें तो यह जवाब दें। सारे टिनेन्सी ला की आपने 25 वर्षों तक स्टडी की है। खातेदारी के राइट्स कैसे एक्रू हों यह प्रोवीजन तो है, लेकिन खातेदारी राइट्स का म्यूटेशन हो गया है यह कैसी प्रक्रिया है। रामगढ़, नाचना और सामल में खुले रखे, स्टेट के वक्त से खुले रखे। राजस्थान बनने पर खातेदारों को ए० एस०ओ० ने पट्टे देकर रिकार्ड को ठीक किया तो राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा कि कैसे दिये हुए हैं और सारे पट्टे कैन्सिल हो गये। भवानीसिंह जी की तरफ से पट्टे दिये हुए हैं। भवानीसिंह जी को जैसलमेर 2-3 साल के लिए लगा दिया। नाचना में कहा गया कि उनके दिये हुए पट्टे ठीक नहीं हैं। बाकी में उनके दिये हुये ठीक हैं। कानून से लिये हैं। टिनेन्सी एक्ट में यह प्रोवीजन कहां दिया हुआ है कि एक बार दिया हुआ टाइटल किसान का आप ले सकते हैं? उनके फैसले आज तक नहीं हुए हैं। इन्जस्टिस उन गरीबों के साथ हुआ है। नई चीज नहीं है प्रोसीजर में। राजस्व मंत्रीजी से और रेवेन्यू कमिश्नर कैलाशदान जी उज्जवल से मेरे जिले के बारे में डेढ़ साल से मैं कहता रहा हूं लेकिन इसमें कुछ नहीं किया। इससे खाली हवा खराब होगी और हम मिटेंगे। हम मिटेंगे तो आपका सहारा भी मिटेगा। रीजनेबल बात कहते हैं। अब तो साइड चेन्ज हो गई है। एजीटेशनल अप्रोच हमारा नहीं है। गरीब इलाका है उसको समझें और इन पर कृपा करें और दुरुस्ती कर राहत दें।

इसका नतीजा क्या हुआ? पूर्वी जैसलमेर है जिसमें कोलायत भी है, फलोदी भी है और जैसलमेर भी है हमारी चार कान्स्टीट्यूएन्सीज हैं इनमें क्या हुआ है कि कलेक्टर जैसलमेर ने संवत् 2018 में, सभापति महोदया, फैसला दिया कि स्टेट रिकार्ड देखा गया तो सारे गांवों के सारे खातेदार हैं। संवत् 2018 में कलेक्टर ने उनको खातेदार बताया है और पुरुषोत्तम मंत्रीजी कहते हैं और राजस्व अभियान में लिखा है कि लास्ट

(श्री किशनसिंह भाटी)

ईयर के टी० पी० हैं इसलिए इनको सजा दिलाई जाय। तहसीलदार कहता है कि 3 महीने की सजा के उसको पावर्स हैं। 7-8 सौ केसेज मैं अभी रुकवा कर आया हूं। 20-20 वर्ष के वह खातेदार हैं सैटलमेंट वालों ने किस को क्या लिखा मालूम नहीं लेकिन लास्ट ईयर के खाते मंगाकर किया था। कानूनी प्रक्रिया में तहसीलदार, एस. डी. ओ. और कलेक्टर की मजबूरी है। कानून की लकीर के फकीर मत बनिये और राजस्व अधिकारियों को राजस्व अभियान में प्रेक्टिकल बातों को देख कर उसमें करेक्शन करना होगा। 30-40 वर्ष की ढाणियां बनी हुई हैं, पक्के टांके बने हुए हैं उनकी रिकार्ड में एन्ट्री है। केवल लास्ट ईयर की एन्ट्री को मानकर उनको टी. पी. करार दे दिया। एस. डी. ओ. से मालूम किया लास्ट ईयर टी. पी. कैसे हैं? उसके पहले क्या हैं? तो वह कहते हैं कि हम तो एक साल का रिकार्ड मेन्टेन करते हैं। आपकी टैक्निकलिटीज के कारण किसान मर जाय, लेकिन यह उसका वास्तविक पहलू है। ऐसा और जगह भी होगा। इसमें करेक्शन किया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरा, मैं चाहूंगा कि जो यह भू-आवंटन है एक एक्सेप्शन बाड़मेर और जैसलमेर जिले का है। हमारी जो डिफेक्टिव डेफिनेशन है उसकी वजह से हम सफर करेंगे। 72 से लेकर, सभापति महोदय, आज तक बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में अलाटमेंट बन्द है। जयपुर की तरह वहां पर जमीन की कमी नहीं है। वहां पर गांव बहुत दूर दूर आ गये हैं। वहां पर आबादी कम है इसलिए स्कूल बहुत कम है, रोड्स कम हैं लेकिन जमीन बहुत है। तो अलाटमेंट बन्द है, और बन्द है उसकी वजह से और भी नुकसान हो रहा है। जो हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम या पिछले वर्षों में जिन आदमियों ने जमीनें कम लिखाई है सैटलमेन्ट में ऐसी हालत में 10 हजार जैसलमेर में और इससे दुगुने बाड़मेर में लैण्डलैस बैठे हुए हैं। वह घर से अलग हो चुके हैं। उनकी अलग फैमिलीज हैं परन्तु, सभापति महोदया, एक इन्च भी जमीन उनके पास नहीं है। हम कहते हैं कि अलाट करो तो कहते हैं कि डी. पी. ए. पी. हो रही है। वहां पर 3 हजार माइल का ही एरिया नहीं है, उसका 35॥ हजार स्क्वायर माइल का और भी एरिया है। आप वहां की टोपोग्राफी को नहीं जानते हैं। पता नहीं किस नक्शे पर चल कर कोई डी. पी ए. पी का कहता है, कोई राजस्थान कैनाल का कहता है कि राजस्थान कैनाल आ रही है। जैसलमेर में जमीन कोई 4 हजार स्क्वायर माइल ही नहीं है। जो नक्शा आपके सामने है वह 20 हजार स्क्वायर माइल का है। वह न डी. पी. ए पी. में आता है, न राजस्थान कैनाल में आता है और न चानन सिरीज में आता है। 30-30, 40-40 घरों की बस्तियां 25-25 मील की दूरी पर है उनके खेत पड़ते हैं। डी. पी. ए. पी. में अगर कर रखा है तो हमको नुकसान हो रहा है। 10-10 पीढ़ियों से बठे हुए हैं। कलेक्टर और एस. डी. ओ. ने जयपुर को लिखा है कि वे केसेज फिट फार रेगुलेराइजेशन हैं। वह यहां आकर रुक गया है। यह कहते हैं कि यह कहलायेगा

(श्री किशनसिंह भाटी)

आवंटन इसलिए उसको रोक रखा है। मुझे बताया गया है कि 10 वर्ष हुये जब कि अलाटमेन्ट कमेटी ने इसको रेगुलराइजेशन के लिए भेजा हुआ है। उसको कहा जा रहा है कि रेगुलराइजेशन नहीं होगा। एलाटमेंट इज अलाटमेंट और रेगुलराइजेशन इज आलसो अलाटमेंट। लेकिन आपके इस बनाये हुए कानून में अमेंडमेंट करना है तो करिये नहीं तो 300-400 गांवों के किसान उलट जायेंगे। इससे पहले ही आप उनको रेगुलराइ-जेशन के लिए रिकमण्ड कर दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : आपने 13 मिनट ले लिये हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : 13 मिनट में 2 मिनट और जोड़ दें, सभापति महोदया, तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

पंचायतों के बारे में तो इतना ही कहूंगा कि पंचायतों के बारे में अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट अच्छी है। जैसा कि माथुर साहब ने कहा कि थ्री टायर सिस्टम होना चाहिये। आप कुछ भी सिस्टम करें लेकिन पंचायतों के डिफेक्ट को रिमूव कीजिए। पंचायतें कांग्रेस सरकार के समय से ही डिफेक्टिव बनी हुई हैं। वह बोर्डर एरिया है।

श्री सभापति : आप तो जैसलमेर के सम्बन्ध की बात ही कह दें।

श्री किशनसिंह भाटी : मैं अपने एरिया की बात कहना चाहता हूं कि वहां पर क्या डिफेक्ट है। जैसलमेर और पोकरण इन दोनों तहसीलों के आधे गांव एक तहसील के और आधे गांव दूसरी तहसील के लेकर पंचायत समिति बनाई है। तो एक तहसील की ही एक पंचायत समिति हो और उसी क्षेत्र की ही। सीमाओं का पुनर्निर्धारण करें।

वहां पर 50-40 किलोमीटर पर साकड़ा पंचायत समिति और सम पंचायत समिति का आफिस शहर में पड़ा हुआ है पोकरण और जैसलमेर में। तो पंचायत समिति का क्षेत्रीय मुख्यालय गांवों में हो तो उसका डवलपमेंट भी होगा। यह करेक्शन आप करें, चुनावों से पूर्व करें। वरन् 5 वर्ष फिर नहीं होगा।

चूने की खानों के परमिट देने के अधि-कार पंचायतों को होने चाहिये। माइनिंग की रायलटी पंचायतों के मार्फत आपके यहां जमा हो जायेगी और एक एक गाड़े चूने के लिए लोगों को कलेक्टर और एस. डी. ओ. के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उनको कुछ हिस्सा आप डवलपमेंट के लिए दें रेवेन्यू में से।

श्री सभापति : कृपया आप समाप्त करें।

श्री किशनसिंह भाटी : ये सुझाव अगर आप मान लेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा कहना सार्थक रहा।

श्री सभापति : श्री समरथलाल।

श्री नूरा : सभापति महोदय, मैंने अपना पर्चा भेजा था नाम के लिए। मैं चाहूंगा कि मेरे पर्चे पर ध्यान दिया जाय।

श्री सभापति : कब चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : आपके नेता बोल चुके हैं।

श्री सभापति : राम रघुनाथ जी, आप समय नष्ट न करें। मेरे सब ध्यान में है। समय-समय पर जैसा होगा सबको समय दूंगी।

श्री समरथलाल (राजगढ़) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पचायत मन्त्री जी से कुछ निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदया, पंचायतों के चुनाव हुए। चुनावों के बाद गांवों में यह आशा बन्धी थी कि शायद नया राज आया है। नया राज आने पर नये तरीके से पंचायतों में कोई काम होगा। माननीय सभापति महोदया, मैं कहना चाहूगा कि ग्राम पंचायतों के चुनाव होने के बाद पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनाव बाकी पड़े हैं। वह चुनाव अभी तक नहीं हो पाये हैं जिसके कारण ग्राम पंचायतों के सरपंचों में बड़ी अव्यवस्था है। जो ग्राम पंचायतों के सरपंच है, उन पर आपने विकास अधिकारी के नाम से एक प्रशासक बैठा दिया। वह प्रशासक उन सरपंचों के साथ में और ग्रामीणों के साथ में इस तरह से मनमानी करता है, ऐसे उदाहरण शायद पहले ग्राम पंचायतों में देखने को नहीं मिले। सभापति महोदया, सरकारी योजना अच्छी है। काम के बदले अनाज की योजना अच्छी है। मैं इसके लिए मना नहीं करता हूं। लेकिन उसका एक्जक्यूशन पंचायतों के विकास अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह योजना अच्छी है। लेकिन यह काम इतने अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा है। विकास अधिकारी पंचायत समितियों में होते हैं। उनमे इतनी क्षमता नहीं होती है कि कुशलता के अनुसार जो कामकाज है, उस को वह कर सकें। विकास अधिकारियों के बारे मे सारेराजस्थान के अन्दर से, यह सारा सदन जानता है, बराबर शिकायतें आती हैं। उन शिकायतों के बारे में विभाग की तरफ से किसी पर कुछ कार्यवाही नहीं होना बताता है। अलवर जिले में मेरे क्षेत्र में दो पंचायत समितियां हैं। वहां, सभापति महोदया, अलग अलग विकास अधिकारी हैं। एक पंचायत का विकास अधिकारी शराब पीकर काम के बदले अनाज योजना का काम करता है। दूसरा विकास अधिकारी भंग पीकर काम के बदले अनाज योजना का एक्जीक्यूशन करता है। सभापति महोदया, यह योजना है। सभापति महोदया, उन पंचायतों के सरपंच जाकर मन्त्री महोदय से मिले। माननीय पंचायत मन्त्री ने उन सरपंचों को सुना। उनके अनुसार उन अधिकारियों का परिवर्तन किया गया। परिवर्तन के बाद वह एक महीने तक नहीं गया। एक महीने बाद उसका स्थानान्तरण रोक लिया गया। उसके बारे में जवाब दिया गया कि कुछ शिकायतों और अनियमितताओं के कारण परिवर्तन किया गया था। 31 मार्च तक काम के बदले अनाज योजना को सफल बनाया जायेगा इसलिए उस अधिकारी को रोका जायेगा। तो, सभापति महोदया, यह तो सरकार की पंचायतों की स्थिति है। इन पंचायतों के जरिये से गांवों में काम

(श्री समरथलाल)

हुआ। उन कामों के जरिये से आमूलचूल परिवर्तन हुआ है दूसरी तरफ यह हालत है। राजगढ़ ट्राइबल एरिया है। दो पंचायत समितियों में एक पंचायत समिति का विकास अधिकारी शराब पीकर काम के बदले अनाज योजना का एक्जीक्यूशन करता है। दूसरी पंचायत समिति का विकास अधिकारी भंग पीकर काम के बदले अनाज योजना का एक्जीक्यूशन करता है। मैं उन दोनों पंचायत समितियों का प्रतिनिधित्व करता हूं। जो सामुदायिक विकास के डायरेक्टर हैं, उनको कहा है। वह आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके बावजूद उसको वहां रख छोड़ा है। वही प्रशासक वहां जमे हुए हैं। वह प्रशासन को खराब करने की नीयत से काम कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव होने चाहिए। जिन विकास अधिकारियों की गम्भीर शिकायतें हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। उस जांच के अनुसार काम होना चाहिए।

अब मैं, माननीय राजस्व मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि ये दोनों मांगें गांवों से सम्बन्धित हैं। राजस्व अभियान चला है लेकिन पटवारी, तहसीलदार, जैसे इस राज में हैं उनको आपको जानकारी है। राजस्व अभियान में, पटवारी गांवों के व्यक्तियों को और किसानों को कीड़े की तरह से खा रहा है। इस राज्य को खा रहा है। तहसीलदार उससे भी बड़ा कीड़ा है। जैसा कि बड़े कीड़े का हाजमा होता है वैसा ही तहसीलदार का होता है। सभापति महोदया, यह तहसीलदार राजगढ़ में रहता है। जबर्दस्ती रिश्वत ले रहा है। जब उसके बारे में कहा गया तो यह बताया गया कि रिश्वत तो सारे तहसीलदार ले रहे हैं। कौन सा तहसीलदार अच्छा है उसको भेज दें।

(व्यवधान)

हमने यह कहा कि यह तहसील के तहसीलदार ने किया है। बीच में, सभापति महोदया, उसका परिवर्तन हो गया।

(व्यवधान)

परिवर्तन होने के बाद कई दिन हो गये। वह कैंसिल कराके आ गया। जब यह पूछा गया कि यह कैंसिल कैसे, किस कारण हो गया? तो यह बताया कि हमारे पास गांठ में जो पैसा है, वह कैंसिल कराके लाया है। मैंने कहा, क्या राजस्व मन्त्री जी को रिश्वत दी? वह कहता है कि रेवेन्यू बोर्ड को रिश्वत दी है। मैं उनको पैसा देकर आया हूं। पैसे से काम कराया है। खुल्लमखुल्ला बिल्कुल यही कहा है। तो, सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि राज्य बदला है। इस सत्ता परिवर्तन से जो आशायें की जाती थीं, वह आशायें पूरी नहीं हुई हैं। आशा के विपरीत हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो अफसर हैं जो राज्य को बदनाम करते हैं, ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सभापति : यह आप कह चुके हैं।

श्री समरथ लाल : सभापति महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इस इलाके के लिए....

श्री सभापति : आपके 9 मिनट हो गये हैं। एक मिनट और रहा है।

श्री समरथ लाल : सभापति महोदया...

श्री सभापति : समय की सीमा सभी के लिए है।

श्री समरथ लाल : सभापति महोदया, सस्ता न्याय गांवों के लोगों को मिले इसके लिए जरूरी है कि जो न्याय करने वाले व्यक्ति हैं, वह ठीक हों। मेरे यहां एस. डी. ओ. राजगढ़ का हैड क्वार्टर अलवर है। माननीय सभापति महोदया, राजगढ़ से अलवर की दूरी 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर का अन्तर है। अगर सीमा के उस गांव का आदमी एस. डी. एम. के पास जायगा तो उसको 00 किलोमीटर जाना पड़ेगा। क्यों नहीं आप हैड क्वार्टर वहां पर रखते जिससे उनको सस्ता और शीघ्र न्याय मिल सके।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजगढ़ तहसील की 1 लाख 32 हजार की पापूलेशन है, वहां एक तहसीलदार है। यह बहुत बड़ी तहसील है, इसलिए मेरा निवेदन है कि एक नायब तहसीलदार का पद रेणी पंचायत समिति में होना चाहिए। वह ट्राइबल एरिया है और ट्राइबल लोग वहां पर रहते हैं इसलिए उनके हितों के लिए निवेदन करूंगा कि एक नायब तहसीलदार का पद वहां पर देवें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मेघराज पंवार।

श्री मेघराज पंवार (चूरू) : माननीय सभापति महोदया, अभी बजट के प्रस्तावों के साथ वित्त मंत्री जी ने 25 पर्सेन्ट लगान की बढ़ोतरी कर दी जिससे सदन में और काश्तकारों में हो हल्ला मच गया। यह उन्होंने वापस ले लिया इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि यह एक अच्छा काम हुआ आपने शीघ्रता की इसलिए अच्छा काम हुआ। शीघ्रता से जो किया जाता है, वही न्याय है और यदि वही देरी से किया जाय तो अन्याय हो जाता है। चूरू जिले मे एक अभागी तहसील और है जहां पर तीन सौ प्रतिशत तक लगान बढ़ा दिया गया और 10 वर्ष से उनको फांसी के तख्ते पर लटका कर छोड़ दिया गया। वह चूरू तहसील है, मैं आपको पढ़ कर सुना देना चाहता हूं, एक गांव में 306 प्रतिशत, दो गांवों में 262 व 252 प्रतिशत, 5 गांवों में 150 से 200 प्रतिशत, और 19 गांवों में 100 से 150 प्रतिशत, 47 गांवों में 50 से 100 प्रतिशत तक, 14 गांवों में 25 से 50 प्रतिशत तक लगान बढ़ा दिया गया। 25 पर्सेन्ट तक आपने जो लगान माफ किया है उसमें केवल तीन गांव आते हैं। दस साल से फरियाद करते हैं, सैटलमेंट कमिश्नर ने रिपोर्ट कर दी कि विभाग की गलती हो गई, कलेक्टर ने रिपोर्ट दे दी कि इन गांवों पर अन्याय हुआ है, इस पर सरकार पुनर्विचार करे। विधान सभा में 25-3-70 को मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि 25 पर्सेन्ट से ज्यादा लगान नहीं बढ़ाया जायगा। भूतपूर्व राजस्व मंत्री श्री परसराम जी मदेरणा ने फैसला कर

(श्री मेघराज पंवार)

दिया लेकिन आज तक दुरुस्ती नहीं की गई। वर्तमान राजस्व मंत्री जी ने हुक्म दे दिया कि एक साथ वसूल कर लिया जाय : 14 लाख में से 6 लाख अकाल होते हुए सख्ती से वसूल कर लिये गये हैं। किसी गरीब को नहीं छोड़ा, किसी अन्त्योदयी को नहीं छोड़ा, किसी भूदानी को नहीं छोड़ा और सख्ती के साथ वसूल कर लिया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। 20 जनवरी को राजस्व मंत्री जी ने मीटिंग बुलवाई. गलती मान ली गई, फैसला किया गया कि इतने गांवों का कम कर दिया जावे। मैंने कहा कि बकाया का क्या होगा, तो कहा गया कि तीन किश्तों में वसूल किया जायगा। मेरे जाने के बाद हुक्म भेज दिया कि एक साथ वसूल कर लो। तो मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जो कुछ होना था वह तो हो गया, अब भी आप मेहरबानी करके इसको जल्दी निपटाओ ताकि गरीब और बर्बाद न हो। वह कहां जायगा? जनता पार्टी की सरकार का एक वर्ष का राज्यकाल पूरा हो जाने के बाद यह कहा गया कि जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों का गांव-गांव में बयान किया जाय। उसमें लिखा था भूमि परिवर्तन की पूर्व दरों में 40 से 60 प्रतिशत तक की कमी कर दी गई है। श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि जो शिड्यूल था उसमें यह था, ज्यादा गणित तो मैं नहीं जानता लेकिन आपके जयपुर में तो काफी कमी की गई है। जहां 40 रु. व 50 रु. प्रति गज के हिसाब से, यानि 40 और 10 को 16 रु. और 4.80 कर दिया और चूरू में 10 रु. और 6 रु. के हिसाब से कर दिया। क्या चूरू की जमीन जयपुर की जमीन से ज्यादा कीमती है।

इसी तरह से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो लगान बढ़ाया जाता है उसमें सरकार दो तीन बातों का ख्याल करती है। एक तो यह कि बीस साल में बरसात कितनी हुई, पैदावार कितनी हुई और लगान क्या देते रहे हैं। जिन बीस सालों से लगान बढ़ाया गया है उनमें, केवल सोलह साल तो अकाल की स्थिति रही है, और चार साल आंशिक जमाना रहा है। बीस सालों में से दो साल में औसत से अधिक बरसात हुई है, 18 साल में औसत बरसात भी नहीं हुई।

श्री सभापति : वापस तो ले लिया है।

श्री मेघराज पंवार : कहां ले लिया, तीन सौ प्रतिशत बढ़ गया। 3 लाख 24 हजार कर दिया। सारी गलती डिपार्टमेंट की हुई। कलेक्टर ने लिख दिया।

श्री गुल मोहम्मद : आपके यहां ले लिया होगा।

श्री सभापति : घोषणा कर दी मुख्य मंत्री जी ने, इसके आधार पर कह रही हूं।

श्री मेघराज पंवार : कलेक्टर और कमिश्नर ने लिख दिया। सरकार इस पर विचार करे। यह मसला मैं माननीय सदस्यों के सामने रखता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री हरचन्द सिंह।

(174)

श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) : माननीय सभापति महोदया, राजस्व विभाग की मांगें और उस पर राजस्व के बड़े जोरदार गीत गाये गये।

श्री गुल मोहम्मद : हम यहां गीत गाने आए हैं क्या ?

श्री हरचन्द सिंह : लेकिन उस राजस्व अभियान में जो सबसे अहम मुद्दा प्रचार का हमारे सामने आया वह यह है कि काश्तकार को राजस्व अभियान में खातेदारी हकूक देते हैं लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पश्चिमी राजस्थान में जहां आप राजस्थान की भागीरथी, राजस्थान नहर योजना की बात करते हैं, वहां पर आपने 33 हजार परिवारों के हकूक छीने हैं और बार-बार हमारे सामने यह कहा जाता है, महामहिम गवर्नर साहब, एक पुनीत आत्मा, और इस प्रशासन के हैड हैं, उनसे इस आसन से झूंठ बुलवाया गया कि हम अमेण्डमेंट ला रहे हैं। एक महीने का असी हो गया, रोज बात करते हैं कि अमेंडमेंट ला रहे हैं, कहां लाया गया ? राजस्थान टीनेन्सी एक्ट मे काश्तकारों के सम्बन्ध में एनामालीज है जिनके लिए राजस्व विभाग ने कभी सोचा नहीं। सोचे कौन ? बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर हम अपनी बात कहते हैं तो बात को सुनने वाला कोई नहीं है और हमारी बात को जानते नहीं, समझते नहीं। राजस्व मंत्री एक बनिए के घर में पैदा हुए हैं। उनको काश्तकारों की तकलीफ मालूम नहीं, टीनेन्सी एक्ट के सैक्शन्स वह जानते होंगे, वास्तव में काश्तकार की क्या समस्यायें हैं और किन-किन परिस्थितियों में से काश्तकार को गुजरना पड़ रहा है, इनको मालूम नहीं है कि काश्तकार किन परिस्थितियों में रह कर देश के लिए अन्न का उत्पादन करता है। उस किसान के लिए हम क्या साधन जुटा सकते हैं, उनको क्या सुविधा दे सकते हैं, मन्त्रीजी नहीं जानते। दुर्भाग्य की बात है कि मुख्य मन्त्री, भैरोंसिह शेखावत ने इस काश्तकारों के प्रदेश में अगर किसी काश्तकार को राजस्व मंत्री बनाया होता तो हमारी बात सुनी तो जाती।

मैं राजस्व मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ आपको सैक्शन 15–ए में अमेंडमेंट करना है, जिन काश्तकारों के भी मारूसी हक आपने 15–ए में छीनें हैं वे उनको वापस दिला दें। आपको एलर्जी हो गई काश्तकार के सफेद कपड़े देख कर और हरएक आदमी व राजस्व मंत्री बार-बार कहते हैं कि आप सुखी-सम्पन्न हैं। जो इस देश का अन्न पैदा करता है, सारे देश को पालता है उनको खुश करने के लिए कह जाते हैं कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर वास्तव में आप देश की रीढ़ की हड्डी को कमजोर नहीं करना चाहते तो आप ऐसी व्यवस्था करें। कानूनों में संशोधन करें जिनसे आपका यह काश्तकार कमजोर नहीं हो।

आप सीलिंग के मामले खोलें इसमें एतराज नहीं, लेकिन मंत्री महोदय आपकी हिम्मत नहीं। जो खोलने चाहिये वे वापस नहीं खोलेंगे। राज्यपाल से झूंठ कहलवा दिया कि इतने मामले खोले। राजस्व विभाग ने रिपोर्ट में 1700 मामले बताए हैं। मैं गंगानगर का एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक सुरेन्द्र कौर नाम की लड़की है

(श्री हरचन्द सिंह)

जिसकी उम्र 35 साल है उसका मामला री ओपन किया गया, उसको नोटिस दिया गया सीलिंग का कि आपने अपने-अपने बेटे व पोतों को जमीन दी है। आपके सचिवालय में यह मामला अभी भी विचाराधीन है। वह कहती है मेरा बेटा नहीं, पोते का सवाल नहीं, जमीन ले लो, बेटा दे दो। यह हालत है आपके मामलों के खोलने की। अगर एलर्जी और मीनियां हो गया मामले खोलने का तो खोलिए। आप भ्रष्टाचार समाप्त करने की घोषणा करते हैं तो ये मामले खोलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप सबूत चाहते हैं तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जितने गंगानगर जिले में एस. डी. ग्रोज. है उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगिए, यदि आप में हिम्मत हो तो जांच करें, उन्होंने किसानों से घूस खाई है। ऐसे 200 मामले हैं गंगानगर के, आप खोलिए। हिम्मत होनी चाहिए आपमें। मैंने बार-बार निवेदन किया आपको लेकिन आप तो साधारण किसान को ही पकड़ेंगे। यह सब क्यों है? राजस्व मन्त्री जिसका सीधा संबंध खेती से है, वह गेहूं और जौ में भी डिफरेंस नहीं समझ सकते। मैं दुखी हूं।

दूसरे, सेक्शन 30-बी के अन्दर परिवार की परिभाषा है। जिस औरत को बेटा नहीं आप उसके बेटे को परिवार में गिनते हैं, डिपेंडेंट और इन्डिपेंडेंट कौन है? राजस्व मंडल कुछ निर्णय देता है और आपका सचिवालय कहता है, नहीं, डिपेंडेंट हम उसको नहीं मानेंगे जो राजस्व मण्डल कहता है। आप विभाग के मंत्री हैं। आप ऐसी एनामोलीज को दूर करें। आपने तो वकालती की है……

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक दो मिनट और। आपका सबसे बड़ा सीलिंग का कानून है। दुःख से कहना पड़ता है कि राजस्थान केनाल की ईंटेंसिटी 110 प्रतिशत बताई गई है। मैंने सरकार से सवाल पूछा है तो 60-70 प्रतिशत बताया है। किसानों के साथ धोखा किया है। 110 प्रतिशत बताकर राजस्थान केनाल में किसानों के गले पर छुरी चलाई गई है। दूसरी बार आप पोस्ट मार्टम करने जा रहे हैं। मुझे सीलिंग से भय नहीं लेकिन आप समाजवादी हैं। आप एक गरीब काश्तकार की जेब की तरफ, फटी हुई कमीज की तरफ हाथ लगायेंगे तो आपको खाली जेब हाथ आएगी और कुछ हाथ नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि आप आय पर सीलिंग लगायें लेकिन सेठ और किसान में भेद करना पड़ेगा। आप तो डाक्टर लोहिया के पुजारी हैं। उन्होंने कहा था कि नीचे वाले को मत छूओ, ऊपर वाले को मत छोड़ो। आपका ध्यान उस तरफ नहीं है। न करोड़पति की तरफ ध्यान गया न लखपति की तरफ। वहां से कुछ खाने पीने को मिलता होगा। हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है छिपाया नहीं है, अन्न पैदा करते हैं, आपके सामने लाकर देते हैं।

जहां राजस्व अभियान की बात करते हैं, वह बढ़िया होगा लेकिन इस अभियान की उपलब्धियां कागजों में होंगी। सरकारी आंकड़े अच्छे हैं। हम रिकार्ड से साबित करेंगे। राजस्व अभियान में मामलों का

(श्री हरचन्द सिंह)

निपटारा बताया लेकिन आपने शायद इन बातों की जांच नहीं की कि गांव में पहले वर्ष में जो आपका राजस्व अभियान हुआ उसमें गंगानगर जिले में केवल 13 अपीलें राजस्व अपीलेट अधिकरण के पास थीं और इस वर्ष 390 अपीलें गईं। एक वर्ष और चला तो लॉ एण्ड आर्डर की प्राब्लम हो जाएगी, आप संभाल नहीं पायेंगे। गृह मन्त्री नहीं हैं, आप उनसे जरा सम्पर्क करें। कहीं यह राजस्व अभियान गांवों के अन्दर फूट पैदा न करे। इमेज जनता पार्टी की बनाना चाहते हैं तो आप उनके केसेज को रेगुलराइज करिए। बहुत बढ़िया काम होगा, म्यूटेशन करिए, पार्टीशन करिए, अच्छी बात है लेकिन यह राजस्व वाला झगड़ा अगर चालू रखा तो गांवों में लॉ एण्ड आर्डर की प्राब्लम हो जाएगी।

इसके अलावा कन्वर्शन की बात है। 42 में आपने अमेंडमेंट किया और कन्वर्शन की छूट दे दी। जो काश्तकार गरीब हैं वे लाभ नहीं उठा रहे हैं, व्यापारी वर्ग चालाकी से लोगों से जमीन खरीद कर कन्वर्शन का लाभ उठा रहा है, उद्योग कायम करता है। अगर कन्वर्शन की आपको छूट देनी है तो केवल काश्तकार को दीजिए कि वह उद्योग लगाए लेकिन कोई व्यापारी अगर काश्तकार को जमीन खरीद कर कन्वर्शन कराना चाहे तो उसे रिजेक्ट करना चाहिए.........

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

सिर्फ एक मिनट। आपका चुनाव के समय घोषणा पत्र था कि आप सस्ता व सुलभ न्याय दिलायेंगे। लेकिन आपने अफसरों की बरात एक-एक जिले में बिठा रखी है। गंगानगर जिले में एक कलेक्टर, 4 ए.डी.एम., वे सब एक ही जगह बैठे हैं, दो हनुमानगढ़ में बैठे हैं। यह जो राजस्व विभाग की मांग है, क्या अफसरों के बच्चों की सुख सुविधा के लिए है ? यदि नहीं, तो ए.डी.एम. को रिटायर करें। उनके लिए अलग-अलग मुख्यालय करें, ताकि वे जनता के नजदीक जायं, जनता को ज्यादा रिलीफ मिले, ऐसी व्यवस्था करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप चेयर को एड्रेस करें मन्त्री को नहीं।

श्री हरचन्द सिंह : माननीय सभापति महोदया, डीसेन्ट्रलाइजेशन आफ पावर्स होनी चाहिए। ए.डी.एम. को वहां से हटाकर पब्लिक के नजदीक और पब्लिक को सुख-सुविधायें देने के लिए बैठाना चाहिये। एक एस. डी. एम. के पास चार–चार और पांच–पांच ए. सी. एम. बैठे हुए हैं। उनको अलग अलग जगह भेजा जाना चाहिए। अलग–अलग जगह पर भेज दिया जाता है तो डीसेन्ट्रलाइजेशन की आपकी नीति कामयाब होगी और जनता को सुख-सुविधा मिलेगी। आप यह व्यवस्था कर देंगे तो आपका कोई एडीशनल खर्चा नहीं होगा ....

श्री श्योपत सिंह मकासर : हनुमानगढ़ को तो जिला बनाया जाना चाहिए।

श्री सभापति : अब समाप्त करें माननीय सदस्य, आपको 15 मिनट दे दिये हैं।

श्री हरचन्द सिंह : पंचायती राज के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। पंचायतों का क्या स्वरूप हो राजस्थान में उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि थ्री टायर सिस्टम ठीक है और इसके अन्दर कोई व्यवधान नहीं किया जाये ......

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप राजस्व तक ही सीमित रहें पंचायतों पर और माननीय सदस्य बोल लेंगे। आप 17 मिनट ले चुके हैं।

श्री हरचन्द सिंह : मैं सुझाव दूंगा कि ग्रुपसचिवों को तुरन्त खतम कर दिया जाये यह पंचायती राज का कीड़ा है। वहां सरपंच हैं और वह ग्रुप सचिवों को ढूंढते रहते हैं। अगर सही मायने में पंचायती राज को कामयाब बनाना है तो इमीजियेटली ग्रुप सिस्टम को समाप्त कर दें और पुराना सिस्टम था उसको लागू रखें और पटवारियों को इनके अधीन कर दीजिए।

री-आर्गेनाइजेशन के बारे में निवेदन करूंगा कि जैसा श्री मूलचन्दजी सामरिया ने कहा था कि दौसा को जिला बना दिया जाये अतः हमारे जिले में प्राब्लम हैं उसको आप सोचिये और आप आफिसेज का डीसैन्ट्रलाइजेशन कर दें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा।

श्री सभापति : श्री जयकृष्ण शर्मा। माननीय सदस्य आपकी पार्टी के नेता 42 मिनट बोल चुके हैं। मैं आप को केवल 5 मिनट का समय दूंगी।

श्री जयकृष्ण शर्मा : 10 मिनट में समाप्त करूंगा।

श्री सभापति : 42 मिनट वह बोल चुके हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मेरी पार्टी को भी तो मौका दीजिए। मैं मेरी पार्टी का एक ही सदस्य हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप रोज यही बात कहते हैं और रोज समय ले लेते हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : सभापति महोदया, आज पंचायत व राजस्व विभाग के संबंध में जो मांगे हैं उनके संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। पंचायतों के भी चुनाव नहीं हुए। दूसरी प्रजातन्त्र की मसीहा यह जनता सरकार ने, जब पंचायतों के चुनाव नहीं कराये थे तो जैसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने प्राप्त की थी लेकिन मैं सरकार के ऊपर लांछन लगाना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र को कायम रखने के लिए पंचायतों के पहले चुनाव कराये थे। सरपंच जो नुमाइन्दा था जनता का उनको आपने कलेक्टर के अधीन कर दिया जिससे कोई भी प्रजातांत्रिक तरीके से काम नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, न पंचायतों के चुनाव कराना चाहते हैं और न कृषि उपज मण्डियों के और सहकारिता के चुनाव कराना चाहते हैं। इस सब का एक कारण है और वह यह है कि सत्ता पक्ष की पार्टी है उसका गठन हुआ है यह आपके बीच में सबसे बड़ा रोड़ा है–यह हम

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

और जनता सब जानते हैं । पंचायतें रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए इसके लिए क्या पूछते हैं ? अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आपके पास है । पंचायतें, पंचायत समितियाँ और जिला परिषदें होनी चाहिए यह आपके पास मौजूद है लेकिन आप तो केवल टालमटोल करना चाहते हैं । यह आपका दृष्टिकोण नजर आता है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप को सही तौर पर पंचायतों से हमदर्दी है, यदि आप उनकी नुमाइन्दगी पसन्द करते हैं तो आप को चुनाव कराने चाहिए । मैं कहता हूं कि जो व्यवस्था पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् की है वह रहनी चाहिए। मैं यह भी कहता हूं कि इस हाउस में सभापति महोदया, बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं । जब काम के बदले अनाज योजना की बात करते हैं सब लोग खड़े हो जाते हैं और मन में आता है कि श्री भैरोंसिंह जी के साथ यह सब नाचने लग जायें । मैं कहता हूं कि नाचिये, कोई बात नहीं है । जिस बात के लिए आप बार-बार हमसे कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग में यह हुआ है, वह हुआ । इसको तो आप भी बुरा नहीं बता सकते और इसमें कहीं बुराई है तो इसकी क्रियान्विति में है और क्रियान्विति का दोष है और इसी का रिफ्लेक्शन पड़ता है । आपने काम के बदले अनाज की योजना की क्रियान्विति में गड़बड़ियाँ की हैं और उसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा ।

माननीय सभापति महोदया, मैंने सोचा था कि विधान सभा आने वाली है और मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा और वह कहेंगे कि आप मुझ से कई बार मिले थे और कभी मुझे नहीं कहा । सभापति महोदया, राजस्थान के अन्दर काम के बदले अनाज की योजना बहुत बड़ी स्कैण्डल है और यह स्कैण्डल इस बात का हुआ है कि सरकार का सही दृष्टिकोण आज पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का है और यह बात इस योजना में दृष्टिगोचर होती है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनसे कहा कि काम के बदले अनाज योजना के मार्फत आपकी सरकार बहुत बड़ा स्कैण्डल कर रही है । उन्होंने कहाकि क्या स्कैण्डल है ? मैंने कहा कि काम के बारे में है। उसके तहत ठेकेदार जो इरिगेशन में काम करते हैं, पी० डब्ल्यू० डी० में काम करते हैं और दूसरी जगह करते हैं उनको 100 रुपया क्वि० में सरकार ने पुराना अनाज दिया है । और जो अनाज पिछली सरकार ने एकत्र किया था उसको सौ रुपये में ठेकेदार को देकर वह लूट रहा है । सभापति महोदया, आप जानते हैं कि जब कभी भी पी० डब्ल्यू० डी० ठेकेदार टेण्डर देता है, इरिगेशन का ठेकेदार टेण्डर देता है तो वह अपनी शर्तें उसमें लिखता है और वह यह नहीं लिखता कि मुझे 100) रुपया क्वि० में अनाज मिला । माननीय श्री बजरंग लाल जी जिनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं, उन्होंने मेहता साहब को बुलाया और मेहता साहब ने कहा कि इसके बिना योजना नहीं चल पायेगी क्योंकि इतना सारा अनाज कहां खपेगा । सभापति महोदया, मैं वह काम तो नहीं कर सका जिससे भ्रष्टाचार को रोक पाता लेकिन यह जरूर है कि लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है कि जो अनाज सौ

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

रुपया क्वि० था उसके भाव मेहता साहब ने 110 रुपये कर दिये। एक-एक ठेकेदार को सभापति महोदय, 700 क्वि० अनाज मेरे जिले में मिला है जो कि बाजार में 122, 125, और 130 रुपये में बिका है। यह भ्रष्टाचार नहीं है ? क्या यही काम के बदले अनाज योजना है ? आज बहुत बड़ी-बड़ी दलीलें पीटते हैं। मैं कहता हूं कि यह राजस्व अभियान नहीं है यह तो रावण का मुंह है। मैं आपसे यह भी कहना चहाता हूं कि आपका पंचायतों का जो भी सिस्टम है उसमें चुने हुए नुमाइन्दे नहीं होते हैं और जिला परिषदें हैं उनमें आपका कोई नुमाइन्दा नहीं है क्योंकि आपने उनके चुनाव ही नहीं कराये हैं

एक बात जो बहुत जोर शोर के साथ कही जाती है, आपने राजस्व अभियान चलाया है। दो साल के अन्दर बहुत मामले निपटाये हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर थोड़ी भी आपको शर्म है, मेरा चैलेन्ज है। अलवर जिले के मामले में अभी दो साल के आंकड़े और उससे पिछले दो साल के आंकड़ों को आप किसी भी निष्पक्ष आदमी से जांच करा लें अगर मेरे हक में नहीं चले जायें, मैं स्तीफा दे दूंगा। एक क्वेश्चन आया था और बजरंग लाल जी ने पूछा था। कहा गया अलवर में 93 बीघा भूमि अलाट की गई। आज जमीन वहां रही नहीं। वहां का किसान जमीन के ऊपर इस तरह से बसा हुआ है जैसे मेव कौम का नाम आया, दूसरी कौम का नाम आया, वे केवल खेती के ऊपर निर्भर करते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं यह बात है जिसको आपको सोचना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया, एक ही मिनट में कहना चाहता हूं।

दूसरा नाम आता है अन्त्योदय योजना का। अब की बार, सभापति महोदया, मैं जब अलवर से जयपुर के लिए जीप में आ रहा था। मैंने देखा, कुछ लोग जा रहे थे। मेरी पुरानी कन्सटीट्युएन्सी है, दो बार चुन कर आया था। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो उन्होंने नाम बताया कि अन्त्योदय योजना में नाम है। उस ने 35 मन खांड गलाई है। उस आदमी का नाम अन्त्योदय योजना में आये जो 35 मन खांड गला सकता है। उसी गाँव के अन्दर 50 घर रैगरों के हैं जिनके पास सुबह शाम खाने को नहीं। आप इस योजना को राजनैतिक आधार पर चलाना चाहते हैं। और अगर आप इसको राजनैतिक आधार पर चलाना चाहते हैं तो आपका यह उदय तो नहीं होगा, अन्त वाली बात आपको जरूर साबित होगा। राजस्व मन्त्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने बहुत सी बातें कहीं हैं और सुधारवादी बनते हैं। मैंने तो कोई आपका चावल देखा नहीं, कोई चावल पका होता तो मैं समझ पाता कि आप चावल पकाना जानते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप केवल भाषण देना जानते हैं। आपने कानून तो बनाया नहीं। आप बना नहीं सकते। आपके पीछे कोई बैकिंग नहीं, आप केवल मुख्य मन्त्री जी की मर्जी पर हो। शराबबन्दी में मास्टर जी फंस गये हैं तो

180

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

उनकी कुर्सी खतरे में है । आप अपनी कुर्सी मत खतरे में डालना । होना है सो हो जायेगा, यह मेरी आपको सलाह है ।

अन्त में यही कहना चाहता हूं कि जनता ने किसी विश्वास के साथ आपको वोट दिया है उसको कभी तो टटोलिये । केवल यही कहते रहते है कि हमने कुछ नहीं किया । पांच बार इस विधान सभा में आये हैं, आपकी मर्जी से नहीं आये, हम ने कुछ किया है इसलिये आये हैं। कुछ ही कम आये । हो सकता है अगली बार आप न आयें ।

जनता ने पसन्द नहीं किया तो आप भी नहीं आयेगें । इसीलिए मैं राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप अपने जजबात में किसी गरीब किसान पर कोई कदम न उठायें । अगर सीलिंग में कोई उठ जाये तो इन्क्वायरी का विषय बनता है । यही वजह है कि अलवर का नाम आपके सामने आ रहा है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से जो भी कदम उठायें । किसानों के हित का उठायें नहीं तो आप चुप रहें ।

श्री सभापति : श्री अयूब खां ।

श्री रघुनन्दन व्यास : सभापति महोदया हमारा नाम आयेगा की नहीं हमारा नाम तो है ।

श्री सभापति : यह मैं आपको बताने में मजबूर हूं ।

श्री रघुनन्दन व्यास : हमारे मुख्य सचेतक बिल्कुल पक्षपात से चलते हैं, इसी लिये मैंने पूछा है ।

श्री सभापति : मैं पहले ही कह चुकी हूं । किसी भी पार्टी के पक्षपात से आसन का कोई मतलब नहीं । सचेतक जो लिस्ट देते हैं ।

श्री रघुनन्दन व्यास : चार दिन से ऐसी लिस्ट बना रहे हैं । पार्टी से पक्षपात रखने वाले व्यक्ति को सचेतक बनने का अधिकार नहीं होना चाहिये ।

श्री सभापति : आसन पार्टी के पक्षपात में पड़ने से मजबूर है ।

आपकी पार्टी के मुख्य सचेतक कांग्रेस (आई) वालों से मिले हुए है । आपका न० 22 पर हैं । आपके मुख्य सचेतक उनसे अप्रूव कराकर लिस्ट भेजते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अयूब खां (तिजारा) : मैं राजस्व विभाग के संदर्भ में कोई भी शिकायत नहीं करूंगा । इस संदर्भ में इतना ही कहूंगा क्योंकि यह विभाग बदनाम होते हुए भी इतना ज्यादा बदनाम नहीं है । राजस्व मण्डल अजमेर में विराजमान नहीं है ।

(व्यवधान)

(श्री अयूब खां)

बोलने दीजिये, हम कभी कभी तो बोलते हैं, उसमें हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हैं।

श्री सभापति : बोलिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।

श्री अयूब खां : यह केवल वे लोग हैं जो किसानों का शोषण करते हैं।

श्री सभापति : आप विश्वास रखिए, मेरे रहते कोई शोषण नहीं करेगा।

श्री अयूब खां : राजस्व मण्डल अजमेर में है। आवश्यकता यह है कि जयपुर में होना चाहिए। इसमें 10-10 साल पुराने केसेज मिल जायेंगे। 300 किलो मीटर से कोई आये, सारा दिन बैठा रहे, केवल तारीख मिलती है। 10, 10 साल पुराने केसेस इसमें चल रहे हैं तो सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं इस सन्दर्भ में, कि इससे तो अच्छा यह है कि यह राजस्व मण्डल रहे ही नहीं। इस मकसद को पूरा करने के लिए अदालतें और भी हैं। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि यह विभाग पिछड़े वर्ग वालों को लूटता है, उसमें किसान है और किसान में हर जाति के लोग हैं इसलिए मैं वर्ग का नाम लेता हूं, जाति का नाम नहीं लेता हूं, क्योंकि वर्ग में सब आ जाते हैं। मैं केवल एक वर्ग पर इल्जाम लगा रहा हूं और उस पर सरकार बराबर शोषण करती रही है। जब तक किसी खास एरिया में पटवारी और दूसरी जाति के नहीं होंगे तब तक यह शोषण बन्द नहीं होगा। मैंने देखा है अभी अलवर जिले में 40 पटवारियों को लिया गया है जिनमें अल्प संख्यक जाति के एक भी पटवारी को नहीं लिया गया है।

सभापति महोदया, पिछले वर्षों में भूमि का आवंटन हुआ और जो राजस्व विभाग की प्रगति रिपोर्ट आपने भेजी है, उसको देखा है। उनमें 30 पर्सेन्ट आवंटन करने की संख्या 29.2 पर्सेन्ट तो पूरी कर दी गई है लेकिन भूमि 27.6 पर्सेन्ट ही दी गई है। इसके मायने यह है कि आंकड़ों की पूर्ति तो की गई है लेकिन भूमि देने मे कंजूसी बरती गई है। यह भी उन्हीं शोषणकर्ताओं का काम है।

मैं अपने इलाके के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां कोट कासिम सब तहसील है। यह भूतपूर्व जयपुर महाराजाओं के अन्डर में होती थी, उस समय पहले यह एक तहसील थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पूरी तहसील चारों तरफ उसके अलवर का एरिया है लेकिन अभी तक उसको सब तहसील ही माना हुआ है। उन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है और किशनगढ़ बास जाना पड़ता है। किशनगढ़ एस. डी. एम. भी बैठता है और उनका कोर्ट तिजारा में लगता है। ये दोनों अधिकारी बैठते हैं किशनगढ़ बास में। ये तिजारा में कैम्प लगाते हैं इसलिये कम से कम एस.डी.एम. तिजारा में न बैठ कर एक एस.डी.एम. की कोर्ट वहां रख दी जाय।

राजस्व विभाग ने रिपोर्ट दी है ओला वृष्टि की, उसको सहायता अभी तक नहीं भिजवाई है। मेरे क्षेत्र में, जिसका नाम मैंने

(श्री अयूब खां)

अभी तक अखबारों में भी नहीं पढ़ा है और मंत्री जी ने भी एलान नहीं किया, उसमें भी मेरे तिजारा क्षेत्र का नाम नहीं आया है। 20 गावों में ओला वृष्टि हुई है और 60 से 100 पर्सेन्ट तक नुकसान हुआ है।

चौथी बात में कर्ज की वसूली के बारे में कहना चाहता हूं। कर्ज की वसूली राजस्व विभाग द्वारा कराई जाती है। चाहे बैंक का कर्जा हो या किसी का भी कर्जा हो

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदया, फसल पूरी पकी नहीं है और किसान के हाथ में आई नहीं है उससे पहले ही सरकार की नीयत खराब हो जाती है और इस खराब नीयत का ही यह असर है कि यह हानि हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पहले से ही किसान के पास पहुंच गये और जमीनों का नीलाम करना शुरू कर दिया, ऐसा करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है।

एक बात पंचायत के बारे में भी कहना चाहता हूं। पंचायतों के चुनाव अधूरे हैं, मैं चाहता हूं पूरे होने चाहिये। चाहे जिला परिषद् के भी चुनाव करवा लें, चाहे तो जो प्रगति रिपोर्ट आई है उसके अनुसार करा लें, करा लेने चाहिये, ये अधूरे नहीं रखने चाहिये।

एक बात काम के बदले अनाज के बारे में भी कहना चाहता हूं, इस योजना से मजदूरों को और किसानों को ऐसे मौके पर फायदा पहुंचाया है जब उनके पास अनाज नहीं होता है। मैं यह चाहता हूं सरकार अनाज किसी समय खरीदे लेकिन ऊंचे दामों पर खरीदे ताकि किसानों को उचित मूल्य मिले और यह योजना दुबारा लागू की जाय।

श्री सभापति : श्री राम रघुनाथ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : सभापति महोदया, आज सदन में राजस्व और पंचायत राज की डिमान्ड के विषय में चर्चा चल रही है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व मन्त्री जी ने बहुत से जिलों में जमीन के सम्बन्ध में जितने भी निपटारे करने थे, वे राजस्व अभियान में चलाये लेकिन सेटलमेंट नहीं कराने से कई किस्म के झगड़े हैं वे वैसे के वैसे ही खड़े हैं। किसान या तो आपसी झगड़ों में उलझा हुआ है या सेटलमेंट नहीं होने से दुखी है और जब तक पूरे इलाके में जहां वर्षों से सेटलमेंट नहीं हुआ है, यह सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक ये झगड़े नहीं निपट सकते हैं। यही हाल है पंचायत राज का, जिसको अधर में लटका दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब आपने सेटलमेंट नहीं कराया तो जो कुछ स्थिति है उसको ही अगर ठीक ढंग से चलाया जाय तो जनता को और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सकती है और मैं आपके विभाग का आभार मानूंगा।

मैंने पूर्व में भी सूचना मांगी थी, डेगाना तहसील में राजस्व के 1600 कब्जे हैं।

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

मेरी समझ में नहीं आता जब भी लिस्ट मांगते है तो देते नहीं हैं। लोग नाजायज कब्जों को नियमित रूप से कराते रहते हैं और आप उनको बराबर नियमन करते जाते हैं। आखिर नाजायज कब्जे क्यों होते हैं, यह एक सोचने वाली बात है। जब कभी नाजायज कब्जे होते हैं तो आपका पटवारी आपको सूचना नहीं करता है और वह नाजायज कब्जा एक साल, दो साल, तीन साल रहता है और फिर काफी समय रह जाता है तो उसके नियमन की बात आ जाती है। यह नियमन की जो कार्यवाही है, इसके लिये सोचना पड़ेगा कि जो नाजायज कब्जे हैं, उसमें पटवारी की कितनी गलती रही है लेकिन इसे कोई देखता नहीं है।

इसके बाद भूमि सरकारी हो, काबिल काश्त हो और उसका नियमन कर दें या भूमि थोड़ी है किसी के पास उसको नियमन कर दें तो कोई बात समझ में आती है, लेकिन कई गोचर भूमियों पर कब्जा कर रहे हैं, बहुत से आम रास्ता सकड़ा करके कब्जा कर रहे हैं, तो इस तरह के नाजायज कब्जों का कतई नियमन नहीं करना चाहिए। तहसीलदार को नियमन करने के अधिकार नहीं हैं फिर भी करते जा रहे हैं। मैं एग्जाम्पिल के तौर पर बताना चाहता हूं एक गांव है गेमलियास,डेगाना में। वहां पर गोरखदान जी भूतपूर्व जागीरदार के बाड़े को हटवा दिया और जबर्दस्ती गोचर में करवा ली और जो आबादी की जमीन थी शिड्यूल्ड कास्ट की उस पर काश्त करने लग गये। 28-9-77 को सूचना दी तहसीलदार को लेकिन आज तक कार्यवाही नहीं हुई है। इस तरह जो नाजायज कब्जे हैं और कमजोर वर्ग की जमीनों पर, अनुसूचित जाति और जन जाति की जमीनों को हटाकर कब्जा करें और इसमें भी अगर एस. डी. ओ. और तहसीलदार नियमन की कार्यवाही करना चाहें तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम गोनरड़ा तहसील डेगाना में एक भूतपूर्व जागीरदार प्रभूसिंह ने, जिनके पास आलरेडी 70 बीघा जमीन थी, 15 बीघा आबादी भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया और उसका भी नियमन कर दिया एस. डी. ओ. ने जबकि आबादी भूमि का नियमन करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। पंचायत ने इसके लिए पंचायत समिति को, कलेक्टर को, राज्य सरकार को पत्र भेजें हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं। मेरा इस बारे में पहले भी प्रश्न था और उस प्रश्न के जवाब में भी यही कहा गया कि कार्यवाही की जा रही है। फिर इस तरह की कार्यवाही करने में आपको कितना समय चाहिए। उस एस. डी. ओ. और तहसीलदार को निलम्बित क्यों नहीं किया जाता है जिसको आबादी की भूमि का अलटमेंट करने का अधिकार नहीं होते भी यह कर दिया। पहले सरकार खुद किस्म चेन्ज करे और उसके बाद में भूमि अगर उसके पास नहीं है तो उसका आवंटन किया जावे उसका नियमन किया जावे जो अभी तक नहीं हुआ है।

इसी तरह से एक ग्राम आलनियावास गोचर है। यह गोचर आज का नहीं, पिछले 22-23 साल पहले का है। उस पर भी

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

वहां के एक कल्याण सिंह ने कब्जा कर लिया जिसके पास पहले से जमीन थी। कल्याणसिंह ने 46 बीघा पर नाजायज कर लिया है। दो बार पहले भी तहसीलदार ने फसल जलवा दी थी लेकिन अब नियमन की कार्यवाही कर दी। जब मैंने इस बारे में प्रश्न पूछा था तो यह जवाब दिया गया था कि तीन साल से निर्धारित कार्यवाही एस. डी. ओ. के यहां पर चल रही है। मेरा निवेदन है कि इस तरह की भूमि जिसको गोचर डिक्लेयर कर दिया, जो भूमि पंचायत के कब्जे में है, इस तरह की आबादी के लिए रखी हुई है, ग्राम पंचायत को हर्जाना, मुआवजा देकर लेते नहीं और इस तरह की भूमि पर नाजायज कब्जा करते हैं तो हर हालत में उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। अगर दुबारा कब्जा करता है तो उसको सजा करनी चाहिये। इसके साथ जो तहसीलदार, पटवारी प्रोत्साहन देते हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, उनको डिसमिस करना चाहिए।

यह तो रही इन कब्जों के सम्बन्ध में बात। अब यह निवेदन है कि किस तरह के अधिकारी वहां आ जाते हैं। पटवारियों के खिलाफ में विशेष नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि ये तो जैसे हैं वैसे हैं लेकिन में एक तहसीलदार के बारे में कहना चाहता हूं। मैं इस सदन में पहले भी प्रश्न पूछ चुका हूं और आप भी यह मानते हैं कि डायरेक्टली इन्वोल्ड नहीं होना चाहिए, वह आदमी अच्छा नहीं है। जब आप मानते हैं कि वह आदमी अच्छा नहीं है तो उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं होती। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर 23-3-77 को कोई 22 हजार रुपये पटवार घरों की मरम्मत के लिए मिले जिसमें से हमारी तहसील को भी पांच छः हजार रुपये मिले। इसके लिये शिकायत की कि तहसीलदार को जो ये काम कराने के लिए पैसा मिला था उसको वह हजम कर गया। कलेक्टर के पास मार्च, 77 में यह पैसा आया और चूंकि फाइनेंशियल वर्ष समाप्त हो रहा था इसलिए इसका जल्दी से पटवार घरों की मरम्मत कराने के लिए पैसा तहसीलदार को दिया गया। उसने ठेकेदार को बुलाया और जो पैसा दिया गया उसका विवरण में आपको सुनाता हूं। मेडिकला को लिए 2200) रु० दिया गया जिसमें से 300)रु. खर्च किया गया। सूदवाडा के लिए 1430) रु० मिला जिसमें से 240) रु० खर्च किए गए। इसी तरह से पालियास के लिए 1793) रु० मिले जिसमें से 140) रु० खर्च हुए। लगोड के लिए 1227) रु० मिले जिसमें से 271) रु० खर्च हुए और डेगाना के लिए 1343) रु० मिले जिसमें से 500) रु० खर्च हुए। सिर्फ इतना पैसा खर्च किया गया बाकी सारा पैसा हड़प हो गया। पटवारी और दूसरे तहसील के स्टाफ ने तहसीलदार के खिलाफ गवाही दी लेकिन उन तहसीलदार साहब को आप प्रमोशन देकर एस. डी. एम. बनाना चाहते हैं और पूछते हैं तो कहते हैं कि जांच चल रही है। जो आपके लॉ एंड कर्मचारी हैं वे जो तहसीलदार, जो कि इतना भ्रष्ट, उसके खिलाफ स्टाफ किस तरह से बयान दे सकता है, यह समझा दीजिए। अगर मन्त्री जी भ्रष्ट हों तो पी. ए साहब की क्या हिम्मत है कि वह

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

कह सके कि मैंने मन्त्री जी को पांच हजार रुपये दिए थे। यह वस्तु स्थिति है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों की सही मायने में चैंक हो और जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जावे। यह तहसीलदार भ्रष्ट है....

(व्यवधान)

इसके बारे में पहले भी सदन में कह चुका हूं।

इन्हीं अधिकारीजी ने ग्राम बालरणा में फरवरी 77 में लकड़ी नीलाम की। मैंने प्रश्न पूछा था तो इन्होंने जवाब दिलवा दिया कि लकड़ियां नीलाम ही नहीं कीं। कितना बड़ा धोखा। इन्होंने स्वयं ने गलत सूचना दी और आपसे गलत सूचना इस सदन में दिलवाई। चूंकि पिछले सदन के अन्दर वह आखिरी दिन था इसलिए मुझे आपको कहने का मौका नही मिला....

श्री सभापति : फरवरी 77, में थे ही कहां ये लोग?

श्री रामरघुनाथ चौधरी : प्रश्न बाद में आया था, यह किस्सा उस वक्त का है। यह पूछा था मैंने सभापति महोदया, कि क्या लकड़ी नीलाम की गई तो आपने यह बताया कि उन्होंने कोई नीलामी नहीं की। इतना बड़ा धोखा और हमारे गृह मन्त्री जी ने भाषण दिया था कि अगर यह बात गलत निकली, मैंने आपको चैलेंज दिया था कि अगर यह बात गलत निकले तो या तो मैं इतीफा दे दूंगा या आप इतीफा दे दें। तब भी माननीय गृह मन्त्री जी ने यह कहा था कि अगर इस तरह की अधिकारी ने गलत सूचना दी है तो उसको निलम्बित ही नहीं किया जायेगा, उसको नौकरी में रहने का भी अधिकार नहीं है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जावेगी''''

श्री श्योपतसिंह मकासर : अब क्या कर रहे हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अभी भी तहसीलदार है और सुना है कि एस. डी. ओ. होने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, कोई 4100) रु. में नीलाम की लकड़ियां और उसके अगेंस्ट में 1100 रुपये जमा हुए हैं और बाकी तीन हजार रुपये हड़प गया और पता ही नहीं कि फाइल भी कहां है।

श्री रतनलाल वर्मा : बहुत अच्छा हाजमा है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इसी तरह से बूटाटी के अन्दर कोई मृत्यु भोज हुआ था उसके अन्दर आठ-दस मण मालपुये इन्होंने तीन सौ रुपये में बेचे। उन्होंने मृत्यु भोज के मालपुये जब्त किये और तीन सौ रुपये में बेचे। उनकी मर्जी थी जितने में बेचें, हमको इससे मतलब नहीं लेकिन वे तीन सौ रुपये भी तहसील में जमा नहीं कराये और जब नायब तहसीलदार ने शिकायत की कलेक्टर को कि इन्होंने

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

इतने पैसों का मिसयूज किया है, इतने पैसे लाये थे जो अभी तक तहसील में जमा नहीं कराये हैं तो आर. आई. को पैसे दे दिया और देकर कहा कि तू जमा करा दे। नीलामी तो तहसीलदार ने की और पैसे भी उसको ही जमा कराने चाहिये थे लेकिन अब कहा कि आर. आई. साहब ने पैसे जमा करा दिये हैं। सरासर गबन का मामला है उसके बाद भी आप कोई कार्यवाही नहीं करें...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, राजस्व विभाग के बारे में बहुत स्पेसिफिक चार्ज और ग्लेरिंग ईंस्टांसेज बता रहे हैं। मन्त्री जी, जब आप जवाब दें तो इनका भी उत्तर दें।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं उत्तर दूंगा।

श्री रतनलाल वर्मा : ये मामले उत्तर देने के नहीं हैं, कार्यवाही करने के हैं। मन्त्री महोदय तो कार्यवाही करने के लिये हैं। ऐसा नहीं हो कि खाली जवाब देने के लिए कह दें कि जांच करवा लेंगे। कुछ कार्यवाही होनी चाहिये। ये मन्त्री जी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते हैं, यह सिद्ध है। आपने केकड़ी के तहसीलदार के विरुद्ध कुछ नहीं किया ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री रतनलाल वर्मा : तहसीलदार केकड़ी के खिलाफ लिख कर दिया परन्तु कुछ नहीं किया।

श्री सभापति : भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य, शांत रहिये।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह तो बहुत ही संगीन बात है....

(व्यवधान)

श्री सभापती : सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य! माननीय सदस्य!

मैंने पहले ही कह दिया कि बहुत स्पेसिफिक और ग्लेरिंग इंस्टांसेज माननीय सदस्य बता रहे हैं इसलिए माननीय मन्त्री जी अपना उत्तर देते समय इनका उत्तर दें। अब आपको बीच में बोलने की क्या आवश्यकता थी। आप नियमों में रहें ...

(व्यवधान)

भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य, आपको मेरी सलाह है....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इनके मुद्दे रह जायेंगे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।.... आर्डर प्लीज।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इन्हीं तहसीलदार

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

साहब ने उसी क्षेत्र में, थांवला ग्राम में दस रुपये प्रति बीघा में काश्त की जमीन खरीदी है। अगर कोई काश्त की जमीन तहसीलदार खरीदेगा तो कभी भी खराब जमीन नहीं खरीदेगा। तो भी क्या दस रुपये बीघा के अन्दर राजस्थान में कहीं भी जमीन मिल सकती है, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जैसलमेर हो, लेकिन डेगाना तहसील जिला नागौर में इन्होंने खरीदी है। इसके बारे में भी जब मैंने पूछा था तो कहा कि कार्यवाही करेंगे। एक साल से तो मैं निरन्तर देख रहा हूं मुझे जानकारी नहीं कि क्या कार्यवाही कर रहे हैं। आपने उसका स्थानान्तरण कर नागौर लगा दिया और नागौर के तहसील हैड क्वार्टर में लगा देंगे····

श्री ईश्वरचन्द्र : उसको पिड़ावा में लगा दिया है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : आपने ही लिख कर दिया था कि वहां भेज दो। बात करते हो।

श्री सभापति : आपके लिखने से भेजते हैं किसी व्यक्ति को।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा ···

श्री सभापति : अब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मेरा समय तो इसी चर्चा में चला गया।

श्री सभापति : मैं उसको काउण्ट करके ही कह रही हूं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं सिर्फ एक एक-एक लाइन में ही बोलूंगा। मन्त्री महोदय सुनिये, उन्होंने 16-3-77 को लकड़ी पकड़ी दो क्विण्टल और अपनी तहसील में खाली कराई सबके सामने कि यह नाजायज तौर पर लाई गई है। उसके बाद में 23-3-77 को उसी लकड़ी का परमिट काट कर अपने घर भेज दिया। मैं आपको ट्रक नम्बर भी बताता हूं, नम्बर आर. जे. एस. 1083 है जो उन्होंने पकड़ा था और उसकी सारी लकड़ी को अपने गांव भावी में भेज दिया। अब बताइये यह सबूत है उनकी ईमानदारी का, जिस अफसर को आप बचाना चाहते हैं। इसके साथ ही मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि दौसा में अन्त्योदय के अन्तर्गत आपने कुछ भूमि अलाट करने के लिए नोटिस दिया था। 1-7-76 को ग्राम देववाली में खसरा नं० 170 और 172 में अन्त्योदय परिवारों को जमीन अलाट की गई। वह जमीन डूब में आई हुई थी और प्रति वर्ष बन्धे में डूब जाती है और वह सारी जमीन भी सरपंच ने तहसीलदार के साथ मिलकर हड़पने की कोशिश की आपसे मिल कर मैंने यह बात निवेदन की थी और आपने सख्त से सख्त कार्यवाही करने का वादा किया था लेकिन ···

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ग्राम सांभू की तरफ पंचायत समिति से 25-25 मील जो गांव पड़ेंगे, आपने काम करवाया,

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

ग्राम सांभू की तरफ काम 25 मील रह गया। इस प्रकार के काम अगर आप हमसे पूछ लें, इसके बाद भी आपके जंचती है कि मैं तो मनमानी करूंगा तो करें, लेकिन पूछ लें तो इसमें हर्ज क्या होता है। इसके साथ हो दो बातें और कहना चाहता हूं। पंचायतों के चुनाव तो क्यों करायेंगे जबकि पचायत समितियों मे जो मनमाने बी. डी. ओ. लगा दिये हैं ! हरसावा ग्राम पंचायत का 72 में आडिट हुआ था उसमें सरपच के खिलाफ 50 हजार का गबन निकला। आपने एक पैसा वसूल नहीं किया। राष्ट्रपति शासन में वह निलम्बित भी हुआ था लेकिन आपने आपके राज के आते ही वह बहाल हो गया। 90 हजार का केस चल रहा है। क्या जरूरत है ऐसे आदमियों को रखने की। इसके बाद उसे हरसावा में चेयरमेन बना दिया जबकि वहां के हर क्षेत्र से यह शिकायत थी कि यह आदमी भ्रष्ट है इसको मत लीजिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब विराजें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : यह एक महत्वपूर्ण मामला है, सभापति महोदया, केश बुक चोरी हो गई, वाउचर गायब कर दिये, बी. डी. ओ. के फर्जी दस्तखत करके पैसा उठा लिया और डेढ़ लाख रुपये बाबू के नाम से एडवांस हैं उसका स्थानान्तरण भी आपने कैंसिल कर दिया ···

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : क्या नाम है बाबू का ?

श्री रामरघुनाथ चौधरी : उसका नाम नरपतसिंह है। इसी प्रकार पंचायत समिति डेगाना में ग्राम सेवक नेनूराम है, फर्जी टी. ए., डी. ए. मनमाने तौर पर····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया विराजें, यह ग्राम सेवकों की बात छोड़िये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सभापति महोदया, अन्त में एक बात कहूंगा। एक शिवरतन नाम का ग्राम सेवक है····

(व्यवधान)

श्री सभापति : ग्राम सेवकों को छोड़िए।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : लोगों की वह रजिस्ट्रियां करवाता है। नाबालिग बच्चों के नाम से मनी लैंडिंग करता है। आज तक उसको नहीं हटाया है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। इतने भ्रष्ट लोगों के लिए आपने कहा है कि इनको तुरन्त हटा लिया जायेगा, इनकी जांच कराइए।

श्री सभापति : श्री ओंकारलाल चौहान।

(व्यवधान)

श्री नूरा : सभापति महोदया, मैंने एक स्लिप भिजवाई थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, वह स्लिप है या नहीं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : लिस्ट आपकी अब तक पड़ी हुई है।

श्री नूरा : सभापति महोदया, मेरी पार्टी को समय नहीं मिलेगा क्या ?

श्री सभापति : मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं। लेकिन रोजाना पार्टी के नाम पर कुछ लोग बोलते ही चले जांय।

श्री नूरा : यह हमारा दोष नहीं है, न आपका और न मेरा....

(व्यवधान)

यह हमारा अधिकार है। हम रखेंगे। एक आदमी ही पार्टी है और सामने है। क्या बात हुई ?

(व्यवधान)

परसराम जी अपनी पार्टी से बोले, आप जानती है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, इसका क्या तरीका है यह जानने के लिए निवेदन किया है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप शांति से बैठ जाइये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सभापति महोदय, मेरा नाम है या नहीं। अगर नहीं हो तो मैं जाऊं।

श्री सभापति : यह बताने के लिए आप आसन को मजबूर नहीं कर सकते। यदि आसन इस तरह से नाम डिस्क्लोज करने लग जाय, आसन भी इस बात को जानता है। मैं बिलकुल नहीं बताऊंगी। आप इन्तजार करिये। इससे पहले कि आप बोलें, मैं मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य को कहना चाहती हूं कि यह बात सही है कि आपकी अलग पार्टी है, आपको समय भी मिलेगा लेकिन आप रोज खड़े होकर कह दें कि मेरी पार्टी को समय दिया जाय। यह उचित नहीं है।

श्री नूरा : हमारी पार्टी है और रहेगी। आप एलान कर दीजिये कि यह पार्टी नहीं है। मैं सौ दफा कहूंगा कि मैं पार्टी का हूं, पार्टी का हूं।

श्री सभापति : आपकी पार्टी है। प्रगतिशील पार्टी है, बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है और बड़े अच्छे विचारों वाली समाजवादी पार्टी है और आपको समय भी रोजाना दिया जाता है लेकिन आप इस तरह से आसन के साथ दुराशा नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि आसन पांवों पर हो तो खड़े होने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। आसन की कुछ अपनी मर्यादाएं हैं, प्रक्रियायें हैं, नियमों में बंधा हुआ है। आप सब्र रखिये, इन्तजार करिये। आप बैठे-बैठे यों तेज न हों। आप संयम रखें। आपकी पार्टी बहुत प्रगतिशील पार्टी है, संयम रखें, धैर्य रखें। आपको समय दिया जाएगा। लेकिन आसन से इस प्रकार दुराशा करके समय नहीं ले सकते। जब तक मैं आसन पर हूं, नियमों के विपरीत आचरण, आसन की प्रतिष्ठा, गरिमा

(190)

(श्री सभापति)

को इस तरह की चुनौती दें, ग्रासन इस दुराग्रह को नहीं मानेगा। मैं इस तरह के दुराग्रह के सामने नहीं झुकूंगी। इसलिए ग्राप श्री ओंकारलाल चौहान को बोलने दें। मेरा, ग्रासन का कर्तव्य है, सब ध्यान में है। ग्रासन का कर्तव्य है, हर पार्टी को समान प्रतिनिधित्व मिले, समय मिले, मेरे यह ध्यान में है।

श्री नूरा : सभापति महोदया, ग्रापके जो विचार हैं ग्रौर ग्रापने जिस तरह से समझा है वह गलत है। सभापति महोदया मैं ग्रासन का ग्रादर करता हूं। मैंने कभी ग्रासन का ग्रनादर नहीं किया है। ग्रापने कहा उसका ग्रादर किया है।

श्री सभापति : ग्रापने गलत समझा है ग्रासन को। ग्राप कृपया स्थान ग्रहण करें। उचित समय ग्राने पर ग्रापको भी समय दिया जाएगा। माननीय श्री ग्रोंकारलाल चौहान।

श्री ओंकारलाल चौहान (ग्रटरू) : माननीय सभापति महोदया, मैं राजस्व के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। क्योंकि काफी माननीय सदस्यों ने राजस्व के सम्बन्ध में सुझाव भी दिये हैं इसलिए दो-तीन चीजों की ग्रोर मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान ग्राकर्षित करता हूं। सबसे पहले राजस्व ग्रभियान जो पिछले करीब 1½ साल से हमारे यहां चल रहा है की ग्रोर ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं। उसने वास्तव में गांव के लोगों को राहत दी है। यह भी जानकारी मिली है कि माननीय सदस्यों की ग्रोर से काफी गड़बड़ियां हुई हैं ग्रौर दिक्कतें ग्राई हैं, लेकिन हमको इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए कि वास्तव में इसके पीछे उद्देश्य क्या है। ग्रामवासी या किसान या ग्रन्य लोग जो ग्रर्से से परेशान थे, काफी ग्रर्से से दिक्कत में थे जहां पर म्यूटेशन की प्रोसीडिंग्स ग्रौर बहुत से खातेदारी के मामले बहुत दिनों से ग्रदालतों में, तहसील में, एस. डी. ग्रो. की कोर्ट में चल रहे थे वह इस राजस्व ग्रभियान में काफी मामले सुलटे हैं।

इसके साथ ही मैं डिसन्ट्रेलाइजेशन ग्राफ पावर्स एण्ड रिग्रार्गेनाइजेशन ग्राफ डिस्ट्रिक्ट्स, इन दोनों चीजों के ऊपर भी निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मन्त्री महोदय, यह सुन रहे हैं ग्रौर ग्राज भी मांग है कि छोटे डिस्ट्रिक्ट बनें। कोटा जिला काफी बड़ा जिला है। एक तरफ बूंदी का जिला है ग्रौर झालावाड़ का जिला है। एक तरफ भरतपुर का जिला है जिसमें धौलपुर सब डिवीजन बैठा हुआ है। इसी प्रकार दौसा का है। इस प्रकार की विषमताएं हैं ग्रौर इन विषमताग्रों को ठीक करने के लिए, माननीय सभापति महोदया, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे जिले बनाये जायें एक प्रश्न के जवाब में ग्राप कहते हैं कि हमारी फाइनेन्शल पोजीशन बहुत खराब है, वित्तीय स्थिति खराब है, साधन नहीं हैं। यह कोई उत्तर सामयिक भी नहीं है ग्रौर न आज के बदलते हुए युग के ग्रनुसार ही ठीक प्रतीत होता है। ग्राप समाजवादिता की प्रगति का परिचय दें तभी ऐसा लगेगा कि ग्राप प्रगतिशील मन्त्री हैं।

इसके साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा रेवेन्यू बोर्ड के बारे में। ग्राप वकील

(श्री ओंकारलाल चौहान)

रह चुके हैं और कोटा जिले के अच्छे वकील रह चुके हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनता पार्टी का राज आने के बाद जनता में आकांक्षाएं जागृत हुई थीं कि हमको न्याय मिलेगा, हमको सस्ता न्याय मिलेगा और सुलभता से मिलेगा और भ्रष्टाचार नहीं पनपेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि दिशा प्रतिकूल है। रेवेन्यू बोर्ड के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय भी वकील रहे हैं और मैंने भी वकालात की है आप स्वयं अनुभव करते हैं कि रेवेन्यू बोर्ड में फैसले किस प्रकार होते हैं। आपने अपने पिछले उत्तर में यह कहा था....

श्री नवरंग सिंह : वकीलों को तो चोर समझते हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : आपने उत्तर दिया था कि यह जिम्मेदारी नहीं है अगर फैसला दूसरा लिखता है, या बाद में लिखते हैं या घर पर लिखते हैं तो वह क्या न्याय कर रहे हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी है उसको समझ कर, मैं आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूं, आपको इसके ढांचे को हल करना होगा, मैं यह उम्मीद करता हूं।

अब आप कहते हैं कि भूमि सुधार कानून की बहुत चर्चा हुई है। हर क्वार्टर से चाहे माननीय सदस्य इस ओर के हों चाहे उस ओर के, यह कहा है कि लेजिस्लेशन लायें ताकि उस काश्तकार का हक, जिसका हक 30-32 साल से ठुकराया जा रहा है, जो बराबर शोषित है, पीड़ित है उसके साथ न्याय किया जा सके। और इस लेजिस्लेशन के द्वार उसको अच्छा न्याय मिल सकेगा।

साथ ही मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदया कि अब शिड्यूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को आवंटन के लिए जमीन नहीं है। जहां तक मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी का सवाल है मैं जानता हूं। दूसरी कान्स्टीट्यूएन्सी के बारे में नहीं जानता हूं। सीलिंग के द्वारा जो जमीन आ रही है वह उनको अलाट करें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों के तो चुनाव हो गये। पंचायत समिति और जिला परिषद् के नहीं हुए। जब तक वह नहीं बन पायेंगे।

(6-45 सायं)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और सरपंच, प्रधान और प्रमुख तीनों ही मिलकर नहीं बैठेंगे तो जो फारेस्ट में जमीन पड़ी हुई है वह दबी हुई है वह निकलेगी तभी गांवों में आवंटन की समस्या हल हो सकती है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हम फायदा पहुंचा सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, बन्दूकों के लाइसेन्स के बारे में। आप लाइसेन्स देने के पावर्स तहसीलदार को क्यों नहीं देते हैं? आपने बन्दूकों के लाइसेन्स के पावर्स किस को दे रखे हैं?

(192)

(श्री ओंकारलाल चौहान)

हजारों लाइसेन्स दरख्वास्तें पड़ी रहती हैं। हर आदमी चला आ रहा है लाइसेन्स के लिए और अम्बार पड़े हुए हैं दरख्वास्तों के। आप तहसीलदार को क्यों नहीं पावर देते हैं। आपको लाइसेन्स के पावर्स उनको ट्रांसफर करने पड़ेंगे। मंत्री महोदय अपने पावर्स को नहीं छोड़ना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर अपने पावर्स को नहीं छोड़ना चाहते, कोई भी व्यक्ति अपनी पावर को नहीं छोड़ना चाहता है और ब्यूरोक्रेसी भी अपने पावर्स नहीं छोड़ना चाहती है तो it will not be justice but it will be fraud in the name of justice. इसलिए इसको देखना चाहिए।

मैं अब अपनी पुरानी कान्स्टीट्यूएन्सी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। भवानी मंडी में एस. डी. ओ. की कोर्ट का वायदा पुरानी सरकार ने भी किया था उसने पूरा नहीं किया। आपने भी वायदा किया था और आप भी उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। कोर्ट एस. डी. ओ. की तो रखी है भवानी मंडी में। एस. डी. ओ भवानी मंडी में नहीं बैठता है और बैठता है झालावाड़ में वहां से 20 मील दूर। तो 20 मील तो यह और 30 मील दूर डग। वहां से बीस मील दूर कुण्डला तो 70 मील लोगों को आना जाना पड़ता है और खर्चे से जेरबार होता है तो गरीब आदमी को सस्ता न्याय कैसे आप दे पायेंगे, और किस तरह से उसको न्याय मिलेगा? कृपया भवानी मंडी में एस. डी. ओ. के आफिस की घोषणा करें तब तो हम समझेंगे कि वास्तव में आपने एक रिवोल्यूशनरी कदम उठाया है।

मैं सामुदायिक विकास की बात करना चाहता हूं। पंचायती राज योजना अच्छी है और उसमें हजारों लोगों को काम मिला है फूड फार वर्क में। मै पंचायत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कई जगहों पर लोग काम करके बैठे हुए हैं और वहां पर अनाज नहीं पहुंचा है, थोड़े दिन नहीं पहुंचा तो वहां पर सरपंचों के साथ हाथापाई होगी तो उसका भीषण परिणाम यह होगा कि लोग काम तो भूल जायेंगे और उनके साथ में फौजदारी के मुकदमे बनेंगे। इसलिए समय रहते हुए इस विषय में आप फौरन कार्यवाही करें और तत्काल जैसे भी, जिस प्रकार का काम हुआ है उसके बदले में अनाज मिलना चाहिए।

आपको पंचायत समितियों का चुनाव कराना चाहिए था। पंचायतों के चुनाव हुए 7-8 महीने हो गये हैं। आप स्वयं पुरानी सरकार को कोसते थे, ठीक है, लेकिन आज क्या हालत है? हमारी सरकार की क्या हालत है? हम कहना चाहते हैं कि आपके सामने अशोक मेहता, सादिक अली साहब और गिरधारीलालजी व्यास की रिपोर्टें हैं। आप अशोक मेहता who is one of the best economist of India है, उनकी रिपोर्ट पर निर्णय नहीं कर पाये हैं कि टू टायर सिस्टम हो या थ्री टायर सिस्टम हो या बिल्कुल ही पंचायती राज को मिटाना चाहते हैं नक्शे से? क्या चाहते हैं? जो कुछ करना हो जल्दी करें। पंचायतों को मजबूत बनायें, पंचायत समितियों को मज-

(श्री ओंकारलाल चौहान)

वूत बनायें और जिला परिषदों को मजबूत बनायें।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष, इस सम्बन्ध में कि सरकार लोगों को अन्धेरे में न रखे। आपके इस तरह के व्यवहार से लोगों में जिस तरह की भ्रान्तियां पैदा होती हैं, शंकाएं बढ़ती हैं कि आप जो भी योजना बनाते हैं उसका लाभ नहीं होता है।

इतना कहते हुए मैं मांगों पैर अपने कटौति प्रस्ताव जो मूव किये हैं उनको रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ईश्वरचन्द्र भटनागर।

(व्यवधान)

कृपया बिराजिये।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जमीन के मसले पर जहां तक जमीनों के पुनर्निधारण का सवाल है हम लोगों का चिन्तन जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक इसी तरह से जमीनों के मामले उलझे रहेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में 53% लोगों के पास 19% जमीन है और 3% लोगों के पास 81% जमीन है। जो 81% कृषि श्रमिक हैं, वह 58% मजदूर हैं। जो गरीबी के रेखा के नीचे अपना जीवन बिता रहे हैं। यह भूमि-वितरण के बारे में हमारी राजस्थान सरकार कोई बुनियादी चिन्तन नहीं करती है। कोई मौलिक चिन्तन नहीं करती है। आप तो जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप तो वकील रहे हैं। हमारी सरकार ने तीन सीलिंग कानून बनाये हैं लेकिन उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया है। कहीं पहाड़ आ गया तो कहीं नदी आ गई। जमीन किसी की खातेदारी की है, वह बम्बई में बैठा है। जब आपसे अप्शन मांगा जाता है, आपने हमारा नाम दे दिया। जमीन पर कब्जा हो गया। आपने उस पर घर बना लिया है। कमरे बना लिये हैं। वह जमीन अधिग्रहीत कर ली है। इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। कोई नोटिस दिया जाये। इस तरह से हजारों अभागे लोग हैं। इस प्रकार के एक नयी अन्त्योदय कतार खड़ी हो रही है। आपके नये सीलिंग कानून में जो है, खातेदार को दे देंगे। यह बहुत बड़ी ज्यादती राजस्थान में हो रही है। फिर रेवेन्यू बोर्ड में चले गये हैं। रेवेन्यू बोर्ड को पास कर बेरी प्रायोग आया है। यह नोटीफिकेशन निकाला था। तो मैंने यह कहा था कि जब तक यह सारा बेरी प्रायोग को नहीं दे देते हैं, तब तक यह ठीक नहीं होगा। अगर गड़बड़ है तो वह केसेज ओपन किये जायें। नहीं तो वह ओपन नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो बड़े-बड़े लोग हैं, उन्होंने अपने केसेज ठीक करा लिये हैं। आप फिर भले ही राजस्थान पत्रिका में छपायें। चाहे हरिदेव जोशी के नाम से नोटिस निकलवायें, कुछ नहीं हो सकता है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : I did not follow you.

श्री ईश्वरचन्द्र : You may not follow me.

क्योंकि हमारा जनता पार्टी का चिन्तन नहीं है । इसमें कल्याणसिंह कालवी भी हैं ।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य से निवेदन करूंगा कि सीलिंग कानून का बेरी आयोग से तल्लुक नहीं है ।

श्री ईश्वरचन्द्र : नहीं है तो आप कीजिए । जिन लोगों ने भूमि के गलत तरीके से फैसले करवा लिये । जमीन बेच रहे हैं । वह केसेज खोल सकते हैं ।

एक माननीय सदस्य : आपकी आत्मा से डा. लोहिया की आवाज आ रही है ।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय मन्त्री महोदय ने धर्मयुग में अपना एक इण्टरव्यू दिया है । उसमें आपकी मुस्कान दिखाई दे रही है । अफसर भी हंस रहे हैं । लेकिन आत्मा रो रही है । आपने इण्टरव्यू में कहा है--"मेरा अनुभव है कि सरकारी अधिकारियों के व्यवहार में काफी परिवर्तन आया है ।"

यह परिवर्तन आपको दिखाई देता होगा । हमें तो कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है ।

एक माननीय सदस्य : बेईमानी करने में परिवर्तन आया है ।

श्री ईश्वरचन्द्र : तो मेरा निवेदन यह है कि यह ब्यूरोक्रेसी है । यह आप स्टील में काम करते रहेंगे । कोई केस देख लें । कोई फायल डिस्पोज आफ करदें । जब तक जमीन हस्तगत नहीं करेंगे, यह जमीन का मामला हल नहीं होगा ।

(व्यवधान)

आपने जो तथा कथित, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे अफसर हैं जो राजा महाराजाओं से मिल गये । उन लोगों ने सीलिंग कानून को इम्प्लीमेण्ट किया है । आज क्या कोई कलेक्टर राजाओं की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा ।

(व्यवधान)

श्री किशन सिंह भाटी : वह सक्सेना जी तो नहीं हैं, अलवर वाले ?

श्री ईश्वरचन्द्र : कोई भी हो । उनके लिए आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है ।

(व्यवधान)

स्टेटमेण्ट में आगे दिया है—"इनका सक्रिय सहयोग मिल रहा है । जैसे राजस्व अभियान ।" यह धर्मयुग में छपा है । आगे आप कहते हैं—'सीमान्त किसानों व कृषि मजदूरों के ऋण समाप्त कर दिये हैं ।"

यह कौन सा है । यह तो कांग्रेस के लोगों ने किया था । मैंने जिसके लिए कहा । स्टे नहीं करने के कारण लेप्स हो गया ।

(श्री ईश्वरचन्द्र)

मैंने लिखा सरकार को। माननीय मन्त्री महोदय को चिट्ठियां लिखीं। ऐसा कानून बनाया जाये। लेकिन वह लैप्स हो गया। वह लगा ही नहीं।

एक माननीय सदस्य : वह लागू है।

श्री ईश्वरचन्द्र : एक आपने और इण्टरव्यू दिया। जमीन जो जोतें, उसकी। बड़ी खुशी हुई। लेकिन वह कन्सेप्ट अभी बन्द है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अलमारी में बन्द है।

श्री ईश्वरचन्द्र : उनके साथ अरबों की प्रापर्टी का मामला है। आपने जो किया है, वह आज तक क्रियान्वित नहीं होगा। मैं इतने जोरशोर से इसलिए बोल रहा हूं कि आप इसके लिए पुनर्चिन्तन करें। हमारे राज्य की सार्थकता भी इसी में है। यह संकेत मैं चाहता हूं। चाहे वह ठाकुर हो या कोई भी हो। हमारा चिन्तन अलग है। अगर यह जनता पार्टी को सत्ता में नहीं चलाना चाहते हैं तो हम लोगों का बैठा रहना निरर्थक है। आपने देखने की कोशिश की है। आप उद्घाटन और मन्त्रिमण्डल की बैठकों में ही रहते हैं। आपको फुरसत नहीं है। जैसा कि राम रघुनाथ जी ने भ्रष्टाचार का उदाहरण दिया है। भंवरसिंह चारण ने 5-6-77 को मेरी मौजूदगी में भ्रष्टाचार किया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपकी मौजूदगी में ?

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं बैठा था।

कलेक्टर ने रिपोर्ट दी। यह गलत हुआ। लेकिन उसके बाद भी उस आदमी का प्रमोशन कर दिया।

श्री ओंकारलाल चौहान : गैर मौजूदगी में हुई।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री ईश्वर चन्द्र : यह भ्रष्टाचार वाली बात है, इन लोगों को आप माफ नहीं करेंगे। जिम्मेदार और ईमानदार लोगों को आप बचाइये और जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनको आप घर बिठाइये। इसी तरह से धारा 175 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का दुरुपयोग इमर्जेन्सी में सबसे ज्यादा हुआ उसके आधार पर एस. डी. ओ. और असिस्टेन्ट कलेक्टर ने शिड्यूल्ड कास्ट और गरीब आदमियों को नोटिसेज दिये। ऐसे आदमी भी उनमें से थे जिन्होंने जमीनें रहन रखी हुई थी। वे सारी जमीन अब आप दूसरों को दे रहे हैं। एक व्यक्ति शिड्यूल्ड कास्ट का या शिड्यूल्ड ट्राइब का, 175 के कई मामले उनके खिलाफ, यह एक ग्लेयरिंग इर्रेग्युलेरिटी हुई है। राजस्थान में दूसरी जगहों की तो मैं नहीं कह सकता लेकिन झालावाड़ जिले में 175 केसेज आप मंगवायें। यह कहा जाता है कि धारा 45 के परव्यू में नहीं आते, यह तो ठीक है लेकिन जो परव्यू में आते है और गरीबों के साथ

(श्री ईश्वर चन्द्र)

अन्याय हुआ है। मैंने कई बार इस बारे में कहा लेकिन हमारी सरकार रेंगती भी नहीं, चलना तो दूर रहा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

एक दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। रेवेन्यू बोर्ड के बारे में मेरा निश्चित मत है कि—आप यह समझते हैं कि आई. ए. एस. आफीसर को नहीं रखा गया तो इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होगा—Revenue Board is the refuge for all the rejected I. A. S. officers aud those persons whose integrity is doubtful. किसी. आई. ए एस. को पेनेलाइज करना है उसको रेवेन्यू बोर्ड में रख दीजिए। वह हर शनीवार को यहां आ जाता है। 11 बजे दफ्तर में आता है। आप फैसले पढ़ लीजिये, क्या क्वालिटी है फैसलों की, एक बैंच क्या कहती है और दूसरी बैंच क्या कहती है। उनको यह पता नहीं कि मूंगफली जमीन के अन्दर उगती है या ऊपर उगती है। कोई मद्रास का है, कोई केरल का है, वह खातेदारी और गैर खातेदारी जमीन में कोई फर्क नहीं समझते, ग्वांर और जंवार नहीं जानते, और मैं तो यह कहूंगा कि राजस्व मन्त्री जी भी उनके गरीब किसानों का दुःख-दर्द नहीं जानते मैं भी ऐसा ही मानता हूं। It is your responsibility. You can not blame the whole community of advocates. आप ऐसे आफीसरों को बदलिये, आधे वहां पर ज्यूडिशियल आफिसर्स लगाइए। जजमेन्ट से आप मत घबराइये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मसाला खतम हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : बस काफी मसाला है। माननीय श्री नूरा।

श्री नूरा (नसूदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की आबादी बढ़ी है, लेकिन धरती बढ़ती नहीं है। जब आबादी बढ़ती है तो रहने को जमीन भी चाहिये, जीवन चलाने के लिए खेती, के लिए जमीन चाहिए और जानवरों के चरने के लिए जमीन चाहिए लेकिन जमीन लायेंगे कहां से। इस जमीन को अगर सरकार खींचकर बढ़ाना चाहे तो, यह रबर तो है नहीं, जो बढ़ने लग जाएगी। मेरा ऐसा मानना है, आप गंगानगर में गये, किसी ने बताया कि 18 हजार में से 14 हजार आपने सीलिंग में ले ली, हो सकता है मैं गलत होऊं। यह आपने हिम्मत से काम किया और सीलिंग से कुछ लिया, आपने मामले खोले लेकिन जो जमीन ग्रहण की उस पर जाने नहीं दिया और अभी माननीय सरदारजी ने जिक्र किया, ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं लेकिन गंगानगर में जमीन छिपाने वालों की कमी नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि गंगानगर में ईमानदार किसान नहीं हैं ईमानदार किसान भी हैं लेकिन बेटों और पोतों के नाम से जमीन छिपाने वालों की भी कमी नहीं है और मैं यह निवेदन कर दूं कि आप अगर गंगानगर के रहने वाले होते तो आपको बदला लेने वाले भी मिल जाते।

(197)

(श्री नूरा)

शोषण करने वाले भी बैठे हैं जैसे सांप बांबी पर बैठता है। आपको हिम्मत करके गरीबों को जमीन देना चाहिए, उनको बांटना चाहिए। राजस्थान में ऐसी कई जगह जमीन है उनको भी आपको लेना है। मैं केवल गंगानगर को ही नहीं कहता, वहां पर ईमानदार और अच्छे काश्तकार भी हैं लेकिन और भी जगह हैं, जहां पर जमीन दबाए हुए बैठे हैं। और मैं तो इस पक्ष में हूं कि वहां से आपको जमीन निकलवानी पड़ेगी और गरीबों को देनी पड़ेगी। काश्तकार को भूखा नहीं मारा जाएगा, वह नौकरी और जमीन मांगे सरकार के सामने, यह सरकार के सामने एक भयंकर प्रोब्लम है। सरकार को इसे हल करने के लिए बेनामी जमीन और धन्ना सेठों के पास जो जमीन है उनसे सरकार को जमीन लेनी पड़ेगी और गरीबों को बांटनी पड़ेगी। इसमें आपको हिम्मत से काम करना पड़ेगा। अगर आपने हिम्मत नहीं करी तो वे आपको जाने नहीं देंगे गंगानगर में। इसलिए आपको जमीन लेनी है और बांटनी है।

इसके साथ ही धारा 91 के केसेज जो चलते हैं, जमीन छीनने के लिए, उन बड़े लोगों के पास जो शौकिया ढंग से जमीन रखते हैं उन पर चलवाइये। लेकिन उन काश्तकारों पर आप हाथ नहीं डालिये जो पहाड़ों को सेंद कर और नालों को रोक कर खेत बनाते हैं। आपके पटवारियों ने उनको 91 के केसेज में फंसाकर जुर्माना ही नहीं तीन-तीन साल की सजा करवा दी। लेकिन बड़े लोगों का एक भी मामला सुनने को नहीं मिलेगा। छोटे काश्तकारों को सजा दी गई, मैं कहता हूं कि जो जमीन की तरफ जाना चाहता है उसको आप जमीन देना नहीं चाहते। जो जमीन को ठीक करके उसको अच्छी बनाकर उस पर काश्त करना चाहता है उनको जमीन दी जानी चाहिए। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि छोटे काश्तकारों के पास आपको नहीं जाना चाहिए वह अपनी जीविका चलाने के लिए उस पर काश्त करता है।

जंगल में जहां काश्त की जमीन पड़ी है, जिसमें पेड़ और घास को आप पनपाना नहीं चाहते। इन्सान काश्त करना चाहता है तो आप जंगलात की जमीन को जंगली जमीन बना कर क्यों रखना चाहते हैं। काश्त करने से उसमें ज्यादा फसल पैदा होगी, पैदावार बढ़ेगी और बेरोजगार काश्तकार को जमीन मिल जाएगी, उस तरफ आपको जाना चाहिये। जो पहले वाले साथी बोल गये मैं उसको दोहराना नहीं चाहता लेकिन आपको गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा और आपको नीति निर्धारित करनी चाहिए।

पंचायतों की हालत खराब है। जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा। राजस्व का जो पैसा जाता है सारा पंचायतों को दिया जाना चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। पंचायतों की सरपंचों द्वारा बुलाई गई मीटिंग करना चाहते हैं तो उनको भत्ता नहीं मिलता, अपने एरिया में देखने जाते हैं, पंचायत का काम कराने जाते हैं तो उनको कोई पैसा नहीं मिलता। जब पंचायत के बाहर जाएगा तब भत्ता मिलेगा। इस तरह सरपंच को आपने चपरासी जैसा बना दिया। जो समर्थ होगा, जिसकी नीयत

(श्री नूरा)

सेवा की होगी वह तो परवाह नहीं करेगा लेकिन एक भूखा आदमी रोटी खाने के लिए आपके सामने आ जाएगा, वह चोरी करेगा, विकास के पैसे में से चोरी करने की कोशिश करेगा। इसलिए उसे बदनामी से बचाने के लिए जो मेहनत करता है तो उसको यात्रा का पैसा मिलना चाहिए, ऐसा कानून में संशोधन करें।

पंचायतों के काश्तकार आज अदालतों के चक्कर काटते हैं तहसीलों के चक्कर काटते हैं, पहले न्याय पंचायतें अलग थीं अब आपने मिक्स कर दीं। लेकिन न्याय पंचायत के नाम से जो कमेटी है उसको कम से कम इतने अधिकार दिए जाने चाहिए कि जो छोटे-छोटे अपराध हैं और 15 दिन की सजा का प्रावधान हो वे अधिकार न्याय पंचायत को देने चाहिए ताकि जुर्म करने वाले को अदालतों के चक्कर न काटने पड़ें, बनिसबत अदालत के या थाने के वहीं उसको न्याय मिल जाए। अगर न्याय पंचायत उनके साथ न्याय नहीं करेगी तो अपील का प्रावधान है। उन्हीं की चुनी हुई बोडी है। ग्राम सभाओं में बैठ कर ग्राम वासी बढ़िया फैसले करते हैं जो अदालत 5 साल में फैसला नहीं कर सकती, वे 5 घंटों में करते हैं। न्याय पंचायतों को और अधिकार दिये जाने चाहिए। ग्राम पंचायतों को 15 रु. जुर्माना करने का अधिकार है और न्याय पंचायत को 50 रु का। इस अधिकार को बढ़ाना चाहिए। नहीं तो किसान अदालत की तरफ भागता है, वह लूटा जाता है, वकील मुफ्त में पैरवी नहीं करेंगे। तो उसको लूट से बचाने के लिए पंचायत को अधिकार देकर गांव का फैसला गांव में कराने के लिए, सस्ता न्याय देने के लिए, पंचायत की आमदनी बढ़ाने के लिए, न्याय पंचायतों को अधिकार देकर मजबूत करना चाहिए।

इसके अलावा आज किसी को पंचायत में बुलाना है तो वह ए. डी. ओ. को दरख्वास्त देगा, वह ठीक मानेगा तो धारा 85 के तहत पुलिस से कहेगा कि मदद करने जाओ। अगर एस डी. ओ. ठीक नहीं समझ लेगा तो मदद नहीं देंगे मेरा सुझाव है कि पंचायतों को अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए बीच में न पुलिस अधिकारी हो न एस. डी ओ हो न तहसीलदार आना चाहिए। पुलिस को बुलाने का अधिकार होना चाहिए। आज अगर पटवारी को बुलाना होता है तो तहसीलदार को लिखना पड़ता है। आबादी की जमीन का झगड़ा है या भूमि का झगड़ा है, उसको निपटाने के लिए यदि तहसीलदार कहेगा तो पटवारी हाजिर होगा। ऐसी हालत में पटवारी को सीधा आदेश ग्राम पंचायत हाजिर होने के लिए दे, ऐसा अधिकार पंचायत को मिलना चाहिए। अगर वह हाजिर न हो तो पंचायत को कार्यवाही करने का अधिकार होना चाहिए।

(समय समाप्ति-सूचक घन्टी)

दो मिनट। जैसे सदस्यों ने कहा, पंचायतों के आफिस में अक्सर ताला लगा होता है। एक ग्रुप सचिव 3–4 पंचायतों को देखता है। एक पंचायत में 5 दिन दूसरी पंचायत में रहेगा तो ताला ही लगा रहेगा। आप हर पचायत में ग्रुप सचिव रखें ताकि

(श्री नूरा)

सरपंच व पंच उसमें आ सकें। वे वेतन नहीं लेते हैं लेकिन सचिव जो वेतन लेता है वह कम से कम 8 घन्टे आफिस खोलकर बैठा रहेगा तो कोई दरख्वास्त देने वाला आएगा तो सचिव मिलेगा। तभी पंचायतों के प्रति विश्वास पैदा होगा। मेरा मानना है कि जैसे प्रधान के अ ने विकास अधिकारी की रिकार्ड की जिम्मेदारी होती है वैसी जिम्मेदारी सचिव को होनी चाहिये। आज आडिट होता है तो सरपंच खुद जाता है, उसका काम है। प्रस्ताव पंचायत ने पास किया उसके बाद ग्रुप सचिव का काम है उस प्रस्ताव की क्रियान्विति कराने का न कि सरपंच चपरासी की तरह घूमता फिरे। तभी काम व्यवस्थित रूप से होगा और कार्यालय भी सुचारु रूप से खुलेगा।

काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत गांवों में कुछ काम हुआ है। कहीं भी आलोचना नहीं हुई, ठीक तरह से काम कराने में सरकार का योगदान रहा है। बात को बनाए रखने के लिए आप सावधान रहें ताकि पक्षपात न हो और आपका काम भी आगे बढ़े। यह अनाज समय पर बंटवा दें, नहीं तो काश्तकार आपकी आलोचना करेगा। जिन काश्तकारों की बकाया है उनको भुगतान करना चाहिए। अधूरे चुनाव के काम को जल्दी पूरा करें तो लोगों में आपके प्रति विश्वास पैदा होगा। अधूरे चुनाव आपके सामने पड़े हैं, अफसरों के नीचे पंचायतें बैठी हैं, उनमें सुधार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कौशल किशोर जैन।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा नाम भी कहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम उस सूची में है जिसमें बोलने वाले नहीं हैं।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मन्त्री व पंचायत राज मन्त्री को राजस्व अभियान व काम के बदले अनाज योजना के लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन भीलवाड़ा में दो तीन समस्यायें इस प्रकार की हैं कि जिनका निपटारा राजस्व अभियान के अन्दर नहीं हो सकता। पांसल और बड़ा महुआ में बहुत बड़ी जमीन सीलिंग में आपने ली। 350 बीघा जमीन बड़ा महुआ में और 250 बीघा जमीन पांसल में। दो साल जनता राज को हो गए लेकिन केसेज को फाइनल नहीं कर सके। सीलिंग में जिन लोगों की जमीन ली गई पहले उन लोगों को दी जा रही है जो 20 साल से काबिज हैं, जिनके खाते हैं हो सकता है पांसल के भूतपूर्व जागीरदार और बड़ा महुआ के जागीरदार ने सरकार को अंधकार में रखा हो लेकिन उन लोगों का क्या दोष है जो भूमिहीन थे, जिनके पास 2-2, 4-4 बीघा जमीन है जो इस सीलिंग की प्राप्त जमीन है, उस पर 20 साल से काबिज हैं, कुए बना लिए, भूमि विकास बैंक से ऋण ले लिया, पम्प सेट्स लगा लिए। अब 20 साल के बाद आप कहते हैं कि जमीन छोड़नी होगी। यह जमीन री-अलाट करनी होगी। यह समस्या मेरी तहसील की है, पांसल तहसील मेरे क्षेत्र में है।

भीलवाड़ा नगर परिषद का विस्तार, उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1971 में हुआ।

(श्री कौशल किशोर जैन)

नगरपालिका से दो मील की परिधि में कोई भी जमीन नियमित नहीं हो सकती। 25 किसानों को पान्सल की जमीन पर 5-6 साल से पचास गुना लगान की पैनल्टी देनी पड़ रही है। जब मैं वहां जाता हूं तो किसान मुझे घेर कर खड़े हो जाते हैं। राजस्व अभियान के दौरान वहां कलेक्टर गया, तहसीलदार गया लोग उन्हें भी घेर कर खड़े हो गए। वह कहते हैं कि पचास गुना पैनल्टी क्यों दें, हमारी जमीन की खरीद युक्तिसंगत है। मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसका निदान कीजिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने इस बजट सैशन में तीन प्रश्न पूछे थे। दुर्भाग्य से समय के अभाव से वह प्रश्न नहीं आ सके लेकिन मुझे लिखित में उत्तर माननीय राजस्व मन्त्री जी की ओर से मिले। मुझे बड़ा दुःख है कि आप वास्तविकता से आंखें क्यों बन्द करना चाहते हैं। आज भी भीलवाड़ा तहसील में बड़े-बड़े लोगों के फार्म हैं। आप समाजवादी हैं, आप प्रगतिशील हैं, माननीय राजस्व मंत्री जी, आप भीलवाड़ा आये थे किसान सम्मेलन में, आपने घोषणा की थी कि जमीन जोते उसी की। मैंने आपको प्रमाण दिया और आपने उत्तर दिया उसका। मैंने पूछा था कि कितनी जमीन गुजराती फार्मों के पास है। आप उस उत्तर को खा गए। आपने कहा कि उचित कार्यवाही करूंगा। क्या उचित कार्यवाही आपने की? मैंने उदाहरण दिये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप गुजराती फार्म का निर्णय कीजिए। उनकी जमीन आप सीलिंग में लीजिए। मैंने निवेदन किया था और आपने घोषणा की थी। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं भीलवाड़ा के स्ट्रक्चर को। भीलवाड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र है इसको हम भी मानते हैं। वहां औद्योगिक क्षेत्र में आर. एम. आई. डी. सी. के 172 प्लाट आज भी खाली पड़े हैं लेकिन भूतपूर्व सरकार ने भीलवाड़ा प्रोसेसर्स के नाम पर किसानों की जमीन लेकर जबरदस्ती उनको मुआवजा देकर जमीन को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया। भीलवाड़ा प्रोसेसर्स की बगल में आज कोई 500 बीघा जमीन पड़ी होगी। वहां गांव वालों ने निवेदन किया था कि यह जमीन हमको दो, हम इसका लगान देंगे लेकिन उसका निर्णय आज तक नहीं हुआ। इसका भी आप निर्णय कीजिए।

मैं दो निवेदन और करना चाहूंगा। दो प्रश्न और थे। पिछली साल इसी सैशन में एक प्रश्न मैंने उठाया था साबरा प्लास्टिक के बारे में। उसको जमीन बेच दी गयी और सरकार को घाटे में डाल दिया गया, आज तक उसका निर्णय नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा एक प्रश्न था, साधना आश्रम के नाम पर 5 बीघा जमीन है। उस आश्रम का मालिक चला गया। कोई बड़े तपस्वी और सर्वोदयी कार्यकर्ता थे और मेवाड़ के गांधी कहलाते थे। वह चले गए। आज उस जमीन के ऊपर कौन काबिज है? आप इसका भी उत्तर टाल गए। आपने कहा कि समुचित कार्यवाही करूंगा। आश्रम की जमीन पर भीलवाड़ा का एक सेवा संस्थान काबिज है। एक 50 बीघा का चक ग्राम विद्यालय सुवाना को

(श्री कौशल किशोर जैन)

अलाट किया था । वह ग्राम विद्यालय सुवाना सरकार के पास है लेकिन यह 50 बीघा जमीन किस के पास है ? यह मैंने पूछा था । आपने उत्तर दिया कि चार साल से लगान जमा नहीं हुआ है । कौन लगान जमा करायेगा ? कब्जे में किस के है ? नाजायज कब्जों को आपको छुड़ाना पड़ेगा, चाहे व्यक्ति हो या समाजसेवी संस्था हो । समाज सेवी संस्था बन कर कोई भीलवाड़ा को लूटता रहे, यह जनता राज में बरदाश्त नहीं करेंगे । प्रभावशाली लोगों ने और बहुत सी संस्थाओं ने जमीनों पर नाजायज कब्जे कर रखे हैं उनको छुड़ाकर आप समाजवादी होने का परिचय दें ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट बोलना चाहूंगा पंचायतों के ऊपर । काम के बदले अनाज योजना चला कर राजस्थान सरकार ने कीर्तिमान कायम किया है लेकिन पंचायती राज मन्त्री महोदय को मैंने व्यावहारिक कठिनाइयां निवेदन की थीं । आज तक उनका कोई निदान नहीं हुआ है । आज 6 महीने हो गए । एक अप्रेल से नयी काम के बदले अनाज योजना चालू होने वाली है । मैंने निवेदन किया था, बैलगाड़ी के भुगतान के बारे में । मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जहां हमारी सरकार ने, आई. एस. आफिसर्स ने चाहे ट्रैक्टर का भुगतान किया हो लेकिन बैलगाड़ी के भुगतान, 15 रुपये के भुगतान की व्यवस्था नहीं कर सके । क्या पता क्या कठिनाइयां हैं ? अगर केन्द्र द्वारा कोई कठिनाई है तो आप उसको हल कीजिए । एक बैलगाड़ी का भुगतान 15 रुपया होना चाहिए ।

एक पंचायत समिति पर एक ओवरसियर नहीं है । दो पंचायत समितियों के ऊपर एक जूनियर इन्जीनियर । काम के बदले अनाज में लोगों की भूख जागी है । जगह-जगह सड़कें बन रही हैं लेकिन उनको नापने वाला कौन है ? इसलिए हर पंचायत समिति में जूनियर इन्जीनियर होना चाहिए और फिर जिले में एक असिस्टेन्ट इन्जीनियर । गाचरी पचायत समिति और सुवाणा पंचायत में मिला कर एक जूनियर इन्जीनियर है । मैंने पहले भी निवेदन किया और अब भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि प्रत्येक पंचायत के ऊपर एक जूनियर इन्जीनियर और एक पंचायत समिति पर असिस्टेन्ट इन्जीनियर रखें ।

हमारे भूतपूर्व पंचायत राज मन्त्री महोदय श्री कैलाश मेघवाल जब बांथल में सम्मेलन हुआ था तो उसमें सम्मिलित हुए थे और वहां घोषणा करके आये थे कि ग्रुप सचिव व्यवस्था समाप्त कर दी जायेगी । आज उस घोषणा को एक वर्ष हो गया लेकिन कुछ नहीं हुआ । मेरा सरकार से निवेदन करना है कि क्या हो गया इस सरकार को ? फिर क्यों घोषणा की थी ?.... ...

श्री मूलचन्द सामरिया : यह खुद ही समाप्त हो गए ।

श्री कौशलकिशोर जैन : इनके पास तो मन्त्रालय नहीं रहा होगा । श्री दिग्विजय सिंह जी के पास तो हैं । आज भी ग्रुप सचिव कायम हैं और भी चुने हुए सरपंच के ऊपर सरकारी दरिन्दे रखे हुए हैं । चाबी और मोहर उनके पास रहती है । सरपंच को

(श्री कौशल किशोर जैन)

आर्डर देते हैं कि तुम हस्ताक्षर कर दो मैं मोहर लगा दूंगा। कितना बड़ा अपमान है जन प्रतिनिधि का। यह कब तक सहन करते रहेंगे। आप इस अपमान को धोने का प्रयत्न कीजिए। ग्रुप सचिवों को हटाइये और पंचायतों के अन्दर सचिवों की नियुक्ति करके सरपंच के नीचे करके चुने हुए प्रतिनिधियों का मान बढ़ाइये। राजस्व अभियान और काम के बदले अनाज योजना के बारे में कहूंगा कि जो व्यावहारिक कठिनाइयां हैं वह अगर दूर हुई तो राजस्थान के अन्दर ग्राम किसान की हालत को बेहतर बना सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हनवंत सिंह।

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, समय बढ़ाया जाना चाहिए नहीं तो जो लिस्ट सचेतक महोदय से आती है पिछले एक सप्ताह से जान बूझकर लोगों के नामों को तोड़ा जा रहा है, जिलों को तोड़ा जा रहा है ताकि वह अपनी समस्याओं को नहीं रख सकें। अगर वे नहीं करते हैं तो मैं आसन से निवेदन करूंगा कि इसके लिए व्यवस्था कुछ करें नहीं तो धरना देना पड़ेगा या बिल्कुल त्याग करना पड़ेगा। यह इस सरकार का अत्याचार है। जन भावनाओं को कुचलने का प्रयास सचेतक के माध्यम से और आसन के जरिये से कराया जाये, यह अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। मैं इसका विरोध करता हूं। आज समय बढ़ायें। अगर समय नहीं दिया गया तो मैं धरना दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यास जी, विराज जायें।

श्री रघुनन्दन व्यास : बिलकुल जानबूझ कर यह सारा हो रहा है। पिछले 15 दिनों से महसूस कर रहा हूं। आज बैठ कर निर्णय करें नहीं तो हम धरना देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हनवंत सिंह जी, आप 5 मिनट में अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री जगतार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है कि नहीं।

श्री हनवंत सिंह राणावत (बाली) : जनता पार्टी के शासन काल में....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा कोई सचेतक नहीं है। स्पीकर महोदय ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में समय के बंटवारे के सम्बन्ध में........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी, आपको अवसर दूंगा। आप अन्तिम वक्ता होंगे।

श्री रतनलाल वर्मा : इनका सचेतक मैं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्मा जी, कृपया विराज जायें।

श्री हनवंत सिंह राणावत : उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी ने शासन में आने के

(श्री हनवंतसिंह राणावत)

बाद कई क्रांतिकारी कार्य किये हैं, राजस्व अभियान, काम के बदले अनाज योजना, अन्त्योदय कार्यक्रम का शुभारम्भ, इस तरह के कार्यक्रम हैं जिनसे राजस्थान का ग्राम गरीब काश्तकार महसूस करता है कि वास्तव में कोई हमारी सरकार आई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय की कमी के कारण बहुत कुछ तो नहीं कह सकूंगा, अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। जवाई बांध के पेटे में उन पांच गांवों के काश्तकारों की समस्या प्रमुख है जिनकी जवाई बांध बनने से पहले सारी जमीन उसके पेटे में थी। आज दिन तक न कोई मुआवजा दिया गया, न कोई जमीन दी गई और न ही उस पेटे मे खाली होने पर उनको काश्त करने के अधिकार दिये जा रहे हैं। आज मेरे क्षेत्र में यह एक ज्वलंत समस्या है। हर साल 91 के केसेज बनते हैं जिनके कारण उन पांच गांवों के काश्तकार परेशान हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस समस्या को जल्दी ही निपटायें और ग्राम गरीब काश्तकार को होने वाली कठिनाई से बचायें।

दूसरा मैं यह निवेदन करने जा रहा हूं, श्रीमान्, जिन अधिकारियों को पिछली सरकार ने सांड के रूप में छोड़ रखा है आज भी वे उतना ही आतंक फैला रहे हैं जितना पहले था। पता नहीं किस पोलिटिकल प्रेशर से बैठे हुए हैं। उन्होंने कई नाजायज काम किये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पाली जिले के एक अधिकारी हैं श्री सी. डी. देवल। मेरी ही तहसील के दजाना गांव में 4 हजार बीघा जमीन जो सिंचित थी, को नाजायज तरीके से श्रीमान ने 13 साल तक जोते रखा। उन्होंने लाखों रुपया कमाया और हजारों रुपया करप्ट आफिसर्स को देकर उसको बरकरार रखा। ऐसे लोगों की, मेरे पास 39 व्यक्तियों की लिस्ट है जिसको मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि समय की कमी है। उसी अधिकारी के नाम से उनके ही एक रिश्तेदार शुभकरण खाबिया पहले रेवेन्यू अपीलेट अथोरिटी हुआ करते थे, उनके द्वारा गलत फैसला करवाया........

एक माननीय सदस्य : लिस्ट कौन सी है ?

श्री हनवंत सिंह राणावत : उपाध्यक्ष महोदय, इस अधिकारी ने, मैं कहता हूं उस पिंडारी ने, नटवर लाल ने 13 साल तक न लगान दिया, न सिंचाई की दर दी और न ही उसने खाद बीज का कुछ भी हिसाब दिया। आज आप अन्दाजा लगाइये, चार हजार बीघा जमीन मांजी नारायण कुंवर साडेराव से उसने ली और गरीब विधवा के साथ धोखा किया। राज्य सरकार आज भी आंख मूंदे बैठी है। इस सम्बन्ध में पूरी जांच राजस्व मंडल के सदस्य द्वारा हुई। उसके बाद में राजस्व मण्डल के रजिस्ट्रार द्वारा हुई थी। सरकार दो साल शासन में रहने के बाद जबकि यह सरकार कहती थी कि भ्रष्टाचार को नाक से निकलवायेगी, आज उस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मैं पढ़ कर सुना सकता हूं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री ईश्वर चंद्र : बहुत गम्भीर मामला है।

204

श्री हनवंत सिंह राणावत : पहले राजस्व मन्त्री परसराम जी थे। उन्होंने सारी जांच को देखा और उसमें उस अधिकारी को दोषी पाया। उन्होंने यह निर्णय दिया है .

"Enquiries were conducted with regard to Dujana Jor scandal, firstly by a senior Member of the Board of Revenue and subsequently by the Deputy Registrar...."

श्री उपाध्यक्ष : इसमें जो फाईंडिंग्ज दी हैं वह पढ़ दीजिये।

श्री हनवंत सिंह राणावत : जिस तरह से दूसरों को आधा आधा घण्टा दिया है हम सुबह से लेकर अब तक इन्तजार करते रहे हैं, उसी तरह मुझे भी आधा घण्टा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : किसी सदस्य को आधा घण्टा नहीं दिया गया है। केवल परसराम जी मदेरणा को ज्यादा समय दिया है।

श्री हनवंत सिंह राणावत : सब ने लिया है। मैं तो सुबह से इस इन्तजार में बैठा हूं

"....Board of Revenue (now Deputy Secretary, Revenue Ceiling).

Both the enquiries have proved to the hilt the complicity of Shri C. D. Dewal an R A. S. officer and of the role he has played in tampering with the records, influencing the officers at all stages, thereby grabbing a vast chunk of fertile land. He was found also to be instrumental in creating Benami transactions. In this way, he has acted in a manner unbecoming of a responsible officer and has acted against the Government Servants Conduct Rules. It is, therefore, a strong case for taking severe disciplinary action against him."

श्री मंजूर अली : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। No notice has been given by the hon. Member. No charge can be made in the House without prior notice.

श्री हनवंतसिंह राणावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहूंगा आज दर्जन से अधिक चार्ज लगाये गये हैं, क्या सभी के लिये नोटिस दिया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया चर्चा जारी रखें।

श्री हनवंत सिंह राणावत : आगे भूतपूर्व राजस्व मन्त्री श्री परसराम जी मदेरणा ने यह कहा है—

"Thus, I am in full agreement with the enquiry officer and the R. S. that he should be placed under suspension and, thereafter, disciplinary proceedings be started against him.

May kindly approve."

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने जा रहा हूं कि यह जून, 76 का मामला है।

(श्री हनवन्तसिंह राणावत)

आज तक भी कोई इन्क्वायरी नहीं हुई। अगर इन्क्वायरी हुई है तो कोई एक्शन नहीं लिया गया....

श्री ईश्वर चन्द्र : सस्पेण्ड नहीं हुआ क्या ?

श्री हनवंत सिंह राणावत : कहां हुआ है साहब ?

श्री ईश्वर चन्द्र : सस्पेण्ड क्यों नहीं हुआ ?

श्री हनवन्तसिंह राणावत : इतना ही नहीं, मैं एक दूसरा केस आपके सामने रखना चहता हूं ···

श्री भ्योपतसिंह मकासर : Is he still in service ?

श्री हनवन्तसिंह राणावत : Yes, he is still in service.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बीच में डिस्टर्ब न करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न करें।

श्री हनुवन्तसिंह राणावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी संदर्भ में एक निवेदन करना चाहता हूं। इन्होंने एक मेड सर्वेन्ट रखी हुई है गटूडी उसका नाम है, रेवेन्यू बोर्ड का डिसीजन होने के बाद 90 बीघा दूजाना ग्राम की जमीन खसरा नं. 27 में होल्ड कर रखी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अन्य विषय पर चर्चा करें या समाप्त करें।

श्री हनवन्तसिंह राणावत : मैं इसी की चर्चा करके बन्द कर दूंगा। सरकार एक्शन ले लेगी तो मैं अपने आपको शुक्र गुजार समझूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक रेफ्रेन्स रेवेन्यू बोर्ड का State of Rajasthan Vs. Shrimati Ghatudi, में से आपरेटिव पोर्शन ही पढूंगा····

"Thus, whatever way the case is viewed, the mutations sanctioned by the Tehsildar, Pali, on 30.'.72 were illegal."

(व्यवधान)

डिसाइड हो गया साहब। आपकी नालेज में हो नहीं है। मैं आपरेटिव पोर्शन पढ़ रहा हूं—

"The reference is accordingly accepted and the mutations made in village Dujana in favour of Shrimati Gathudi Ambadan and others are set aside. The status quo ante will be restored in the revenue records."

श्रीमान्, मैं आपसे यह निवेदन करना

(श्री हनवन्तसिंह राणावत)

चाहता हूं यह स्टेट्स-को किसी तरह रेस्टोर नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त करें।

श्री हनवन्तसिंह राणावत:हमारे सोजत तह० में छितरियां गांव है उसमें इस आदमी ने बेनामी ट्रान्जेक्शन कर रखा है। आज भी उसका कब्जा अख्तर हुसैन वल्द मकबूल हुसैन, इस दुनियां में इस तरह का आदमी नहीं है, के नाम से 100 बीघा जमीन छितरिया गांव में दिखा रखी है। क्या राजस्व मन्त्री जी इन्क्वायरी करेंगे? श्रीमान्, इतना ही नहीं दूसरे केस की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कोई भी जानकारी आपके पास है तो राजस्व मन्त्री जी को दे दीजिए।

श्री हनवन्तसिंह राणावत:माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो उन लोगों में से हूं जो बहुत कम बोलते हैं। आज मैं ये फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो अक्सर बोलते हैं।

श्री हनवन्तसिंह राणावत:यह तो आपकी महरबानी है।

एक माननीय सदस्य : उनको बोलने दिया जाय ...

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं इसके बारे में घोर आपत्ति करता हूं। माननीय सदस्य ने यह बात कही है, क्या वह इस तरह की बात करते हैं कि मैं कागजात गायब कर दूंगा....

(व्यवधान)

आप मेरे साथ 30 वर्ष से हैं, क्या आप मेरा ऐसा चरित्र समझते हैं?

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बात पर घोर आपत्ति करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय ने माननीय सदस्य को यह कहा। इस तरह वह सम्बोधन करते हैं, क्या समझते हैं। क्या माननीय सदस्य माननीय मन्त्रियों के सबार्डिनेट होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आसन द्वारा सदस्यों का प्रोटेक्शन नहीं किया तो आगे भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि माननीय मन्त्री माननीय सदस्यों को इसी तरह डाँटते रहे ...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री पद पर रह कर ज्यादा जिम्मेदारी से आचरण करना पड़ता है। मैं मानता हूं कि राजस्व मन्त्री जी अपने आपको सर्वोच्च समझते हैं। लेकिन यह क्या हो रहा है? इस पर आप निर्णय दीजिए कि क्या मन्त्री महोदय का यह उचित आचरण है। जिसमें ये तो बुजुर्ग हैं ....

(व्यवधान)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

इसलिए कृपा करके माननीय मन्त्री जी को, माननीय उपाध्यक्ष जी, एडवाइस तो कीजिए कि आगे इस तरह का व्यवहार और आचरण न करें।

श्री रतनलाल वर्मा : सदस्य हैं 200 और मन्त्री हैं 20 एक-एक के पीछे दस-दस लग जायेंगे तो क्या होगा ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री हनवंतसिंह राणावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं जैतारण तहसील में गांव बेड गोचर जमीन पर, साढ़े बासठ बीघा जमीन पर इस अधिकारी ने अपने नौकर के नाम से फर्जी कब्जा कर रखा है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपनी चर्चा समाप्त करें। आप एक मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री हनवन्त सिंह राणावत : पांच मिनट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समय नहीं दूंगा।

श्री हनवन्तसिंह राणावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस साढ़े बासठ बीघा जमीन का कोई पता ही नहीं है, किस तरह गोचर भूमि को परिवर्तित कराया है अपने नौकर के नाम से ? मैंने प्रश्न भी पूछा था जिसका आपने जवाब दिया है, ' इस भूमि पर पुराना कब्जा दर्ज होने के मामले में रेकार्ड में रद्दोबदल करके फर्जी कार्यवाही करने के मामले में तहसीलदार जैतारण ने एक एफ.आई.आर. पुलिस में दर्ज करवाई हैं जिसका मुकदमा नं० 37/75 है।" उत्तर में सरकार ने माना है कि टेम्परिंग की है। जिन लोगों ने की है पटवारी और गिरदावर ने, उन दोनों का प्रमोशन हुआ है, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। वे दोनों श्रीमान् के रिश्तेदार हैं

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। माननीय रामकृष्णदास जी।

श्री हनवन्त सिंह राणावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात समाप्त कर लेने दीजिये ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हनवन्त सिंह जी के भाषण को रिकार्ड नहीं किया जाय।

× × ×

श्री सूरजपाल सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी अपने आपको बहुत ज्यादा मानते हैं लेकिन मैं उनकी बात को भी स्वीकार करता हूं और ये दोनों कागज पेश करता हूं, वे कार्यवाही करके दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा कि वे राजस्व मन्त्री हैं। जो फैसला है, उसको क्रियान्वित नहीं करवा सके। मैं ये दो कागज पेश करता हूं, आप क्रियान्वयन करके दिखा दें, मैं मान लूंगा कि आप राजस्व मन्त्री जी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे दिखा दें।

(व्यवधान)

× × × उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

208

(श्री उपाध्यक्ष)

आप कोई ग्रासन के माध्यम से पत्र देना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं कोई दस्तावेज देना चाहते हैं तो मुझे उनका निरीक्षण करा दें ।

माननीय रामकृष्णदास जी ।

श्री जगतार सिंह : उपाध्यक्ष जी, मुझे टाईम नहीं दिया :

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष जी, हालांकि जनता पार्टी के शासन और कांग्रेस के शासन में कोई फर्क नहीं है परन्तु जो यह महत्वपूर्ण मुद्दा आया उसमें राजस्व मन्त्री जी एवं उपनिवेशन मन्त्री जी, इन दोनों के अथक प्रयास के बाद पश्चिमी राजस्थान के कम से कम 50 हजार किसानों की जो मांग थी, जिनके कांग्रेस शासन ने 30 साल में, तीस साल तो क्या जिनके अधिकार छीन लिये थे और जो अकाल में रेगिस्तान में ही बसे और वहीं मरे, राजस्थान में सिंचित भूमि होने के बाद जिनके अधिकार छीने उस कांग्रेस शासन की गलती को ठीक किया, ठीक तो नहीं किया मगर इस तरह का संकेत दे दिया है और हाउस में घोषणा की है तो मैं अपनी ओर से, राजस्थान के उन हजारों किसानों की ओर से इन मन्त्री महोदय के प्रति आभार प्रकट करता हूं । यह एक हकीकत है । आपको मानना पड़ेगा कि इस काम को परसराम जी मदेरणा राजस्व मन्त्री होते हुए, किसानों के शुभ चिन्तक होते हुए और किसानों के भले की बात करते हुए भी, किसानों के हमदर्द होते हुए भी नहीं कर सके । यह हकीकत है कि गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर के हजारों किसानों को आप लोगों ने लूटा, उन लोगों को एक एक इंच जमीन के लिए मोहताज किया है । इन्हीं राजस्व मत्री जी और श्रम मंत्री प्रोफेसर केदार ने अपने अथक प्रयास के बाद राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर यह घोषणा की कि धारा 15-ए के जो अधिकार छीन लिए गए थे उनको पुनः दिया गया । यह सराहनीय कदम है, उसके लिए मैं पश्चिमी राजस्थान के हजारों किसानों की ओर से आपके प्रति आभार प्रगट करता हूं । यह काम अच्छा हुआ है । परन्तु मैं चाहूंगा, जैसी अफवाह उड़ रही है कि शराबबन्दी के मसले को लेकर मुख्य मंत्री महोदय ने अपना पद त्यागने की धमकी दी है इसके कारण सदन की कार्यवाही 2 अप्रैल के पहले पहले समाप्त होने वाली है । तो कहीं थोड़ी भी भूल हो गई, बिल आपने अभी तक पेश नहीं किया है क्योंकि प्रिन्ट हो रहा है, कहीं गवर्नमेंट चैंज हो गई तो आप लोगों के मन में ताजिन्दगी मलाल रहेगा कि एक अच्छा काम नहीं हुआ । मैं आपको बताऊं कि जब राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास भेजा कि तुम जाकर रावण से शिक्षा लो तो उसने यही कहा था कि अच्छा काम तुरन्त करो और बुरा काम पहले मत करो । मैं चाहूंगा, दो वर्ष व्यतीत हो गए, यह अच्छा काम है, आप लोगों से यह काम हो जाएगा तो हो जाएगा वरना गवर्नमेंट बदल गई तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है । वैसे सी पी. एम. के साथी हैं वे गंगानगर के किसानों के बड़े हितचिंतक हैं परन्तु मैं चाहूंगा राजस्व मंत्री जी, क्या हुआ आपकी उस घोषणा का कि जमीन किस की ? जो जमीन जोते जमीन उसकी । इस नीति को

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

आप कहां लागू कर रहे हैं। आप आधारभूत में भूमिहीन किसान की बात कर रहे हैं, मैं उस किसान की बात कर रहा हूं जिसके पास में लाभकारी जोत है नहीं। जमीन पर भार है, जन संख्या बढ़ रही है लेकिन जमीन नहीं बढ़ रही है। जब तक आप उस रिलेशन को, किसानों के और लैंडलोर्ड के बीच जो रिलेशन है, चैंज नहीं करेंगे तब तक आज भी मुझे सदन में कहने में कोई झिझक नहीं है कि....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की कार्यवाही मांगे पारित होने तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि मांगे पारित होने तक सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही का समय मांगें पारित न होने तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 8 व 41 पर विचार

श्री अयूब खां : दुकान पर जो मजदूर काम करता है उसके लिए भी कह दो कि दुकान उसकी। यह भी कह दीजिए।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय राजस्व मन्त्री, आपके....

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी कि माननीय सदस्य बोल रहे हैं भूमिहीन किसानों के बारे में, क्या पिछले भूमिहीन किसानों ने जो जयपुर में जमीनें दबा ली हैं और जो लोग पिछली बार इधर बैठे हुए थे जहां पर आज आप बैठे हुए हैं तो क्या वे जमीनें भी उनके पास ही रहेंगी या वापस मिल जायेंगी?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप बिराज जाइये। आप हाउस में अहसास कराना चाहती हैं कि आप पधार गई हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उनके दिल में जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना है उसकी पूर्ति के लिए अगर आपको अपने मन्त्री पद को त्यागना पड़े तो त्यागना चाहिए। आज आपको इस सदन में चैलेन्ज किया है....

श्री बालकृष्ण यानवी : ये तो जन्मजात मन्त्री हैं, उसको कैसे त्याग देंगे।

श्री मूलचन्द सामरिया : मन्त्री पद त्यागने के बाद में क्या कराना चाहेंगे इनसे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं पटवारी और तहसीलदार की बात नहीं करता, जब तक राजनैतिक सत्ता में ईमानदार व्यक्ति नहीं होगा, मिनिस्टर ईमानदार नहीं होगा

210

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

तब तक आपका अधिकारी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होगा। कांग्रेस के जमाने में, तीस सालों में राजनैतिक सत्ता ने अफसरों को कर्मचारियों को भ्रष्ट बनाया। अभी जैसा माननीय सदस्या जो जयपुर से आई हैं, ने कहा कि कांग्रेस सत्ता के भ्रष्टाचार के कारण अधिकारी भ्रष्ट हुए और उसी भ्रष्टाचार के माध्यम से पटवारी और दूसरे लोग भ्रष्ट हुए, तहसीलदार भ्रष्ट हुए। यह अलग कहानी है। मैं बेसिक बात करना चाहूंगा कि जब तक आप उस जमीन का इनसे सम्बन्ध स्थापित नहीं करोगे तब तक किसानों की समस्या हल नहीं होने वाली है। आज ट्रैक्टर होल्डर, बड़े बड़े लैंडलोर्ड्स, जिनके खेत हैं, जो शहरों में रहते हैं, जिनकी शहरों में कोठियां हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। सब तरह की बुराइयां उनमें हैं। उन लोगों को अगर आप किसान समझें तो इस समस्या का हल होने वाला नहीं है। जिसके हाथ में रात-दिन हल है, जो रात-दिन ठण्ड में खड़ा रह कर धोरों में पानी देता है, जिसने फसल काटी है उन किसानों को आपको किसान समझना पड़ेगा। आपको शहरी सम्पत्ति पर भी अंकुश लगाना होगा। आज गांवों के किसान लैंडलार्डस् हैं, उसके पास एक ही तरीका है कि अब जो जमीन जोते, जमीन उसकी। अगर आप इस नारे को एक्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको यह भी करना पड़ेगा कि मकान उसका जो मकान में रहता है, जो फैक्ट्री में काम करता है मजदूर उसका उसमें शेयर होना चाहिए। सामन्ती प्रणाली के खड़े हुए अवशेषों को अधिग्रहण करना चाहिये : तो, माननीय राजस्व मन्त्री महोदय, आपने गलती यह की कि आपने सबसे पहले गांवों की ओर मुंह कर दिया। पहले शहर की ओर मुंह अधिक करो। जब तक शहरों के अन्दर भेद-भाव है, शहरों में जो शोषक और शोषित समाज के बीच में फर्क है उसको दूर नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। किरायेदार को मकान तो दिया लेकिन जिस दिन आपने मजदूर को कारखाने में हिस्सेदारी दे दी....

श्री गुल मोहम्मद : इन्होंने तो यह किया है कि जिन दुकानों का किराया 16–17 रुपये महीना था उसको बढ़ा कर पांच सौ, छः सौ रुपये कर दिया है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपको तो एक ही काम है, क्यों इनको कोस रहे हो।

श्री गुल मोहम्मद : ये आ गये हैं शहर में, मैं यह कह रहा हूं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय मन्त्री महोदय, मैं चाहूंगा कि आप मन्त्रिमण्डल में मन्त्रीगणों का मानस बनायें, 31 तारीख के पहले-पहले शहरी लोगों को इनफ्लूएंस करने वाले कानूनों में आप चैंज करें....

श्री कौशल किशोर जैन : टाइम तो बहुत थोड़ा दिया आपने।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपकी स्पेसिफिक लॉबी है, You are advocating the tender lobby, यह आप कभी नहीं चाहोगे। आप बैठ जाओ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप पंचायतों के विषय पर भी कुछ कह दीजिए जल्दी से।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं यह कहना चाहूंगा कि आपसे गलती एक ही हुई है कि आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया और पहले धुंआ नहीं किया। आप धुंआ कर सकते हैं, शहरी लोगों की सम्पत्ति का अधिग्रहण पहले करें। अगर गांवों के किसान की सहायता करनी है तो जो जमीन खुद जोत रहा है उसी के पास वह रहेगी तो श्योपतसिंह जी के पास भी जमीन नहीं रहेगी····

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : इसीलिए श्योपत सिंह जी को सपोर्ट करते हो।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा इस सदन में आने के बाद में यह अनुभव हुआ कि चाहे भाई नूरा जी हों, चाहे भाई श्योपत सिंह जी हों और चाहे भाई परसराम जी मदेरणा हों, चाहे रामकृष्णदास हों, कोई भी अपनी जमीन को छोड़ना नहीं चाहता चाहे वह जमीन पर खेती करे या नहीं करे। इसलिए, मन्त्री महोदय मैं चाहूंगा····

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप फिर क्या कर रहे हो। आपकी बात का क्या मतलब है ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जो कानून लैंड सीलिंग का ग्रामीण जनता के लिए जारी कर रहे हैं मैं उसका समर्थक हूं, चाहे आपकी जनता पार्टी के मैम्बर साथ छोड़ दें लेकिन मुझे आप पीछे नहीं पाओगे। मैं आपको मन्त्रिमण्डल में तो नहीं रहने दूंगा····

श्री नवरंगसिंह : आप जैसे साथी रहेंगे तो मन्त्री पद पर तो कैसे रह सकते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : केवल आप ही साथ रहेंगे या आपकी पार्टी को साथ रखेंगे ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं इस पर इतना ही कह सकता हूं कि ये सब शहरी लॉबी के नेता हैं इसलिए मुझे बोलने नहीं देना चाहते हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : आप तो इतना बता दें कि आप सामन्त हो या समर्थ हो।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : चुप रहो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन ग्रामीणों की बिल्डिगों के बारे में कह रहा हूं। जिस किसान ने भूमि का विकास किया है, भूमि तोड़ी है, भूमि का विकास किया है, अपना खून पसीना बहाया है, अपनी सात पीढ़ी मिट्टी में मिलाई है, उस किसान से पांच बीघा के नाम पर जमीन लेना चाहेंगे तो निश्चित रूप से उसके दिल में टीस उठेगी।

आप भूल कर रहे हैं कि मन्त्रिमण्डल में आप हैं क्योंकि यह धूएं का मन्त्रिमण्डल है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जब तक मन्त्रिमण्डल में एक राय नहीं होगी। इस हाउस में आपको मालूम है, मैं आपका साथ दे रहा हूं, कोई आपका साथ नहीं देगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, अन्त में, समय कम है, इसलिये मैं चाहूंगा आप रेवेन्यू बोर्ड का

212

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

पुनर्गठन करें। यह कितनी विचित्र बात है कि आई० ए० एस० आफिसर, कलेक्टर के फैसले का निर्णय आर० ए० एस० अधिकारी करते हैं, यह एक एनोमली है। इसको आपने अब तक ठीक नहीं किया। रेवेन्यू बोर्ड में यह अपने आप में एक विसंगति है। इसके कारण से ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि आर० ए० एस० अधिकारी को आई० ए० एस० अधिकारी के फैसले को उलटने में हिचकिचाहट होती है क्योंकि उसने उसके नीचे काम किया है या कर रहा है। साथ में मेरा यह भी निवेदन है कि जुडिशियरी का सेपरेशन किया है। आज जुडिशियरी कोर्टस हैं आप 1–1 लाख की जमीनों के केसेज हैं, आज किसानों को राइट नहीं है कि उनमें दावा करें। एस. डी. ओ. के राइट्स को सैपरेट करके जो न्यायिक कोर्ट्स है, किसानों को अधिकार होना चाहिए कि वे एस. डी. ओ. कोर्ट में दावा न करके जुडिशियल कोर्ट में दावा करें। अगर आप एस. डी. ओ. के पावर नहीं छीन सकें तो एस. डी. ओ. के फैसले की अपील पहले डिस्ट्रिक्ट जज के पास होनी चाहिए, यह रेवेन्यू कोर्ट या हाई कोर्ट में जाने के पहले की प्रक्रिया है। आज हाई कोर्ट में सैकड़ों हजारों केसेज रेवेन्यू के पेंडिंग हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आज जिसको चीफ सैकेटरी नहीं बनाना है उसको रेवेन्यू बोर्ड का चैयरमेन बना देते हैं। सचिवालय में पद नहीं देना है तो रेवेन्यू बोर्ड का मैम्बर बना देते हैं तो वे अपनी ड्यूटी का अन्जाम सही ढंग से नहीं देते। आज अगर किसी अधिकारी की बाड़मेर, जैसलमेर बदली करते हैं तो लोग समझते हैं दण्ड दिया गया है। आई. ए. एस. का पनिशमेंट रेवेन्यू बोर्ड की मैम्बरी है। तो ऐसे मैम्बर्स से आप क्या आशा कर सकते हैं? आज रेवेन्यू बोर्ड में लिटिगेशंस बढ़ रहे हैं जो रूलिंग दी जाती है रेवेन्यू बोर्ड में उस में कांट्रेडिक्शन बढ़ रहा है। Revenue Board has become useless. तो एक तो मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ मत डालिये और दूसरे बोर्ड का पुनर्गठन कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम।

श्री गंगाराम चौधरी (गुढामालानी) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व के मामले में मेरे कुछ प्रस्ताव हैं। 1955 से लेकर 1960 तक राजस्थान में राजस्थान टिनेंसी एक्ट, और राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट और जागीर रिजंप्शन एक्ट बने। किसानों के ऊपर से बेगार, हासिल, लटाई हटी तो उसे नजात मिली, किसान अपने को खुशकिस्मत महसूस करने लगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, 20–22 साल का अरसा भी नहीं हुआ कि किसानों के सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्यायें पैदा होने लग गई हैं। वह सरकार की तरफ सन्देह की निगाहों से देखने लग गया है। उसकी सबसे बड़ी समस्या है, किसानों की होल्डिंग हर साल छोटी होती जा रही है, उसके कब्जे में जो खेती की जमीन है उसका क्षेत्रफल कम होता जा रहा है और उधर उसका परिवार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में 1970–71 में एवरेज होल्डिंग थी 5.45 और 76-77 में घट कर 4.65 आ गई यानि हर साल 0.872 राजस्थान में

(श्री गंगाराम चौधरी)

किसानों की होल्डिंग छोटी होती जा रही है। अगले दस सालों में अगर यही अनुपात रहा, आबादी का बढ़ना नहीं रुका तो उसके पास बहुत छोटी जमीन रह जायेगी। हालांकि पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बहुत बड़ा अन्तर है क्योंकि यह क्षेत्र कुछ बड़ा है लेकिन किसान की यह भावना है कि मेरा खेत छोटा होता जा रहा है और मैं भूमिहीन की परिभाषा में 2·4 वर्षों में आने वाला हूं। तो राजस्थान में भूमिहीनों की समस्या है। जिनके पास पहले से भूमि नहीं है, जो अन्त्योदय की स्थिति में है, उनके अलावा आने वाली समस्या यह है कि राजस्थान का साधारण किसान भी आने वाले वर्षों में भूमिहीन की परिभाषा मे आने वाला है। पश्चिमी राज. में जहां जहां पशु-पालक हैं वहां पर चरागाहों की एक बड़ी भारी समस्या है। राजस्थान सरकार के कई प्रकार के चरागाहों का रिजर्वेशन करने के लिये सर्कूलर आते हैं लेकिन इस समस्या पर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। आने वाले वर्षों में पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिये पशुपालन की भारी समस्या हो जायेगी।

राजस्थान सरकार को इसके लिए यह चाहिए कि राजस्थान राज्य में राजस्थान के किसान; चाहे वह पशु पालता हो या कृषि करता हो, का सर्वे करायें कि हर गांव के अन्दर रहने वाले हर किसान के पास कितनी भूमि है, आने वाले वर्षों में उसकी क्या स्थिति रहने वाली है, राजस्थान के अन्दर आने वाले वर्षों में भूमिहीन की परिभाषा में आने वाले कितने किसान होंगे और उनके लिए क्या योजना राजस्थान सरकार के सामने है।

अब मैं राजस्थान सरकार और राजस्व मन्त्रीजी के विचार के लिए कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं। अब समय आ गया है कि सारे राजस्थान को सेंट्रलाइज करके एक योजना, मास्टर प्लान, किसानों के लिए राजस्थान में बनायें। जो योजनायें हैं, चाहे वह राजस्थान कैनाल की हों या गंगा से जल लाने की हो या चम्बल प्रोजेक्ट की हो, उनमें यह देखें कि इन होने वाले भूमिहीन किसानों को कहां पर बसाया जा सकता है। इस प्रकार का एक मास्टर प्लान अपने यहां राजस्थान सरकार को बनाना चाहिए।

इन भूमिहीनों के सम्बन्ध में बात करते हुए मैं यह भी निवेदन करूंगा कि राजस्थान के किसान पर बीगोड़ी, लगान का बोझ कितना है। राजस्थान के किसान के सामने और दूसरी जो समस्या है वह यह है कि आने वाले वर्षों में एक एक करके न मालूम और कितने टैक्स उस पर लगने वाले हैं। यह भय भी अब किसान के दिमाग में उत्पन्न हो गया है। सर्वप्रथम मैंने कहा था कि सरचार्ज लगा रहे हैं तो उसकी समस्या पर अलग से बाद में कहूंगा। उसके पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि गत वर्षों में जो भी कानून बने हुए हैं, राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, उनमें प्रावधान करते हुए यह ख्याल नहीं किया जाता था कि किसान के ऊपर लगान के अलावा कोई और भी वजन बढ़ सकता है। पिछले वर्षों में भी और अब भी हम देखते जा रहे हैं कि किसान के ऊपर पंचायत का टैक्स, पचायत समिति का टैक्स, आदि इस प्रकार के

(214)

(श्री गंगाराम चौधरी)

करभार लग रहे हैं। बीगोड़ी, लगान से ग्राप राजस्थान में कितनी ग्रामदनी कर रहे हैं? राजस्थान दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में वैसे तो ग्यारहवें नम्बर पर ग्राता है लेकिन भू-राजस्व में राजस्थान का चौथा नम्बर है। राजस्थान में राजस्व ग्रौर बहुत सी स्टेट्स के मुकाबले में ज्यादा है। दूसरे टैक्सेज से लोगों की पर्चेजिंग कैपेसिटी कम हो रही है। इसके उपरान्त पहले भी यह प्रस्ताव लाया गया था राजस्व बढ़ाने का, टैक्स बढ़ाने का तो किसानों को ग्राश्वासन दिया गया था कि फाइनेन्स बिल में इस समय कोई संशोधन नहीं हो सकता है लेकिन यह सेस इस प्रकार से बढ़ाये हुए लगान पर नहीं होगा। किसान के ऊपर लगान एक साल में ही फिर बढ़ाया जाना ठीक नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, लगान को बढ़ाते समय यह भूल जाते हैं। कानून को देखा जाय तो जो प्रक्रियाग्रों का बेसिस इसके लिए बनाया है उसमें एक बात इन्होंने रखी है कि किसान के उपर डायरेक्ट टैक्स कोई दूसरा हो तो सबको सम्मिलित करते हुए उसकी प्रोड्यूस को देखते हुए उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ग्रारम्भ में जैसा कि मैंने कहा कि जो भी एक्ट बने हैं, जो भी कानून बने हैं, उनमें एक टैक्स को बढ़ाया है तो दूसरे जो टैक्स ग्रौर किसानों पर लगने वाले हैं वे उसके ऊपर डाइरेक्ट नहीं रखें। तो मैं यह निवेदन करूंगा ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करने वाला हूं।

इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि भूमिहीनों की समस्या काफी गम्भीर थी। बाड़मेर में काफी दिनों से भूमि का ग्रावंटन नहीं हो रहा था, वहां के भूमिहीनों कृषकों ने लिखा है। सारे राजस्थान की मांग जो भूमिहीनों की है उसका देखते हुए भी वहां पर शरणार्थियों को बसाने का प्रयत्न किया गया है। इस संबंध में मैं राजस्थान के राजस्व मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर के भूमिहीनों की संख्या कितनी है, बाड़मेर में भूमि कितनी उपलब्ध है, ग्रौर कितने शरणार्थियों को बसाया जा रहा है यह बतायें। शरणार्थियों को बसाने के बाद ग्रन्त्योदय योजना में चयनित परिवारों ग्रौर सारी योजना के लिए क्या बाड़मेर जिले के अन्दर भूमि उपलब्ध होगी? तो राजस्व मन्त्रीजी को सोचना चाहिए था पुनर्वास मन्त्री जी से सलाह करके, कि राजस्थान कैनाल पर पौंग डैम के ग्राउस्टीज को बसाया गया है तो इन शरणार्थियों को भी राजस्थान कैनाल पर बसाना चाहिए था। बाड़मेर में इतनी जमीन नहीं है। उनका भार बाड़मेर जिला वहन नहीं कर सकता है।

एक सिरोही जिले में गोठड़ा बान्ध है। वह 60-61 में मीडियम स्कीम में कमाण्ड एरिया घोषित किया गया है, लेकिन 30 गांवों में से तीन गांव सरहटी, गुलाब ग्रौर पावेड़ी ऐसे है कि जिनकी जमीन कमाण्ड में नहीं ग्राती है लेकिन उन पर बेटरमेंट चार्जेज लगाये जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में कई बार रिप्रेजेन्टेशन हुए हैं ग्रौर कई बार राजस्व मन्त्री ग्रौर मुख्य मन्त्री जी से उनका डेपुटेशन मिला,

(श्री गंगाराम चौधरी)

लेकिन अभी तक यह समस्या हल नहीं हो रही। यह बैटरमेंट लेवी उन गांवों पर नहीं लगाई जाय। मैं इसका एक उदाहरण दूंगा कि गांव पापेड़ी के अन्दर रेबारियों के घर हैं 40, उनकी वह जमीन बदकिस्मती से बन्दोबस्त हुआ था तो उसमें आबादी में दर्ज नहीं की गई और मिवाय चक में दर्ज हो गई।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और वह क्षेत्र कमाण्ड एरिया में आ गया। इसलिए जो नियमन के लिए कानून है उससे वह कवर नहीं हो रहे हैं। उन रेबारियों के 40 घरों को बेदखली का सामना करना पड़ रहा है इसलिए इनकी समस्या का हल किया जाय। सैटलमेंट में पहले से यह गांव आबादी में दर्ज हो रहा है लेकिन गलती से रिकार्ड में इन्द्राज नहीं हुआ इसलिए इस समस्या को दूर किया जाय। मैं इतना ही कह कर धन्यवाद दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजस्व मन्त्री।

श्री बत्तीलाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा नम्बर है। मैं सुबह से ही बैठा हुआ हूं। हमारा समय आता है तो समय समाप्त हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मुझे खेद है कि मैं ज्यादा समय नहीं दे सकूंगा।

श्री बहादुरसिंह (नौहर) : जो सूची दी गई है उसमें हमारा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम जरूर है लेकिन अन्त ही अन्त में है।

श्री बहादुरसिंह (नौहर) : एक मिनट बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये। मैं आपको समय नहीं दूंगा।

श्री बहादुरसिंह (नौहर) : यह हमारे साथ ज्यादती है।

श्री बत्तीलाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष, जब से यह सत्र प्रारम्भ हुआ है मुझे एक मिनट का भी समय नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बहादुरसिंह जी, आप बिराजिये। मैं कह चुका हूं बार-बार कि समय नहीं मिलेगा। सूची मेरे पास है। कृपया बिराजिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आपके डिस्क्रिशन कोटा में से मुझे दो मिनट का समय दें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये।

श्री हरजीराम बुरडक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

श्री बत्तीलाल मीणा : हमें रोज बोलने का समय नहीं मिलता है। हमारा इन 27 दिनों में एक दिन भी नम्बर नहीं आया है। माननीय उपाध्यक्ष, कितना अन्याय है। हम आपकी हर व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष, हम भी कुछ आशा रखते हैं। क्या हमारे क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये।

श्री बत्तीलाल मीणा : मैं जानता हूं। आप भी उसी क्षेत्र से हैं जहां से मैं आया हूं कई समस्याएं हैं। हम आसन की आज्ञा शिरोधार्य करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको धन्यवाद देता हूं, शिरोधार्य करते हैं तो।

श्री बत्तीलाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष, मैं बोल कर रहूंगा चाहे आप कुछ भी करें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं केवल एक ही शर्त पर आपको समय दे सकता हूं कि और कोई भी माननीय सदस्य बोलने का आग्रह नहीं करेंगे। माननीय सदस्य बत्तीलाल जी, कृपया बिराजिये। आपको अवसर दूंगा अगर और कोई माननीय सदस्य न बोलें।

(व्यवधान)

माननीय सचेतक, अपने साथियों को समझाएं।

माननीय बहादुरसिंह जी, आप बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

आप बार बार बोलना चाहेंगे यह ठीक नहीं है।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी तक नहीं बोला हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री गणेशलाल बैरागी (हिण्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्य ऐसे बिराज रहे हैं जिन को अभी बोलने का मौका नहीं दिया गया है। जो जबरदस्ती बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, उनको मौका दिया गया है। इस अनियमितता को ठीक करें अन्यथा क्या होगा। जैसे रामकृष्णदास जी ने उधर जाकर अपना घर बना लिया है, उसी प्रकार की स्थिति नहीं आनी चाहिए। मैं निवेदन करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग गांवों से आये हैं, वह अपनी बात कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

श्री बत्तीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट बोलूंगा।

श्री गणेशलाल बैरागी : इनको दो मिनट का समय दिया जाये।

श्री बत्तीलाल मीणा : मैं चैयर का सम्मान करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री बत्तीलाल मीणा : मैं दो मिनट बोलूंगा।

श्री गणेशलाल बैरागी : जो अभी तक बोले नहीं हैं आज 26 तारीख हो गई है, क्या वह अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री गणेशलाल बैरागी : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपकी शिकायत वाजिब हो सकती है। मैं कल की डिमाण्ड में आपके लिए अध्यक्ष महोदय से और सचेतक महोदय से निवेदन करूंगा कि कल इन माननीय सदस्यों को बोलने में प्राथमिकता दी जाये।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : किसानों की समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। आप ही केवल ग्रामीण क्षेत्रों के नहीं हैं।

(व्यवधान)

आप ऐसे सदस्य हैं, जो दो तीन डिमाण्ड पर बोल चुके हैं।

श्री बहादुरसिंह । मैं डिमाण्ड पर नहीं बोला हूं।

श्री बत्तीलाल मीणा : मैं नहीं बोला हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री नवरंगसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये तो ......

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, बत्तीलाल जी को समय दे दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बत्तीलाल जी।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके सचेतक महोदय से निवेदन करूंगा कि कल वह व्यवस्था करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं नहीं बोलूंगा तो माननीय राजस्व मन्त्री जी का भाषण अधूरा रह जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : बजरंगलाल जी. कृपया बिराजें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं डिबेट पर ज्यादा बोला भी नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप मन्त्री महोदय को बोलने दें।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : राजस्व मन्त्री महोदय को बड़ा अभिमान है। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं ......

(व्यवधान)

श्री गणेशलाल बैरागी : यह समझते हैं कि और कोई कुछ समझता ही नहीं है। ये बजरंगलाल जी हर बात में बोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बत्तीलाल जी।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता सरकार के साथ में नयी नयी आकांक्षाएं जनता में जागी हैं। उन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जो आपके विभाग से अभियान चालू हुआ है, वह प्रजातन्त्र के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं कि जिनके लिए हृदय में छाप रहती है। उपाध्यक्ष महोदय, जनता सरकार जितना ही काम को समझेगी बदलती हुई स्थितियों में वह समृद्ध होता दिखाई देगा। मान्यवर, जनता पार्टी ने काम के बदले अनाज की योजना आरम्भ की है। इसके अन्दर यह नहीं है कि जनता सरकार को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के द्वारा महात्मा गांधी के स्वप्नों को साकार करने की कोशिश की गई है। यह योजना राजनैतिक दृष्टिकोण से लागू नहीं की गई है। अगर ऐसा होता तो यह चुनाव से पहले ही लागू हो जाती। इसके पीछे महात्मा गांधी के कथन को स्वीकार किया गया है। यह ऊपर से नीचे की ओर न होकर नीचे से ऊपर की ओर होनी चाहिए। आज हम देखते हैं राजस्व अभियान अन्त्योदय योजना, और फूड फार वर्क, यह तीन ऐसी त्रिवेणी हैं, जो गांवों के अन्दर लोगों के हृदय में संचित हैं। मान्यवर, आसमान की बात छोड़कर अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करूंगा। मैं पंचायत मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उनको राजस्थान की जनता की भावना पर ध्यान देना चाहिए।

श्री नवरंग सिंह: इन्होंने कौनसी बात कही है। यह तो बेकार की बातें बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बत्तीलाल मीणा: विधायकों के पास एक ही काम रह गया है। गांवों में भविष्य में कौन सम्भावित केण्डीडेट है। सरपंच कौन होगा? उन पर तरह तरह के लांछन लगाये जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि उनके संरक्षण के लिए कार्यवाही की जाये। माननीय राजस्व मन्त्री जी के चरित्र पर मैं कोई लांछन नहीं लगा सकता हूं। लेकिन कुछ बातें हैं, जिनको मैं निवेदन करूंगा। आप समाजवादी हैं। आपकी दृष्टि में कलेक्टर और पटवारी समान हैं। 6-6 महीने फाइल आपकी टेबिल पर पड़ी रहती है। पटवारी का कहना माना जाता है। कलेक्टर का कहना नहीं माना जाता है। विधायक का कहना नहीं माना जाता है। एक मन्त्री के आदेश से सारे डिपार्टमेंट हिल उठते हैं। लेकिन 6-6 महीने फाइल नहीं पहुंचे। आप में और उनमें बड़ा भारी फर्क है। यह नहीं भूलें कि वह आई. ए. एस. हैं तो जन प्रतिनिधि बनने में भी करोड़ों रुपया खर्च होता है।

(व्यवधान)

हां, करोड़ों रुपया खर्च होता है। आप जानते हैं, इतने परिश्रम से चुनाव होता है। सरकार का पैसा भी बरबाद होता है। उस जनप्रतिनिधि को आप क्या समझते हैं। एक पटवारी की बात तो आप मान लेते हैं और जन प्रतिनिधि की बात नहीं मानते। समय बहुत कम है, मैंने चेयर से वायदा किया है। आप एक क्लर्क को दो-ढाई सौ रुपये देते हो और एक कंडेक्टर को डेढ़ सौ रुपया, उसका सिर झुक जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री बत्तीलाल मीणा)

आपकी साइकोलाजी है कि जोतों को कम किया जाय। जमीन कोई रबड़ नहीं है। आप किसान नहीं हैं, राजस्व मन्त्री जी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री बत्तीलाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है और मैं बहुत ज्यादा कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया बिराजिये।

श्री गणेशलाल बैरागी : मैं दो मिनट में ही अपने विचार रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री गणेशलाल बैरागी : केवल तीन पाइन्ट्स हैं, मेरे। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिण्डोली के पास एक रघुनाथपुरा गांव में फार्म है वह पूरा का पूरा सुखाड़िया परिवार के लिए एक ही दिन में अलॉट कर दिया गया। पटवारी, तहसीलदार और कानूनगो सब ही ने एक ही दिन में रिपोर्ट दे दी। आपने इसको गलत मानकर कहा था कि गरीब किसानों को दिया जायेगा। इसको लेकर आन्दोलन भी किया गया लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। मैं जानना चाहूंगा कि इस अलाटमेंट को निरस्त करके आप किस समय गरीबों में बांटने जा रहे हैं?

दूसरी बात यह है कि हिण्डोली और बूंदी तहसीलों में कई जमीनें ऐसी हैं जहां पानी नहीं है और कमाण्ड है, इसलिए इस असिंचित एरिया को डिकमाण्ड एरिया घोषित किया जाय। कई जमीनों में नहरें निकाली गई हैं उन पर लगान कम किया जाय, इसके अलावा.........

श्री उपाध्यक्ष : बस, तीन बातें हो गईं।

श्री गणेशलाल बैरागी : राजस्व अभियान के लिए मैं जनता सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्व अभियान गत साल 15 दिन चला था, उसमें सारे मामले नहीं निपटाये गये, हमने काश्तकारों को बताया कि अगले साल ज्यादा समय लगेगा। इस साल डेढ़ महीना मिला कई जगह विधायक शामिल हो सके। जहां पर विधायक नहीं पहुंच सके वहां पर भ्रष्टाचार बढ़ा। बून्दी के तहसीलदार के खिलाफ कितनी शिकायतें आई।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरे पास तस्दीक शुदाशपथ पत्र हैं, मुझ को 17 हरिजनों ने बताया और कहा कि तहसीलदार भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, दिन में शराब पीता है और रात में काले कारनामे करता है लेकिन मन्त्रीजी आपने कुछ नहीं किया। कई शपथ पत्र, उपाध्यक्ष महोदय

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय विधायक की बून्दी के तहसीलदार के बारे में क्या राय है, यह भी बता दें।

श्री गणेशलाल बैरागी : मैं यह निवेदन कर रहा था कि काश्तकारों ने

२२०

(श्री गणेशलाल बैरागी)

शपथ पत्र शपथ आयुक्त से तस्दीक कराकर दिये हैं कि तहसीलदार ने रुपये खाए हैं, माननीय मन्त्री महोदय इसका जवाब दें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हू। मैं आपकी अनुमति से सदन की मेज पर यह शपथ पत्र रखता हूं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बजरंगलाल जी, कृपया बिराजिये।

माननीय श्री हरजीरामजी बुरड़क—याचिका का उपस्थापन करेंगे।

भूतपूर्व जागीरदारों के नाम पर दिये जा रहे फर्जी पट्टे।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भूतपूर्व जागीरदारों के नाम पर दिये जा रहे फर्जी पट्टों पर रोक लगाने सम्बन्धी याचिका का उपस्थापन करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं

श्री उपाध्क्ष : क्या सदन की अनुमति कि आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृति)

आज्ञा दी गई।

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भूतपूर्व जागीरदारों के नाम पर दिये जा रहे फर्जी पट्टों पर रोक लगाने सम्बन्धी याचिका का उस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्क्ष : याचिका उपास्थापित हो गई। माननीय राजस्व मन्त्री जी।

मांग सख्या 8 व 41 पर विचार

श्री पुरूषोत्तम मन्त्री (राजस्व मन्त्री) :

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता हुई क्योंकि बड़ी बारीकी के साथ राजस्व विभाग की मांगों की ऊपर समीक्षा की गई माननीय सदस्यों के द्वारा। तीन बातें कॉमन हैं जिनका जवाब मैं पहले देना चाहूंगा। दो-तीन सैद्धान्तिक प्रश्न उठाये गये, एक सैद्धान्तिक प्रश्न जैसा कि माननीय रामकृष्णदासजी गुप्ता ने उठाया शहरों की सम्पत्ति का सीलिंग होना चाहिए उसके बाद गांवों में होना चाहिए। इस प्रश्न जिसको मैं सैद्धान्तिक प्रश्न तो नहीं मानता लेकिन कुछ सिद्धान्त निहित जरूर है। माननीय गंगाराम जी चौधरी ने उठाया, इन सवालों का जवाब-सीलिंग कानून के बारे में जो सन्शोधन पेश करने जा रहे हैं सरकार की ओर से उस वक्त देना चाहता था लेकिन चूंकि आज ये प्रश्न उठा दिये गए इसलिए संक्षेप में निवेदन करूंगा। माननीय रामकृष्णदासजी गुप्ता ने कहा है मैं, निवेदन करूंगा कि भारत जैसे अविकसित देश में, या यूं कहिये आज की शब्दावली में, विकासशील देश में एग्रीकल्चर इकानामी को क्या पार्ट अदा करना है, औद्योगिक अर्थ व्यवस्था कैसी हो सकती है, इसको माननीय सदस्य जानने की कोशिश करें। विकासशील देशों में कैसे आधुनीकरण राज्य का होता है इसके बारे में यहां के नहीं विदेशों के अर्थशास्त्रियों ने बड़ा चिन्तन किया है और वह चिन्तन यह है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अर्थशास्त्री ने लिखा है अपनी पुस्तक में जिसका नाम है 'प्रोब्लम्स ऑफ मोडर्नाइजेशन' उसने लिखा है कि

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका....

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह स्कूल नहीं है, हम कोई कालेज के छात्र नहीं हैं। आप स्पष्ट बात कहिये कि आप क्या करना चाहते हैं सरकार क्या करना चाहती है। तीस वर्ष हो गये सुनते-सुनते ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं यह निवेदन कर रहा था कि कुछ सवाल उठा दिये गये उसका जवाब देना मेरा कर्त्तव्य है। मैंने सारी बात सुनी। एक बात तो यह निवेदन कर दूं कि मेरी कुछ सीमा है बोलने की, मेरा मुंह सीमा से आगे नहीं खुल सकता माननीय सदस्यों का मुंह ज्यादा खुल सकता है। इसलिए मैं तो अपनी भाषा में ही जवाब दूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में शहरों की अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ बातें कही गई। इसलिए कुछ भ्रान्ति हो सकती है माननीय सदस्यों के दिमाग में। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था विकासशील देश की ठीक नहीं होगी तो उस देश का आधुनीकरण नहीं होगा। यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की राय है, यही विश्व बैंक की राय है, नाम में भूल गया। यही कारण है कि द्वितीय युद्ध में जापान ने जब समर्पण किया तो मैक आर्थर ने सबसे पहले आदेश निकाला कि जमीन का बंटवारा होना चाहिए। हालांकि पूंजीवादी व्यवस्था है लेकिन जमीन का बंटवारा उसने मिलिट्री कानून के जरिए करवाया। यही कारण है कि जर्मनी में जब हिटलर का पतन हुआ वहां के सोशल डेमोक्रेट के हाथ में हुकूमत आई.......

श्री किशनसिंह भाटी : क्या मेक आर्थर अर्थशास्त्री थे या सैनिक अधिकारी ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : नहीं उसने ऐसा किया क्योंकि वह.......

श्री किशनसिंह भाटी : वह आर्मी के जनरल थे, अर्थशास्त्री नहीं थे।

(व्यवधान)

श्री बजरंग लाल शर्मा : राजस्व मन्त्री व राजस्थान की जनता सरकार मैक आर्थरिज्म पर चल रहे हैं ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : जब तक ग्रामीण अर्थ व्यवस्था इस तरह की नहीं होगी, पुनः उद्धार नहीं होगा, तो देश का औद्योगीकरण व आधुनीकरण नहीं हो सकता। इसलिए जमीन की सीमा बांधने का जो माननीय रामकृष्णदास गुप्ता ने कहा है कि बड़े शहरों में सीमा बांधी जाए, यह ठीक नहीं है।

श्री उद्योत सिंह मकासर : इसका मतलब सीलिंग लागू नहीं की जाए।

श्री किशन सिंह भाटी : माननीय राम कृष्ण दास जी ने इतना ही कहा कि सोशलिजम मे इन्कम पर सीलिंग की जाए न कि लैंड की।

श्री रतन लाल वर्मा : शहरों की सीमा नहीं होगी और गांवों में हो जाएगी, करोड़ों रुपए के भवन पूंजीपतियों के पास रहेंगे.......

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय के विचार हैं, सुनिए। आवश्यक नहीं कि आप उन विचारों से सहमत हों।

श्री मूलचन्द सामरिया : बीच में दखल न दें।

श्री ओंकारलाल चोहान : पहले मन्त्रीजी सुन लीजिए। अगर शंका हो तो बाद में पूछा जा सकता है। Why His unnecessary Interruption ?

श्री रामकरण सिंह : तो यह माना जाए कि अभी स्पीच हो रही है, केवल विचार व्यक्त हो रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मेरे विचार हैं।

श्री रामकरण सिंह : लेकिन हम तो राजस्व मन्त्री के विचार सुनना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : हम राजस्व मन्त्री का भाषण सुनना चाहते हैं, हम थ्योरी नहीं सुनना चाहते।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : मंत्रीजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मेरे खुद के विचार हैं। आपके विचार सदन में नहीं चलेंगे, यह सदन सरकार का है, आम जनता का है। आप विचार ऐसे बता रहे हैं, जैसे पार्टी मीटिंग चौगड़ पर हो रही है। सरकार क्या करना चाहती है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिए।

श्री बजरंग लाल शर्मा : व्यवस्था का प्रश्न है। जब सरकारी उत्तर के लिए समय दिया जाता है उस समय व्यक्तिगत दर्शन पर्सनल फिलोसफी एक्सप्लेन करना क्या सरकारी उत्तर है ? यदि नहीं, तो सरकारी उत्तर के लिए जब समय दिया जा रहा है, माननीय सदस्यों को बोलने की छूट नहीं दी जाती है, क्या उसकी जगह किसी मंत्री को अपने विचार व्यक्ति करने की छूट देना उचित है ? Explicitly he, as a minister, has a right. कृपया तय करें।

(व्यवधान)

जनता पार्टी, जो विभिन्न घटकों की बनी है, अपनी-अपनी फिलोसफी साथ लेकर आई है। विभिन्न मन्त्रियों ने को सरकारी नीतियों को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल नहीं करके अपनी व्यक्तिगत फिलोसफी का प्रचार करना चालू कर दिया तो सदन में सरकार की स्थिति क्या होगी ?

श्री ओंकार लाल चौहान : माननीय सदस्य ने अभी कहा कि Hon'ble Minister is explaining his personal views. He has been as a Revenue Minister explaining the policy of the Government and he has also been explaining his difficulties as well as the past history and the experience.

श्री रतनलाल वर्मा : मन्त्रीजी कहते हैं कि मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। मैं कहता हूं कि व्यक्तिगत विच र नहीं हो सकते। ये यहाँ राजस्व मंत्री हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए। माननीय बजरंगलाल जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। जब तक मैं माननीय सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने के लिए न कहूं, कोई आवश्यकता नहीं कि उस पर अपनी राय दे। माननीय बजरंगलाल जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उचित है। मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं तो शासन पक्ष की ओर से वह उत्तर दिया जाता है। तो जनता पार्टी की कोई इकानामिक पोलिसी है जो सरकार ने स्वीकृत की है, अगर वह जानना चाहते हैं तो बता दें, बाकी निजी राय व्यक्त करना उचित नहीं है।

श्री श्योपत सिंह : मकासर एक और व्यवस्था का प्रश्न है। मन्त्री जी ने कहा कि मैकआर्थर–

श्री उपाध्क्ष : विराजिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैकआर्थर ने कहा कि जमीनों के टुकड़े करो औद्योगीकरण के लिए तो क्या उसने अमेरिका में ऐसा किया ?

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर देना आवश्यक नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : आपने जो निर्देश दिया है .

श्री मंजूर अली : आपकी व्यवस्था आ गई कि जहां तक जनता पार्टी और सरकार की नीति पर विचार करने का ताल्लुक है वह परसनल विचारों में नहीं आ सकता। सरकार की तरफ से जो जवाब आए–

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री जी ने शुरू में ही कहा है कि ये उनके निजी विचार हैं।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : इसी सिद्धांत को मानकर पहली पंचवर्षीय योजना में जमीन के बंटवारे के प्रश्न को लिया और इसी सिद्धान्त को मानकर जनता पार्टी ने अपना जो चुनाव घोषणा पत्र निकाला उसके अन्दर भी मान्यता दी। माननीय गंगाराम चौधरी ने कहा कि इस तरह का सर्वे किया जाए। मेरा निवेदन है कि यह बात नहीं मानकर चली जा सकती कि जो 80 प्रतिशत लोग काश्तकारी पर निर्भर करते हैं इस देश में, वे हमेशा काश्तकारी पर ही निर्भर करेंगे। इस देश का औद्योगीकरण नहीं हो सकता जब तक 80 प्रतिशत को घटाकर 35 प्रतिशत न किया ज ए। इसलिए जनता पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र में जमीन के दबाव को कम करने के लिए लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात कही।

इसके बाद मेजर फतहसिंह ने भीम के बन्दोबस्त के बारे में फर्माया है। जब भी वे मुझे मिले हैं मैंने निवेदन किया था कि उदयपुर के कलेक्टर साहब को बुलाकर बात करेंगे……

ी श्योपत सिंह मकासर : कलेक्टर उदयपुर कहिए, यह साहब शब्द मत जोड़िए सदन में।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : कलेक्टर उदयपुर को हर्ट ट्रबल हो गई जिसको वे जानते हैं। मैंने कहा तबीयत ठीक होने दीजिए। यदि बिना सैटलमेंट कराए भीम के रिकार्ड को दुरुस्त करा सकते हैं तो करा दिया जाएगा।

मेजर श्री फतहसिंह : नहीं, श्रीमान, यह सेटलमेन्ट 70 में हुआ है और 65 से 70 तक सैटलमेन्ट चला इसलिए दुबारा सैटलमेन्ट कराने की जरूरत नहीं है....

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : इसके बाद विधान सभा चालू हो गई इसलिये नहीं बुलाया गया।

मेजर श्री फतहसिंह : यह स्टेटमेन्ट दे रहे हैं मैं इसको चेलेन्ज करता हूं। आपसे क्षमा चाहता हूं। जब सन् 77 में तत्कालीन रेवेन्यू स्टेट मिनिस्टर श्री कैलाश मेघवाल ने जो मैंने समस्या उठाई उसके औचित्य को सरकार की तरफ से माना है। उसके बाद में एक जांच समिति की स्थापना हुई जिसकी रिपोर्ट 1977 में आ गयी। मैं जानना चाहता हूं कि डेढ़ वर्ष तक सरकार मन्त्री परिषद् रेवेन्यु कमिश्नर और सैक्रेटरी क्या करते रहे? मैंने 18–9–78 को पत्र लिखा है उसका जवाब 29–9–78 को दिया है कि मैं इसके ऊपर विचार कर रहा हूं। अभी तक 6 महीने हो गए विचार करते करते। कलेक्टर तब से ही बीमार हैं? कलेक्टर नहीं होंगे तो क्या होगा आप इसके ऊपर निर्णय कीजिए। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि मन्त्री परिषद् मुख्य मंत्री, राजस्व मंत्री और कोई भी अधिकारी इस समस्या को नहीं समझ रहा है, इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। श्री कैलाश मेघवाल ने इसके महत्व को समझा था। मैं तो यह कहूंगा कि इस समस्या को उनको सौंप दिया जाये वह इसका निपटारा करेंगे।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि विधान सभा का सत्र समाप्त होने के बाद ही इस समस्या का समाधान कर दिया जायेगा।

श्री नवरंगसिंह : विधान सभा सत्र समाप्त होने के 15 दिन के अन्दर अन्दर इस समस्या को सुलटा देंगे क्या?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : दूसरा प्रश्न यह भी उठाया गया कि कुओं से सिंचित भूमि का लगान नहीं लिया जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में जमीन की मालिक सरकार है। जो काश्त करता है वह तो लैण्ड होल्डर है, वह ओनर नहीं है। उसका जो महत्व है वह मुन्तकिल हो सकता है, उसे बेचा जा सकता है उसको विरासत में लिया जा सकता है लेकिन जमीन की सरकार मालिक है। जब जमीन की मालिक सरकार है तो इसका मतलब यह है कि जमीन के

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

ऊपर, जमीन के नीचे जो भी चीज है उसकी सरकार मालिक है । इसलिए सिंचित कुओं से हो या किसी से भी हो उसका लगान लिया जाता है । अब इसके बाद कौनसे कुओं से लिया जाये या नहीं, इसके बारे में कोई ठोस सुझाव देंगे तो उस पर विचार किया जा सकता है :....

श्री करतारसिंह : मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि कुओं को सरकार खुदवाती है या ...

श्री माधोसिंह (रेवदर) : कुओं के ऊपर किसानों ने पैसा लगाया है....

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मुझे बोलने दीजिए ...

श्री माधोसिंह....और आपने कुछ नहीं किया है इसलिए आपको अर्ज किया था ।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय विरोधी दल के नेता ने सबसे पहला सवाल उठाया और आपत्ति की कि 11 तारीख का जो नोटिफिकेशन है वह 22 को निकला । मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने शायद बजट ही नहीं देखा । यह 11 नवम्बर, 1978 का नोटिफिकेशन उसी दिन के गजट में प्रकाशित हुआ है । विरोधी दल के माननीय नेता चले गये वरना मैं उनको बता देता । दूसरा नोटिफिकेशन 10 नवम्बर को निकला था और वह भी उसी दिन के गजट में निकला है । मैं इन दोनों गजटों को उनको बताना चाहता था । लेकिन मेरा जवाब सुने बिना ही वह यहां से पधार गए । इसलिए उनका यह कहना कि सारी कार्यवाही जो राजस्व अभियान के अन्तर्गत की गयी वह कानून के विरुद्ध थी और इल्लीगल थी । मैं समझता हूं कि इस बात को देख कर वह अपनी आपत्ति वापिस ले लेते ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जो बैठे हैं उनको ही दे दो । जो चले गये हैं उनका जवाब दे रहे हैं और जो बैठे हैं उनका जवाब नहीं दे रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : जवाब रिकार्ड में तो रहेगा ।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : एक सवाल श्री परसराम जी मदेरणा ने यह उठाया कि पाकिस्तान से जो शरणार्थी आये हैं उनको वहीं पर क्यों बसाया गया है और इस कारण भूमिहीन और अल्पसंख्यकों को जमीन नहीं दी गयी । इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनको केवल बाड़मेर में ही नहीं बसाया गया है बल्कि जैसलमेर, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और राजस्थान कैनाल एरिया में भी बसाया जा रहा है । सबके लिए अलग अलग संख्या निर्धारित कर दी गयी है । वहां बसाया जा रहा है ।

एक बात और यह कहूंगा कि लड़ाई के जमाने में 1965 और 71 के बाद धारा 63 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट और धारा 64 के तहत इनकम्बेन्ट के सिद्धान्त को मानकर वह जमीन राज्य सरकार में निहित हो गई

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री)

उसके बावजूद भी डी. पी. ए. पी एरिया मान कर आवंटन या नियमन की कार्यवाही को रोक दिया गया। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कि यह सारी कार्यवाही रोके जाने की 1974 में जब श्री परसराम जी रेवेन्यू मिनिस्टर थे तब ही की गयी थी। सन् 1976 की एक मिसल का हवाला दिया और कहा कि उसमें ऐसी बात है। मैं उसको देख लूंगा। वहां के भूमिहीनों को राहत मिल सकती है तो वह जरूर दिलाने की कोशिश की जायेगी। इसके साथ ही सदन में यह आश्वासन भी देना चाहता हूं कि जो नेशनल पार्क की योजना है, डी. पी. ए. पी. की चरागाह की योजना है इसके बाद और जमीन रहती है तो वहां जो वास्तव में भूमिहीन हैं चाहे वह शिड्यूल्ड कास्ट्स के हों या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हों उनका कब्जा है तो नियमन करने की कार्यवाही पर भी विचार किया जायेगा।

कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि मैं जगह जगह यह भाषण दिया करता हूं और माननीय श्योदत्तसिंह जी ने यह बात ताने के रूप में कही कि मैं यह भाषण देता हूं जमीन उसकी जो जोते। मैंने सरकार की नीति की घोषणा गत सत्र में भी की थी लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में धारा 15(ए) और धारा 19(ए) के संशोधन के बारे में घोषणा की है। 15(ए) में 50 हजार किसान, जो बीकानेर, जैसलमेर बाड़मेर और फलौदी के भी हैं, को काश्तकारी अधिकार मिल जायेंगे और इसी तरह से धारा 19(ए) के तहत जो संशोधन बिल पेश किया जा रहा है उससे राजस्थान के लगभग 5 लाख आदमियों को खातेदारी अधिकार मिल जायेंगे जो कि जमीन जोत रहे हैं, लेकिन उप कृषक के तौर पर। यह कानून प्रेस में चला गया है, दो तीन दिन में सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया जायेगा। यह सही है कि जिस गति से कानून बनने चाहिए वह नहीं बन रहे हैं। इसको स्वीकार करता हू लेकिन उसके कई कारण हैं। कई स्टेजेज के ऊपर कानून का परीक्षण होता है। सरकार के सामने यह भी सवाल है कि एक स्पेशल आफिसर मुकर्रर किया जाये और राजस्थान टिनेन्सी एक्ट और लैण्ड रेवेन्यू एक्ट और रेवेन्यू के जितने भी कानून हैं–एक प्रस्ताव मैंने भेजा है कि उन कानूनों का सरलीकरण किया जाकर बहुत सी जो निरर्थक धारायें हो गई हैं उनको हटा दिया जाये और एक राजस्थान रेवेन्यू कोड बना दिया जाये। ऐसा प्रस्ताव सरकार के अभी विचाराधीन है। जो रेवेन्यू बोर्ड की आलोचना की गयी और दूसरी बातों की आलोचना की गयी उनके बारे में सरकार के सामने एक प्रस्ताव यह भी विचाराधीन है कि सारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पुनर्गठन किया जाये। इसके ऊपर बहुत सक्रियता से चिन्तन चल रहा है सरकार के सामने और थोड़े दिन बाद ही वह आपको मालूम हो जायेगा।

एक बात यहां कही गई है कई जगहों के लिए, नायब तहसीलों के बारे में कई आपत्तियां उठाई गई हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कुछ नायब तहसीलें कायम कर दी हैं। जो दूसरी सूची है वह थोड़े

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री)

दिनों में फिर प्रस्तुत कर दी जायेगी। इसमें किसी को कोई आपत्ति हो तो उस पर विचार किया जा सकता है।

जहां तक असिस्टेन्ट कलेक्टर्स का सवाल है, सत्ता के विकेन्द्रीकरण को दृष्टि से राजस्थान सरकार बहुत ही जल्द इस बारे में फैसला करने जा रही है कि कौन-कौन ए. डी. एम. को किस-किस जगह बैठाया जाये। एस. डी. एम. भवानी मण्डी में होना चाहिये, ए डी. एम. दौसा के अन्दर होना चाहिये। जैसा मैंने निवेदन किया, जिन्होंने यह चिन्ता व्यक्त की है, उनसे निवेदन करना चाहता हू कि जो पुनर्गठन इस रेवेन्यू विभाग का किया जावेगा उसमें इन सब बातों पर विचार किया जायेगा। थोड़े दिन इन्तजार करें, उनको सन्तोष मिलेगा।

एक बात माननीय परसराम जी ने नागोर में छात्रावास के बारे में कही।

श्री ईश्वरचन्द्र : तहसीलों का पुनर्गठन दो साल से कर रहे हैं। एस. डी. ओ. कोर्ट तो कायम कर दी जाती है। कौन जांच करेगा ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, जो विरोधी दल के नेता हैं, उन्होंने नागोर में छात्रावास के नाम से एक प्रश्न उठाया। मैंने यही कहा था कि सन् 76 में माननीय परसराम जी जब रेवेन्यू मिनिस्टर थे, 25 बीघा जमीन नागोर छात्रावास के लिए आवंटित की गई थी। उसमें उन्होंने शर्त रख दी थी कि एक साल में छात्रावास नहीं बनेगा तो यह आवंटन अपने आप निरस्त माना जायेगा। कालेज के प्रिन्सीपल हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हमको कालेज के लिये, छात्रावास के लिये जमीन की आवश्यकता है। दो साल में छात्रावास नहीं बना है। दो साल हो गये हैं। इसलिए यह जो आवंटन का आदेश है अपने आप निरस्त हो जाता है। उसको औपचारिक रूप से निरस्त किया जाये। मैंने औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया। फिर कांग्रेस के कुछ बड़े-बड़े नेता मेरे पास आये, मुझे चिट्ठी लिखी, मुख्य मन्त्री जी को चिट्ठी लिखी कि इस जमीन को आपने कैसे निरस्त कर दिया। मैंने कहा मैं जमीन देने को तैयार हूं पहले संस्था रजिस्टर्ड करवा ले और छात्रावास के लिए जितनी जमीन चाहिये उसका ब्ल्यू प्रिन्ट दे दें। पांच महीने हो गये उन नेताओं की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया।

श्री अब्दुल अजीज : जनता पार्टी के लीडर कुम्भाराम जी आये थे।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : जागीरदारी के मामले में एक सवाल उठाया गया। जो जागीरदार थे उनको जमीन दी गई। धारा 40 के तहत यह मामला पुनविचार के लिए रखा, मामला खुल गया। जिला चूरू के भुलाड़ा के मामले में जिनको आवंटन हो गया था, जागीर कमिश्नर ने निरस्त कर दिया और हाईकोर्ट ने उस निर्णय को कन्फर्म कर दिया। ऐसे दो मामले हैं ग्राम लाखेड़ा, सोनेल, जागीर आयुक्त के यहां उन्होंने वापस ले लिये। ग्राम शिमला के 10 मामलों में जागीर आयुक्त ने आवंटन निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट से बहाल हो

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री)

गए । रूपचंद माथुर वगैरह, दऊ दयाल गोस्वामी....

एक माननीय सदस्य : गुमानसिंह, आई० ए० एस० ।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : गुमानसिंह का इसमें नाम नहीं है ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपने जवाब में कहा था कि गुमानसिंह के खिलाफ भी केस चल रहा है....

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्वेश्चन आवर में कहा था....

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : आपने जवाब दिया था । आपने कहा था कि उनके खिलाफ इन्क्वायरी चल रही है ...

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं इन्कार नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य, सुनिये आप । यह 17 मामलों के अन्दर हाई कोर्ट के स्थान के आदेश हैं इसलिए उसकी कार्यवाही रुकी हुई है । जागीर आयुक्त के सामने पुनर्विचार के मामले, 5 मामले और चल रहे हैं । श्री गुमानसिंह का मामला 30 तारीख को मुकर्रर है जागीर आयुक्त के सामने, वहां पर फैसला होगा ।....

श्री श्योपतसिंह मकासर : पांच कौन-कौन से हैं ?

श्री कौशल किशोर जैन : मेरा सवाल स्पेसिफिक है ...

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : जवाब दे रहा हूं ।

श्री हरचन्दसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है । अभी मन्त्री महोदय ने 'यार' शब्द का इस्तेमाल किया है । अन पार्लियामेंट्री है ।

एक माननीय सदस्य : नये जिलों का पुनर्गठन किया जायेगा या नहीं ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : सुनो तो सही पूरी बात । माननीय श्री....

श्री बजरंगलाल शर्मा : इसको बन्द करवाइये । मांगे पास करवाइये मन्त्री महोदय भी छूटें, हम भी इस दिक्कत से बच जायें ।

श्री गुल मोहम्मद : डिमाण्ड पास करवा दीजिए, सब तैयार हैं ।

एक माननीय सदस्य : काश्तकार की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं बजरंगलाल जी ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराज जायें ।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय सदस्य श्री अजीतसिंह जी ने टोंक के बारे में जिक्र किया है, वहां के स्कूल के बारे में । रेवेन्यू विभाग का जो पुनर्गठन किया जायेगा, उसमें यह प्रश्न विचाराधीन है कि सारे राजस्थान के लिए एक रेवेन्यू एकेडमी की स्थापना की जाये । उसमें पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, और सैटलमेंट आफिसर्स का एक इन्टीग्रेटेड रोल हो, इस पर भी विचार किया जा रहा है ।

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री)

एक जो माननीय श्री हरचन्दसिंह जी ने प्रश्न यहां पर रखा था कि राजस्थान कैनाल में 110 इन्टेन्सिटी नहीं है, 78 पर्सेन्ट इरिगेशन की है। इसलिए सीलिंग के जो मामले खोले जा रहे हैं, मैं निवेदन करूं, 110 ही है 78 मान कर जो सीलिंग की गणना की गई है वह सही नहीं है। इसीलिए वह मामले पुनः खोले जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपने दो साल में क्या कार्यवाही की, इस पर भी रोशनी डालें। जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बजरंग लाल जी। आप कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अगर जवाब आ जाता तो पूछने की जरूरत नहीं होती। मोडीफाई एकार्डिंग टू दी सिचुएशन हो रहा है.......

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं.......

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपको चाहिए था कि दो साल में जल्दी लगवा कर फैसला करवा लेते लेकिन आप तो राजा-महाराजाओं की मदद कर रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष जी, जहां तक इन केसेज के जल्दी फैसले कराने का सवाल है दिल्ली के वकील राजस्थान सरकार की पैरवी कर रहे हैं। उनकी एक बैठक बुलाई गई थी और उसमें यह हुआ था कि अगर असली मुद्दे की बहस नहीं होती है तो जिरह की तारीख लगवा लें......

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय बजरंग लाल जी को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाय पैरवी करने के लिए।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय किशन सिंह जी भाटी ने जो सवाल उठाया था जैसलमेर का तो उसमें मेरा निवेदन है कि धारा 15 (ए) में संशोधन किया जा रहा है और खातेदारी अधिकार दे दिये जायेंगे सैकड़ों आदमियों को उससे राहत मिल जायेगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ये आदमियों के अलाटमेंट सदन में ही शुरू कर दिए।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय मूलचंद सामरिया और चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि जो कनवर्शन की दर जयपुर की तुलना में ज्यादा है, अगर नगर परिषद् से प्रस्ताव आयेगा तो जो रेट सरकार ने निर्धारित की उसमें विचार कर संशोधन कर सकते हैं। यह मैं आश्वासन दे सकता हूं।

(230)

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री)

एक सवाल डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं जो शिकायत की गई है, उसकी जांच क्लेक्टर नागौर कर रहे हैं, 10 दिन में कागज मंगा कर अगर शिकायत सही है तो उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : जैसे आपने तहसीलदार सिरोही को सस्पेन्ड किया उसी तरह....

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : हिन्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने बून्दी के कुछ कागजात पेश किये हैं तो इसकी जांच करवा कर अगर सस्पेन्शन का केस बनता है तो किया जाएगा। माननीय सदस्य श्योपतसिंह जी ने कहा जिनके मकान नहीं हैं उनको मकान दिये जाने चाहिए। अबकी बार राजस्व अभियान में यदि यह महसूस किया गया कि आबादी के विस्तार के लिए जमीन की आवश्यकता है तो पंचायत में प्रस्ताव पास करके जमीन उनको दे दी जाएगी...

(व्यवधान)

एक प्रश्न माननीय श्योपतसिंह ने यह उठाया कि सीलिंग के मामले में सब जगह बराबर कार्यवाही करनी चाहिए। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपके मार्फत इनसे कि सब जिलों में कोटा, पाली, नागौर, बून्दी, चूरू, सिरोही, जोधपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा आदि सभी जिलों में सीलिंग के केसेज पुनः खोले गये हैं। यह कहना कि हाई कोर्ट से फैसला हो गया और रेवेन्यू बोर्ड से फैसला हो गया। मैं यह कहना चाहता हूं राजस्थान सरकार का यह फैसला है और यदि सरकार को दिखता है कि जमीन में गड़बड़ी है तो सरकार उसको पुनः खोल सकती है, यह सरकार का अधिकार है।

एक माननीय सदस्य ने रघुनाथपुरा का मामला उठाया....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : कनवर्शन की बात कही लेकिन ईयर मार्क जो जमीन है उसके बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। 135 गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं। मैं समझती हूं बजट नोटिफिकेशन 31 तारीख को हुआ था। अगर इसमें बराबर डिले करेंगे तो पोस्ट खाली रहेगी। जमीनों का बेचान गलत तरीकों से होता जा रहा है। आज पंजाब में लीज मनी लिया जा रहा है, यू. पी. में लीज मनी लिया जा रहा है तो फिर आप ही...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप विराजें। माननीय गिरधारी लाल जी से जवाब दिलवा दीजिए....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे मालूम है यह समस्या तभी सुलझेगी जब लीज मनी का तय होगा....

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप यू. आई. टी. के चेयरमेन से खत लिखवा दें।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय सदस्या ने प्रश्न उठाया है कि ओ एस. डी. मुकर्रर नहीं हुआ। वहां पर नियुक्त हो गया है और वह कनवर्शन करता जा रहा है।

श्री रामकरण सिंह : जो माननीय मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं कि ओ. एस. डी. कार्यवाही करता जा रहा है। जो केडर में ऊंचा है उसने कायदे की बात लिखी है, रेवेन्यू कमिश्नर ने चिट्ठी लिखी है लेकिन एक भी मामला नहीं सुलझाया गया है। आप अपनी बात को ऐसे ढंग से उछाल देते हैं....

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो यही निवेदन किया है कि ओ. एस.डी मुकर्रर हो गया।

श्री गुल मोहम्मद : स्पीड बहुत स्लो है, उनसे कहें कि स्पीड बढ़ावें।

श्री पुरुषोतम मन्त्री : माननीय करतार सिंह जी ने एक आपत्ति उठाई कि जो राजस्व अभियान है उसमें एक तो तहसीलदार बहुत गड़बड़ी करता है। मैंने तहसीलदार के बारे में माननीय सदस्य से निवेदन किया था कि अगर ठोस प्रमाण होंगे तो उसके सस्पेन्शन की कार्यवाही की जा सकती है। ये सस्पेन्शन के लिये तो नहीं मगर तबादले के लिए जरूर दबाव डालते रहे हैं तो तबादला जरूर कर दिया जाएगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह सदन है या तबादला हाउस है। किसी भी अधिकारी के बारे में कुछ भी कह दें तो क्या आप उसका तबादला कर देंगे? सदन में इस तरह की बात मेरे ख्याल से कतई उचित नहीं है....

(व्यवधान)

फिर तो सदन को हम भी तबादलों के लिए यूज करेंगे। किसी अधिकारी के लिए कोई बात कहें और यहां तबादला करवा लें। सदन की गरिमा का ख्याल रखिये।

श्री हरचन्द सिंह : अध्यक्ष जी, बिना किसी आथोरिटी के 40-40 मुकदमों में वकालत नामा पेश किया है उसकी फोटो स्टेट कापियां हैं लेकिन उस तहसीलदार के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्या मन्त्री महोदय का यही जवाब है? मैं प्रमाण की बात करता हूं....

श्री माधोसिंह : मैंने तहसीलदार के खिलाफ चार्ज लगाया था....

श्री मनोहर सिंह मेहता : मंत्री महोदय, भ्रष्ट तहसीलदारों को संभालिये आप।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय हरचन्द सिंह जी ने जो बात कही, मैं कहना चाहता हूं कि अभी जांच की जा रही है, जांच रिपोर्ट नहीं आई है। जांच रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जावेगी।

श्री माधोसिंह : जिनको जमीन अलाट की थी उनको खारिज करके दूसरों को दिलाई गई है....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्री महोदय, मेरी बात का जवाब नहीं आया है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय सदस्य श्री मेघराज जी पंवार ने चूरू के बारे में जो वहां के सेटलमेंट के बारे में कहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मीटिंग हुई थी 20-1-79 को उसमें यह तय कर दिया गया था कि 35 गांव और 11 गांवों के अन्दर लगान की जो गलत तौर पर वृद्धि की गई थी वह वापस ले ली जावेगी और 25 पर्सेन्ट की रेट से जो लगान बढ़ या जाएगा वही लिया जाएगा। उससे वे संतुष्ट भी हो गए थे। उनसे यह तीन किश्तों में वसूल किया जावेगा इसके आदेश भी जारी कर दिये गये हैं।

श्री मेघराज पंवार : वे आदेश कैंसिल भी कर दिये हैं और एक मुश्त वसूल करने के आदेश दिये हैं। 306%, जो मैंने आपको बताये हैं वह आपकी लिस्ट में आते ही नहीं हैं।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न यह उठाया गया है कि जो गांव कमाण्ड एरिया घोषित कर दिये गए वहां पर पानी नहीं पहुचा है। तो ऐसे गांवों को डीकमाण्ड करने की कार्यवाही चल रही है इसका मैं आश्वासन देता हूं।

रहा सवाल भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार के बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, मैं यह मानता हूं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय, एक ही मकान को पांच पांच आदमियों को बेचा जा रहा है। आपकी देरी की वजह से गृह निर्माण समितियों के द्वारा। उनके अन्दर फर्जी तरीके से कार्यवाही की जा रही है, इसका कारण यही है कि आप कन्वर्शन का चार्ज ले रहे हैं। अगर आपके ओ. एस. डी. ने तुरन्त कार्य चालू नहीं किया तो....

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : ओ. एस. डी. की नियुक्ति तो कर दी है लेकिन उनकी स्पीड बहुत स्लो है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : हम अपने क्षेत्र की बात यहां पर करेंगे, कोई भी यू. आई. टी. का चेयरमेन हो, या एम. एल. ए. हो, कोई भी बना दिया गया हो, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे क्षेत्र की समस्या का सम्बन्ध सीधे मन्त्री महोदय से है। मंत्री महोदय क्यों नहीं हमारी समस्या का समाधान करते हैं ? मैं जानती हूं कि किस तरह की स्थिति हो रही है। मुझे कहना पड़ता है कि मंत्री महोदय को कर्त्तव्य की जानकारी नहीं और उसकी जानकारी कराना हमारा फर्ज है। मंत्री महोदय हमारे कर्त्तव्यों की जानकारी करके समस्या का समाधान करें।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा। कोई भी माननीय सदस्या या माननीय सदस्य बीच में इण्टरवीन करके कोई बात कहें और आप उनका उत्तर देंगे तो और भी ज्यादा आपको इण्टरवीन करेंगे।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय श्री कौशल किशोर जैन ने भंवर के अलाटमेंट के मामले का जिक्र किया। यह मामला राजस्थान

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री)

के रेवेन्यू विभाग से मुकदमा अदम पैरवी खारिज हो गया था। आज कल जो माननीय वित्त मंत्री हैं वह उस वक्त रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उस समय यह मामला अदम पैरवी खारिज हो गया था। उसको वापस नम्बर पर लाने पर भंवर ने राजस्थान हाई कोर्ट में रिट याचिका पेश की री-कंसीडरेशन के राजस्थान सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। उस पर डी. बी. में अपील दायर कर दी गई है और यह जेरेकार है।

एक सवाल दो जागीरदारों के मामले में उठाया गया। ये दो ही नहीं राजस्थान में कई ऐसे मामले हैं कि जिनमें जागीरदारों ने सीलिंग के मामले को लेकर जब यह देखा कि सीलिंग का कानून आने वाला है तो जागीरदारों ने ही नहीं दूसरे भूमिपतियों ने भी, जिनके पास सीलिंग से अधिक जमीन थी, बहुत सारी जमीन बेच दी। जब उनके सामने आप्शन का सवाल आया कि कौन सी जमीन सरप्लस, डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उन जमीन धारियों ने जो जमीन बेच दी थी उसको सरप्लस डिक्लेयर करने का आप्शन घोषित कर दिया और वह जमीन सरप्लस डिक्लेयर कर दी। उसके बारे में जो नियम हैं, उसके अन्दर संशोधन करना है जिस पर विचार कर रहे हैं। सवाल यह आता है कि जिनको अलाटमेंट किया जाएगा उनसे पैसा वसूल किया जाय या जो पहले भूमिधारी थे उससे पैसा लिया जाय। इस पर विचार किया जा रहा है और कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उनसे क्यों पैसा लिया जायेगा ?

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : नगर परिषदों के बारे में जो बात कही गई, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह भीलवाड़ा का मामला नहीं है अजमेर का भी मामला है, जोधपुर का भी मामला है और कोटा के भी कुछ मामले हैं। इस तरह के कई जगहों के मामले हैं। इन सारे मामलों पर सरकार विचार कर रही है कि कानून में क्या संशोधन किया जा सकता है। यह बात सामने आती है कि मास्टर प्लान के जो कानून बन गये हैं वे ब वक होते हैं। इन सारी बातों पर सरकार जल्दी ही निर्णय लेगी, यही कह सकता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं ....

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हनवन्तसिंह जी ने सी. डी. देवल के बारे में कहा। वह मामला खतम नहीं हुआ है, जांच जारी है और वह जांच चल रही है। उसमें कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : रिटायरमेंट से पहले तो निर्णय ले लेंगे ?

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद जहूर : जिन काश्तकारों की फसलें खतम हो जाती हैं, बर्बाद हो

(श्री मोहम्मद जहूर)

जाती हैं उनका लगान माफ नहीं किया जाता है। फसल खराब होने पर मुआवजा दिया जायेगा या नहीं, इसका जवाब दें। फसलें खराब होने पर भी अभी तक लगान वसूल किया जा रहा है....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : बोलने तो दो भाई।

श्री रतनलाल वर्मा : मैंने समझा आपने समाप्त कर लिया।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात माननीय हनवन्तसिंह जी ने जवाई बांध के बारे में कही कि किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है, उनके लिए राजस्व विभाग की बात थी कि जिनकी जमीनें नहरों के नीचे, सड़कों में आ गई हैं उसका मुआवजा दिया जाना चाहिये....

श्री हनवन्तसिंह राणावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समस्या यह नहीं थी। समस्या यह थी....

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप फिर से अपनी समस्या दोहरायेंगे ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : जवाब उल्टा दे रहे हैं।

श्री हनवन्तसिंह राणावत : समस्या यह थी कि जवाई बांध बना उसके पेटे में मेरे वहां के पांच गांवों की जमीन अन्दर आ गई, न उनको जमीन के बदले जमीन मिली, न मुआवजा ही मिला और न ही इस जमीन को खाली ही किया जाता है। उस पर गवर्नमेंट कल्टीवेटर का राइट मानती है या नहीं ? मेरी समस्या यह थी।

श्री मोहम्मद जहूर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने अपना उत्तर समाप्त नहीं किया है।

श्री रतनलाल वर्मा : राजस्व मन्त्री जी ने अजमेर जिले में सैटलमेंट कराने की घोषणा कर दी थी लेकिन आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया है, न कोई नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है, न ही कोई और कार्यवाही हुई है। क्या कारण है कि अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया और अब कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : अक्टूबर तक वहां स्टाफ चला जायेगा। अभी जहां सैटलमेंट करा रहे हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, अलवर यहां पर पार्टियां नियुक्त कर दी गई हैं भू-प्रबन्ध की और बाकी जगहों पर भू-प्रबन्ध अधिकारियों की पार्टियां नियुक्त करेंगे। अजमेर में अक्टूबर तक सारा स्टाफ चला जायेगा।

श्री मोहम्मद जहूर : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मैं निवेदन करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्व विभाग

(श्री मोहम्मद जहूर)

की मांग है, इसको पारित किया जावे इसके पहले....

श्री बालकृष्ण थानवी : मेरे प्रश्न का भी जवाब नहीं आया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्री महोदय, कन्वर्शन रूल्स के बारे में निवेदन किया है। काम नहीं हो रहा है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह जरूरी नहीं है कि हर समस्या का उत्तर देना ही चाहिये।

(व्यवधान)

माननीय पंचायती राज मन्त्री।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री मोहम्मद जहूर : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जवाब नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : जवाब दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। माननीय लड्ढा जी, कृपया बिराजें।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन तो सुन लें। जो लोग पहले बोल चुके हैं उनका जवाब दे दिया गया, हमारे कट मोशंस के बारे में पालिसी....

श्री उपाध्यक्ष : आपने कट मोशंस दिये हैं, उनका लिखित में उत्तर मिल जायेगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अगर इनको जवाब नहीं दिया गया तो जनता को क्या कहेंगे ?

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने अभी कहा कि कटौती प्रस्तावों का जवाब आपको मिल जायेगा। जब से डिमाण्ड्स चालू हुई हैं आज तक किसी मन्त्री महोदय ने कोई कटौती प्रस्ताव पर जवाब नहीं दिया जब कि कहते हैं जवाब मिल जायेगा। इससे ज्यादा क्या बात होगी। कब तक मिल जायेगा जवाब ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कटौती प्रस्तावों पर जवाब कब तक मिल जायेगा यह मालूम होना चाहिये।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : मेरे दो तीन छोटे-छोटे प्रश्न हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उनके लिए सरकार की क्या पालिसी है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुल मोहम्मद जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसके लिए मैं जानकारी ले रहा हूं। कटौती प्रस्ताव इस प्रकार के पहले भी प्रस्तुत किये गये थे। मैं इस सम्बन्ध में आश्वस्त करना चाहूंगा माननीय सदस्यों को कि प्रश्नों का जवाब लिखित में दिया जायेगा।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

236

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय ने जवाब समाप्त कर लिया है। कृपया बिराजें, आप।

(व्यवधान)

आपने जो कटौती प्रस्ताव रखे थे उनका लिखित में उत्तर मिल जाएगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय तो अपना जवाब समाप्त कर चुके हैं लेकिन मेरा निवेदन है 2-3 प्रश्नों के बारे में। मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको कोई भी प्रश्न रखने की अनुमति नहीं दूंगा। व्यवस्था के रूप में आप कुछ भी कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया भाषण देना बंद करें, कृपया बिराजें।

श्री दिग्विजयसिंह (सामुदायिक विकास मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास के ऊपर माननीय सदस्यों ने करीब 115 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। माननीय सदस्यों ने सामुदायिक विकास पर जो अपने विचार व्यक्त किये हैं वे मुख्यतः इस बात के हैं कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों का चुनाव कब तक होगा और अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर राज्य सरकार का क्या विचार है, पंचायतों को और अधिकार देकर सक्षम बनाया जाय और ग्रुप सचिवों की योजना पर राज्य सरकार की क्या नीति है। इसके साथ साथ काम के बदले अनाज योजना में ग्राम पंचायतों में जो काम हो रहा है उसमें कमियां और जो दोष रहे हैं, शिकायतें आई हैं उन पर मुख्य रूप से बातें कही गईं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारी पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता। एक बात जरूर कहूंगा कि पंचायती राज जब से स्थापित हुआ यह सब की इच्छा रही है कि हम पंचायतों को अधिक सक्षम बनावें। माननीय सदस्य इस बात से भी सहमत होंगे कि पंचायतों के चुनाव 13 वर्ष तक नहीं हुए इससे भी उनमें शिथिलता आई। जो पंचायत समितियों को कार्यक्रम दिया था 1959 में विकेन्द्रीकरण के बाद, उस समय पंचायत समितियों के हाथ में काफी काम था परन्तु न जाने किन कारणों से शनैः शनैः उनसे डवलपमेंट वर्क्स, एक्टिविटीज विथड्रा कर ली गईं और पंचायत समितियों का सिर्फ पोस्ट आफिस की तरह काम बन गया कि राज्य सरकार से पैसा ले लें और एक्सटेंशन आफिसर्स को पेमेंट कर दे। इसमें कोई शक नहीं कि पंचायत समितियों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। पंचायत समितियों की एक्टिविटीज नहीं के बराबर थीं इन सब बातों को देखते हुए और पंचायतों के चुनाव न कराने से भी इनके कार्यों में शिथिलता आई। जनता सरकार ने 1978 में पंचायतों के चुनाव कराये और चुनाव कराने के बाद जनता सरकार ने नई योजनाएं उनके हाथ में दीं। अब एक प्रश्न इस बात का उठाया जाता है कि पंचायतों और जिला परिषद् के चुनाव कब तक कराये जायेंगे। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी इस बात का निवेदन कर चुका हूं और इस सदन को आश्वस्त करना

(श्री दिग्विजयसिंह)

चाहता हूँ कि सरकार चुनाव कराने के सम्बन्ध में बिलकुल कोताही नहीं कर रही है, न डर रही है। हमारे सामने यही समस्या है जैसा कि माथुर साहब ने सुझाव दिया था और अशोक मेहता कमेटी ने कहा है टू टायर सिस्टम रखें या कई माननीय सदस्यों का जैसा विचार था कि थ्री टायर सिस्टम रख दें। इस सम्बन्ध में सेक्रेटरी लेवल की कमेटी में भी चर्चा हुई सिम्पोजियम रखा उसमें भी चर्चा हुई और अब यह मामला राज्य सरकार, मंत्रिमण्डल के समक्ष विचाराधीन है और भिन्न भिन्न प्रकार के विचार रखे गए हैं। एक यह भी विचार रखा गया है कि मण्डल स्थापित किए जायं। पंचायत समितियां रखी जायं, थ्री टायर सिस्टम रखा जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मण्डल पंचायतें हमारे राज्य में रखी जायं, इस सम्बन्ध में कई पहलू और कई विषय हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न यह है कि मण्डल पंचायतें स्थापित करते हैं तो पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या का अनुपात इस तरह का है, पश्चिमी राजस्थान में 60-70 मील में जितनी जनसंख्या मिलेगी, वही जनसंख्या अलवर भरतपुर में 10 मील में हो जायेगी और मण्डल गठित कर सकते हैं। इतना डिफरेंस हो जाता है। अगर उनकी बैठकें होने लगें तो मैं समझता हूं कि मण्डल पचायतों की बैठक नहीं हो पायेगी। दूसरा हमारे सामने प्रशासनिक पहलू भी है। पंचायत समितियों के भवन बने हुए हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट स्टाफ है उसको किस तरह मण्डल पंचायतों में कन्वर्ट करेंगे, कैसे सर्विस देंगे? इसलिये यह सारा मामला इतना सरल नहीं है जितना कि समझते हैं। मैं निवेदन कर सकता हूं, इसके साथ साथ हमारे पास में केन्द्र से भी····

श्री ईश्वरचन्द्र : कृपया निराकार निर्गुण उत्तर न दें, कुछ साकार, सगुण भी····

श्री दिग्विजय सिंह : केन्द्र से भी, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूं हम से पूछा गया है कि अशोक मेहता कमेटी पर राज्य सरकार की क्या राय है। मैं सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं इस सम्बन्ध में मन्त्रिमण्डल में विचार करके जो डिस्कशन हुआ है उनकी भावनाओं को साथ करके हम जल्दी ही निर्णय सेंटर को भेजेंगे।

दिल्ली की ऐसी मन्शा है कि सारे राष्ट्र में एक ही पैटर्न अडाप्ट कर लिया जाए तो ज्यादा उत्तम होगा। इसलिए आज की स्थिति के अन्दर मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि चुनाव कराने में हिचक नहीं है लेकिन किस प्रकार का ढांचा हो, क्या हो, इसमें थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष, मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पंचायतों में जो काम करवाया है, उसकी रिपोर्ट हमारे यहां पर आ गई हो तो वहीं पर भेज दी जाय तो निश्चित रूप से गाइडेन्स मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : मेहता रिपोर्ट में सब कुछ दिया गया है।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बीच-बीच में माननीय सदस्य बोलेंगे और

(श्री दिग्विजयसिंह)

सुनेंगे नहीं तो मैं उत्तर देने में असमर्थ रहूंगा। मेरा उत्तर सुन लें। उसके बाद जो कहना चाहे कहें। काम के बदले अनाज के बारे में आगे जो कहना है कहें, लेकिन पहले सुन लें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी के साथ-साथ यह निवेदन करना चाहता था कि सामुदायिक विकास विभाग द्वारा ग्रामों के अन्दर पेय जल के लिए हमने इस वर्ष 18 लाख खर्च किया है और अगले वर्ष के लिए 18 लाख का प्रावधान रखा है। दो हजार से कम आबादी वाले गांवों के अन्दर यह पैसा दिया जाएगा इसके अन्तर्गत उन जगहों पर जहां पर पानी की बिलकुल सुविधा नहीं है, पानी उपलब्ध नहीं है पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे ग्रामों के नाम पंचायत समितियों से मांगे गये हैं और उनके सलेक्शन के आधार पर आवंटन किया गया है। उनके ऊपर ही फैसला किया गया है। अगले वर्ष 18 लाख पेय जल के लिए प्रावधान रखा है।

इसी प्रकार से ग्राम विकास कार्यक्रम इसके साथ में लिया गया है। उसके अन्तर्गत 150 वर्ग गज के भू-खण्डों को आवंटन किया जाता है, ज्यादा कमजोर और छोटे वर्ग को किया जाता है। इसी प्रकार से ग्रामीण आवास योजना है जिसके अन्तर्गत 79-80 में हमने 25 लाख का प्रावधान रखा है, और इस वर्ष हमको जनरल लाइफ इन्श्योरेन्स से 60 लाख रुपया प्राप्त हो रहा है इस योजना के अन्तर्गत। वह ग्रामीण गृह योजना के अन्तर्गत खर्च किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ जो ग्राम पंचायतें हैं और ग्राम पंचायतों के लिए जैसा कि कहा गया है अधिक अधिकार उनको दिये जाने चाहिए और ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाना चाहिए, इस सम्बन्ध में मैं एक ही बात निवेदन करना चाहता हू कि जब से ग्राम पंचायतें बनी हैं ग्राम पंचायतों को 25 पैसा अनुदान के रूप में मिलता था और आज सरकार ने ढाई रुपया करने की घोषणा की है। उससे पहले उनको 53 लाख रुपया मिलता था और आज करीब 5 करोड़ रुपया राज्य-कोष से उनको हम दे रहे हैं। इसलिए यह कहना कि जनता सरकार ग्राम पंचायतों के प्रति उदासीन है, बिलकुल निराधार है, हम पंचायतों को और अधिकार देना चाहते हैं।

इसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि सरपंच और उनके भत्तों के बारे में हमने यह निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायतों के सरपचों को जो भत्ता 5 रुपये मिलता था उसको बढ़ाकर साढ़े सात रुपया किया है, और साढ़े सात रुपये करने का जो आदेश दिया है, वह, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए दिया है कि पचायत समिति के सदस्य होने के नाते पंचायत समिति में जो भत्ता मिलता है वही साढ़े सात रुपया इनको मिले। उनको पचायत समितियों से इक्वेट किया है ताकि उनके अन्दर भिन्नता न रहे।

जैसा कि, उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं ग्रामों के अन्दर भी भूमि की कीमतें बढ़ गई हैं, और भूमि की बिचौती के लिए ग्राम पंचायत को जो 200 रुपये तक अधिकार

(श्री दिग्विजयसिंह)

थे कि 200 रुपये की कीमत तक की भूमि को वह बेच सकती थी, उसके बाद 1 हजार रुपये तक पंचायत समिति और 5 हजार के लिए जिलाधीश को लिखा जाता था और 5 हजार से ऊपर की जो भूमि बिकती थी उसके लिए राज्य सरकार से स्वीकृति ली जाती थी। आज इस बात को देखते हुए कि ग्रामों में भी भूमि की कीमतें बढ़ती जा रही हैं राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यह 200 रुपये की सीमा कम है इसलिए 200 रुपये तक की सीमा को बढ़ाकर 1 हजार कर दिया है, वह 1 हजार रुपये तक की भूमि को बेच सकती है और 1 हजार से 5 हजार तक की भूमि बिकती है तो वह पंचायत समिति के स्तर पर होगा। उस स्तर तक उसकी परमिशन मिल जायेगी। 5 हजार से 10 हजार तक जो बिकती है उसकी परमिशन जिलाधीश से मिल जायगी और 10 हजार से ऊपर होगा तो राज्य सरकार के पास आयेगी। मैं समझता हूं कि सरपंच प्रावधान करने से वहां के सरपंच और पंचायतों को काफी हद तक सहूलियत मिलेगी, क्योंकि उसकी सेंक्शन लेने के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी सरपंच रहा हूं सेक्रेटेरियट के लेवल पर चक्कर लगाना पड़ता था। तो सरपंचों और उन लोगों को सुविधा देने के लिए, वहां पर इसका विकेन्द्रीकरण करने के उद्देश्य से, हमने यह कार्य किया है।

जहां तक माननीय सदस्यों ने एक सुझाव दिया है कि पटवारी को ग्राम पंचायतों के सरपंचों के अन्डर लाया जाय....

श्री ईश्वर चन्द्र : मंत्री महोदय ने रेपिडली तरक्की की है कि सरपंच से मंत्री बन गए।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं प्रधान भी रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, शायद भटनागर साहब जानते नहीं हैं कि मैं प्रधान भी रहा हूं और 10 साल तक विधायक भी रहा हूं। अब बना हूं मन्त्री तो।

इसी प्रकार ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाने की बात है, उसके लिए हम निश्चित तौर से विचार कर रहे हैं। पंचायतों के नीचे पटवारी को दिया जाय उस संबंध में मैं यह कहूंगा कि इसके ऊपर विचार करेंगे। राजस्व मंत्री जी से इस बात पर विचार करके इसकी योजना किस तरह से बैठ सकती है, हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। पटवारियों को सरपंचों के अन्डर में देने में एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज आ सकती है और रेवेन्यू में डिफिकल्टी आ सकती है....

श्री श्योपतसिंह मकासर : तनख्वाह रेवेन्यू से दिला दें।

श्री दिग्विजयसिंह : इसके साथ ही साथ अशोक मेहता कमेटी ने इस बात को रिकमण्ड किया है। यह सब बातों का मिला-जुला प्रश्न है इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि इसकी कोशिश करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से कई माननीय सदस्यों ने ग्रुप सचिव योजना के सम्बन्ध में बातें कही हैं। ग्रुप सचिव योजना के अन्दर इस बात को महसूस करता हूं कि ग्रुप सचिव योजना से ग्राम पंचायतों

(श्री दिग्विजयसिंह)

के स्तर पर कठिनाई आ रही है। कहीं पर 4-4 पंचायतों के बीच में एक ग्रुप सचिव है और कहीं 5 पंचायतों के ऊपर है और कम से कम तीन पंचायतों पर एक ग्रुप सचिव की नियुक्ति की है जिससे पंचायतों के डे-टू-डे वर्क में काफी बाधा उत्पन्न होती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैंने विचार किया है और काफी चिन्तन किया है। हम इस योजना को समाप्त करेंगे। मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि जहां तक इस योजना का प्रश्न है, मैं निश्चित तौर से इस बात से सन्तुष्ट हूं कि ग्रुप सचिव योजना को हमको समाप्त करना चाहिए और हम करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इसके ऊपर विचार किया था और इस वक्त हमारे पास 2358 ग्रुप सचिव हैं 17 जिलों के अन्दर तो जो हमारे पास ग्रुप सचिव हैं, एग्रीकल्चरल जिले हैं जिनके अन्दर वी० एल० डब्ल्यू० कुछ सिलेक्शन कमीशन से सलेक्ट हुए, लगे हुए हैं। इस प्रकार वह 1700 हैं। दूसरे डेजर्ट जिलों में वी० एल० डब्ल्यू० ग्रुप सचिव का काम कर रहे हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन इस बात का है कि जब हम ग्रुप सचिव की योजना समाप्त करेंगे तो 660 जो वी०एल० डब्ल्यू० हैं उनको तो ग्राम सेवक के पद पर लें सकते हैं। दूसरी रह गई समस्या उनकी हमारे सामने खड़ी जो सलेक्शन से आये हैं। वह क्लेम कर सकते हैं कि पंचायती राज में हमको नौकरी दी जाय।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान नहर पर भेजो।

श्री दिग्विजय सिंह : इस सम्बन्ध में हम विचार कर रहे हैं कि इनको किस प्रकार से पंचायती राज में एकोमाडेट करें। मैं विश्वास दिला सकता हूं कि ग्रुप सचिव योजना के बारे में अप्रैल के अन्दर निश्चित निर्णय ले लेंगे और मई में दूसरी योजना लागू कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत चर्चित काम के बदले अनाज की योजना के बारे में, विधान सभा में प्रश्नों के द्वारा पूछा गया है ...

श्री ईश्वर चन्द्र : श्रीमान्, काम के बदले नहीं, कयामत के बदले अनाज की योजना है। कई सरपंच गिरफ्तार हो रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : वह तो आप जैसा सोचें वैसा कहें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सबसे पहले तो इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि काम के बदले अनाज योजना जैसा कि मथुरा दास जी ने कहा है कि हम अनाज इकट्ठा कर गये थे उसको आपने काम में ले लिया। तो मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि हम उनको रोकने नहीं गये थे। आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके वह कर सकते थे।

एक माननीय सदस्य : मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि काम के बदले अनाज योजना में कितने सरपंच गिरफ्तार हुए हैं ?

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमने गेहूं का सदुपयोग किया है। इस

(श्री दिग्विजय सिंह)

योजना में 55,149 कार्य चालू किये गये हैं। उसके अन्दर 29,061 कार्य पूरे हुए। 26, 128 कार्य अभी बाकी है।

(व्यवधान)

55,149 कार्य लिये हैं। 29,061 कार्य पूरे कर चुके हैं जो ग्रामीण लोग हैं, उनकी इन कार्यों में रुचि है। यह इस बात का द्योतक है कि योजना को उन्होंने समर्थन दिया है। यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल आया है कि सरपंचों ने कई जगह इर्रेगुलेरिटीज की हैं। कई जगह गेहूं बेचा है। गेहूं का दुरुपयोग किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 55,149 काम लिये गये हैं। इन पूरे कार्यों में केवल 90 शिकायतें आई हैं। तो मैं समझता हूं कि इतने बड़े कार्य में इतनी शिकायतें आना कोई विशेष बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह तो आटे में नमक बराबर है।

श्री दिग्विजयसिंह : फिर भी, उपाध्यक्ष महोदय, हम इनकी इन्क्वायरी करवा रहे हैं। एक दो सरपंचों के खिलाफ पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज हुई है। जो सरपंच दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, इन शिकायतों में ऐसी शिकायतें भी हैं कि बी० डी० ओ० ने अमुक को ज्यादा अनाज दे दिया है। दूसरे को कम दिया है। जैसा कि समरथलाल जी ने कहा है इन शिकायतों में इस प्रकार की शिकायतें भी शामिल हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इसमें क्या बात है। जो काम करेगा, उसको मिलेगा।

श्री नवरंग सिंह : यह बात नहीं है श्योपतसिंह जी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा मिलेगा।

एक माननीय सदस्य : अनाज के बदले जेल भी मिलेगी।

श्री दिग्विजयसिंह : हमने 2,035 शाला भवन, 266 औषधालय भवन, 524 पंचायत घर, 3,834 सिंचाई के तालाब और 4,985 गांव पूरे हो गये हैं।
13,282 दूसरे काम पूरे हो गये है। 6,389 किलोमीटर सड़कों को पूरा किया है।

(व्यवधान)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : यह बिलकुल गलत तरीका है।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने इस बात के सवाल उठाये हैं, अमूमन इस बात को कहा गया था कि जो सड़कें कच्ची बनी हुई है, यदि वे कच्ची रहेंगी तो अगली बरसात में बह जायेंगी। तो मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए प्रावधान किया गया है।

(व्यवधान)

उनके लिए 9 करोड़ रुपया विविध विभागों से लेकर उनको पक्का करेंगे।

एक माननीय सदस्य : झूठ।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से काम के बदले अनाज योजना की मैंने मोटी मोटी जानकारी दी है। मैं निवेदन करूंगा कि इसके अन्तर्गत जो भी बातें कही गई हैं।

(व्यवधान)

वह अनाज के सम्बन्ध में कही गई हैं।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं मानते हैं। मैं इनके ×× रख दूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह : अनाज के सम्बन्ध में कुछ शंकायें व्यक्त की गई है। कहा गया है कि अनाज नहीं मिलेगा तो लोग भूखे मर जायेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने 2,39,250 मैट्रिक टन अनाज भारत सरकार से अलाट करा लिया है। इसी प्रकार से विशेष खर्चा करके 50 हजार टन और 40 हजार टन कम्युनिटी डवलपमेण्ट में मिलेगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई मजदूर भूखा नहीं रहेगा, सबको दिया जाएगा। जैसा कि श्रीमती सुमित्रासिंह ने कहा था, कुछ सड़कों के सम्बन्ध में, कई ऐसे कार्य हुए हैं। कुछ कार्य, उपाध्यक्ष महोदय, बिना मंजूरी के चालू करा दिये गये। जिनके बारे में कम्प्लेन्ट की गई हैं। उनके बारे में जांच की जा रही है। जांच के बाद उनके बारे में निर्णय लिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक न कह कर कुछ पंचायत समितियों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। कहीं कहीं पंचायत समितियां काफी बड़ी हैं। जैसा कि जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, बन्सीलाल जी ने भी कहा है। एक हनुमानगढ़ पंचायत समिति है। ऐसी राजस्थान में पांच छः पंचायत समितियां हैं। इसके सम्बन्ध में मन्त्रिमण्डल में पहले निर्णय हुआ था। पंचायतों का पुनर्सीमन अभी नहीं हुआ है। यह डीलिमिटेशन कमीशन निर्णय करता है। इसका राज्य सरकार से सम्बन्ध नहीं है। जैसा कि बन्सीलाल जी ने वामनवास के बारे में कहा था, यह डीलिमिटेशन-डिपार्टमेंट को भेजेंगे।

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानकारी चाहूंगा।

(व्यवधान)

×× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री किशनसिंह भाटी : पंचायत समितियों के जुरिस्डिक्शन....

श्री दिग्विजय सिंह : पंचायतों के हैडक्वार्टर के बारे में जो कहा गया है यह उपाध्यक्ष महोदय, एक सामूहिक प्रश्न है। अगर शिफ्ट करते हैं तो वहां जो भवन वगैरह बने हुए हैं, वह कहां जायेंगे। इसलिए इसके बारे में इतना ही कह सकता हूं कि हम इनको एग्जामिन कर लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात श्री कौशल किशोर जैन ने कही है कि काम के बदले अनाज योजना कहीं टैक्निकल स्टाफ की कमी के कारण असफल नहीं हो जाये। तो इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि पहले 9 जिलों में ए. ई एन. थे। अब 17 जिलों में ए. ई एन. उपलब्ध हैं। इस प्रकार से 75 ए. ई एन. काम कर कर रहे हैं। 143 की नियुक्ति कर दी है। उनमें से उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ने जोइन नही किया हैं। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि टैक्निकल असिस्टेंस से कोई काम रुकेगा नहीं।

जैसा माननीय मथुरा दास जी ने कहा कि ये आप प्लान के आधार पर लेंगें या कैसे लेंगे। इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और पहले भी मैंने कहा है कि हम भारत सरकार के स्तर पर प्रयत्न कर रहे हैं कि यह योजना जिस गति से चल रही है उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचे। उसके अनुसार जो आज की स्थिति हैं उसमें हमने 3.5 लाख मैट्रिक टन की मांग की है, वह हमको दी जाये ताकि अगले साल इस योजना को इसी प्रकार से चालू रख सकें। अन्त में मैं अधिक नहीं कहता हुआ....

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मन्त्री महोदय भाषण का अन्त कर रहे हैं, बाद में नहीं पूछ सकेंगे। जिन पंचायतों के चुनाव नहीं हो सके थे उनके बारे में क्या योजना है और वहां पर काम के बदले अनाज योजना के बारे में आपका क्या विचार है।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 17 पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे उनमें से 6 या 7 के हो चुके हैं और बाकी के भी 30 अप्रेल, 79 तक करवा दिए जाएंगे। कई ग्राम पंचायतों के लिए स्थगन आदेश आ गये इसलिए उनमें चुनाव नही करवाये जा सके। दूसरी बात चुनाव, चुनाव विभाग के जरिए कराये जाते हैं, हम उनको लिखकर भेज देते हैं।

(व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : जिन पचायतों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है वहां भी तो आपको काम कराना चाहिये।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक ग्राम पंचायत ने वोटिंग नहीं किया, इसमें हमारा दोष नहीं है और न आपका। चुनाव अधिकारी वहां पहुंच गये थे, तारीख निश्चित कर दी गई थी, उन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया। इसमें किसी का दोष नहीं है।

श्री नवरंग सिंह : मेरा निवेदन है, मन्त्री महोदय, वहां भी काम चालू होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, काम के बदले अनाज योजना के तहत पीने के पानी का काम चल रहा है, पी.डब्ल्यू.डी. के तहत जो रेट्स दी जा रही है उसके अनुसार 2 रु. और आते हैं, फिर भी तीन-तीन महीने तक पेमेन्ट नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में आपकी क्या नीति रहेगी ?

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह इश्यू पहले भी आया था कि तीन किलो अनाज दिया, या 4 किलो अनाज दिया। इस सम्बन्ध में हमने जानकारी की थी। ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, जितने समय तक वे काम करते हैं उसी हिसाब से उनको दिया जाता है। हमने बी. एस. आर. के हिसाब से चुकारा करने के आदेश दे दिये हैं। अगर माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक मामला मेरे सामने लायेंगे तो उसके बारे में कार्यवाही की जा सकती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं पंचायत समिति मांडल का उदाहरण दे सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूं कि जो प्रचलित दर है उसी के हिसाब से दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि विकास अधिकारी अपने खुद के विकास के लिए ही काम करता है या जनता के विकास के लिए उसको रखा जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके जिले में ही बी. डी. ओ. ने कांग्रेस सैशन में 16,72,308 रु० का गबन किया, उसकी कम्पलेन्ट भी की गई, उस पर आपने क्या एक्शन लिया ?

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि सामुदायिक विकाश की मांगों को पारित किया जाय।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : प्राथमिक शालाओं में कहीं पर 50, कहीं पर 40 और कहीं पर 60 विद्यार्थी हैं। वहां पर अध्यापकों की कमी है, यह आप कब तक व्यवस्था कर देंगे।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मौजूदा स्टेज थी वह आठ दस साल पहले के टीचर्स की है। पहले चालीस स्टूडेन्ट्स पर एक टीचर था वहां आज सौ स्टूडेन्ट्स गए हैं, इसलिए टीचर्स की कमी होना स्वाभाविक है। इस सम्बन्ध में हमने सभी पंचायतों से जानकारी मांगी है और उनको कितने टीचर्स की आवश्यकता है, वह आ जाने पर हम शिक्षा विभाग को इसकी व्यवस्था करने के लिए लिखेंगे और इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी।

(व्यवधान)

मांग संख्या 8 व 41 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया विराजिये ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8–राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,56,19,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41–सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 41,34,38,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 27 मार्च, 1979 को प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 10.08 बजे मंगलवार, दिनांक 27, मार्च' 1979 को म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं 557 की सूची)

जिला	तहसील	कुल समस्या ग्रस्त ग्राम
1	2	3
1. सवाई माधोपुर	महुवा	129
	टोडाभीम	78
	हिंडौन	63
	नांडोवी	61
	वामनवास	67
	गंगापुर	62
	गरोली	130
	संपोटरा	66
	मलारनाछोर	156
	सवाई माधोपुर	124
	खण्डार	67
	कुल	1003
2. सीकर	फतेहपुर	100
	लक्ष्मण गढ़	123
	सीकर	146
	रामगढ़	86
	नीम का थाना	65
	श्रीमाधोपुर	80
	कुल	600

1	2	3
3. जयपुर	आमेर	119
	बराड	69
	बसवा	144
	बस्सी	143
	चाकसू	230
	दौसा	140
	दूदू	120
	गोविन्दगढ़	48
	जमवारामगढ़	150
	झोटवाड़ा	97
	जोबनेर	101
	कोटपूतली	71
	लालसोट	183
	फागी	111
	सांगानेर	182
	साहपुरा	19
	सिकराई	97
	कुल	2024
4. कोटा	पीपल्दा	89
	दिगोद	85
	मगरोल	36
	बांरा	52
	किशनगंज	149
	शाहबाद	88
	लाडपुरा	59

1	2	3
	रामगंजमण्डी	108
	संगोद	34
	अटल	24
	छिपाबड़ौद	18
	छबड़ा	57
	कुल	799
5. चित्तौड़गढ़	रासमी	44
	गंगरार	41
	कपासन	70
	भादेसर	43
	निम्बाहेड़ा	16
	छोटी सादड़ी	16
	बड़ी सादड़ी	23
	डूंगला	40
	चित्तौड़गढ़	147
	बगू	73
	प्रतापगढ़	118
	कुल	631
6. नागौर	लाडनूं	96
	डीडवाना	148
	जायल	108
	नागौर	205
	नांवा	114

1	2	3
	डेगाना	166
	परबतसर	198
	मेड़ता शहर	170
	कुल	1205
7. अलवर	बहरोड़	180
	मण्डावर	112
	किशनगढ़	180
	तिजारा	136
	बानसुर	98
	अलवर	288
	थानागाजी	50
	राजगढ़	144
	लक्ष्मणगढ़	227
	कुल	1385
8. बांसवाड़ा	गढ़ी	165
	कुशलगढ़	390
	बागीडोरा	255
	घाटोल	310
	बांसवाड़ा	319
	कुल	1439
9. बाड़मेर	बाड़मेर	365
	पचपदरा	147

250

1	2	3
	शिव	83
	चोहटन	142
	सिवाना	74
	कुल	811
10. भरतपुर	नगर	141
	भरतपुर	84
	डीग	48
	नन्दवई	81
	कांमा	157
	सेवर	116
	रूपवास	99
	बियर	97
	बयाना	177
	धौलपुर	59
	राजाखेड़ा	110
	कुल	1163
11. भीलवाड़ा	आसींद	173
	हुडी	60
	साहपुरा	101
	जहाजपुर	168
	माण्डल	89
	बनेड़ा	62
	सुवाना	59

1.	2	3
	रायपुर	52
	सहाड़ा	90
	कोटड़ी	82
	माण्डलगढ़	153
	भीलवाड़ा	15
	कुल	1108
12. बीकानेर	बीकानेर	137
	लूनकरणसर	142
	कोलायत	140
	नोखा	19
	कुल	538
13. बून्दी	हिण्डोली	77
	बूंदी	145
	केशोरायपाटन	99
	नैनवा	76
	कुल	397
14. चूरू	तारानगर	85
	राजगढ़	178
	सरदारशहर	161
	चूरू	87

1	2	3
	डूंगरगढ़	81
	रतनगढ़	84
	सुजानगढ़	43
	कुल	819
15. डूंगरपुर	आसपुर	139
	सागवाड़ा	262
	डूंगरपुर	424
	कुल	825
16. जैसलमेर	जैसलमेर	324
	पोकरण	108
	कुल	432
17. जालौर	जालौर	91
	आहोर	102
	जसवंतपुरा	165
	सांचोर	117
	कुल	475
18. झालावाड़	खानपुर	153
	झालरापाटन	159
	अकलेरा	129

1	2	3
	पचपहार	76
	पिड़ावा	36
	गंगधार	10
	कुल	563
19. गंगानगर	करनपुर	150
	पदमपुर	140
	सादुलपुर	49
	गंगानगर	176
	सांगरिया	44
	टीब्बी	60
	हनुमानगढ़	84
	रायसिंह नगर	178
	सुरतगढ़	386
	नोहर	151
	भादरा	105
	अनूपगढ़	156
	कुल	1679
20. झुन्झुनू	चिड़ावा	166
	झुन्झुनु	207
	खेतड़ी	192
	उदयपुर वाटी	127
	कुल	692

1		2	3
21.	जोधपुर	फलौदी	121
		ओसियां	127
		शेरगढ़	90
		जोधपुर	190
		बीलाड़	155
		कुल	683
22.	पाली	पाली	134
		बाली	73
		रायपुर	70
		देसुरी	89
		जैतारण	25
		खरची	7
		सोजत	8
		कुल	598
23.	सिरोही	शिवगंज	51
		सिरोही	60
		पिण्डवाड़ा	76
		आबूरोड	62
		रेवदर	87
		कुल	336

1	2	3
24. टोंक	मालपुरा	71
	निवाई	110
	टोडारायसिंह	48
	टोंक	107
	देवली	77
	ऊणीहारा	90
	कुल	503
25. अजमेर	अजमेर	184
	किशनगढ़	126
	सरवाड़	77
	केकड़ी	126
	ब्यावर	275
	कुल	808
26. उदयपुर	भीम	82
	देवगढ़	107
	आमेट	117
	कुम्भलगढ़	145
	गोगुन्दा	148
	राजसमन्द	115
	रेल मंगरा	90
	नाथद्वारा	173
	मावली	123
	भलभनगर	223

1	2	3
	गिरवा	185
	कोटड़ा	189
	फलासिया	159
	लसाड़िया	170
	सराड़ा	122
	सलुम्बर	167
	खेरवाड़ा	206
	कुल	2521

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 558 की सूची

स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार II श्रेणी की नगर पालिका में जे. इ एन. का पद स्वीकृत है।

क्र०सं०	नाम नगर परिषद/पालिका	कनिष्ठ अभियन्ता का पद स्वीकृत
1	2	3
1.	नगर पालिका किशनगढ़	1
2.	नगर पालिका बालोतरा	1
3.	नगर पालिका बाड़मेर	1
4.	नगर पालिका बांसवाड़ा	1
5.	नगर पालिका धौलपुर	1
6.	नगर पालिका बून्दी	1
7.	नगर पालिका चित्तौड़गढ़	1
8.	नगर पालिका प्रतापगढ़	1
9.	नगर पालिका रतनगढ़	1
10	नगर पालिका सुजानगढ़	1
11.	नगर पालिका सरदारशहर	1
12.	नगर पालिका डूंगरपुर	1
13.	नगर पालिका हनुमानगढ़	1
14.	नगर पालिका रायसिंह नगर	1
15,	नगर पालिका जैसलमेर	1
16.	नगर पालिका झालावाड़	1
17.	नगर पालिका झुंझुनूं	1
18.	नगर पालिका नवलगढ़	1
19.	नगर पालिका बारां	1
20.	नगर पालिका लाडनूं	1
21.	नगर पालिका मेहता सिटी	1
22.	नगर पालिका नागौर	1
23.	नगर पालिका गंगापुर सिटी	1
24.	नगर पालिका हिण्डौन	1
25.	नगर पालिका करौली	1

1	2	3
26.	नगर पालिका सवाई माधोपुर	1
27.	नगर पालिका फतेहपुर	1
28	नगर पालिका आबू रोड़	1
29.	नगर पालिका सिरोही	1
30.	नगर पालिका जालोर	1
31	नगर पालिका माउन्ट आबू	1
32.	नगर परिषद उदयपुर	2
33.	नगर परिषद चूरू	1
34.	नगर परिषद टोंक	1

259

क्र सं.	नाम नगर परिषद व पालिका	नगर परिषद में सृजित सहायक अभियन्ता के पदों की संख्या
1	2	3
1.	नगर परिषद ब्यावर	1
2.	नगर परिषद अलवर	1
3.	नगर पलिका बांसवाड़ा	1
4.	नगर परिषद बीकानेर	1
5.	नगर परिषद भीलवाड़ा	1
6.	नगर परिषद भरतपुर	1
7.	नगर पालिका बून्दी	1
8.	नगर परिषद चूरू	1
9.	नगर परिषद श्री गंगानगर	1
10.	नगर परिषद जयपुर	5
11.	नगर परिषद जोधपुर	2
12	नगर परिषद कोटा	2
13.	नगर पलिका पाली	1
14.	नगर परिषद माउण्ट आबू	1 (पद रिक्त है, नगर परिषद को अभी ए. ई एन. की आवश्यकता नहीं है)

1	1	3
15.	नगर परिषद टोंक	1
16.	नगर परिषद उदयपुर	2
17.	नगर परिषद सीकर	1
	योग	24

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

जोधपुर इन्जीनियरिंग कालेज में बढ़ी हुई सीटों में छात्रों की भर्ती

560. श्री चुन्नी लाल (खण्डार) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जोधपुर इन्जीनियरिंग कालेज में 1978-79 के लिये 55 सीट्स बढ़ाने हेतु राजस्थान सरकार ने आदेश प्रसारित कर दिये हैं। किन्तु छात्रों को भर्ती नहीं किया गया है? यदि भर्ती कर लिया गया है तो किस विधि से? यदि भर्ती किया जाना है तो कब तक तथा देरी क्यों बरती जा रही है? इन बढ़ी हुई सीट्स पर छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के अवसर को रोका जाना देश के हित में कहां तक उचित है?

उत्तर

जी हां। किन्तु मैरिट के आधार पर भर्ती केवल 25 छात्रों को किया गया।

राजस्व मण्डल को निगरानी का अधिकार

561. श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ामालाजी): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 83 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित निगरानी के अधिकार राजस्व मण्डल को डेलीगेट किये हुये हैं? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार उपरोक्त निगरानी के अधिकारों को राजस्व मण्डल से पुनः अपने पास लेने जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) ये अधिकार दिनांक 22 अगस्त 1972 को विज्ञप्ति जारी कर राजस्व मंडल को डेलीगेट किये गये थे।

(2) इन अधिकारों को राजस्व मण्डल से वापिस लेने के लिए सुझाव राज्य सरकार के पास आये हैं जो विचाराधीन है।

सुजानगढ़ की पानी निकासी की योजना

562. श्री रावत राम (सुजानगढ़) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा सुजानगढ़ (जि. चूरू) के लिए पानी के

(श्री रावत राम)

निकासी की योजना सरकार ने स्वीकृत की है? यदि हां, तो इस योजना पर कुल कितनी धन राशि व्यय की जायेगी?

(2) उक्त योजना के कार्य की क्या प्रगति है? क्या यह सही है कि आगामी बरसात से पूर्व उक्त योजना को पूरा कर दिया जायेगा ताकि कस्बे को पानी से कोई खतरा पैदा नहीं हो।

उत्तर

(1) जी हां। इस योजना पर 15 लाख रुपया आवंटित किए गए हैं।

(2) कार्य की प्रगति का विवरण संलग्न है। एवं वर्ष 79-80 में धन के प्रावधान के अनुसार कार्य हो सकेगा।

प्रश्न 2 का विवरण

सुजानगढ़ शहर में धुलियावास में नाली का कार्य प्रगति पर है। नयावास से बस स्टैण्ड तक सड़क को ऊंचा किया जा रहा है। वार्ड नं. 21 में नाली का कार्य एवं हरिजन बस्ती दुलियावास में चैनल का कार्य प्रगति पर है। पम्प लगाये गये हैं एवं नाथेलाब व गिनानी से राईजिंग मेन डाल दी गई है।

अटरू में कृषि उपज मण्डी समिति की स्थापना

563. श्री ओंकार लाल चौहान (अटरू): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

क्या यह सही है कि राज्य सरकार अटरू जिला कोटा में कृषि उपज मण्डी समिति अलग से कायम करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

विचाराधीन है। निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायेगा।

टी. बी. परगना के उप काश्तकारों को खातेदारी अधिकार

564. श्री डूंगर राम पंवार (टी. बी.): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि टी. बी. परगना में सन् 1954 में बिश्वेदारी प्रथा समाप्त होने पर उप काश्तकारों को पैन्तालीसा नियमों के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार दिये जाने थे ? यदि हां, तो कितने उप काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये जा चुके हैं तथा कितने उप काश्तकार इससे वंचित हैं ?

उत्तर

जी नहीं।

राज्य के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर पुलिया का निर्माण

565. श्री शिवनारायण (थानागाजी): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष 1979-80 में समस्त राष्ट्रीयकृत मार्गों की सड़क एवं पुलिया बनाने की योजना रखती है ? यदि नहीं, तो राष्ट्रीयकृत मार्गों का प्रतिशत क्यों बढ़ाया जाता है ?

उत्तर

जी हां। लेकिन सीमित आर्थिक साधनो के कारण ऐसी योजना वर्तमान में क्रियान्वित सम्भव नहीं है।

लसाड़िया से धरियावद तक सड़क का निर्माण

566. श्री नारायण मीणा (लसाड़िया): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लसाड़िया क्षेत्र में लसाड़िया से धरियावद सड़क काफी अर्से से निर्माणधीन है ? यदि हां, तो उसके अब तक अधूरा पड़े रहने का क्या कारण है ? तथा राज्य सरकार इसको कब तक पूरा कर देगी ?

(श्री नारायण मीणा)

(2) राज्य सरकार का इस सड़क के निर्माण में अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

(3) लसाड़िया से धरियावद रोड की दूरी कितनी है ? रोड पर कितनी पुलिया बनी है और कितनी अधूरी पड़ी है ?

(4) इस रोड पर कितने मील पर सोलींग व कन्सोलेशन डामर रोड बन चुका है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह फेयरवेदर सड़क है। इस सड़क पर केवल अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कार्य हुआ है। सड़क के मद से इसकी कोई स्वीकृति नहीं है।

(2) इस सड़क पर अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कुल 8,09,648 लाख रुपये सन् 66-67 से 78-79 अब तक हुआ है।

(3) लसाड़िया से धरियावद 33 50 कि. मी. लम्बी है। 12 पुलियों पर अकाल कार्य के अन्तर्गत काम हुआ जिसमें 8 पुलियां पूरी हो चुकी है व 4 पर कार्य बाकी है।

(4) इस सड़क पर 1.63 कि. मी. में सोलींग लगा है। बाकी भाग केवल फेयर-वेदर है और कोई भाग डामर नहीं है।

चौहटन में कृषि भूमि की नीलामी

569 श्री अब्दुल हादी (चौहटन): क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या जिला बाड़मेर की तहसील चौहटन के कुछ खातेदार कृषकों के खेत कस्टोडियन की सम्पत्ति बताई जाकर गत दो वर्षों में नीलाम किये गये है ?

(2) क्या कथित कृषि-भूमियां किसी न किसी भारतीय नागरिक की खातेदारी की राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी ?

(3) क्या खातेदारी की कृषि भूमि इस भांति नीलाम नहीं की जा सकती ?

(4) क्या इस प्रकार नीलामी के आदेश भेजने में कस्टोडियन विभाग ने त्रुटि की है ? यदि हां, तो राजस्थान सरकार इस समस्त मामले पर क्या कदम उठा रही है ? एवं ऐसे खातेदार कृषकों को क्या राहत दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सन् 1977 से तहसील चौहटन में दस कृषि भूमि मिश्रित निष्क्रान्त भूमि होने के कारण नीलाम की गई है।

(2) मिश्रित निष्क्रान्त भूमि केन्द्रीय अधिनियम इवेक्यू इन्ट्रेस्ट (सैपरेशन) एक्ट 1951 से प्रशासित होती है। अतः राज्य

(श्री अब्दुल हादी)

के राजस्व नियम तथा अधिनियम इस प्रकार की भूमियों के सम्बन्ध में प्रभावशील नहीं है।

(3) उपरोक्त भूमियां मिश्रित निष्क्रान्त सम्पति होने के कारण इवेक्यू इन्टेरेस्ट (सैपरेशन) एक्ट 1951 के अन्तर्गत नीलाम की गई है।

(4) उक्त कृषि भूमियां सक्षम अधिकारी, राजस्थान की अदालत के आदेशों के तहत नीलाम की गई है, तथा इसमें कोई त्रुटि नहीं है।

जयपुर का अपहरण का मामला

570. श्री हर सहाय मीणा (लालसोट)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)

श्री राम किशोर मीणा (सिकराय) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या म्यूजियम मार्ग, जयपुर निवासी लछमण दास के सुपुत्र श्री गोविन्द शरण को दिनांक 23-9-78 ई. के गुम होने की कोई रिपोर्ट पुलिस मोतीडूंगरी में दर्ज हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(2) क्या पुलिस की तफ्तीश से इस लड़के का गुम होना अपहरण है एव इसमें जिस व्यक्ति का हाथ है उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं करना चाहती है ?

(3) पुलिस द्वारा इस बच्चे की तलाश के लिए क्या कोई प्रयत्न किये गये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या सरकार उक्त बच्चे को बरामद करने में सक्षम है ? यदि हां, तो बच्चा कब तक बरामद कर लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। रिपोर्ट गुमशुदा के रोजनामचे में डालकर तलाश करवाई गई तथा सभी सम्बन्धित थानों एवं देश के पुलिस अधीक्षकों को इसकी सूचना दी गई।

(2) पुलिस इसे अपहरण का मामला मानकर अभियोग पंजीबद्ध कर अनुसंधान कर रही है। यह सही नहीं है कि पुलिस अपहरणकर्ता को गिरफ्तार नहीं करना चाहती है।

(3) जी हां। गुमशुदा की सूचना मिलने के तुरन्त बाद से अब तक प्रयास जारी है।

(4) बच्चे का पता लगाने हेतु पुलिस पूर्ण प्रयत्नशील है और अनुसंधान जारी है।

जोधपुर शहर के औद्योगिक शेडों का आवंटन

572. श्री नरपत राम बरवड़ (सूर-

(श्री नरपतराम बरवड़)

मांगर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जोधपुर शहर में औद्योगिक क्षेत्र है ? अगर हां, तो उस क्षेत्र में कुल कितने औद्योगिक शेड हैं ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखें तथा उनमें से कितने अनुसूचित जाति व जन जाति के लोग हैं ? अगर नहीं तो अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटन क्यों नहीं किया गया ?

(2) क्या विभाग शेष बचे प्लाट्स के आवंटन में अनुसूचित जाति के लोगों को प्राथमिकता देगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ? अगर हां, तो कब तक कितने प्लाट्स आवंटन कर दिए जाएंगे ?

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र का गंदा व जहरीला पानी खेतों में जाता है जिससे आसपास के काश्तकारों के सारे खेत खराब हो गए हैं ? अगर हां, तो इसके समाधान हेतु राज्य सरकार कब तक कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर शहर में तीन औद्योगिक क्षेत्र एवं एक औद्योगिक सम्पदा है इन क्षेत्रों के औद्योगिक भूखण्डों व शेडों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। औद्योगिक शेड्स में से कोई शेड अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के सदस्य को आवंटित नहीं है। अनुसूचित जाति अथवा जन जाति के किसी सदस्य का कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अब भी कोई प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है।

(2) उद्योग विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक सम्पदा में अब कोई शेड आवंटन हेतु शेष नहीं है इसलिए अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को इस क्षेत्रों में प्लाट्स आवंटन का प्रश्न नहीं उठता है। राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम के औद्योगिक क्षेत्रों में से अनुसूचित जाति एवं जन जाति के उद्यमियों को प्राथमिकता के आधार पर भूखण्ड आवंटित करने का प्रावधान नहीं था मगर प्रावधान अब कर राज्य सरकार ने निर्देश दे दिये हैं।

(3) जोधपुर में रंगाई छपाई के कारखानों का कुछ गन्दा पानी खेतों के पास से प्राकृतिक ढलाव के साथ-साथ नदी की ओर जाता है। औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर का यह पानी नालियों द्वारा बाहर निकाला जाता है कच्चा नालियों को पक्की नालीयों में परिवर्तन करने के लिये कार्य प्रगति पर है। रंगाई, छपाई की इकाई को जल प्रदूषण उपचार यंत्र लगाने को कहा है और लगभग 50 इकाईयों ने जल प्रदूषण यंत्र लगा भी लिये हैं। जोधपुर में एक सम्मलित जल प्रदूषण उपचार यंत्र लगाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। अतः उक्त क्षेत्र के किसानों के खेतों को खराब होने से बचाने के उपाय किये जा रहे हैं। और इस समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार पूर्णतया जागरूक है।

268

सूची

जोधपुर शहर में उद्योग विभाग द्वारा संचालित एवं राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लि., जयपुर द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक सम्पदा में स्थिति निम्नानुसार है:—

1. उद्योग विभाग द्वारा 560 एकड़ का क्षेत्र पावर हाउस के पीछे स्थित है जिसमें 162 भूखण्ड हैं इनमें से 160 भूखण्ड आवंटित है। इसके अतिरिक्त एक औद्योगिक सम्पदा 25-3 एकड़ की भूमि की है जिसमें 28 शेड और 51 भूखण्ड हैं ये सभी के सभी भूखण्ड आवंटित हैं।

2. राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा जोधपुर में दो औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है– 1. मरुधर औद्योगिक क्षेत्र 2. भगत की कोठी का औद्योगिक क्षेत्र। मरुधर औद्योगिक क्षेत्र में 64 शेड निर्मित हैं जिसमें 52 का आवंटन किया जा चुका है एवं 12 शेड आवंटन हेतु उपलब्ध हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल 104-50 एकड़ है इसके अतिरिक्त दूसरा क्षेत्र भगत की कोठी के पास स्थापित किया जा रहा है जिसमें 10 शेड निर्मित किये गये हैं। इनमें से 9 शेड आवंटित हैं और एक शेड आवंटन हेतु उपलब्ध है।

269

राजकीय चिकित्सालय झालावाड़

573 श्री निर्मल कुमार सकलेचला (झालरापाटन) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य सरकार को झालावाड़ राजकीय चिकित्सालय को 'बी' श्रेणी में क्रमोन्नत करने में क्या कठिनाई है ? यह चिकित्सालय अब 'बी' श्रेणी में कब तक क्रमोन्नत कर दिया जावेगा ?

उत्तर

योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान न होना ही कठिनाई है। समुचित वित्तीय प्रावधान होने पर, क्रमोन्नत किये जाने पर विचार करना संभव होगा।

बामनवास में हत्या का मामला

575. श्री कुंजीलाल (बामनवास) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री नरसिंह दास उर्फ रामानन्द दास चेला श्री गोपाल दास निवासी बामनवास (सवाई माधोपुर) की हत्या जिसके वर्तमान जांच अधिकारी उप अधीक्षक, गंगापुर सिटी पुलिस द्वारा लिखित साक्ष्य प्राप्त होने पर भी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई ?

(2) क्या यह सही है कि श्री नरसिंह दास उर्फ श्री रामानन्द दास चेला श्री गोपाल दास ने उनकी हत्या से पूर्व एक प्रार्थना-पत्र जो पुलिस फाइल में संलग्न है, जिलाधीश, सवाई माधोपुर के नाम लिखकर मांग की थी कि श्री नारायण भू. पू. सरपंच ग्राम पं. बामनवास से उनके जीवन को खतरा है ? यदि हां, तो श्री नारायण भू. पू. सरपंच ग्राम पं. बामनवास के विरुद्ध क्या पुलिस कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? एवं कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) पुलिस पत्रावली पर जो महन्त बाबा नरसिंह दास का जिलाधीश के नाम लिखा परिवाद उपलब्ध है उसमें नारायण सरपंच से जीवन को खतरा होने का कोई जिक्र नहीं है। अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

जिला सवाई माधोपुर में डिस्पेन्सरी एवं सब सेन्टर

576. श्री श्रवणलाल (हिण्डोन) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1978 में जिला सवाई माधोपुर में डिस्पेन्सरी एवं सब सेन्टर खोलने हेतु स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो किस किस तहसील में किस-किस जगह खोली गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त डिस्पेन्सरी एवं सब सेन्टर स्वीकृत होने पर

270

(श्री श्रवण लाल)

भी वहां पर स्टाफ नहीं भेजा गया और इस वर्ष का काफी बजट लैप्स हो गया ?

(3) यदि हां, तो कितना बजट लैप्स हुआ और किस किस अधिकारी की गलती से हुआ है ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। स्वीकृत डिस्पेन्सरी, एडपोस्ट व दो उपकेन्द्रों पर भवन की व्यवस्था होने पर स्टाफ भेज दिया गया। 33 उपकेन्द्रों पर भवन व प्रशिक्षित स्टाफ, उपलब्ध नहीं होने के कारण स्टाफ नहीं भेजा गया।

(3) इस वर्ष 5,80,632 रुपये का बजट लैप्स हुआ है। किसी अधिकारी की गलती नहीं है।

वर्ष 1978 में जिला सवाई माधोपुर में डिस्पेन्सरी व सब सेन्टर खोलने की की स्वीकृति का विवरण

क्र. सं.	तहसील का नाम	खोली गई डिस्पेन्सरी	स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4
1.	टोडाभीम	मूण्डिया	6-3-78
2.	करौली	फरीदपुर	6-3-78
3.	करौली	केला देवी	6-3-78
4.	खण्डार	महुरावदा खुर्द	6-3-78
5.	नादोती	बरनाला	11-8-78

क्र. सं.	तहसील का नाम	स्वीकृत सब सेन्टरों का विवरण
1	2	3
1.	महुआ	1. पीपलखेडा 2. सालमपुर 3. पालनहेडा
2.	टोडाभीम	1. निसुरा 2. निषरिया 3. महसुदा
3.	हिण्डौन	1. सनेट 2. कटफर 3. खरेटा 4. खोडोहेत
4.	बामनबास	1. इकासद 2. तेलगांव 3. नागौर 4. अभावरा 5. ककराला 6. सितार 7. वीर्खाझ

1	2	3
5.	सपोटरा	1. गुरदा
		2. सलीमपुरा
		3. गोठरा
		4. भाडली
6.	करौली	1. निमल
		2. गुणेसरा
		3. बुगडार
		4. रकुला
7.	खण्डार	1. मण्डावर
8.	गंगापुर	1. रामपुर
		2. टोकलो
9.	बोंली	1. बागरोली
		2. भारजा
		3. सोरा
10.	सवाई माधोपुर	1. घडया
		2. डेकवा
		3. दुब्बी
		4. कालड

विभाग में पाइप की खरीद

577. **श्री शिवचरण सिंह** (बयाना) : क्या जनस्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य विभाग करोड़ों रुपये के पाइप खरीदता है ? यदि हां, पिछले वर्ष पी. वी. सी., ऐ. सी. स्टील व कास्ट आइरन के पाइप कितने कितने रुपये के खरीदे गये ?

(2) क्या यह सही है कि अधिकांश पाइप हैदराबाद एस्बेस्टस व लक्ष्मी सीमेन्ट बल्लभगढ़ से ही खरीदे गये हैं ?

(2) पाइप की खरीद में राजस्थान के लघु उद्योगों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता इसका क्या कारण है ?

(4) क्या यह सही है कि इस मद का करोड़ों रुपया लैप्स हुआ है ?

(5) क्या यह सही है कि पी. वी. सी. पाइप इरादतन नहीं खरीदा गया जबकि एवेलेबिल न था ?

(6) क्या राज्य सरकार स्वयं पाइप बनाने की योजना बनायेगी व पिछले खरीद में हुए घोटाले व अनियमितताओं की जांच करायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां।

(3) लघु उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वर्ष 77-78 में 2 लघु उद्योगों से जो कि मै. जेम प्लास्ट जयपुर एवं मै. निशा इण्डस्ट्रीज जयपुर है इनसे पी. वी. सी. पाइप खरीदे गये हैं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) इस तरह का कोई मामला अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है। गत खरीद में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है।

प्रश्न 1 का विवरण

पिछले वर्ष 77-78 में पी. बी सी., ए. सी. व कास्ट आयरन पाइप खरीदे गये, उनकी लागत का विवरण निम्न प्रकार से है।

पी. वी. सी. पाइप	7,68,515.00
ए. सी. पाइप	4,04,79,933.79
कास्ट आयरन पाइप	1,15,47,358.97
	5,27,95,867.76

डेगाना की टंगस्टन खानों की मजदूर यूनियन का चन्दा

581. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या डेगाना जिला नागौर में आर. आई. एम. डी. सी. की टंगस्टन की खानें हैं ? क्या वहां के मजदूरों की कोई यूनियन है ? अगर है, तो वहां कौन सी यूनियन है ?

(2) क्या वहां की यूनियन मजदूरों से मासिक चन्दा एकत्र करती है ? अगर हां, तो प्रतिमाह प्रति व्यक्ति कितना चन्दा वसूल करते हैं ? क्या उसका आडिट कराया जाता है? अगर हां तो पिछले पांच वर्षो का आडिट हिसाब की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें और अगर आडिट नहीं होता है, तो क्यों नहीं ? क्या आडिट आवश्यक नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि कई बार यूनियन वाले मनमाने तौर से मजदूरों से डरा धमका कर रुपया वसूल करते हैं ? क्या पिछले छ माह में कोई इस प्रकार का मनमाना चन्दा भी यूनियन वालों ने उस मासिक चन्दे के अलावा वसूल किया है जो हर माह करते हैं ? क्या यह भी सही है कि इस सब चन्दे में वहां के माइन्स मैनेजर मजदूरों को डरा धमका कर तनख्वाह देते समय वहीं कटवाते हैं और न देने वालों को नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। वहां के मजदूरों की पजीकृत यूनियन का नाम टंगस्टन माइन्स मजदूर संघ डेगाना है।

(2 जी हां। प्रत्येक मजदूर से 2 रु. मासिक के हिसाब से वसूल किया जाता है। यूनियन द्वारा सूचित किया गया है कि आडिट कराया जाता है। चूंकि विभाग में एनुअल रिटर्न प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः आडिट हिसाब की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने में असमर्थ हैं।

(3) जी नहीं। ऐसी कोई सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

जी नहीं। 6 माह में मनमाना चन्दा वसूल करने की शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

जी नहीं।

श्रम कल्याण केन्द्र भवानी मण्डी

582. श्री ईश्वरचन्द (पिड़ावा)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भवानी मण्डी में श्रम कल्याण केन्द्र कब प्रारम्भ किया गया था व केन्द्र कितनी अवधि तक कार्यरत रहा ?

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(2) उक्त श्रम कल्याण केन्द्र को क्यों बन्द किया गया है ? कृपया कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) अब राज्य सरकार का उक्त श्रम कल्याण केन्द्र प्रारम्भ करने का इरादा है या नहीं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1965 में प्रारम्भ किया गया तथा दिनांक 30 अप्रेल, 1975 तक कार्यरत रहा।

(2) श्रमिकों द्वारा केन्द्र पर चलने वाले कार्यक्रमों में रुचि न लेने तथा आर्थिक मितव्ययता के कारण बन्द किया गया था।

(2) जी नहीं। आर्थिक साधन उपलब्ध न होने के कारण।

छठी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का विस्तार

583. श्री नाथूराम (बागीदोरा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में छठी पंचवर्षीय योजना काल में किन किन उद्योगों के विस्तार की संभावना है ?

(2) क्या देश के अन्य आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु रेल्वे लाइनों के डालने का कार्य प्रारम्भ होगा ? क्या बांसवाड़ा जिले में रतलाम से बांसवाड़ा रेल्वे लाइन का सर्वेक्षण हो जाने के पश्चात् भी राज्य सरकार की ओर से प्रयत्न नहीं किये गये जिससे औद्योगीकरण को धक्का लग रहा है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की तथा उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या बांसवाड़ा जिले में सीमेण्ट उद्योग की स्थापना के लिए अधिक मात्रा में खनिज उपलब्ध है ? क्या उद्योग विभाग ने इस सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तावित नहीं की है ? यदि हां, तो उपलब्ध खनिज भण्डार की क्या उपयोगिता रहेगी ? यदि नहीं, तो योजना की क्रियान्विति कब तक होने की संभावना है ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में छठी पंचवर्षीय योजना के जिन उद्योगों के लगाये जाने अथवा विस्तार की संभावना है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है यह प्रारम्भिक सर्वे के आधार पर है।

(2) राज्य सरकार इसके लिए सजग है परन्तु ऐसे मामलों में अन्तिम निर्णय रेल मन्त्रालय ही लेता है। रतलाम से बांसवाड़ा रेल्वे लाइन के इन्जीनियर सर्वेक्षण के पश्चात् मामला अभी भारत सरकार के विचाराधीन है। राज्य सरकार केन्द्रीय

(उद्योग मन्त्री)

सरकार को राजस्थान में रेल फैलाव के लिए निरन्तर अनुरोध करती आ रही है।

(3) भीलवाड़ा जिले में सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए चूना पत्थर के भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। रेल्वे की सुविधा न होने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग सम्बन्धी योजना प्रस्तावित नहीं की गई।

जिला उद्योग केन्द्र की बांसवाड़ा में स्थापना की गई है जो इस क्षेत्र में उद्योग स्थापित करवाने हेतु कार्यरत है।

निजी क्षेत्र में यदि कोई उद्यमी इस क्षेत्र में सीमेण्ट उद्योग स्थापित करना चाहेंगे तो राज्य सरकार उन्हें निर्धारित हर संभव सुविधायें उपलब्ध करायेगी। मिनी सीमेंट प्लान्ट उद्यमी चाहें तो लगा सकते हैं।

बांसवाड़ा जिले में छठी पंचवर्षीय योजना में सगोघ आने अथवा विस्तार के लिए संभावित उद्योगों की सूची

लघु उद्योग

1. चांवल तथा उनके उत्पादन पर आधारित उद्योग
2. गुड़ व खंडसारी उद्योग
3. तेल घानी उद्योग
4. आचार, चटनी व मुरब्बा उद्योग
5. दाल उद्योग
6. रस्सी उद्योग
7. कार्न फ्लेक्स
8. पशु आहार
9. लकड़ी, फर्नीचर व खिलौना आदि उद्योग
10. बांस टोकरी
11. बीड़ी
12. चमड़ा जूते व चमड़ा रंगाई छपाई
13. मैंग्नीज शोधन
14. ईंट उत्पादन
15. हाईड्रेन्ट लाईम
16. पत्थर, मिट्टी वमूर्तियां
17. सीमेण्ट आधारित उद्योग
18. होजरी एवं गारमेन्ट्स
19. हड्डी चूरा
20. रबड़ तथा प्लास्टिक
21. मशीन पार्ट ।

वृहद् उद्योग

1. सिन्थेटिक मिल
3. मिनी पेपर प्लान्ट
3. मिनी सीमेन्ट प्लान्ट

चौथ के बरवाड़ा में चौथ माता के मन्दिर से जेवर की चोरी

584 श्री वाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि जिला एवं तहसील सवाईमाधोपुर के अन्तर्गत चौथ का बरवाड़ा ग्राम में ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा की तिजोरी से दिनांक 10-3-78 को चौथ माता के जेवरों की चोरी हुई थी ? क्या यह जेवर ग्राम पंचायत के पास अमानत तौर पर रखे हुये थे ? क्या ग्राम पंचायत ने इस चोरी की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस कार्यालय चौथ का बरवाड़ा में दी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) चौथ माताजी के जेवरों के चोरी होने की प्रथम सूचना एफ. आई. आर. पर जांच होने का क्या कारण है ? इस चोरी में कितनी कीमत के जेवर चोरी गये हैं ? और क्या क्या जेवर चोरी गये हैं ?

(3) क्या भूतपूर्व सरपंच श्री राजमल जी ने, जिनका कि कार्यकाल 31-12-77 को पूरा हो गया था चौथ माता जी के जेवरों का विधिवत चार्ज ग्रुप, सेक्रेटरी प्रशासक बी० डी० ओ० अथवा वर्तमान सरपंच को दिया है ? यदि हां, तो कितना जेवर चार्ज में दिया था और यदि नहीं, तो इस महत्वपूर्ण वस्तु का चार्ज क्यों नहीं दिया और क्यों नहीं लिया गया ?

(4) क्या कारण है कि पुलिस विभाग मार्च, 78 से अब तक इस चोरी की प्राथमिक जांच करने में अकर्मण्य रहा है ?

(5) इस चोरी के सिलसिले में जांच के लिए अब तक किन किन अफसरों की नियुक्ति की गई है और उन्हें क्यों बदला गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। मुकदमा न० 13 दिनांक 11-3-78 को धारा 457/380 ता० हि० के अन्तर्गत दर्ज किया गया।

(2) जांच जारी है। इस चोरी में करीब तीन हजार रुपये के जेवरात चोरी गये हैं। चोरी गये जेवरों की सूची संलग्न है।

(3) भूतपूर्व सरपंच ने कोई चार्ज इन जेवरात का वर्तमान सरपंच को नहीं संभलाया चार्ज न देने व लेने का सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है।

(4) पुलिस माल व मुलजिमान का पता लगाने का भरसक प्रयत्न कर रही है।

(5) अभियोग में तफ्तीश हेतु अब तक मनोनीत किये गये अधिकारियों की सूची संलग्न है। इन अधिकारियों को बदलने में सरपंच द्वारा तफ्तीश से असतुष्टि तथा अधिकारियों का स्थानान्तरण व अवकाश पर चले जाना एवम् माल व मुलजिमान को बरामदगी के लिए सफल प्रयास हेतु मुख्य कारण रहे हैं।

(280)

लिस्ट माल मसरका मुकदमा नं. 13/78 थाना चौथ का बरवाड़ा ।

1 छत्तर एक सोने का छोटा जिस पर नाम खुदा हुआ है । जिसका तोल दो तोला भर है । जिसके चांदी की चैन जिसका तोल बारा आने भर है ।

2. छत्तर एक चांदी का प्लेन बड़ा जिसका तोल साढ़े चौबीस तोला भर था ।

3. छत्तर एक सोने का छोटा प्लेन जिसका तौल एक आना भर ।

5. छत्तर एक चांदी का छोटा घुगरू दार जिसका तौल 4 तोला दस आना भर ।

5. छत्तर एक चांदी का प्लेन पुन्या भर जिसका तोल सवा आठ तोला जो नकली चांदी का सुनार गोपी ने बतालाया है ।

6. नथ सोने की एक लटकन मोती चार नग 9 जिसका तोल पांच आने भर ।

7. छत्तर एक चांदी का तितरी वाला जिसका तौल पांच तोला है । ऊपर टोकनेका एक कांटा लगा है चांदी का ।

8. छत्तर एक चांदी का घूघरा वाला जिसका तौल 75 ग्राम था ।

9. छत्तर एक चांदी का घूघरा वाला जिसका तौल 20 ग्राम है ऊपर चांदी की लड़ सहित है ।

10. बाली एक तीन नगीना की दो लाल एक हरा तोल पौने छः ग्राम सोने की ।

11. आरती एक चांदी की पांच बत्ती वाली ।

12. छत्तर एक चांदी का घूघरसोंवाला घु'घरा हित तौल 97 ग्राम ।

13. छत्तर एक सोने का तितरी 16 बार सहित तोल 1 ।) भर ।

14. छत्तर एक सोने का किनारे कटी हुई झालीनुमा कुंण्यादार तौल 15 आना भर था ।

15. नथ एक सोने मय लटक मोतीदार नग 5 पांच रुड़ तोल असल करीबन दो आना भर की है ।

अभियोग संख्या 13/78 धारा 457/380 ता० हि० थाना चौथ का बरवाड़ा में अनुसंधान अधिकारियों की सूची–जिन्होंने इस मुकदमे की तफ्तीश की है।

1.	श्री रूपसिंह, उप निरीक्षक एस. एच. ओ. थाना चौथ का बरवाड़ा	दिनांक 11-3-78 से 22-4-78
2.	श्री कृष्ण गोपाल गुप्ता, क्राइम असिस्टेन्ट	दिनांक 1-5-78 से 10-7-78
3.	श्री हमीदुल्ला खां, उप निरीक्षक एस. एच. ओ. थाना चौथ का बरवाड़ा	दिनांक 28-7-78 से 6-8-78
4.	श्री उदयनारायण, हैड कानि०	दिनांक 13-8-78 से 13-9-78
5.	श्री खेमसिंह, ए० एस० आई०	दिनांक 16-10-78 से 21-10-78
6.	श्री हमीदुल्ला खां, उप निरीक्षक	दिनांक 30-10-78 से 16-2-79
7.	श्री सुगनसिंह, हैड कानि०	दिनांक 22-2-79 से 16-3-79.
8.	श्री रूपसिंह, उप निरीक्षक	दिनांक 16-3-79 से लगातार।

राज्य में सड़क निर्माण की नीति

585. श्री उमराव सिंह (महुवा) : क्या सार्वजनिक निर्माण शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सड़कों के द्वारा 1500 की आबादी वाला प्रत्येक गांव जोड़ दिया जावेगा, ऐसी जनता सरकार की घोषित नीति है ? यदि हां, तो वर्ष 1977-78 में कितनी किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है ?

(2) क्या कृषि उपज मण्डियों द्वारा बनाई जाने वाली लिंक रोड भी पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा बनाये जाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। इस कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 1977-78 में 150 कि, मी. नई सड़कों का निर्माण किया गया एवं 46 कि.मी. सड़कों पर सुधार का कार्य किया गया।

(2) जी हां। इस योजना के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। 24 करोड़ लागत की ऐसी सड़कों के लिए प्लान तैयार किया गया है।

रानीवाड़ा डेयरी में अव्यवस्था

586. श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा डेयरी एक प्राईवेट कम्पनी द्वारा चलाई जा रही है और इनको 10 मील के क्षेत्रफल का लाईसेन्स दे रखा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि डेयरी की व्यवस्था बिगड़ी हुई है आये दिन कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की जा रही है और काश्तकारों को जो डेयरी को दूध देते हैं उनको नियमानुसार पैसे समय पर नहीं देते हैं ? अगर हां, तो क्या उनकी व्यवस्था सुधारने के लिए डेयरी का प्रशासन सरकार कब तक अपने हाथ में ले लेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि स्थानीय शेयर होल्डर को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, रानीवाड़ा डेयरी इंडियन डेयरी एन्ट्रेप्रिन्योर्स एग्रीकल्चर लीग कम्पनी द्वारा चलाई जा रही है। भारतीय सरकार के अधिपत्र संख्या 271(2)1(2) 173/एल० ई० एन० डी० 173 दिनांक 9-4-73 द्वारा उक्त कम्पनी रानीवाड़ा से 100 मील के क्षेत्रफल में डेयरी विकास कार्यक्रम एवं दुग्ध संकलन करने का लाइसेंस में प्रावधान है।

(पशुपालन मन्त्री)

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अभी राज्य सरकार डेयरी का प्रशासन अपने हाथ में लेने का विचार नहीं रखती।

(3) इस सम्बन्ध में शिकायतें हैं।

मनोहर थाना में सब तहसील कार्यालय

587. विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहर-थाना) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत 4 जून सन् 78 को जब मुख्य मन्त्री महोदय मनोहर थाना पधारे थे तो उन्होने सार्वजनिक सभा में यह घोषणा की थी कि मनोहरथाना में शीघ्र ही सब तहसील कार्यालय खोल दिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जनता पार्टी का एक वर्ष शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की थी और उसमें भी यह घोषणा की थी कि जिन थानों पर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को अन्यत्र बड़े कस्बे में भेज दिया जायेगा ? उक्त निर्णय के क्रियान्वयन में क्या बाधा है ?

उत्तर

(1) तहसील मुख्यावासों पर स्थित नायब तहसीलदारों को उसी क्षेत्र में अन्य स्थानों पर स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था जिसमें मनोहर थाना का जो प्रस्ताव था मुख्य मन्त्री जी ने इस प्रस्ताव के विचाराधीन होने तथा सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय की घोषणा की थी।

(2) सरकार के द्वारा अब तक लिए गए निर्णय के अनुसार जिन तहसीलों में एक से अधिक नायब तहसीलदार थे वहां एक नायब तहसीलदार को छोड़ कर अन्य नायब तहसीलदारों के कार्यालय अन्यत्र करने के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। मनोहर थाना अकलेरा तहसील में है जहां तहसीलदार के अलावा नायब तहसीलदार है ऐसे स्थानों के नायब तहसीलदारों को अन्यत्र स्थापना के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया है।

जी हां। 'संकल्प एवं उपलब्धि" के नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है। उक्त पुस्तिका में ऐसी कोई घोषणा नहीं की।

राज्य को शालाओं में अध्यापकों की कमी

588. श्री रामकिशोर मीणा(सिकराय): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के विश्वविद्यालयों में कुल कितने अध्यापकों की कमी है ? जिले-

(श्री रामकिशोर मीणा)

वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जयपुर जिले में तहसीलवार अध्यापकों की कितनी कमी है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि फरवरी. 79 तक भी विद्यालयों में प्राध्यापकों की अनुपात के हिसाब से पूर्ति नहीं की गई है? यदि हां, तो क्या कारण है जिसकी वजह से अध्यापकों की पूर्ति नहीं हो पा रही है? तथा कब तक इस कमी को दूर किया जावेगा?

उत्तर

(1) फरवरी, 1979 तक राजस्थान के विद्यालयों से 261 तृतीय वेतन शृंखला 232 द्वितीय वेतन श्रेणी तथा 39 वरिष्ठ अध्यापकों के पद रिक्त है। जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) जयपुर जिले में 67 अध्यापकों की कमी है। सूची संलग्न हैं।

(3) जी हां। बजट में उपलब्ध धन-राशि के अनुसार ही अध्यापकों के पद सृजित किये जाते हैं।

रिक्त पदों की सूचना माह फरवरी, 1979

क्रम संख्या	नाम कार्यालय	द्वि. वे. श्र.	तृ. वे. श्र.	व. अध्यापक
1	2	3	4	5
1.	संयुक्त निदेशक शिक्षा (म) जयपुर	9	—	2
2.	उप निदेशक (म) जोधपुर	6	2	3
3.	उप निदेशक (म) उदयपुर	3	18	—
4.	जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर	5	—	2
5.	जिला शिक्षा अधिकारी अलवर	2	31	1
6.	जिला शिक्षा अधिकारी भरतपुर	7	50	2
7,	जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर–1	6	28	1
8.	जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर–2	11	7	—
9.	जिला शिक्षा अधिकारी झुंझुनूं	16	—	—
10.	जिला शिक्षा अधिकारी सीकर	15	—	—
11.	जिला शिक्षा अधिकारी करौली	—	—	1
12.	जिला शिक्षा अधिकारी टोंक	3	—	1
13.	जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर (छात्र)	—	7	—
14.	जिला शिक्षा अधिकारी चूरू	2	—	—
15.	जिला शिक्षा अधिकारी गंगानगर	12–	4	—

286

1	2	3	4	5
16.	जिला शिक्षा अधिकारी बाड़मेर	20	—	3
17.	जिला शिक्षा अधिकारी जैसलमेर	18	—	4
18.	जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर	20–	8	1
19.	जिला शिक्षा अधिकारी नागौर	13	13	1
20.	जिला शिक्षा अधिकारी सिरोही	10	—	2
21.	जिला शिक्षा अधिकारी नागौर	12	—	4
22.	जिला शिक्षा अधिकारी पाली	13	2	—
23.	जिला शिक्षा अधिकारी कोटा (छात्र)	—	11	2
24.	जिला शिक्षा अधिकारी बून्दी	—	4	—
25.	जिला शिक्षा अधिकारी झालावाड़	3	—	—
26.	जिला शिक्षा अधिकारी बांसवाड़ा	7	20	2
27.	जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा	2	—	1
28.	जिला शिक्षा अधिकारी डूंगरगढ़	2	—	2
29.	जिला शिक्षा अधिकारी चित्तौड़गढ़	2	—	3
30.	जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर	2	17	1
31.	जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर	4	9	—

1	2	3	4	5
32.	जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर	—	13	—
33.	जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) कोटा	—	—	—
34.	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी राजसमंद	1	12	—
35.	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी ब्यावर	1	2	—
	योग	232	261	39

कार्यालय संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, अजमेर वृत्त जयपुर

क्र० सं०	पंचायत समिति का नाम	द्वि. वे. श्रृ. एवं तृ. वे. श्रृ. के अध्यापकों की कमी
1.	दूदू	9
2.	फागी	6
3.	सांभरलेक	3
4.	जमवा रामगढ़	5
5.	कोटपूतली	2
6.	विराटनगर	निल
7.	शाहपुरा	निल
8.	चाकसू	निल
9.	आमेर	निल
10.	झोटवाड़ा	1
11.	बस्सी	निल
12.	दौसा	1
13.	सिकराय	1
14.	बान्दीकुई	निल
15.	गोविन्दगढ़	2
16.	लालसोट	निल
17.	सांगानेर	निल
	कुल योग	30

संयुक्त निदेशक

शिक्षा विभाग, अजमेर वृत्त, जयपुर

कार्यालय शिक्षा निदेशक (महिला) शिक्षा विभाग अजमेर वृत्त एवं जयपुर
पंचायत वार सूची (जयपुर जिले में अध्यापिकाओं की कमी)

	तहसील का नाम	अध्यापिकाओं की कमी
1.	बांदीकुई	2
2.	शिकराय	3
3.	सांगानेर	—
4.	बंराठ	7
5.	फागी	5
6.	आमेर	—
7.	जमवा रामगढ़	—
8.	सांभरलेक	9
9,	कोटपूतली	5
10.	दौसा	4
11.	चाकसू	—
12.	बस्सी	—
13.	दूदू	2
14.	सांभर	—
	योग	37

सयुक्त निदेशक (महिला)
शिक्षा विभाग अजमेर वृत्त, जयपुर

भू-प्रबन्ध विभाग में अमीनों की जाली नियुक्तियां

589. श्री राम नारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के भू-प्रबन्ध आयुक्त के कार्यालय में श्री कन्हैयालाल शर्मा, श्री प्रकाश चन्द गुप्ता, निजी सहायक श्री खलीक तथा श्री सी. एल. पाठक तथा कुछ जाली कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा तत्कालीन राजस्व विशिष्ट सचिव श्री- एस. एल. जोशी तथा मुख्य मन्त्री एवं मुख्य सचिव के नाम की जाली चिट्ठियां बनाकर 40 अमीनों की नियुक्ति हेतु जाली कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि जांच में कुछ लोगों के विरुद्ध चार्जेज प्रमाणित हुए फिर भी उन्हें कानूनी कार्यवाही में नहीं लिया गया, और न पुलिस को केस बनाने दिया ?

(3) क्या यह सही है कि सी. आई. डी. जांच को भी प्रभावित कराकर, ये लोग यथावत इसी प्रकार से अमीनों की नियुक्ति के नाम पर गरीबों तथा लड़कों से रुपये 2000/-(दो हजार), 3000(तीन हजार) तक ले रहे हैं ? क्या सरकार इन सभी कार्यों की पूर्ण जांच करा कर इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। सी. आई. डी. की जांच को प्रभावित नहीं कराई गई हैं। सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराने में पूर्ण सतर्क हैं।

जयपुर में मस्जिद तुड़वाकर बाजार का निर्माण

590. श्री मंजूर अली (सवाईमाधोपुर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में किसी मस्जिद को तुड़वाकर मार्केट बनाया जा रहा है ?

(2) क्या राज्य सरकार के इस कार्य से मुसलमान के मजहबी जजबात को ठेस नहीं पहुंचेगी ?

(3) क्या राज्य सरकार किसी भी पब्लिक पर्पज के लिए मस्जिद को तुड़वाना उचित समझती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न के भाग 1 के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

मोरीजा की जयपुर स्थित जमीन की अवाप्ति

591. श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उन्नीस व्यक्तियों ने ठा. हरिसिंह मोरीजा की जयपुर नगर में अम्बा बाड़ी स्थित जमीन की अवाप्ति से पूर्व की खरीद दिखाकर नगर विकास न्यास से प्लाटों का आवंटन करा लिया ? यदि हां, तो प्रत्येक के क्षेत्रफल की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि तत्कालीन मुख्य मन्त्री स्वर्गीय श्री बरकतुला खां ने उक्त आवंटन के संबंध में कार्यवाही स्थगित रखने का आदेश दिया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य-सरकार ने नगर विकास को उक्त उन्नीस व्यक्तियों को आवंटित प्लाटों के आदेश को निरस्त करने का आदेश दिया था ?

(4) क्या नगर विकास न्यास ने राज्य-सरकार के उक्त आदेश का पालन किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) राज्य सरकार के आदेशों के संदर्भ में नगर विकास न्याय, जयपुर ने उक्त भूखण्ड की मौके की रिपोर्ट प्राप्त की जिससे यह मालूम हुआ कि इसमें से कुछ भूखण्डों पर निर्माण कार्य कर लिया गया है। इसके बाद न्यास के कानूनी अभिभाषक से राय प्राप्त की है मामला न्यास के विचाराधीन है।

क्रमांक	आवंटी का नाम	क्षेत्रफल वर्ग गज
1.	श्री पेपसिंह पुत्र सरदार सिंह	1066.66 वर्ग गज
2.	श्री हिम्मतसिंह	1066.66 ,,
3.	श्री बनेसिंह	1066.66 ,,
4.	श्री बलरामसिंह पुत्र कानसिंह पुत्र मूलसिंह	600,200,200 वर्ग गज
5.	श्री देवीसिंह	1066.66 वर्ग गज
6.	श्री भोपाल सिंह	388.88 वर्ग गज, 600
7.	श्री सुरेन्द्रसिंह चन्डेला	1066.66 वर्ग गज
8.	श्री गजेन्द्र सिंह	1066.66 वर्ग गज
9.	श्री रहमतुल्ला खां	1066.66 वर्ग गज
10.	श्रीमती गुलाब देवी	200 वर्ग गज
11.	श्रीमती गिर्राज कुमारी	600 वर्ग गज
12.	श्रीमती जोरावर कंवर	600 वर्ग गज
13.	श्रीमती गुलाब कुवारी	1066.66 वर्ग गज
14.	श्री गजराज सिंह	600 वर्ग गज
15.	श्री गोपाल सिंह	388.88 वर्ग गज
16.	श्री देवेन्द्र भार्गव	243.30 वर्ग गज
17.	श्री कानसिंह नाथावत	220.00 वर्ग गज
18.	श्री बलराम सिंह पुत्र श्री हरिसिंह	1066.66 वर्ग गज
19.	श्री हरि सिंह	1066.66 वर्ग गज

सीकर जिले के राष्ट्रीयकृत मार्गों से यात्री कर

592. श्री रामदेव सिंह (घोंद) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सीकर-नीमकाथाना, सीकर लोसल, व फतेहपुर-चूरू मार्गों पर राष्ट्रीयकरण करने के 6 महीने पूर्व प्राईवेट बसों के चलने के समय में राज्य सरकार को प्रति महीने किन-किन रूट से कितना-कितना यात्री कर का लाभ होता था तथा निगम की बसें चलाने के उपरान्त राज्य सरकार को हर माह इन मार्गों से अलग-अलग कितना यात्रीकर मिला है ? हर महीने के आज तक यात्रीकर वसूली के आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सीकर-नीमकाथाना, सीकर-लोंसल व फतेहपुर चूरू मार्गों का राष्ट्रीयकरण क्रमशः दिनांक 5-12-78, 19-11-78 व 26-12-78 को किया गया था। राष्ट्रीयकरण से पूर्व निजी वाहन चालकों से छः माह में प्राप्त यात्रीकर व राष्ट्रीयकरण से उपरान्त निगम द्वारा देय यात्री कर की राशि के आंकड़े निम्न प्रकार है :—

मार्ग का नाम	निजी वाहन चालकों से प्राप्त यात्री कर की राशि	निगम द्वारा देय यात्री-कर की राशि
1. सीकर-नीमका-थाना	7734.41	58,433.41
2. सीकर-लोंसल	25817.96	46,661.63
3. फतेहपुर-चूरू	2500.35	15,135.15

निगम द्वारा यात्री कर की राशि का अभी भुगतान नहीं किया गया है।

परिशिष्ट – 4

अतारांकित प्रश्न सं. 636 की सूची

धौलपुर शहर में स्थित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची

क्र. सं.	नाम विद्यालय	छात्र संख्या बालक	छात्र संख्या बालिका	कुल संख्या	भवन की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	राज. उ.पा.वि. धौलपुर	1454	13	1471	ठीक है।
2.	राज. उ.प्रा.वि. महपुरा धौलपुर	289	99	388	ठीक है।
3.	रा. प्रा.वि. भानसीपुरा धौलपुर	403	160	563	भवन की स्थिति ठीक है। अपर्याप्त है।
4.	उ.प्रा.वि. धौलपुर	136	62	248	स्थिति असंतोषजनक है।
5.	उ.प्रा.वि. सिटी मुर्क हाल धौलपुर	232	11	243	ठीक है।
6.	उ.प्रा.वि. सिटी कोतवाली धौलपुर	282	98	360	ठीक है।
7.	उ.प्रा.वि. कायस्थवाड़ा धौलपुर	283	157	440	ठीक है।
8.	रा.प्रा.वि. कमलानेहरू जोधपुर	202	91	293	ठीक है।
9.	रा.प्रा.वि. उदयमान ,,	160	137	297	ठीक है।
10.	राष्ट्राधि जवाहर ,,	118	74	192	विद्यालय के निमित को सरकारी भवन नहीं है स्थिति असंतोषजनक है
11.	रा.प्रा.वि. सुभाष ,,	57	16	73	भवन नहीं है।
12.	रा.प्रा.वि. मलासी ,,	113	58	163	सरकारी भवन नहीं है स्थिति ठीक नहीं है।

1	2	3	4	5	6
13.	रा.प्रा.वि. किरी धौलपुर	134	38	172	सरकारी भवन नहीं है।
14.	रा प्रा.वि. हरिजन कालोनी धौलपुर	150	48	148	स्थिति असंतोषजनक है।
15	रा प्रा.वि मान्धी धौलपुर	255	नहीं	255	ठीक है।
16.	राज. बालिका उ.प्रा.वि. भाड़ा.हैदरशाला धौलपुर	नहीं	458	458	ठीक है।
17.	रा. बालिका उ.प्रा.वि. धौलपुर	नहीं	415	415	ठीक है।
18.	रा. बालिका प्रा वि. मान्धी धौलपुर	नहीं	148	148	सरकारी भवन नहीं है वह विद्यालय बालकों ही प्रा.वि. मान्धी में चलता है।
19.	रा. बालिका प्रा.वि. कायस्थवाड़ा धौलपुर	21	39	60	सरकारी भवन नहीं।

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न सं० 643 की सूची)

प्रश्न संख्या 268
प्रश्न कर्त्ता—हरजीराम बुरडक

प्रश्न संख्या एक की सूची

लाडनू क्षेत्र में निर्माणधीन योजनायें : —

क्रम सं.	योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	फरवरी 1979 तक
1	2	3	4	5
1.	पुनर्गठित योजना लाडनू (नगरीय)	1978-79	20.79	4.07 लाख
2.	क्षेत्र योजना सावराद	1975-76	15.58	13.01 लाख
3	क्षेत्र योजना सूवां दयालपुरा प्रथम व द्वितीय	1975-76 1976-77	20.19	11.60 लाख

लाडनू क्षेत्र में पूर्ण की गई योजना की सूची :—

क्रम संख्या	योजना का नाम	लागत
1.	रसवंतगढ़	4.50
2.	हिन्दा	5.41
3.	टी.डी	1.00
4.	रूहूदी	1.07
5.	क्षेत्र दोलतपुरा	12.70
6.	रताऊ	0.62
7.	मीटरी वाली	12.83
8.	बाछलिया बालसमंद	7.93
9.	वन्दराई सुकास	15.00
		60.98

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 645 का विवरण

श्री नरेशचन्द जैन सहायक अभियन्ता उपखण्ड भवानी मण्डी को दिनांक 8-1-79 को जिन कर्मचारियों ने पीटा और अधिशासी अधियता झालावाड़ द्वारा की गई जांच के अनुसार कर्मचारियों के नाम निम्न है

क्रम. सं.		पद	
1.	श्री महेन्द्र कुमार गोयल	कनिष्ठ अभियन्ता	अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।
2.	श्री हैदर अली	सहायक	दिनांक 9-1-79 को निलंबित किये गये तथा मधुर सम्बन्ध का आश्वासन देने पर दिनांक 14-2-79 को पुनः बहाल किये गये तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी है।
3.	श्री रघुवीर कुमार यादव	सहायक	

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न सं. 646 का टिप्पणी-सूची)

परिशिष्ट-1

राजस्थान में भू-जल विभाग द्वारा किए जाने वाले प्राथमिक, अर्द्ध-विस्तृत एवं विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण के अन्तर्गत सम्पादित किए जाने वाले कार्यों का विवरण :—

भू जल सर्वेक्षण पद्धति के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में भू-जल विभाग अन्य राज्यों की भांति निम्नलिखित चरणों में सर्वेक्षण कार्य पूरा करता है :—

1. **प्रारम्भिक भू-जल सर्वेक्षण** :— किसी भी क्षेत्र को शुरू-शुरू में जब भू-जल सर्वेक्षण हेतु हाथ में लिया जाता है तो सर्वप्रथम उस क्षेत्र के बारे में सीमित रूप में ही भू-जल सम्बन्धी आंकड़े एकत्र किये जाते हैं ताकि कम समय व खर्च में उस क्षेत्र की भू-जल सम्बन्धी आधारभूत जानकारी प्राप्त की जा सके। इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत क्षेत्र में काम आने वाले कुछ चुने हुए कुओं का जल स्तर एवं कुंए की जल देने की क्षमता आदि आंकड़े एकत्र किये जाते हैं :—

2. **अर्द्ध-विस्तृत सर्वेक्षण** :— प्रारम्भिक भू-जल सर्वेक्षण के उपरांत भू-जल सर्वेक्षण का जो कार्य राज्य के विभिन्न जिलों में पंचायत समितिवार किया गया है वह कृषि पुनर्वित्त निगम के चाहे अनुसार सन् 1971-72 से लेकर सन् 1975-76 तक लगभग सभी पंचायत समितियों पूरा कर लिया गया है। इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत जिस पंचायत समिति में भू-जल सर्वेक्षण किया जाना था, खासकर उस वर्ष में वहां के चुने हुए कुंओं में भू-जल स्तर एवं कुओं के जल देने की क्षमता आदि के आंकड़े वर्षा ऋतु के पूर्व एवं वर्षा ऋतु के उपरान्त एकत्र कर लिए जाते थे। ऐसे सारे आंकड़े एकत्र होने के बाद पंचायत समिति एवं तहसील कार्यालय से उस वर्ष के कृषि एवं सिंचाई सम्बन्धी आंकड़े भी एकत्र किये जाते थे। इन सब आंकड़ों के आधार पर, विशेषकर कृषि एवं सिंचाई की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पंचायत समिति के कई एक नक्शे तैयार होते थे। साथ ही उन आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता किया जाता था कि पंचायत समिति के किस भाग में भू-जल की मात्रा पर्याप्त एवं कृषि तथा सिंचाई के उपयुक्त हैं तथा किस हिस्से में भू-जल की मात्रा कम है तथा कृषि एवं सिंचाई के उपयुक्त नहीं हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि उस वर्ष में उस पंचायत समिति के अन्दर भू-जल की क्या स्थिति थी। इस प्रकार के सर्वेक्षण लघु सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन एवं कृषि पुनर्वित्त निगम से कृषकों को अनुदान दिलाए जाने हेतु राज्य सरकार के आदेशानुसार किए गए। इस प्रकार के सर्वेक्षण में केवल भू-जल मात्रा का अन्दाज लगाया जाता है। सही तौर पर पता लगाने व नये भू-जल के अच्छे क्षेत्रों को खोजने का कार्य विस्तृत सर्वेक्षण में किया जाता है।

(300)

3. **विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण** :— भू-जल सर्वेक्षण की दिशा में किसी भी क्षेत्र का पूर्ण भू-जल जानकारी हेतु इस प्रकार के भू-जल सर्वेक्षण राज्य सरकार के आदेशानुसार हाथ में लिए जाते हैं। इस तरह के भू-जल सर्वेक्षण का आधार विशेष तौर पर कोई बेसिन या इसके अभाव में किसी जिले को इकाई मान कर किया जाता है, यथा विभाग द्वारा साबी, बनास एवं लूनी, बेसिन तथा जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर और चूरू जिलों में विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण में साधारणतः कुओं की संख्या जिनसे आंकड़े एकत्र किये जाते हैं ज्यादा होती है। उस क्षेत्र में भू-भौतिक सर्वेक्षण का कार्य साथ-साथ सम्पादित किया जाता है। परीक्षण के तौर पर नलकूप एवं स्थाई भू-जल स्तर नापने के लिए पिजोमीटर बनवाये जाते हैं। इन नलकूपों पर पम्पिग टेस्ट करके भू-जल धारक पत्थर इकाईयों एव भू-जल स्तर के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर उस क्षेत्र के सारे आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इसमें कम से कम पांच साल की सर्वेक्षण अवधि निर्धारित करते हैं। अन्त में सभी आंकड़ों का विश्लेषण करके विभिन्न नक्शे तैयार करते हैं तथा प्रतिवेदन तैयार करते हुए उसमें यह बताया जाता है कि भू-जल की स्थिति विस्तृत रूप से उस क्षेत्र में क्या है ताकि भविष्य में उस क्षेत्र की भू-जल पर आधारित प्रगति पूर्ण रूप से एवं सही रूप में हो सके।

प्रत्येक चरण में कुओं व नलकूपों से जो पानी के नमूने एकत्रित किये जाते हैं उनका पूर्ण रासायनिक विश्लेषण विभाग में स्थापित विभिन्न रसायन शालाओं में किया जाता है और उनसे प्राप्त परिणाम सम्बन्धित क्षेत्र के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किया जाता है। पानी के रासायनिक विश्लेषण के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि किस कुएं अथवा क्षेत्र का भू-जल पीने व सिंचाई के अनुकूल व प्रतिकूल है ?

परिशिष्ट--2

पंचायत समिति सिकराय के जोन बी. सी. तथा डी. में स्थित ग्रामों की सूची।

जोन बी.	जोन सी.	जोन डी.
1	2	3
1. रेता (पश्चिमी)	1. मोचंगपुरा (पूर्वी)	1. देवोड़ी
2. पीलवा खुर्द (पश्चिमी)	2. करोली (पूर्वी)	2. मालावास (दक्षिण-पश्चिम)
3. पीलवा कला (पश्चिमी)	3. रानौली (पश्चिमी)	3. झापड़वास (उत्तरी)
4. गूंजर बेराड़ा	4. मरोली	4. लाड़पुर (उत्तरी)
5. मीणावाड़ा	5. लाका	
6. राजबास (पश्चिमी)	6. बैरांदा	
7. शैवकपुर	7. दावनकर	
8. गढ़ (दक्षिण-पूर्वी)	8. गघौरा	
9. कापड़वास	9. ग्रामेरी	
10. मांचिगपुरा (उत्तर-पश्चिम)	10. कला खां (दक्षिणी)	
11. करौली (पश्चिमी)	11. तोरदा	
12. रानौली (उत्तर-पश्चिम)	12. फारशपुरा	
13. मालावास (पूर्वी)	13. जोधियां (उत्तरी)	
14. मोलाई (दक्षिण)	14. मोलाई (उत्तरी)	
15. जगरामपुरा पट्टी	15. सखंदला (पूर्वी)	
16. जोधिया (उत्तर-पूर्वी)	16. चैनपुर (पश्चिमी)	
17. कातालोड़ (उत्तरी-पूर्वी)	17. पाटन (दक्षिण-पश्चिमी)	
18. गेरोजी (दक्षिण)	18. बखोद (दक्षिण-पश्चिमी)	
19. जयसिंगपुरा	19. गेरोली (उत्तरी)	
20. चौनपुरा (पूर्वी)	20. गुम्ना (पूर्वी)	
21. पाटन (पूर्वी)	21. गढ़ी (पूर्वी)	
22. गुमना (पश्चिमी)	22. नामनेर (पूर्वी)	
23. गढ़ी (पश्चिमी)	23. सिकराई डूंगर (दक्षिणी)	
24. नामनेर (दक्षिण-पश्चिमी)	24. कुडेरा डूंगर (दक्षिण पूर्वी)	
25. डेंडा (उत्तर-पश्चिमी)	25. रामेड़ा (दक्षिण-पूर्वी)	
26. वसेड़ी (दक्षिणं-पूर्वी)	26. लाखनपुर	

1	2	3
27. भावगढ़ (दक्षिण-पूर्वी)	27. नाहरखोड़ा ।	
28. गिरोटा (दक्षिणी)	28. डेंडा (दक्षिणी)	
29. बनेपुर	29. बसेड़ी (उत्तरी)	
30. जगरामपुरा	30. भावगढ़ (उत्तरी)	
31. कुंडेरा डूंगर	31. गिसेटा (उत्तर-पश्चिम)	
32. सिकराय डूंगर	32. गड़ोली	
33. बूजोद (उत्तर-पूर्वी)	33. गिजरगढ़ (उत्तर-पश्चिम)	
34. लाड़पुर (दक्षिण-पूर्वी)	34. पाडलीवाड़	
	35. कालवां (पश्चिमी)	
	36. सिकराय	
	37. सानवास (दक्षिणी)	
	38. रायपुर	
	39. रामगढ़ (पूर्वी)	
	40. सखदलां	
	41. अचलपुरा (दक्षिण-पूर्वी)	
	42. नामदरी (दक्षिण-पूर्वी)	
	43. भालपुर (दक्षिण-पूर्वी)	
	44. बहवाद (पूर्वी)	
	45. बिदरवरा	
	46. मिनासीमाला (दक्षिण-पूर्वी)	

नोट :— उपर्युक्त सब गांव नक्शों में नहीं दर्शाए गए हैं।

परिशिष्ट–3

रामकिशोर मीणा,
एस० ए० एल० बी०,
सदस्य राजस्थान विधान सभा
(क्षेत्र सिकराय)

2/8 विधायक नगर
दिनांक 16 सितम्बर, 1978

माननीय मुख्य मन्त्री महोदय
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

विषय :— भू-जल बोर्ड, द्वारा सिकराय निर्वाचन क्षेत्र के गांवों का पुनः सर्वे कराये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विनम्र निवेदन है कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र सिकराय विद्युतीकरण के मामले में अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। कुल 42 पंचायतों (33+9) में से मात्र 7-8 पंचायतों का विद्युतीकरण हुआ है तथा कोई नयी योजना भी सरकार के विचाराधीन इस क्षेत्र की नहीं है, ऐसा मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है।

पिछले तीन-चार सालों से विद्युतीकरण हेतु यह अनिवार्यता जोड़ दी है कि वहां कुओं में अथाह जल भण्डार हो पिछली कांग्रेस सरकार के प्रभावी नेताओं ने जिन गांवों को वे कांग्रेस विरोधी मानते थे। भू-जल बोर्ड द्वारा गलत सर्वे करवा दिया बताया। चूंकि मेरे पूरे निर्वाचन क्षेत्र में अथाह जल भण्डार है तीन बड़े बांध हैं तथा पानी के सीपेज की भारी समस्या है जिसके लिए सिंचाई विभाग, के अधीक्षण अभियन्ता महोदय ने सीपेज से बचाव के लिए विद्युतीकरण आवश्यक बताया है अतः मेरे निर्वाचन क्षेत्र के जिन गांवों में पानी की कमी बताई गई है उनका पुनः सर्वे करवाना चाहता हूं चूंकि एक-एक कुंए पर तीन-तीन इन्जिन बराबर चल रहे हैं और पानी बिल्कुल नीचे नहीं उतरता है ऐसी स्थिति में बोर्ड की रिपोर्ट हास्यास्पद लगती है।

अतः मेरा करबद्ध निवेदन है कि भू-जल बोर्ड द्वारा आप मेरे निर्वाचन क्षेत्रों का अविलम्ब पुनः सर्वे फरमाकर गांवों के विद्युतीकरण की स्कीम बनवाने हेतु अविलम्ब आदेश फरमावें।

304

मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की गरीब जनता की सार्वजनिक मांग को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उचित आदेश फरमावें। श्रीमान् मुझे भी की गई कार्यवाही से अवगत करवाने का कष्ट करें।

सादर।

भवनिष्ठ,

ह०/-

रामकिशोर मीणा, विधायक,

सिकराय।

परिशिष्ट IV

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
AGRICULTURE (GR. V) DEPARTMENT
SPECIAL SCHEMES ORGANISATION

No. F. 12 (1) Agri./Gr. V./77 Jaipur, Dt. the 1. 1. 79

To,

The Chief Engineer,
Ground Water Department,
Jodhpur.

Sub :—Repeat survey of P. S. Sikrai distt. Jaipur.

Sir,

I am directed to enclosed copy of letter from Shri Ram Kishore Meena M. L. A. and to say that repeat hydrogeological survey of this area may be kept in the survey programme of the year 1979-80, since additional field date might be available now for justifying the surplus potential of ground water.

Yours faithfully,
Sd/- Sr. A. O.
for (S. N. Singh)
Dy. Secretary to Govt.

Copy to the Director, Survey & Research, Ground Water Department, Jodhpur.

Sd/-
Sr. A. O.
for Dy. Secretary to Govt.

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न सं. 650 का विवरण)

प्रश्न सं. 2 का विवरण

क्र०सं०	नलकूप बनाने का स्थान	जिला	नलकूपों की संख्या	कार्य देने का समय	कार्य की प्रगति
1	2	3	4	5	6
1.	रींगस	सीकर	एक	मार्च, 78	पूर्ण हो चुका है।
2.	सीकर	सीकर	दो	जून, 78	,,
3.	खाचरिया वास	सीकर	एक	जनवरी, 79	,,
4.	मदनी	सीकर	एक	जनवरी, 79	,,
5.	खाटू	सीकर	एक	जनवरी, 79	,,
6.	भराडा	सीकर	एक	फरवरी, 79	प्रगति पर है।
7.	मुंगलूआ	सीकर	एक	फरवरी, 79	,,

1	2	3	4	5	6
8.	लाडनूं	नागौर	तीन	सितम्बर, 78	एक ट्यूब का कार्य शुरू करके बाद
9.	गुलशुना	नागौर	एक	सितम्बर, 78	में पार्टी पूर्ण नहीं कर सकी ।
10.	पनेर	अजमेर	एक	सितम्बर, 78	,,
11.	घाटभारी	अजमेर	एक	सितम्बर, 78	,,
12.	कुम्बकोट	कोटा	एक	जनवरी, 79	पूर्ण हो चुका है ।
13.	कुम्बकोट	कोटा	एक	मार्च, 79	कार्य प्रगति पर है ।
14.	लाखेरी	कोटा	एक	मार्च, 79	कार्य प्रगति पर है ।
		कुल 17 नल कूप			

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न सं. 656 की सूची)

[जिला, पाली के परीक्षण राहत कार्यों की सूची

क्र. सं.	नाम तहसील	कार्य का नाम
1.	बाली	बीजापुर भिमाणा वाया काकराड़ी
2.	,,	निचला भिमाणा से उपला भिमाणा
3.	रायपुर	रायपुर से जस्सा खेड़ा
4.	,,	झाला की चौकी से कलालिया
5.	,,	बिराटिया खुर्द, बार बिलाड़ा से बूटीवास वाया बिरी नानणा।
6.	देसूरी	देसूरी भनोता

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 659 की सूची)

सूची 'अ'

क्र. सं.	सड़कों का नाम	खर्चा डामर की पक्की के लिए	विवरण
1.	गडराली गोलासन सेलूमा गुजरात सरहद तक सड़क	6.40 लाख	
2.	डेडवा डावल आमली हाडेचा सड़क	9.60 ,,	
3.	सांचौर भवानडा सड़क	60.00 ,,	
4.	सांचौर चितलवाना सड़क (आमली चितलवाना)	11.00 ,,	
5.	सिवाड़ा झाव सड़क	19.00 ,,	
6.	सिवाड़ा चितलवाना सड़क	9.00 ,,	
7.	साकड़ डवर्गावा गुजरात सरहद तक सड़क	12.50 ,,	सी. डी. वर्क साथ में
8.	साकड़ खारा सड़क	7.00 ,,	
9.	साकड़ बास के देवड़ा गांधी ग्राम सड़क	4.00 ,,	
10.	केरोया गांकद सड़क	6.00 ,,	
11.	बावलिया धाणता अरण्याय सड़क	10.40 ,,	

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न सं. 662 की सूची)

सूची (क)

पंचायत समिति गोविंदगढ़ क्षेत्र में बनाई गई सड़कें :—

	सड़कें	लम्बाई
1.	कालाडेरा गोविन्दगढ़	6 कि. मी.
2.	उदयपुरिया खेजरोली	16 कि. मी.
3.	कालाडेरा बघाल रोड़	6.25 कि. मी.
4.	गिनोई अप्रोच रोड़	4 कि. मी. (डामर व पुलियां के अलावा)
5.	कालाडेरा कालेज रोड़	1. कि. मी.
6.	गोविन्दगढ़ टाऊन रोड़	2 कि. मी.
7.	चौमू–चंदवाजी	26.5 कि. मी.
8.	चौमूं–सामोद	9 कि. मी.
9.	सामोद–घवली	5 कि. मी.
10.	जेतपुरा अनंतपुरा	2.2 कि. मी.

सूची (ख)

पंचायत समिति गोविन्दगढ़ क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़कें :—

1. कालाडेरा (ग्रस्तेड़ा) रोड कि. मी. 6.25 से 11.00 तक बनाई जा रही है।
2. गिनोई अप्रोच रोड डामर व पुलिया का कार्य चालू है।
3. कालाडेरा गोविन्दगढ़ पुलिया का कार्य चालू है।
4. चौमू चंदवाजी पुलिया का कार्य किया जा रहा है।
5. सामोद धवली डामर व पुलिया का कार्य चालू है।

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 666 की सूची)

बून्दी जिले में स्थित देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार एवं राजकीय आत्म निर्भर मन्दिरों की सूची तथा उनकी सम्पदा का मूल्यांकन

क्र. सं.	नाम मन्दिर	स्थान	जिला	मूल्यांकन
	प्रत्यक्ष प्रभार मन्दिरान जिला बून्दी			
1.	श्री रंगनाथजी गढ़	बून्दी	बून्दी	66,800
2.	श्री चारभुजाजी	,,	,,	68,100
3.	श्री अखाड़ा हनुमानजी	,,	,,	9,100
4.	श्री हरिजन मन्दिर	,,	,,	13,350
5.	श्री सतूर माताजी	सतूर	,,	80,940
6.	श्री रंगनाथजी	नैनवा	,,	78,930
7.	श्री कशवरायजी	केशवरायजी पाटन	,,	83,150
8.	श्री गोपाल लालजी	बून्दी	बून्दी	सर्वे होना शेष है।
	आत्म निर्भर मन्दिरान जिला बून्दी			
1.	श्री पीताम्बर रायजी महाराज	,,	,,	5,350
2.	श्री गोविन्द नाथजी	,,	,,	38,636
3.	श्री हनुमान जी व धर्मशाला	,,	,,	1,86,073
4.	श्री अस्थल नवलखा जी	,,	,,	70,700
5.	श्री गोकल चन्द्रमाजी	,,	,,	11,075
6.	श्री राधा दामोदर जी	,,	,,	1,960

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 669 की शिकायत प्रति)

प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र श्री भागूराम

सेवामें,

श्रीमान् तहसीलदार साहब, डेगाना ।

विषय:—माही के पावतन में से खेजड़ियों के पेड़ काटने बाबत ।

निवेदन है कि ग्राम भारली तहसील डेगाना की रिणोया माही के पावतन में खेजड़ियों के काफी पेड़ खड़े थे ।

उपरोक्त पावतन में से श्री तुलछीराम पटवारी बरवा श्री आलाराम पुत्र श्री शेराराम जाट व भंवरसिह फतहसिह राजपूत निवासी भारली वालों ने काट कर वेच दी है । कुछ पेड़ अभी तक मौजूदा बाडी के पावतन में पड़े हैं ।

काफी पेड़ काट कर भंवरसिंह पुत्र श्री फतहसिह राजपूत, भारली के बाड़े में ले जाकर डाल ली हैं जो मौजूदा हैं तथा करीब एक छकड़ा लकड़ी जालाराम के बाड़े में पड़ी हैं ।

अतः कृपा कर के तुरन्त ही कटी हुई मौके पर पड़ी लकड़ी तथा बाड़ों में पड़ी लकड़ी को बरामद करके कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करावें ।

ह० भागूराम वार्ड पंच भारली ।

प्रतिलिपि तार दिनांक 11–6–77 द्वारा ग्रामवासी भारली पंच भागूराम वास्ते जिलाधीश, नागौर ।

गांव भारली तहसील डेगाना नाडी पावतन के पटवारी तुलछीराम जालाराम भंवरसिह ने खेजड़ियां तेरह आठ जून को वेचने वास्ते काट ली पूरे गांव वालों ने मना किया पर नहीं मानते आर. आई. सौनी मिला हुआ है तुरन्त लकड़ी जब्त करें अविलम्ब पटवारी हटावें ।

परिशिष्ट–14

(अतारांकित प्रश्न सं. 675 की सूची)

मण्डी समिति द्वारा सड़कों के निर्माण की सूची

कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल

पूर्ण हुई सड़कें

1. सड़क निर्माण (डब्लू बी एम) बघेरी से गुरुगचका ।
2. सड़क निर्माण अलवर किशनगढ़ सड़क से खापुर ।
3. सड़क निर्माण अलवर किशनगढ़ से कारोली गांव ।
4. सड़क निर्माण अलवर किशनगढ़ सड़क से नूरनगर ।

निर्माणाधीन सड़कें

1. सड़क निर्माण अलवर किशनगढ़ से मोटूका गांव ।
2. सड़क निर्माण चिरखाना से भेरा वाया सिथंली ।
3. सड़क निर्माण इस्माइलपुर से जोलाता श्याम ।

नवीन सड़कें

1. सड़क निर्माण किशनगढ़ बाजार से ग्राम पंचायत भवन ।
2. सड़क निर्माण बहदुरपुर बस स्टेण्ड से बाजार तक ।
3. सड़क निर्माण तिजारा टपूकड़ा से (होलीटिवा) भूरा खोरा की दुकान ।
4. बी टी सड़क निर्माण खैरथल किशनगढ़ सड़क से बास कृपाल-नगर ।

मण्डी समिति द्वारा सड़कों के निर्माण की सूची

कृषि उपज मण्डी समिति, खेरली

पूर्ण हुई सड़कें	निर्माणाधीन सड़कें	नवीन सड़कें
1. सड़क निर्माण खुडीवाना से बहलु ।	1. सड़क निर्माण कफनवाड़ा से गढंरा वाया हिगोंटा ।	
2. सड़क निर्माण रेल्वे स्टेशन से खाद्य निगम ।	2. सड़क निर्माण खेरली से नाटोज वाया खोखरी ।	
	3. सड़क निर्माण सोखंर से सोखरी (प्रकाश मार्ग ।)	

(316)

मण्डी समिति द्वारा सड़कों के निर्माण की सूची

कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर

पूर्ण हुई सड़कें	निर्माणाधीन सड़के	नवीन सड़कें
1. सम्पर्क सड़क हिलाईवाड़ा से बाम्बोली	1. सम्पर्क सड़क बालेरा से खोरड़ा ।	1. बी. टी. सड़क निर्माण मालाखेडा राजगढ़ गांव ।
2. सम्पर्क सड़कें रेल्वे क्रासींग से तुलेड़ा	2. सड़क निर्माण नौगांव से रगन ।	2. बी. टी. सड़क निर्माण मदनपुरी से सालपुरी वाया गुजकी ।
3. डब्लू बी एम सड़क निर्माण सीली सेट से बखतपुरा ।	3. सड़क निर्माण मालाखेड़ा से हल्दीना ।	3. बी. टी. सड़क निर्माण सीलीसेट से बखतपुरा ।
4. डब्लू बी एम सड़क निर्माण मदनपुरी से सालपुरी ।	4. डब्लू बी एम सड़क निर्माण अलवर राजगढ़ सड़क से बरखेड़ा ।	
5 सड़क निर्माण ककराली से ऊंटवाल ।		
6. सड़क निर्माण मुबारिकपुर से निकच ।		
7. सड़क निर्माण खारेड़ा से पृथ्वीपुरा रोड़ ।		
8. सड़क निर्माण मुबारिकपुर नाला से लड़कियों के स्कूल तक ।		

परिशिष्ट–15

(अतारांकित प्रश्नोत्तर 677 की सूची)

सूचना

जिला नागौर में कांस्टेबलों के प्रमोशन हेतु लिए गए टेस्टों में सम्मिलित अनुसूचित जाति व जनजाति के कांस्टेबलों की नामावली—प्रश्न के भाग 2 के सम्बन्ध में।

1.	वर्ष 1975	श्री सुरजाराम	कानि. नं.	139	भांबी	मैट्रिक
2.	,,	श्री चन्दन मल	,,	402	बावरी	बी. ए.
3	,,	श्री पूसाराम	,,	513	मेघवाल	मैट्रिक
4.	,,	श्री रामजीराम	,,	686	नायक	मैट्रिक
5.	,,	श्री रामलाल	,,	567	डोली	पांचवीं कक्षा
6.	,,	श्री रंगलाल	,,	689	दमामी	हिन्दी
7.	,,	श्री बाबू लाल	,,	348	बावरी	पाचवीं कक्षा

नोट:—श्री रामलाल नं. 567 टैस्ट में पास हुआ।

1.	वर्ष 1976	श्री रामजीराम	कानि. नं.	686	नायक	मैट्रिक
2.	,,	श्री सुरजाराम	,,	189	भांबी	,,
3.	,,	श्री पूसाराम	,,	513	मेघवाल	,,
4.	,,	श्री चन्दनमल	,,	402	बावरी	बी. ए.
5.	,,	श्री शम्भुदयाल	,,	500	मीणा	मैट्रिक

318

पिछले पांच वर्षों में भर्ती किए गए अनुसूचित जाति/जन जाति के उम्मीदवारों की सूची

1974

अनुसूचित जाति नाम मय जाति		अनुसूचित जन जाति नाम मय जाति	
		(1) श्री रामदास मीणा	585
		(2) श्री केवाराम मीणा	905

1975

भर्ती नहीं की गई थी।

1976

1. श्री मंगलाराम मेघवाल	449	(1) श्री बुद्धाराम नायक	368
2. श्री प्रह्लादराम मेघवाल	760	(2) श्री बिरमाराम नायक	237
3. श्री हनुमानराम मेघवाल	185	(3) श्री कलाराम मीणा	791
4. श्री जगदीश हरीजन	503		
5. श्री मंगलाराम मेघवाल	508		
6. श्री नैनाराम मेघवाल	144		
7. श्री भैरूलाल मेघवाल	446		
8. श्री नवलराम बलाई	440		
9. श्री मुकनाराम मेघवाल	254		
10. श्री चतराराम रैगर	7		
11. श्री रूपाराम रैगर	452		
12. श्री अर्जुनराम मेघवाल	854		
13. श्री मोहनराम मेघवाल	20		

1977

1. श्री पांचूराम नायक	23	(1) श्री सुमेरसिंह मीणा	348
2. श्री रामखिलाड़ी जाटव	770		
3. श्री पांचाराम बांवरी	449		
4. श्री मंगेताराम बलाई	615		
5. श्री किशनाराम मेघवाल	517		
6. श्री ढगलाराम मेघवाल	209		

1978

परिशिष्ट—16

(अतारांकित प्रश्न सं० 684 की सूची)

प्रश्न एक की सूची

क्र० सं० ग्राम का नाम	आबादी (1971)
1. बाडा–बाघडा खेडा	265
2. श्रामाडा	485
3. भाटलेडा नाया	93
4. चेचो	1723
5. घाबाजी का खेडा	62
6. घामंचा	536
7. घनोरा	425
8. घाबडा कुट्टी	74
9. घुल खेडा	145
10. डोरई	906
11. गोबिन्दपुरा	362
12. गुलाना	303
13. हरापुरा	319
14. फतेहपुर	37
15. जुनाबगू	234
16. कल्याणपुरा	350
17. खारडी	298
18. नाला देहो	1
19. पामुन्दा	433
20. पालनपुर	219
21. घमनिया	29
22. थुकराई	1285
23. उखेन खुर्द	141
24. जमरपुरा	193
25. धाराका खेरा	146

परिशिष्ट—17

(अतारांकित प्रश्न सं. 688 की सूची)

सूची 'क'

जिला चूरू में राज्य आदेश दिनांक 4-3-78 द्वारा निम्न डिस्पेन्सरी/एडपोस्ट के आदेश निरस्त किए गए :—

तहसील	डिस्पेन्सरी
सुजानगढ़	1—सेन्देसर
चूरू	2—लोहासन बडा
राजगढ़	3—ददेरखा
	4—गालड
डूंगरगढ़	5—लोजिसर
तहसील	**एडपोस्ट**
रसनगढ़	1—सिनसिवा
	2—परसमेऊ
	3—नासरिया
	4—हुरासर
सुजानगढ़	5—बगारा
	6—शिवसर
चूरू	7—कारिया
डूंगरगढ़	8—धाना
	9—इन्द्रपालसर सांसालान
राजगढ़	10—छोटी नांगल
	11—गुवाडी
	12—रजोडी
	13—बसकानसा
	14—नोरंगपुरा
राजगढ़	15—सरतपुरा

सरदारशहर	16—घीरासर
	17—नेयनसर
	18—बागेरा
तारानगर	19—राजपुर
	20—ढाणी बारा
	21—बोयरा
	22—कोह्निना

———

322

—सूची का—

गत दो वर्षों में चुरू जिले के तहसीलवार स्वीकृत चिकित्सालय/डिस्पेंसरी/एण्ड पोस्ट का विवरण

तहसील का नाम	चिकित्सालय का नाम	डिस्पेन्सरी का नाम	प्लपोस्ट का नाम
1. डूंगरगढ़	डूंगरगढ़ नेत्र चिकित्सालय	1. लाखासर	1. लोनियासर मीठी
2. चुरू	—	2. सीटी डि. बांग्ला	2. राजमाली
		3. रामपुरा	—
3. रतनगढ	—	4. टिडियासर	3. लादा
4. सरदारशहर	—	5. शिमला	4. महरीराजीयान
5. तारानगर	—	6. बाय	5. पन्डरेक टीबा
			6. पुनरास
			7. भालरी
6. सुजानगढ़	—	7. चारयास	8. चारला
			9. लालगढ़